रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)--73

REGISTERED NO. D--73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 24, 1979 (अग्रहायण 3, 1901)

No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 24, 1979 (AGRAHAYANA 3, 1901)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, दिनांक 29 अक्तूबर 1979

सूचना

इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में की गयी निम्नलिखित नियुक्ति की अधिसूचना दी जाती है :–

श्री टी० षण्मुगम ने दिनांक 25 अक्तूबर, 1979 से मुख्य महा प्रबन्धक (कार्मिक एवं मानवीय स्रोत विकास) केन्द्रीय कार्यालय, बम्बई का पदभार ग्रहण किया ।

एस० सी० नागर
उप प्रबन्ध निदेशक
(कार्मिक एवं सेवाएं)

भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान

मद्रास-600034, दिनांक 28 सितम्बर 1979

सं० 8 एस०सी०ए० (5)/79/80—चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 10(1) खंड (तीन) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किये प्रेक्टिस प्रमाण-पत्र उनके नाम के आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिये गये हैं क्योंकि वे अपने प्रेक्टिस प्रमाण-पत्र को रखने के इच्छुक नहीं :—

क्रम सं०	स० सं०	नाम एवं पता	तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	18968	श्री एम० एस० सिद्दाराज, ए० सी० ए०, एकाउन्ट्स आफीसर, विशवेसवरा आइरन एण्ड स्टील लि०, भद्रावती-577301।	31-7-79
2.	19673	श्री जेकब वरघीस ए० सी० ए०, 51, स्टरलिंग रोड, मद्रास-600034।	1-4-79

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	19736	श्री आर० वेंकटारामानी, ए० सी० ए०, प्लाट नं० 61, पासुमपौन स्ट्रीट, चित्रकलामिनी कालोनी। तिरुनगर, मदुराई-625006।	31-7-79

सं० 8 एस० सी० ए० /6/79-80—रेगूलेशन 10(1) के धारा (4) जिसे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के रेगूलेशन 1964 के अधिनियम 10(2) (बी) के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार एतद्द्वारा अधिसूचना दी जाती है कि निम्नलिखित सदस्यों को कार्य करने के प्रमाण-पत्र 1 अगस्त 1979 से रद्द समझे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वर्ष 1979-80 के लिए कार्य प्रमाण-पत्र हेतु वार्षिक शुल्क का भुगतान 31 जुलाई, 1979 तक नहीं किया है :—

क्रम सं०	स० सं०	नाम व पता
1.	639	श्री ए० सामबन्दा मूर्ती, एफ० सी० ए०, बाशीर बाग, हैदराबाद-500029।
2.	4118	श्री आर० श्रीनिवासन, ए०सी०ए०, 136, मोब्रेस रोड, मद्रास-600018।
3.	7669	श्री पी०ई० पीताम्बरम, एफ०सी०ए०, वालनजामबालम, कोचीन-682016।]
4.	7810	श्री एम० के० वारके, एफ०सी०ए०, वालिया वीडी, चारई-683514, एरनाकुलम डिस्ट्रिक्ट।
5.	15014	श्री एस० प्रकाश चन्द मुत्था, ए० सी० ए०, 2, पैरीश्रानकन स्ट्रीट, सौकारपट, मद्रास-600001।
6.	18554	श्री आर० विजयराघवन, ए०सी०ए०, 12, ननगम वक्कम हाई रोड़, मद्रास-600034।

सं० 8 एस० सी० ए०/7/79-80—रेगुलेशन 10(1) के धारा (4) जिसे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के रेगुलेशन 1964 के अधिनियम 10(2) (बी) के साथ पढ़ा जाये, के अनुसार एतद्द्वारा अधिसूचना दी जाती है कि निम्नलिखित सदस्यों को कार्य करने के प्रमाण-पत्र 1 अगस्त 1979 से रद्द समझे जायेंगे क्योंकि उन्होंने वर्ष 1979-80 के लिये कार्य प्रमाण-पत्र हेतु वार्षिक शुल्क का भुगतान 31 जुलाई, 1979 तक नही किया है :—

क्रम संख्या	म० नं०	नाम व पता
(1)	(2)	(3)
1.	1988	श्री सी० एच० सेशागीरिपच्चर, एफ० सी० ए०, गंगा निवास, 859, नारायनन शास्त्री रोड, मैसूर।
2.	2971	श्री जे० एस० कामेश्वरा राव, ए० सी० ए०, 1-10 179, बैंक कालोनी अशोक नगर, हैदराबाद-500020।
3.	3139	श्री एम० वेंकटाकृष्णनन, ए० सी० ए० 22, सुल्कूवर स्ट्रीट, ट्रीपलीकेन, मद्रास-600005।
4.	4228	श्री डी० वासुदेवा राव, एफ० सी० ए०, गुरु कृपा, 8, कमला बाई स्ट्रीट, टी० नगर, मद्रास-600017।
5.	5783	श्री जार्ज जोसफ, एफ० सी० ए०, 22, लक्ष्मी स्ट्रीट आफ न्यू आवदी रोड, मद्रास-600010।
6.	6242	श्री वाई० एस० वेंकटारमना भट्ट, एफ०सी०ए०, बैंक रोड, कमारगौड।
7.	6247	श्री आर० वेंकटारमना, एफ०सी०ए०, बीकली मार्केट रोड़, वनीयाम्बडी-635753।
8.	6613	श्री वी० एम० कृष्णमूर्ति एफ०सी० ए०, 11, पीनया इण्डिस्ट्रीयल एस्टेट II, टुमकूर रोड, बंगलौर-560057।

(1)	(2)	(3)
9.	7843	श्री ओम प्रकाश गोयल, एफ०सी०ए०, शान्ति कुटीर, मोती महल, 2, राना प्रताप मार्ग, लखनऊ।
10.	9024	श्री के० अप्पाराव, ए०सी०ए०, मैकान, 310, रोलिंग हिल्स प्रोफेशनल बिल्डिंग, 655, दिपवेली ड्राईव, रोलिंग हिल्स एस्टेट, कैलिफोर्निया-90274 लोस ऐन्जेलस, यू० एस० ए०।
11.	9336	श्री पी० जे० जगनाथाराव, एफ० सी० ए०, सिरि पाण्डुरंगा निलाया बिहाइन्ड चमुनदेशवरी टाकीज, मैसूर-570001।
12.	9594	श्री आर० शंकरा नारायणन, ए०सी०ए०, 1, बासुदेव स्ट्रीट, टी नगर, मद्रास-600017।
13.	9948	श्री के० एस० कनकाराज, एफ० सी० ए०, 44, सम्बन्धामूर्ति स्ट्रीट, मदुराई-625001।
14.	10508	श्री के० पी० सुब्रामनीयन, एफ० सी० ए०, 26-ए, मुधूरंगा मुदालियर स्ट्रीट, ए रोड-638001।
15.	10766	श्री ए० के० कृष्ण मूर्ति, एफ० सी० ए०, महालक्ष्मी मन्डीराम, गीता रोड, मैसूर-570004।
16.	10875	श्री के० गुनाबलन, एफ० सी० ए०, शंकर इलाम, 4, 11 क्राम, वेस्टर्न एक्स्टेंशन्, थीलाई नगर, तिरुचिरापल्ली-620018।
17.	10897	श्री निसार पाशा, एफ० सी० ए०, नं० 27, सैकिण्ड फ्लोर, सिल्वर जुबली, पार्क रोड, बंगलौर-560002।
18.	11563	श्री आर० बाला सुब्रामनीयम, ए० सी० ए०, 21, नागेश्वर अय्यैर रोड, नुनगभबक्कम, मद्रास-600034।
19.	12326	श्री मजेटी वैकंटा समम्पत बाबा, ए०सी०ए०, मेल्हर कलाथ शोप, ऐलुरु रोड, विजयवाड़ा-520002।
20.	12697	श्री के० पी० रामाचन्द्रन, एफ० सी० ए०, ओ० वी० रोड, तेलीचेरी-670101।
21.	12736	श्री माधव अश्रताशयान शिराहट्टी, ए०सी० ए०, 781, राईट टाऊन, पोस्ट बाक्स नं०-300, जबलपुर-482002।
22.	12754	श्री पी० जेयाप्रगाश नारायानन एफ०सी०ए०, 50, रेलवे स्टेशन रोड, टुटीकोरिन-628001।
23.	12795	श्री एम० सीतारमन, ए०सी०ए०, 21/814, वालियासालई स्ट्रीट, त्रिवेन्द्रम-695023।
24.	12885	श्री अशोक कुमार डालमिया, एफ०सी०ए०, 14, कैथेड्रिरल गार्डन्स, नुनगभबक्कम, मद्रास-600034।
25.	13018	श्री के० जे० अन्टो, ए०सी०ए०, XXXV/1225/6, मनोकिरी क्रास रोड, पालिमुकू, कोचीन-682016।

सं० 8 एस० सी० ए०/8/79-80—रेगूलेशन 10(1) के धारा (4) जिसे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के रेगुलेशन्स 1964 के अधिनियम 10(2) (बी) के साथ पढ़ा जाये, के अनुसार एतद्-द्वारा अधिसूचना दी जाती है कि निम्नलिखित सदस्यों को कार्य करने के प्रमाणपत्र 1 अगस्त 1979 से रद्द समझे

जायेंगे, क्योंकि उन्होंने वर्ष 1979-80 के लिये कार्य प्रमाण-पत्र हेतु वार्षिक शुल्क का भुगतान 31 जुलाई, 1979 तक नहीं किया है:—

क्रम सं०	स०सं०	नाम एवं पता
(1)	(2)	(3)
1.	13516	श्री कन्हैयालाल चन्डक, ए० सी० ए०, I टाईप, ब्लाक नं० 1/4, बन्गुरनगर, डानडेली (एन० के०)।
2.	13755	श्रीमती एस० ससम्बल, ए० सी० ए०, 56-57, ओपनाकारा स्ट्रीट, कोयम्बटूर-641001।
3.	13826	श्री सुबैथन जस्नीतनन, ए० सी० ए०, 115, गोपाल बिल्डर्स, पोलाची-642001।
4.	14622	श्री एन० वी० जोन, एफ० सी० ए०, सिवासुधा, XXXV/1225/6, मर्नाकीरी क्रास रोड-पालीभुकू, कोचीन-682016।
5.	14733	श्री पी० सनकरानारायनन, एफ० सी०ए०, राजा विलास, जेटी रोड, ऐलेपी।
6.	14986	श्री वी० के० रमन, एफ०सी०ए०, 46, साउथ उस्मान रोड, टी० नगर मद्रास-600017।
7	15156	श्री पी० एन० नीलाकनतन, एफ० सी० ए०, 24, जनरल पैटरस रोड, मद्रास-600002।
8.	15364	श्री एम० रामदास, ए० सी० ए०, मूथीडेथ हाउस नीर्लीकूनु पी० ओ० त्रिचुर-680005।
9.	15390	श्री एन० सुब्रामनयन, ए० सी० ए०, 15, कल्यानापुरम, चूलाभेडू, मद्रास-600094।
10	15656	श्री जे० रंगानाथम, ए०सी०ए०, 28, पेरीश वेंकटाचला अय्यैर स्ट्रीट, मद्रास-600001।
11.	15828	श्री अजावरा शिवा राव, ए० सी० ए०, 2 फ्लोर, स्वतन्त्रा मैन्सन 6, होस्पीटल रोड, बंगलौर-560053।
12.	15892	श्री सी० राजागोपाल, ए० सी० ए०, 37-सी, विंग स्ट्रीट, पटुकोटाई-614601।
13.	18092	श्री एम० पी० बद्रीनाथ, ए० सी० ए०, 'सिरी' नुरूसिम्हा निलाया, 4245, सुब्रामनया नगर, बंगलौर-560021।
14.	18148	श्री बी० वी० सत्यानारायनन्, ए० सी० ए०, 11, लकंशमना मुदालियर स्ट्रीट, कामर्सियल स्ट्रीट क्रास, बंगलौर-560001।
15.	18363	श्री टी० रेमा . रेमानन, ए०सी०ए०, कृष्णा बिल्डिंग्स, मनजेरी।
16.	18544	श्री बी० राजागोपाल, ए० सी० ए०, 15-1,503/बी/11, अशोक मार्केट, फीलखाना, हैदराबाद-500012।
17.	18575	श्री यकचूरू सुबाराव, ए० सी० ए०, 5/37, स्टोन हाउस पेट, नेलोर-524002।
18.	18827	श्री एम० कुमारासामी, ए० सी०ए०, 18-ए, म्यूनीसीपल आफिस रोड (अोप-डिस्ट्रिक्ट कोर्ट) कन्टोनमेन्ट, तिरूचिरापल्ली-620001।
19.	19099	श्री एच० एन० गिरीनाथ, ए० सी० ए०, 42/1, ईस्ट अनजानेया टैम्पल स्ट्रिट, बासवनगुडी बंगलौर-560004।
20.	19249	श्री के० वेंकटारमन, ए०सी०ए०, ए-13, विवेकानन्द नगर, ट्रीरची रोड, डिन्डीगुल-624007।
21.	19229	श्री एम० कुपूराम, ए०सी०ए०, 115, गोपाल बिल्डिंग्स, पोलाची-642001।

1	2	3
22.	19284	श्री आर० सोमनाथ शेनाय, ए०, सी० ए० थोपील हाउस, ईस्ट आफ सेन्ट एन्थोनीस चर्च, ऐलैपी।
23.	19297	श्री सतीश सी० साहा, ए० सी० ए०, 26/1, लोयड्स रोड, रोया पिटा, मद्रास-600014।
24.	19349	श्री के० निचला रामननदा स्वामी ए० सी० ए०, 815, न्यूपेट, अत्तुर-636102 सेलम डिस्ट्रिक्ट।
25.	19463	श्री वी० वी० रंगानाथन, ए० सी० ए०, सिरि भाग अमम कोविल रोड, कोचीन-682011।
26.	19476	श्री ई० चैतन्य मूर्ती, ए० ए० सी० ए०, एच० नं० 2-2-3/6/बी, ओपोसिट सी० टी० आई०, हैदराबाद-500044।
27.	19562	श्री एस० शंकर, ए० सी० ए०, 63, नूर बिल्डिंग्स, 1 फ्लोर, जे० सी० रोड, बंगलौर 560002।
28.	19600	श्रीमती बाग्यालक्ष्मी शंकर, ए० सी० ए०, 5/49, 34 क्रास IV, टी ब्लाक, जयानगर बंगलौर-560011।
29.	19628	श्री एम० श्रीनिवासा राव, ए० सी० ए०, 1-9-648, 'जाता भवन', विद्यानगर, हैदराबाद-500044।
30.	19668	श्री एस० श्रीनिवासाराव, ए० सी० ए०, 32, नोर्थ मसी स्ट्रीट, मदुराई-625001।
31.	19690	श्री सी० राममूर्ति, ए० सी० ए०, 6, साउथ स्ट्रीट, सी० आई० टी० नगर वेस्ट, मद्रास-600035।
32.	19735	श्री जी० मोहन राजू, ए० सी० ए०, 3, गोम्स स्ट्रीट, मद्रास-600001।
33.	19750	श्री आर० नागाराजन, ए० सी० ए०, भवानी, 5, V स्ट्रीट गोपालापुरम, मद्रास-600086।
34.	19989	श्री एस० प्रभुदेव आराध्या, ए० सी० ए०, 27, I मेन रोड, गांधीनगर, बंगलौर-560009।
35.	20052	श्री एन० मोहन, ए० सी० ए०, 20, विनायकर कोईल स्ट्रीट, ईस्ट तम्बरम, मद्रास-600059।
36.	30719	श्री राजेश गुरुनाथ धकापा, ए० सी० ए०, ब्लाक 20, II/फ्लोर, कारपोरेशन बिल्डिंग सुपर बाजार, हुबली-580020।

पी० एस० गोपालाकृष्णन्,
सचिव

कलकत्ता-700071, दिनांक 3 अक्तूबर 1979

सं० 4 ई०सी०ए०(6)/79-80--चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा (1)(ग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से श्री खोनिश चन्द्र राए, हाऊस नं० एफ-34, सैक्टर-4, राऊरकेला-769002, उड़ीसा, का नाम 1 अगस्त, 1978 से निर्धारित शुल्क न जमा कराने के कारण हटा दिया गया है। उसकी सदस्य संख्या 3567 है।

पी० एस० गोपालाकृष्णन्,
सचिव

मद्रास-600034, दिनांक 5 अक्तूबर 1979

सं० 4 एस० सी० ए० (5)/79-80—चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1(क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम आगे दी गई तिथियों से हटा दिया है :—

क्रम सं०	स० सं०	नाम एवं पता	तिथि
1.	134	श्री सी० एस० सिवारामकृष्णन, ओल्ड कलपाथी, पालघाट-678008।	15-8-79
2.	188	श्री के० एन० सुब्बारामा अईर, 161, माऊंट रोड, मद्रास-600002।	4-10-79
3.	211	श्री टी० एस० रामा अईर, 10-ए, कृष्णनामाचारी एवेन्यू, लाटिस ब्रिज रोड़, एदयार, मद्रास-600020।	25-9-79

पी० एस० गोपालाकृष्णन्,
सचिव

कलकत्ता-700071, दिनांक 17 अक्तूबर 1979

सं० 5 ई० सी० ए० (11)/79-80—इस संस्थान की अधिसूचना सं० 4 ई० सी० ए० (6)/79-80 दिनांक 3 अक्तूबर, 1979 के संदर्भ में चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान ने अपने सदस्यता रजिस्टर में श्री खौनीश चन्द्र राय, एफ० सी० ए०, 153, मनमथा दत्ता रोड, कलकत्ता-700037 का नाम दिनांक 6 अगस्त, 1979 से पुनः स्थापित कर दिया गया है। उनकी सदस्य संख्या 3567 है।

पी० एस० गोपालाकृष्णन, सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 28 अक्तूबर 1979

सं० यू०-16/53/76-चिकित्सा-2(गुजरात)—इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 12(1)-2/67-चिकित्सा-2 दिनांक 31-8-68 का आंशिक संशोधन करते हुए और कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 105 के तहत मुझे निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में मैं इसके द्वारा निवासी चिकित्सा अधिकारी, ग्रेड-2, भवसजी अस्पताल को बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्रों की सत्यता में संदेह होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए दिनांक 15-11-79 से पोरबन्दर के लिए चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है।

वी० एम० चर्नालिया, महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्तूबर, 1979

सं० एक्स-11/14/20/77—यो० एवं वि० कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 5 के उप विनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक ने यह निश्चय किया है कि राज्य सरकार तामिलनाडु की अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० एस० संख्या 1483, दिनांक 12 सितम्बर, 1979 जो कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 1 की उप धारा (5) के अन्तर्गत अधिनियम के उपबन्धों का उन स्थापनाओं पर विचार करने के लिए जारी किया गया था जोकि अधिसूचना में निर्दिष्ट है तथा उन स्थापनाओं में वर्ग 'क', 'ख' तथा 'ग' के लिये प्रथम अंशदान एवं प्रथम लाभ अवधियों नियत दिवस 29-9-1979 की मध्य रात्रि को बीमा योजना रोजगार में लगे व्यक्तियों का लिये प्रारम्भ एवं समाप्त होगी जैसा कि निम्न सूची में दिया गया है :—

वर्ग	प्रथम अंशदान अवधि		प्रथम लाभ अवधि	
	जिस मध्य रात्रि को प्रारम्भ होती है	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है	जिस मध्य रात्रि को प्रारम्भ होती है	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है
क.	29-9-79	26-1-80	28-6-80	25-10-80
ख.	29-9-79	29-3-80	28-6-80	27-12-80
ग.	29-9-79	24-11-79	28-6-80	30-8-80

दिनांक 5 नवम्बर 1979

सं० एन० 15/13/10/1/78—यो० एवं वि० (1) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के चिकित्सा विनियम 5 के उपविनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक ने निश्चय किया है कि निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों में वर्ग 'क', 'ख' तथा 'ग' के लिये प्रथम अंशदान एवं प्रथम लाभ अवधियां नियत दिवस 10-11-79

की मध्य रात्रि को बीमा योग्य रोजगार में लगे व्यक्तियों के लिये प्रारम्भ व समाप्त होगी जैसा निम्न सूची में दिया गया है :—

वर्ग	प्रथम अंशदान अवधि		प्रथम लाभ अवधि	
	जिस मध्य रात्रि को प्रारम्भ होती है	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है	जिस मध्य रात्रि को प्रारम्भ होती है	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है
क.	10-11-79	26-1-80	9-8-80	25-10-80
ख.	10-11-79	29-3-80	9-8-80	27-12-80
ग.	10-11-79	24-11-79	9-8-80	30-8-80

अनुसूची:—"जिला पुरी, तहसील भुवनेश्वर के कालरपुर और पण्डारा राजस्व ग्राम की सीमा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।"

सं० एन० 15/13/10/1/78—यो० एवं बि० (2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 11-11-79 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम, 95-क तथा उड़ीसा राज्य कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1951 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ उड़ीसा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जायेंगे :

अर्थात्:

"जिला पुरी, तहसील भुवनेश्वर के कालरपुर और पण्डरा राजस्व ग्राम की सीमा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।

फकीर चन्द, निदेशक

परमाणु ऊर्जा विभाग

रिऐक्टर अनुसंधान केन्द्र

कलपाक्कम, दिनांक 25 सितम्बर 1979

आदेश

सं० आर० आर० सी०/डब्ल्यू० एस०/1069/73/52-पी/79-15102—चूंकि श्री ए० एम० अब्दुल खादर को, जब कि वे रिऐक्टर अनुसंधान केन्द्र के फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिऐक्टर (मैकेनिकल) निर्माण वर्ग में कारीगर "ए" (रिगर) के पद पर नियुक्त थे, अपने मूल निवास-स्थान जाने के लिए 16 मई, 1979 से 32 दिन की अर्जित छुट्टी स्वीकृत की गई थी।

2. चूंकि श्री ए० एम० अब्दुल खादर जो, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, कारीगर "ए" (रिगर) के पद पर नियुक्त हैं, 18-6-1979 से अपनी ड्यूटी से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं।

3. और चूंकि श्री ए० एम० अब्दुल खादर को दिनांक 10 अगस्त, 1979 के पत्र संख्या आर० आर० सी०/पी० एफ०/1069/73/12824 द्वारा, जो कि उनके पते पर रजिस्टर्ड रसीदी डाक से भेजा गया था, ड्यूटी पर तत्काल हाजिर होने का निदेश दिया गया था तथा वे ड्यूटी पर हाजिर नहीं हुए

4. और चूंकि श्री अब्दुल खादर को दिनांक 7 सितम्बर 1979 के ज्ञापन संख्या आर० आर० सी०/डब्ल्यू० एस०/1069/73/14077 द्वारा एक आरोप-पत्र जारी किया गया था। इस आरोप-पत्र की एक प्रति रजिस्टर्ड डाक से उनके स्थायी पते पर और दूसरी प्रति उनकी छुट्टी की अर्जी में दिए गये पते पर भेजी गई थी।

5. और चूंकि उक्त श्री अब्दुल खादर से कोई संदेश अब तक नहीं मिला है।

6. और चूंकि पूर्ववर्ती पैरों में दिए गए कारणों से मैं इस बारे में सन्तुष्ट हूं कि श्री अब्दुल खादर की अनधिकृत अनुपस्थिति के सम्बन्ध में दिनांक 7 सितम्बर, 1979 के आरोप-पत्र में उल्लिखित पद्धति से जांच करवाना समुचित रूप से व्यावहारिक नहीं है।

7. और चूंकि श्री अब्दुल खादर का 18-6-1979 से अनुपस्थित रहना घोर कदाचार है तथा मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि श्री अब्दुल खादर इस योग्य नहीं हैं कि उनकी नौकरी कायम रखी जाए।

8. इसलिए मैं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अब्दुल खादर को एतद्द्वारा तत्काल नौकरी से बरखास्त करता हूं।

एन० एस० चार,
प्रधान परियोजना अभियंता

कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम

बम्बई, दिनांक 5 नवम्बर 1979

सं० जी० एस० आर०—कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम अधिनियम, 1963 (1963 का 10) की धारा 32 (2) के अनुसरण में 30 जून 1979 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निगम के कामकाज के बारे में बोर्ड की रिपोर्ट और 30 जून, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निगम का तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा नीचे प्रकाशित किये जाते हैं।

कृपुविनि एक दृष्टि में

(करोड़ रुपये)

साधन	30 जून को समाप्त हुए वर्ष को			उपयोग	30 जून को समाप्त हुए वर्ष को		
	1977	1978	1979		1977	1978	1979
चुकता शेयर पूंजी और प्रारक्षित निधियां	42	59	85	निम्नलिखित को प्रदान किया गया पुनर्वित्त (बकाया)			
भारत सरकार से लिए गए उधार	340	428	502	राज्य भूमि विकास बैंक	525	589	663
(उसमें से अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ/अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की सहायता का अंश)	260	360	444	(उसमें से अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ/अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक परियोजनाओं के अधीन)	(332)	(384)	(435)
भारतीय रिजर्व बैंक				अनुसूचित वाणिज्य बैंक	186	273	372
				(उसमें से अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ/ अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक परियोजनाओं के अधीन)	(102)	(135)	(184)
दीर्घकालीन प्रचलन निधि	173	217	264				
अल्पावधि	--	--	--				
खुले बाजार से लिए गए उधार	182	202	246	राज्य सहकारी बैंक	11	11	11
				(उसमें से अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ परियोजनाओं के अधीन)	(--)	(2)	(3)

विकास का इतिहास

(करोड़ रुपये)

विवरण	जून के अंत को विद्यमान स्थिति						
	1969	1974	1975	1976	1977	1978	1979
चुकता शेयर पूंजी और प्रारक्षित निधियां	5	17	23	29	42	59	85
विशेष जमाराशियां	1	1	2	2	3	4	5
विशेष ऋण लेखा	--	--	--	--	--	5	7
सहायता ऋण	--	--	--	--	--	--	--
उधार :							
भारत सरकार से	26	164	197	250	340	428	502
भारतीय रिजर्व बैंक से	--	66	93	140	173	217	264
अल्पावधि	--	12	5	2	--	--	--
दीर्घावधि	--	54	88	138	173	217	264
खुले बाजार से	—	66	99	138	182	202	246
दिया गया पुनर्वित्त (शुद्ध)	30	310	407	549	722	874	1046
डिबेंचर	28	272	344	426	525	590	661
ऋण	2	38	63	123	197	284	385
अन्य आस्तियां	1	9	14	20	30	46	62
निवेश और प्रारक्षित नकदी निधियां	1	—	—	--	--	23	32
सकल आय	1	16	22	30	41	55	69
करपूर्व लाभ	1	3	4	6	8	12	14
देय कर	--	2	2	3	3	--	--
करोत्तर लाभ	--	1	2	3	5	12	14
अदा किया गया लाभांश	--	1	1	1	2	2	3

सारणी 1 पुनर्वित्त का वितरण-प्रयोजनवार (जुलाई-जून)

करोड़ रुपये

प्रयोजन	चौथी योजना		निम्नलिखित वर्षों में					30 जून 1979 तक
	1963-69£	1969-69	1974-74£75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	
लघु सिंचाई	13 (43.3)	242 (84.6)	84 (79.3)	108 (63.1)	142 (64.3)	143 (61.1)	171 (60.0)	903 (67.7)
भूमि विकास*	14 (46.7)	14 (4.9)	2 (1.9)	5 (2.9)	6 (2.7)	4 (1.7)	11 (3.8)	56 (4.2)
कृषि मशीनीकरण*	--	7 (2.5)	12 (11.3)	46 (26.9)	52 (23.5)	28 (12.0)	41 (14.4)	187 (14.0)
बागान/बागवानी	2 (6.7)	9 (3.1)	2 (1.9)	3 (1.7)	5 (2.3)	8 (3.4)	12 (4.2)	42 (3.2)
मुर्गीपालन/भेड़ पालन/सुअरपालन	--	--	1 (0.9)	1 (0.6)	1 (0.4)	2 (0.9)	4 (1.4)	8 (0.6)
मत्स्यपालन	--	2 (0.7)	2 (1.9)	2 (1.2)	2 (0.9)	5 (2.2)	8 (2.8)	22 (1.7)
डेरीविकास	--	2 (0.7)	1 (0.9)	3 (1.8)	3 (1.4)	4 (1.7)	7 (2.5)	20 (1.5)
भंडार और बाजार केन्द्र	1 (3.3)	10 (3.5)	2 (1.9)	3 (1.8)	10 (4.5)	38 (16.2)	27 (9.5)	91 (6.8)
वन उद्योग	--	--	--	--	--	1 (0.4)	1 (0.4)	2 (0.1)
कृषि विमानन	--	--	--	--	--	--	--	--
समन्वित रूई विकास परियोजना	--	--	--	--	--	1 (0.4)	3 (1.0)	3 (0.2)
गोबर गैस संयंत्र	--	--	--	--	--	--	--	--
अन्य	--	--	--	--	--	--	--	--
जोड़	30 (100.0)	286 (100.0)	106 (100.0)	171 (100.0)	121 (100.0)	234 (100.0)	285 (100.0)	1334$ (100.0)

सारणी 2 पुनर्वित्त का वितरण-एजेंसीवार (जुलाई-जून)

(करोड़ रुपये)

एजेंसी	(चौथी योजना)	निम्नलिखित वर्षों में						
	1963-69£	1969-	1974-74£	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	30 जून 1979 तक
राज्य भूमि विकास बैंक	28 (93.4)	246 (86.0)	77 (72.6)	99 (57.9)	127 (57.4)	112 (47.9)	131 (46.0)	820 (61.5)
उसमें से अपुधि बैंक की परियोजनाओं के अधीन	--	--	--	--	--	--	1	1
अंवि संघ की परियोजनाएं	--	122	52	91	100	86	88	539
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1 (3.3)	28 (9.8)	28 (26.4)	71 (41.5)	93 (42.1)	120 (51.3)	150 (52.6)	491 (36.8)
उसमें से अपुधि बैंक की परियोजनाओं के अधीन	--	1	--	1	--	--	--	2
अंवि संघ की परियोजनाएं	--	4	10	41	55	46	72	228
राज्य सहकारी बैंक	1 (3.3)	12 (4.2)	1 (1.0)	1 (0.6)	1 (0.5)	2 (0.8)	4 (1.4)	23 (1.7)
उसमें से अंवि संघ की परियोजनाओं के अधीन	--	--	--	--	--	2	4	6
जोड़	30 (100.0)	286 (100.0)	106 (100.0)	171 (100.0)	221 (100.0)	234 (100.0)	285 (100.0)	1334 5 (100 0)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े जोड़ का प्रतिशत है।

*कृपया पृष्ठ 2733 में विवरणिका के अधीन टिप्पण 2 देखें।

£वर्षवार आंकड़े इसके पहले के प्रकाशनों में दिए गए हैं।

**1976-77 और 1977-78 में किए गए वितरणों में अल्पावधि वितरणों शामिल नहीं है।

मुख्य मुख्य बातें

वर्ष 1978-79 के दौरान कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के कार्यों की मुख्य मुख्य बातों का सारांश नीचे दिया जाता है :

इस वर्ष के दौरान वितरित कुल राशि गत वर्ष वितरित 234 करोड़ रुपयों के मुकाबले 285 करोड़ रुपयों तक पहुंच गई। यह वितरण का एक नया स्तर था।

वितरणों के लिये निगम ने भारत सरकार से 95 करोड़ रुपयों, भारतीय रिजर्व बैंक से 75 करोड़ रुपयों तथा बांड जारी कर 44 करोड़ रुपयों के उधार लिए। इसके अलावा पुनर्वित्त की वार्षिक चुकौती के रूप में प्राप्त राशि का भी इस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया।

पुनर्वित्त पर लगाई जानेवाली ब्याज दरों को 7.5 और 8 प्रतिशत से घटाकर 6.5 और 7.5 प्रतिशत कर दिया गया और अंतिम ऋण दर क्रमशः 10.5 और 11 प्रतिशत से 9.5 और 10.5 प्रतिशत कर दी गई। यह कटौती प्रयोजन के आधार पर की गई है और 15 मार्च 1979 से लागू है।

निगम को 5 वर्ष की अवधि के लिए निगम कर से छूट मिली है। भारत सरकार ने भी निगम को अपनी ओर से दिये जाने वाले ऋण की ब्याज दर में भी प्रतिशत कमी कर दी है।

पुनर्वित्त मंजूर करने के अधिकार का विकेन्द्रीकरण किया गया है और कुछ निश्चित सीमाओं तक उसे क्षेत्रीय निदेशकों को सौंपा गया है।

निगम के लिए 2500 लाख डालरों की तीसरी सामान्य ऋण की व्यवस्था करने के बारे में अंविसंघ के साथ सफलतापूर्वक बातचीत पूरी हो गई है।

निगम के विकास कार्यक्रमों के लिए कैनडियन अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी ने 150 लाख डालर और यू० के० सरकार ने 150 लाख पौंड की सहायता प्रदान की है।

अंविसंघ ने पंजाब के लिये एक सिंचाई परियोजना मंजूर की है जिसमें ऋण का एक अंश (460 लाख डालर) कृपुविनि के माध्यम से दिया जाएगा।

कृषि क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों के कार्य का पुनरीक्षण करने तथा उनकी वसूली स्थिति को सुधारने के लिए यथोचित उपाय सुझाने के लिए एक स्थायी समिति की स्थापना की गई जो "वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि ऋण दिये जाने के संबंध में निर्मित समिति" के नाम से अभिहित है।

कृपुविनि के कार्यकलाप

(क) वितरण

1.2 निगम के वितरण की गति में तेजी आती गई और वर्ष 1978-79 के दौरान वितरित कुल राशि 285 करोड़ रुपयों तक पहुंच गयी जो पिछले वर्ष अर्थात् 1977-78 के वितरण, अर्थात् 234 करोड़ रुपये के मुकाबले 51 करोड़ से अधिक थी, । तमिलनाडु और मध्य प्रदेश को छोड़कर अन्य सभी बड़े राज्य वितरित राशि में हुई वृद्धि से लाभान्वित हुए। निगम के प्रारंभ से लेकर जून 1979 के अंत तक किया गया संचयी वितरण 1331 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इसमें 3 करोड़ रुपए का अल्पावधि ऋण शामिल नहीं है। पिछले वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष की अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि वितरित राशि में से करीब 100 करोड़ रुपयों की भारी राशि केवल जून महीने में निकाली गयी। इस वर्ष के दौरान किए गए कुल वितरण में से 164 करोड़ रुपये अथवा 57 प्रतिशत राशि (पिछले वर्ष के प्रतिशत के बराबर) विश्व बैंक और अंविसंघ की सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अधीन वितरित की गयी। 1977-78 और 1978-79 में किए गए वितरणों का ब्यौरा संक्षेप में नीचे सारणी-3 में दिया गया है :

सारणी 3

पुनर्वित्त का वितरण

(करोड़ रुपये)

	1977-78 के दौरान	1978-79	30 जून 1979 तक
अंविसंघ/अंपुवि बैंक की परियोजनाओं के अधीन वितरण	134	164	775
कुल वितरण	234	285	1334

इन परियोजनाओं के अधीन किया गया संचयी वितरण वर्ष के अंत में 775 करोड़ रुपये तक आ पहुंचा जो कुल वितरण का 58 प्रतिशत था।

1.3 विविध राज्यों में कार्यरत सदस्य बैंकों की प्रतिक्रिया पिछले वर्ष के समान ही थी। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य की वितरित राशि में भी कोई खास परिवर्तन नहीं आया। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा में से प्रत्येक राज्य ने 20 करोड़ रुपये से अधिक राशि प्राप्त की। ये राज्य इस मामले में सबसे आगे रहे। इनमें से आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने कुल वितरण का लगभग एक तिहाई अंश प्राप्त किया। विकसित राज्यों में से तमिलनाडु शोचनीय रूप से पिछड़ गया। कुल पुनर्वित्त की राशि में विकसित राज्यों के अंश में 37 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और वह बढ़कर 158 करोड़ रुपये हो गयी। दूसरी ओर कृपुविनि द्वारा कम विकसित अथवा कम बैंक सुविधावाले राज्यों के रूप में निर्धारित राज्यों में वितरित राशि में 14 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और वह बढ़कर 127 करोड़ रुपये हो गई। अल्पवृद्धि की यह स्थिति उत्तर पूर्वी राज्यों में पायी गयी अशांति तथा उड़ीसा में विकास की गति को तेज बनाये रखने के लिए वांछित मूलभूत आवश्यकताओं की कमी के कारण उत्पन्न हुई।

1.4 एजेन्सीवार, वाणिज्य बैंक, भूमि विकास बैंकों से आगे रहे; यह स्थिति पिछले साल पहली बार देखी गई थी।

पिछले दो वर्षों के दौरान किए गए ऐजेन्सीवार वितरण का सारांश नीचे सारणी–4 में दिया गया है :

सारणी 4

एजेन्सीवार वितरण

(करोड़ रुपये)

वर्ष	रा०भू०वि० बैंक	वाणिज्य बैंक	रा०स० बैंक	जोड़
1977–78	112	120	2	234
1978–79	131	150	4	285
30 जून 1979 तक	820	491	23	1334

वाणिज्य बैंकों ने पुनर्वित्त के रूप में 150 करोड़ रुपये प्राप्त किये जो कुल पुनर्वित्त के 53 प्रतिशत थे। यह स्थिति पिछले वर्ष के बराबर ही थी। फिर भी अलग अलग राज्यों में वाणिज्य बैंकों का योगदान भिन्न भिन्न था। ग्यारह राज्यों में पुनर्वित्त की प्राप्ति में 30 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और राजस्थान जैसे कम विकसित राज्य शामिल थे। इस संदर्भ में केवल तमिलनाडु में काफी अधिक गिरावट दिखाई पड़ी।

1.5 जहां तक भूमि विकास बैंकों का सवाल है, उनके कारोबार में आशाजनक लक्षण दिखाई पड़ते हैं। उन्हें 131 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त प्राप्त हुआ जब कि यह राशि वर्ष 1977–78 में केवल 112 करोड़ रुपये थी। कुछ राज्यों में विशेषकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब और आंध्र प्रदेश में उक्त बैंकों को प्राप्त पुनर्वित्त में 22 करोड़ रुपये तक की वृद्धि हुई। इसमें केवल आंध्र प्रदेश राज्य भूमि विकास बैंक का हिस्सा ही 50 प्रतिशत था। अन्य राज्यों में स्थित बैंकों ने परिस्थितियों का समुचित लाभ नहीं उठाया।

1.6 राज्य सहकारी भूमि विकास बैंकों को पिछले वर्ष वितरित 2 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त के मुकाबले इस वर्ष केवल 4 करोड़ रुपये वितरित किये गये।

1.7 वितरण के प्रयोजनवार विश्लेषण से यह विदित होता है कि भण्डारण को छोड़कर (सारणी–1) अन्य सभी प्रमुख प्रयोजनों के लिए वितरित पुनर्वित्त की राशि में वृद्धि हुई है। इसका सारांश संक्षेप में नीचे सारणी–5 में दिया गया है :

सारणी 5

प्रयोजनवार वितरण

(करोड़ रुपये)

प्रयोजन	1977–78 के दौरान	1978–79	30 जून 1979 तक
लघु सिंचाई	143	171	903
भूमि विकास	4	11	56
कृषि मशीनीकरण	29	41	187
अन्य	58	62	188
जोड़ :	234	285	1334

1.8 पिछले वर्ष की ही तरह लघु सिंचाई के लिए किये गये पूंजी निवेश में 171 करोड़ रुपये लग गये जो कुल वितरण के 60 प्रतिशत थे। पिछले वर्ष इस में 143 करोड़ रु० (61 प्रतिशत) लगे थे। (सारणी–1)। कुल वितरण में 48.4 करोड़ रुपये पम्पसेटों के विद्युतीकरण के निमित्त राज्य बिजली बोर्डों को दिए जानेवाले ऋण के पुनर्वित्त के रूप में दिए गये, जबकि पिछले वर्ष केवल 27 करोड़ रुपये दिए गए थे। पम्पसेटों के विद्युतीकरण के लिए वितरित पुनर्वित्त में राज्य भूमि विकास बैंकों का हिस्सा 31.6 करोड़ रुपये था जो पिछले वर्ष वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राप्त किये गये 16.8 करोड़ रुपयों की तुलना में अधिक था। लघु सिंचाई के लिए राज्य भूमि विकास बैंकों को प्राप्त हिस्सा 108 करोड़ रुपये था जबकि 1977–78 में उन्हें 99 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। वाणिज्य बैंकों को प्राप्त राशि 61 करोड़ रुपये थी जो पिछले वर्ष की 43 करोड़ रुपयों की अपेक्षा काफी अधिक थी।

1.9 भूमि विकास के अधीन वितरित 11.4 करोड़ रुपये की राशि 1977–78 में वितरित 4.1 करोड़ रुपये की तुलना में अधिक थी। जैसा कि रिपोर्ट में अन्यत्र चर्चा की गई है, कई सघन क्षेत्र विकास परियोजनाओं की प्रगति पर कई कारणों से बुरा असर पड़ा। इस वर्ग के अंतर्गत, कार्यकारी एजेन्सियों को अंतरिम वित्त के रूप में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में वितरित राशि 2.4 करोड़ रुपये भी शामिल है, सघन क्षेत्र विकास परियोजना के अलावा भूमि विकास के लिए पंजाब और केरल दोनों राज्यों में करीब दो दो करोड़ रुपये वितरित किए गए।

1.10 वितरण के क्षेत्र में भूमि विकास के बाद कृषि मशीनीकरण का स्थान आता है। इसके लिए वर्ष 1977–78 में दिये गये 28.7 करोड़ रुपयों की तुलना में इस वर्ष 541 करोड़ रुपये दिये गये इस उद्देश्य के लिए आंध्र प्रदेश (5 करोड़ रुपये) हरियाणा (8.8 करोड़ रुपये) और उत्तर प्रदेश में (11.3 करोड़ रुपये) वितरित की गई राशि काफी अधिक थी। निगम कृषि मशीनीकरण कार्यक्रमों की स्वीकृति के संबंध में एक जागरूक नीति अपनाता आ रहा है ताकि मजदूरों को बेरोजगार न होना पड़े और साथ ही निगम बिजलीचालित हल की पूरक योजनाएं बनाने और अन्य छोटी किस्म की मशीनरियों की पूर्ति की योजनाओं को भी सहायता देता आ रहा है।

1.11 बाजार केन्द्रों के लिए 11.9 करोड़ रुपये वितरित किए गए। भंडार योजना के अधीन वितरित की जाने वानेवाली राशि में तेज गिरावट आ गई। यह राशि पिछले वर्ष के 26.1 करोड़ रुपये से गिरकर 15.2 करोड़ रुपये हो गई, क्योंकि गत वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम के लिए गोदामों के निर्माण का एक पुरजोर कार्यक्रम पूरा किया गया था। इस वर्ष के दौरान भी ऐसा ही एक छोटा सा कार्यक्रम उसी प्रयोजन के लिए स्वीकृत हुआ है और इस योजना के अधीन वितरण में अभी तेजी आनी है।

1.12 बागान/बागवानी, मत्स्यपालन, डेरी विकास, सुअरपालन इत्यादि के अधीन किए जाने वाले वितरण में भी

वर्ष के दौरान तेजी आ गई है, फिर भी ऋण से लाभान्वित होने की मात्रा राज्यों के बीच अलग अलग थी ।

1.13 क्षेत्रवार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर, जहां पुनर्वित्त का वितरण 1977–78 के 3.1 करोड़ रुपयों से घटकर 1978–79 में 2.2 करोड़ रुपये रह गया है, बाकी सभी अन्य क्षेत्रों में इसकी स्थिति में सुधार हुआ (विवरण–7) । इस स्थिति का सारांश नीचे सारणी–6 में दिया गया है :

सारणी 6

वितरण–क्षेत्रवार

(करोड़ रुपये)

क्षेत्र	निम्नलिखित वर्षों में		30 जून 1979 तक
	1977–78	1978–79	
उत्तरी	36	54	258
उत्तरपूर्वी	3	3	8
पूर्वी	37	42	147
मध्यवर्ती	60	65	317
पश्चिमी	34	40	218
दक्षिणी	64	81	386
जोड़	234	285	1334

1.14 निगम की स्थापना से लेकर जून 1979 के अंत तक 1331 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई (अल्पावधि वित्तीय सहायता को छोड़कर) । उससे 1500 करोड़ रुपये का आधार-स्तरीय निवेश सम्पन्न हो गया जिसमें ऋण पाने वालों के अंशदान सदस्य बैंकों एवं राज्य सरकारों के अंशदान भी शामिल हैं । विभिन्न योजनाओं की उपलब्धियों की भौतिक स्थिति अद्यतन आंकड़ों के आधार पर नीचे प्रस्तुत है :

नलकूप	2,63,000
खोदे गए कुएं	4,48,000
बिजलीचालित पम्पसेट/तेल इंजन	6,62,000
	हेक्टेयर
काफी	12,200
चाय	5,100
रबड़	2,900
इलायची	1,600
नारियल	40,300
सुपारी	1,300
अन्य	27,400

1.15 अपनी गतिविधियों के पिछले 16 वर्षों के दौरान निगम ने 30.25 लाख हेक्टेयर भूमि में अनेक फसलें उगाने के लिए सहायता प्रदान की । प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के सघन क्षेत्रों में विकसित भूमि और भू संरक्षण योजनाओं के अधीन सुधारे गए क्षेत्र दोनों मिलाकर 9.95 लाख हेक्टेयर थे । बागान और बागवानी की विभिन्न योजनाओं के अधीन कुल 90,800 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास हुआ ।

1.16 निगम से जिन अन्य कार्यों के लिए पुनर्वित्त सुविधाएं मिलीं, वे इस प्रकार हैं :

भंडार	55 लाख टन
बाजार केन्द्र	123 इकाइयां
ट्रैक्टर	40,400 इकाइयां

*अनंतिम

सारणी 7

पुनर्वित्त का वितरण–राज्यवार

(जुलाई–जून)

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चौथी योजना		निम्नलिखित वर्षों में					30 जून 1979 तक
	1963–69£	1969–74£	1974–75	1975–76	1976–77	1977–78	1978–79	
I उत्तरी क्षेत्र								
चंडीगढ़	—	—	—	—	—	3 (—)	—	3 (—)
दिल्ली	—	13 (0.1)	12 (0.1)	28 (0.2)	10 (0.1)	19 (0.1)	15 (—)	98 (0.1)
हरियाणा	303 (9.9)	2774 (9.7)	1075 (10.1)	1569 (9.2)	1770 (8.0)	1111 (4.7)	2101 (7.4)	10684 (7.9)
हिमाचल प्रदेश	—	4 (—)	4 (0.1)	16 (0.1)	2 (—)	23 (0.1)	50 (0.2)	101 (0.1)
जम्मू और काश्मीर	32 (1.0)	38 (0.1)	— (—)	17 (0.1)	6 (—)	15 (0.1)	14 (—)	123 (0.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पंजाब . . .	653	2692	407	1306	1731	1177	1625	9548
	(21.4)	(9.4)	(3.8)	(7.6)	(7.8)	(5.0)	(5.7)	(7.2)
राजस्थान . . .	6	656	350	536	787	1312	1616	5269
	(0.2)	(2.3)	(3.3)	(3.1)	(3.6)	(5.6)	(5.7)	(4.0)
	994	6177	1848	3472	430	3660	5421	25826
	(32.5)	(21.6)	(17.4)	(20.3)	(19.5)	(15.6)	(19.0)	(19.4)
II. उत्तर पूर्वी क्षेत्र								
असम . . .	70	65	—	5	70	273	235	718
	(2.4)	(0.2)	—	(—)	(0.3)	(1 2)	(0. 8)	(0. 5)
मणिपुर . . .	—	—	—	5	8	23	43	79
				(—)	(0.1)	(0.1)	(0.2)	(0.1)
मेघालय . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
नागालैंड . . .	—	4	1	2	3	5	—	18
		(—)	(0.1)	(—)	(—)	(—)		(—)
त्रिपुरा . . .	—	—	—	1	2	8	1	12
				(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
	70	69	4	13	83	309	279	827
	(2.4)	(0.2)	(0.1)	(—)	(0.4)	(1.3)	(1.0)	(0.6)
III. पूर्वी क्षेत्र								
बिहार . . .	18	980	932	1318	1696	1864	2253	9055
	(0.6)	(3.4)	(8.8)	(7.7)	(7.7)	(8.0)	(7.9)	(6.7)
उड़ीसा . . .	4	51	82	338	565	816	875	2727
	(0.1)	(0.2)	(0.8)	(2.0)	(2.6)	(3.5)	(3.1)	(2.0)
पश्चिम बंगाल . . .	2	42	69	159	590	996	1045	2900
	(0.1)	(0.1)	(0.6)	(1.9)	(2.7)	(4.3)	(3.7)	(2.2)
	24	1073	1083	1815	2851	3676	4173	14682
	(0.8)	(3.7)	(10.2)	(10.6)	(13.0)	(15.8)	(14.7)	(10.9)
IV. मध्यवर्ती क्षेत्र								
मध्य प्रदेश . . .	29	1291	1234	1932	2610	1670	1666	10441
	(1,0)	(4.5)	(11.6)	(11.3)	(11.8)	(7.1)	(5.9)	(7.8)
उत्तर प्रदेश . . .	122	3794	1849	2598	3720	4317	4877	21275
	(4 0)	(13.3)	(17.3)	(15.2)	(16 9)	(18.4)	(17.1)	(16.0)
	151	5085	3083	3530	6330	5987	6543	31716
	(5.0)	(17.8)	(28.9)	(26.5)	(28.7)	(25.5)	(23.0)	(23.8)
V. पश्चिमी क्षेत्र								
गोवा . . .		3	5	23	24	68	84	207
		(—)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.3)	(0.3)	(0.2)
गुजरात . . .	207	4165	427	333	402	1319	1516	8369
	(6.8)	(14.6)	(4.0)	(1.9)	(1.8)	(5.6)	(5.3)	(6.3)
महाराष्ट्र . . .	189	3041	1358	2248	1928	1971	2431	13170
	(6.2)	(10.6)	(12.7)	(13.2)	(8.7)	(8.4)	(8.5)	(9.9)
	396	7209	1790	2604	2354	3361	4031	21746
	(13.0)	(25.2)	(16.8)	(15.2)	(10.6)	(14.3)	(14.1)	(16.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI दक्षिणी क्षेत्र								लाख रुपये
आंध्र प्रदेश . . .	809	2504	892	1295	2122	3853	4958	16431
	(26.5)	(8.7)	(8.4)	(7.6)	(9.6)	(16.4)	(17.4)	(12.3)
कर्नाटक . . .	261	2260	1008	1946	2190	1320	1429	10424
	(8.6)	(7.9)	(9.5)	(11.4)	(9.9)	(5.6)	(5.0)	(7.8)
केरल . . .	17	345	100	208	247	370	960	2247
	(0.5)	(1.2)	(0.9)	(1.2)	(1.1)	(1.6)	(3.4)	(1.7)
पांडिचेरी . . .	—	8	15	5	—	—	—	27
		(—)	(0.1)	(—)				(—)
तमिलनाडु . . .	325	3877	817	1228	1599	894	693	9430
	(10.7)	(13.6)	(7.7)	(7.2)	(7.2)	(3.9)	(2.4)	(7.1)
	1412	9003	2832	4681	6158	6437	8040	38559
	(46.3)	(31.5)	(26.6)	(27.4)	(27.8)	(27.5)	(28.2)	(29.0)
जोड़ (I से VI) . .	3047	28618	10640	17115	22082	24430	28487	133356$
	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े जोड़ के प्रतिशत हैं।

£वर्षवार आंकड़े इससे पहले के प्रकाशनों में दिए गए हैं।

$1976–77 और 1977–78 में किए गए वितरणों में अल्पावधि वितरण शामिल नहीं हैं।

कम्बाइन/कटाई की मशीन/बुलडोजर/बिजली चालित हल . . .	2,435 इकाइयां
ट्रालर्स/यांत्रिक नौकाएं . .	2,598 इकाइयां
दुधारू पशु . . .	95,500 पशु
मुर्गियां	12,93,000 चूजे
भेड़	2,11,400 पशु
कृषि विमान . . .	2 इकाइयां

टिप्पण : भौतिक उपलब्धियों का विवरण बैंकों से प्राप्त विवरणियों, परियोजना समाप्ति रिपोर्ट, निवेश की इकाई लागत इत्यादि के आधार पर तैयार किया गया है।

(ख) स्वीकृतियां

1.17 इस वर्ष के दौरान निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं की संख्या और उसके द्वारा वायदा की गई राशि दोनों में पिछले वर्ष की तुलना में काफी वृद्धि हुई है। 2,505 योजनाएं स्वीकृत की गई और सदस्य बैंकों को 573 करोड़ रुपयों की पुनर्वित्त सहायता दी गई, जबकि निगम ने पिछले वर्ष 1,836 योजनाएं स्वीकृत की थीं। और उसके वायदे 330 करोड़ रुपये के ही थे। स्वीकृत योजनाओं का आकारवार वर्गीकरण तथा 1978-79 के दौरान किए गए वायदे नीचे सारणी विवरण 3 में दिए गए हैं। इसका सार संक्षेप नीचे सारणी 8 में दिया गया है।

सारणी 8

1978-79 के दौरान स्वीकृत योजनाओं का आकारवार वर्गीकरण

(करोड़ रुपये)

योजना का आकार	मंजूर योजनाओं की संख्या	कृपुवित्त के वायदे
5 लाख रुपये तक	817	21
5 से 10 लाख रुपये तक	548	44
10 से 25 लाख रुपये तक	644	110
25 से 50 लाख रुपये तक	349	142
50 से 100 लाख रुपये तक	77	58
100 लाख रुपये से ऊपर	70	198
	2505	573

इनमें से 268 योजनाएं, जिनके संबंध में वायदे की राशि 16.8 करोड़ रुपयों की थी, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्वीकार की गई और 85.2 करोड़ रुपयों के वायदे के साथ 701 योजनाओं को प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक एवं वरिष्ठ निदेशकों ने जनवरी 1979 में प्रत्यायोजित स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रदत्त अधिकारों के अधीन मंजूर किया। गत वर्ष के 252 करोड़ रुपयों के वायदे के अंतर्गत राज्य भूमि विकास बैंकों के लिए स्वीकृत 529 योजनाओं के मुकाबले में इस वर्ष निगम ने 314 करोड़ रुपयों के वायदे के अंतर्गत 1955 योजनाओं की स्वीकृति वाणिज्य बैंकों को दी, एजेन्सीवार स्वीकृतियों का सारांश नीचे सारणी 9 में दिया गया है :

सारणी 9

एजेन्सीवार स्वीकृत योजनाएं

वर्ष	राभूवि बैंक	वाणिज्य बैंक	राम० बैंक	जोड़
क. योजनाओं की संख्या				
1977–78	330	1465	41	1836
1978–79	529	1955	21	2505
ख. कृपुविनि के वायदे (करोड़ रुपये)				
1977–78	129	192	9	330
1978–79	252	314	7	573

दोनों वर्गों को दिए गए वायदों की राशि पिछले वर्ष की तुलना में 123 करोड़ रुपये और 122 करोड़ रुपये अधिक है। राज्य सहकारी बैंकों के मामले में स्वीकृत योजनाओं की संख्या पिछले वर्ष की 41 योजनाओं की बजाए केवल 21 थी; वायदे की राशि भी पिछले वर्ष के 9 करोड़ रुपये के मुकाबले में 7 करोड़ रुपये थे।

1.18 प्रयोजन की दृष्टि से संख्या और वायदे, दोनों संदर्भों में लघु सिंचाई निवेशों की स्वीकृतियां लगभग पिछले वर्ष से दुगुनी हैं। स्वीकृतियों के प्रयोजनवार विवरण नीचे सारणी 10 में दिए गए हैं:

सारणी 10

1978–79 के दौरान स्वीकृतियां—प्रयोजनवार

(करोड़ रुपये)

प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	कृपुविनि के वायदे
लघु सिंचाई	866	331
ग्रामीण विद्युतीकरण (निगम)	169	16
भूमि विकास	107	27
कृषि मशीनीकरण	320	50
बागान/बागानी	311	68
मुर्गीपालन/भेड़पालन/सुअरपालन	152	8
मत्स्यपालन	102	17
डेरी विकास	229	17
भंडार और बाजार केन्द्र	196	30
गोबर गैस संयंत्र	29	3
वन उद्योग	13	5
अन्य	11	1
जोड़	2505	573

इन स्वीकृतियों में, वाणिज्य बैंकों और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के सहयोग से सम्मिलित रूप से वित्त पोषित किये जा रहे ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अधीन 87,000 पम्पसेटों में बिजली लगाने के लिए सहभागी वाणिज्य बैंकों के लिए स्वीकृत 16 करोड़ रुपयों के वायदे की 169 योजनाएं भी शामिल हैं।

1.19 सदस्य बैंकों के कार्यों में विविधता लाने पर जोर दिया जा रहा है। इस वर्ष के दौरान 1470 योजनाएं स्वीकार की गई जिनके संदर्भ में निगम के कुल वायदे 226 करोड़ रुपये के थे। ये स्वीकृतियां लघु सिंचाई को छोड़कर इतर प्रयोजनों के लिए थीं। वर्ष 1977-78 में 1314 योजनाएं स्वीकार की गई थीं और 153 करोड़ रुपयों की पुनर्वित्त सहायता प्रदान की गई थी। वर्ष के दौरान बागान और बागवानी, कृषि मशीनीकरण, भंडार और बाजार केन्द्र तथा भूमि विकास की योजनाओं के लिए काफी अधिक वायदे दिये गये। गत वर्ष से तुलना करने पर यह दिखाई पड़ता है कि जहां तक वायदों का सम्बन्ध है, डेरी विकास योजनाओं के लिए किये गये वायदों में गिरावट आयी और मत्स्यपालन की योजनाओं के लिए किये गए वायदों में वृद्धि हुई।

1.20 क्षेत्रफल स्वीकृतियों में उत्तरी, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई पड़ी (विवरण–1). पूर्वी और उत्तरपूर्वी क्षेत्रों में गिरावट देखी गई जहां सक्षम विकास योजनायें बनाने में अधिक प्रयास की आवश्यकता पड़ती है।

1.21 जून 1979 के अंत तक 8655 योजनायें स्वीकार की गई जिनमें निगम का वायदा 2303 करोड़ रुपये का है। इनमें से 2387 योजनायें राज्य भूमि विकास बैंकों के लिये स्वीकार की गई। जिनमें 1284 करोड़ रुपयों के वायदें है। 6147 योजनायें वाणिज्य बैंकों के लिये मंजूर की गई और इनमें निगम का वायदा 974 करोड़ रुपयें का है। शेष 121 योजनायें 44 करोड़ रुपयें के निगम के वायदे के साथ राज्य सहकारी बैंकों के लिये स्वीकार की गई। इनमें 3713 योजनायें लघु सिंचाई प्रयोजन के लिये है और इनमें निगम का वायदा 1501 करोड़ रुपयें का है अथवा कुल वायदों का 65 प्रतिशत है। 802 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सहायता युक्त 4942 योजनाएं विशाखीकृत ऋण विवरण की है। (विवरण 2 और 5)।

1.22 इस वर्ष के दौरान निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं का आकारवार एवं प्रयोजनवार वर्गीकरण विवरण–3 में दिया गया है। उसमें दर्शित आंकडों का विश्लेषण यह दिखाता है कि केवल लघुसिंचाई, कृषि मशीनीकरण और भंडार तथा बाजार केन्द्रों की अधिकांश स्वीकृत योजनाओं की राशि 25 लाख रुपयें से अधिक थी। बागान और बागबानी योजनाओं के लियें स्वीकृत योजनाओं की राशि क्रमशः 10 लाख रुपयें और 25 लाख रुपयें के बीच तथा 25 लाख रुपयें और 50 लाख रुपयें के बीच थी। सघन क्षेत्र विकास परियोजनाओं के अधीन परिकल्पित बृहत कार्यक्रमों के कारण भूमि विकास योजनाओं का आकार और भी बड़ा था। दूसरी ओर, मुर्गीपालन, भेड़पालन, और डेरी विकास इत्यादि से संबंधित अधिकतर योजनाओं का आकार मुख्यतः अल्प इकाई लागत के कारण अन्य प्रयोजन एवं अनेक लोगों को प्राप्त पूंजी सहायता की तुलना में 25 लाख रुपयें से कम था। मुर्गीपालन और भेड़पालन की योजनाओं के अंतर्गत वायदों के अनुसार ही योजनायें प्रथम 3 आकार दलों के बीच (25 लाख रुपयें तक) पायी गयी। डेरी विकास कार्यक्रम से सम्बन्धित बहुत से वायदे उन योजनाओं से सम्बन्धित है जिनकी राशि का आकार 5 लाख रुपयें और 15 लाख तथा 10 लाख और 25 लाख रुपयों के बीच का है।

1.23 यह विचारणीय है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान स्वीकार की गई योजनाओं का औसत आकार गत वर्ष की तुलना में संकुचित होता नजर आ रहा है। 1974–75 में औसत आकार 33 लाख रुपये का था, वह 1977–78 तक तेजी से घटकर 19 लाख रुपये तक आ गया। हालांकि आलोच्य वर्ष के दौरान औसत आकार में थोड़ी सी वृद्धि हुई और वह प्रति योजना 23 लाख रुपये तक बढ़ गया। इसके आलावा वाणिज्य बैंकों को स्वीकृत एजेन्सीवार योजनाओं का आकार सभी प्रयोजनों के संदर्भ में, राज्य भूमि विकास बैंकों के लिये स्वीकृत आकार की अपेक्षा छोटा था। जहां तक राज्य भूमि विकास बैंक का सवाल है, योजनाओं का मुख्य प्रयोजन लघुसिंचाई था और ये योजनायें बड़े आकार की थी अर्थात् उसी प्रयोजन हेतु वाणिज्य बैंकों के सम्बन्ध में पाये गये 17 लाख रुपये का आकार के मुकाबले में यह 50 लाख रुपये से अधिक था।

1.24 निगम द्वारा मंजूर की गई योजनाओं का विश्लेषण यह दर्शाता है कि देश के 5004 खण्डों में से 4621 खण्डों में, कृपुविनि के कार्यान्वियन के लिये स्वीकृत कोई न कोई योजना चल रही है। जिन 383 खण्डों में जून 1979 के अंत तक कृपुविनि की कोई भी योजना चालू नहीं है, उनकी राज्यवार स्थिति इस प्रकार है:

अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	मणिपुर	5
	5 मेघालय	21
अरुणाचल प्रदेश	43 मिजोरम	20
असम	63 नागालैंड	17
बिहार	2 उड़ीसा	23
दादर और नगर हवेली	1 राजस्थान	16
गुजरात	1 त्रिपुरा	7
जम्मू और काश्मीर	8 उत्तर प्रदेश	69
लक्षद्वीप	5 पश्चिम बंगाल	34
मध्य प्रदेश	43	

2. राज्यवार रूपरेखा

आन्ध्र प्रदेश

वर्ष के दौरान राज्य वित्तपोषक बैंकों के लिये 90.8 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त संबंधी वायदें के साथ 222 योजनायें स्वीकार की गई। जबकि गत वर्ष 45.8 करोड़ रुपयें के वायदे के साथ 151 योजनायें स्वीकार की गई थी। वर्ष के दौरान वितरित पुनर्वित्त की राशि 49.6 करोड़ रुपयें तक पहुंची, जो गत वर्ष केवल 38.5 करोड़ रुपयें थी। पुनर्वित्त में राज्य भूमि विकास बैंकों का हिस्सा 42.8 करोड़ रुपये था जबकि वाणिज्य बैंकों द्वारा लिए गए पुनर्वित्त की राशि 6.8 करोड़ रुपए थी। 49.6 करोड़ रुपये की वितरित राशि में से 38.6 करोड़ रुपयें लघु सिंचाई के लियें वितरित कियें गयें: यह राशि कुल वितरित राशि की 78 प्रतिशत थी बाकी 11 करोड़ रुपयें की राशि विविध प्रयोजनों के लियें वितरित की गई।

2.2 अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंकों/अविसंघ की सहायता प्राप्त दो परियोजनायें एक सघन क्षेत्र विकास के लिये तथा दूसरी मत्स्यपालन के लिये–राज्य में कार्यान्वित की जा रही है: आवश्यक विधान और राज्यस्तर पर संगठन व्यवस्था के अभाव के कारण सघन क्षेत्र विकास परियोजना की प्रगति धीमी रही। वर्ष के दौरान वितरित की गई राशि 70.0 लाख रुपयें थी; जहां तक मत्स्यपालन परियोजना का संबंध है, बैंक के स्तर पर वितरण अभी शुरू हुआ है तथा उसमें अभी तेजी आनी है।

2.3 30 जून 1979 तक राज्य में मंजूर की गयी योजनाओं की कुल संख्या 756 थी और उसमें कृपुविनि के वायदे 271.1 करोड़ रुपये के थे जिसमें से 164.3 करोड़ रुपयें की राशि उपलब्ध करायी गयी। इनमें 473 योजनायें राज्य के कम विकसित क्षेत्रों के लियें स्वीकार की गई जिनमें लियें कृपुविनि के वायदे 159 करोड़ रुपयें थे। इनम से 83 करोड़ रुपयें का पुनर्वित्त प्राप्त किया गया।

2.4 वर्ष के दौरान राज्य के वित्तपोषक बैंकों को 38 योजनायें स्वीकार की गई, और उनमें निगम के वायदे 11.4 करोड़ रुपयें थे जबकि गतवर्ष स्वीकृत योजनायें 65 थी और निगम के वायदे 13.1 करोड़ रुपयें थे। वर्ष के दौरान वितरित 2.3 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त पिछले वर्ष के 2.7 करोड़ की तुलना मे थोड़ा कम था। वाणिज्य बैंकों ने पुनर्वित्त की संपूर्ण राशि का लाभ उठाया। स्वीकृत योजनाओं के संदर्भ में न तो राज्य भूमि विकास बैंकों ने और न ही राज्य सहकारी बैंकों ने पुनर्वित्त प्राप्त किया। वितरित 2.3 करोड़ रुपयों में से 4 लाख रुपये केवल लघु सिंचाई के लिये थे और शेष विविध प्रयोजनों के लिये थे।

2.5 संस्थागत वित्त के लिये योग्य वातावरण और पर्याप्त मूलभूत आवश्यकताओं के न होने के कारण इस क्षेत्र में राज्य का कार्य काफी कमजोर रहा। इसके अलावा बिजली की कमी, संपर्क व्यवस्था की कमी, भूमिगत जल की उपलब्धि, तथा अन्य प्राकृतिक साधनों के सर्वेक्षणों के अभाव के कारण प्रगति में बाधा पड़ी है। भूमि दस्तावेज और प्रशिक्षित स्टाफ की कमी के कारण भी प्रगति धीमी पड़ गई। आंध्र सरकार ने सहकारी ऋण के स्वरूप की जांच करने और कमियों को पहचानने तथा उन्हे दूर करने के उपाय खोजने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया है ताकि यह ऋण वितरण का उचित माध्यम बन सके।

2.6 निगम के अध्यक्ष ने योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने से सम्बधित समस्याओं पर राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श किया और सुधार की दिशा में उचित सुझाव दिये।

2.7 जून 1979 के अंत में राज्य में निगम द्वारा किये गये वायदों की कुल राशि 28.2 करोड़ रुपये थी परन्तु राज्य द्वारा ली गयी राशि केवल 7.2 करोड़ रुपये थी।

मानचित्रों में 30 जून 1979 तक दर्शाये आंकड़े करोड़ रुपयों में है इनमें मुख्य प्रयोजन ही शामिल है।

बिहार

2.8 वर्ष के दौरान वित्तपोषक बैंकों को 31.4 करोड़ रुपये के वायदों के साथ 131 योजनाओं की स्वीकृति दी गई जबकि गत वर्ष केवल 166 योजनायें स्वीकृत हुई थीं और 20.5 करोड़ रुपये के वायदे किये गये थे। वर्ष के दौरान कुल 22.5 करोड़ रुपये का वितरण हुआ जबकि गत वर्ष 18.6 करोड़ रुपये ही वितरित हुए थे। वाणिज्य बैंकों द्वारा लिये गये पुनर्वित्त की राशि 19.9 करोड़ रुपये थी जो राज्य सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा लिये गये 2.6 करोड़ रुपयों की तुलना में अधिक थी। भारी अतिदेयों के कारण राज्य सहकारी भूमि विकास बैंकों के कार्य पर बुरा असर पड़ा। इस समस्या पर अध्यक्ष महोदय ने राज्य के मुख्य मंत्री तथा अन्य अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय चर्चा की तथा चर्चा में बैंक की पुनर्व्यवस्था के लिये आवश्यक उपाय सुझाये गये।

2.9 वर्ष के दौरान वितरित कुल पुनर्वित्त की राशि 22.5 करोड़ रुपये थी। उस में से 11.9 करोड़ रुपये लघु सिंचाई के लिये थे तथा बाकी राशि 10.6 करोड़ रुपये विभिन्न प्रयोजनों के लिये थी, लघु सिंचाई के संदर्भ में आमतौर पर किसानों द्वारा किये जाने वाले निवेशों को विकसित किया जा रहा है साथ ही बिहार जल विकास निगम, सिंचाई जल की व्यवस्था के लिये गहरे नलकूपों का निर्माण कर एक नाजुक भूमिका निभा रहा है।

2.10 अंविसंघ की सहायता प्राप्त बीज परियोजना चरण–II राज्य में कार्यान्वित की जा रही है और कृषि साख परियोजना तथा बाजार केन्द्र विकास परियोजना पूरी हो रही है।

2.11 जून 1979 के अंत तक राज्य में निगम के कुल वायदे की राशि 153 करोड़ रुपये थी जिसमें से 91 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त का लाभ उठाया गया।

गुजरात

2.12 वर्ष के दौरान इस राज्य में 69 योजनायें स्वीकार की गईं और उनमें निगम के पुनर्वित्त संबंधी वायदे की राशि 15.8 करोड़ रुपये थी जबकि पिछले साल 70 योजनायें स्वीकृत की गई थीं और वायदे की राशि 22.4 करोड़ रुपये थी। गत वर्ष वितरित 13.2 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त की राशि के मुकाबले में इस साल 15.2 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई। पुनर्वित्त में वाणिज्य बैंकों का 14.5 करोड़ रुपये का हिस्सा राज्य भूमि विकास बैंकों द्वारा प्राप्त केवल 0.6 करोड़ रुपये की तुलना में अधिक था। वितरित राशि 15.2 करोड़ रुपये थी; उसमें से 10.3 करोड़ रुपये की राशि लघु सिंचाई प्रयोजनों के लिये और शेष 4.9 करोड़ रुपये की राशि विविध प्रयोजनों के लिए थी।

2.13 अपने भारी अतिदेयों के कारण राज्य भूमि विकास बैंक अधिक मात्रा में पुनर्वित्त प्राप्त करने में असमर्थ रहा। निगम के अध्यक्ष ने राज्य के मुख्य मंत्री के साथ मार्च 1979 में इस स्थिति पर विचार विमर्श किया तथा परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने बैंकों की पुनर्व्यवस्था के लिये कुछ प्रस्ताव बनाये है जो विचाराधीन हैं।

2.14 सघन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसमें कृपुविनि का 23 करोड़ रुपयों का वायदा है तथा अंविसंघ की सहायता प्राप्त समन्वित मत्स्यपालन परियोजना, राज्य में कार्यान्वित की जा रही है।

2.15 जून 1979 के अंत तक कृपुविनि के कुल वायदों की राशि 110.8 करोड़ रुपये थी तथा इसमें से 83.7 करोड़ रुपयों का उपयोग किया गया।

हरियाणा

2.16 वर्ष के दौरान राज्य में वित्तपोषक बैंकों के लिये 118 योजनाएं स्वीकार की गईं और उनमें निगम के पुनर्वित्त के वायदे की राशि 47.1 करोड़ रुपये थी। गत वर्ष 57 योजनाएं ही मंजूर की गई थीं तथा निगम के वायदे की राशि 15.2 करोड़ रुपये ही थी। गत वर्ष के 11.1 करोड़ रुपयों के मुकाबले में इस वर्ष के दौरान वितरित पुनर्वित्त की राशि 21 करोड़ रुपये थी। वाणिज्य बैंकों द्वारा लिये गये पुनर्वित्त की राशि 9.5 करोड़ रूपये थी इसमें समन्वित रूई विकास परियोजना के अधीन लिया गया 25 लाख रुपये का अल्पावधि ऋण भी शामिल है। इसके मुकाबले में राज्य भूमि विकास बैंकों का 9.7 करोड़ रूपये का हिस्सा थोड़ा अधिक था। शेष 1.8 करोड़ रुपये की राशि का संबंध अल्पावधि ऋण से था। इस परियोजना के अधीन राज्य सहकारी बैंकों द्वारा उपयोग में लायी गयी कुल वितरित राशि में से 7.6 करोड़ रुपये लघु सिंचाई प्रयोजनों के लिये थे। 11.4 करोड़ रुपये विविध प्रयोजनों के लिये वितरित किये गये तथा शेष 2 करोड़ रुपये समन्वित रुई विकास परियोजना के अधीन अल्पावधि ऋण के रूप में दिय गये थे।

2.17 समन्वित रूई विकास परियोजना के अतिरिक्त अंविसंघ की सहायता प्राप्त दो परियोजनायें अर्थात् हरियाणा सिंचाई परियोजना तथा राष्ट्रीय बीज परियोजना, राज्य में कार्यान्वित हो रही थीं।

2.18 राज्य में जून 1979 के अंत तक निगम के कुल वायदों की राशि 178.9 करोड़ रुपये थी जिसके अंतर्गत 106.8 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त की राशि का उपयोग किया गया।

हिमाचल प्रदेश

2.19 वर्ष के दौरान इस राज्य में स्थित बैंकों को खासकर अंविसंघ की सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अधीन 10 योजनायें स्वीकार की गईं; जिनमें निगम का पुनर्वित्त सहायता का वायदा 5.2 करोड़ रुपये का था जब कि पिछले वर्ष 5 योजनाओं के मामले में केवल 43 लाख रूपयों के वायदे किये गये थे। वर्ष के दौरान वितरित पुनर्वित्त की राशि 50 लाख रूपये थी जबकि गत वर्ष 23 लाख रुपये वितरित किये गये थ। गत वर्ष राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा ली गयी 6 लाख रुपये की राशि के मुकाबले में इस वर्ष पुनर्वित्त म वाणिज्य बैंकों का अंश 44 लाख रुपये से अधिक था। वितरित 50 लाख रुपये में 2 लाख रुपय की राशि लघु सिंचाई प्रयोजना के लिये दी गयी थी और शेष

48 लाख रुपये की राशि विविध प्रयोजनों के लिये वितरित की गई थी।

2.20 राज्य में अंविसंघ की सहायता प्राप्त सेब अभिसंस्करण एवं विपणन परियोजना कार्यान्वित की जा रही थी।

2.21 क्षमता प्राप्त क्षेत्रों के भूजल स्रोतों का उपयोग करने की दिशा में राज्य में कोई भी क्रमबद्ध प्रयत्न नहीं किया गया। कृषि विकास से संबंधित समस्याओं तथा नयी बागान/बागबानी योजनायें बनाने के मानदण्डों पर राज्य प्राधिकारियों से चर्चा की गयी। निगम ने राज्य सरकार के अनुरोध पर कांगड़ा घाटी के चाय उत्पादन क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराने के निमित्त अधिकारियों के एक दल को नियुक्त किया है ताकि ऐसा कार्यक्रम निर्धारित किया जा सके जिसे कृपुविनि की सहायता से बढ़ावा मिले।

2.22 राज्य में कृपुविनि के वायदे की राशि जून 1979 के अंत में कुल 8 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. परन्तु प्रयुक्त राशि की मात्रा 1 करोड़ रुपये ही थी।

2.23 वर्ष के दौरान राज्य में स्थित बैंकों को 3 योजनायें स्वीकार की गईं और इनमें 11 लाख रुपयों का वायदा किया गया जबकि गत वर्ष 7 योजनायें स्वीकृत की गई थीं तथा 55 लाख रुपयों का वायदा किया गया था। वर्ष के दौरान वितरित पुनर्वित्त की राशि 14 लाख रुपये थी जब कि गत वर्ष 15 लाख रुपये की राशि वितरित की गयी थी। राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा लिये गये 2 लाख रुपये के मुकाबले में वाणिज्य बैंकों का हिस्सा 12 लाख रुपया था। 14 लाख रुपये के पुनर्वित्त की संपूर्ण राशि विविध प्रयोजनों के लिये ही थी।

2.24 भारी अतिदेय राशियों से युक्त कमजोर सहकारी ऋण ढांचे के कारण राज्य में वितरण की गति पहले की तरह नगण्य रही। राज्य भूमि विकास बैंक ने विकास को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक निपुणता अभी प्राप्त नहीं की है। अपने निम्नस्तरीय ऋण जमा अनुपात और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न चलनिधि के अतिरेक के कारण वाणिज्य बैंक पुनर्वित्त सहूलियतें प्राप्त करने के लिये निगम से संपर्क स्थापित नहीं करते। ऋण संस्थाओं की इन कमजोरियों के अलावा अपरिष्कृत होने के कारण राज्य की केवल 6% भूमि ही खेती के लायक है। शीतकालीन तापमान के कारण अधिकांश भूमि में साल में एक बार ही खेतीबाड़ी की जा सकती है जिनसे निवेशों की संभावना सीमित हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता प्राप्त बागवानी परियोजना कार्यान्वित की जा रही है; इसमें उत्पादित वस्तुओं को श्रेणीवार अलग करने और उन्हें पैक करने के केन्द्र एवं रससांद्रीकरण संयंत्र की स्थापना शामिल है। परियोजना के अन्तर्गत ऋण का एक हिस्सा कुकुरमुत्ते पर किये जाने वाले अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये उपयोग में लाया जायेगा; क्योंकि राज्य में इसकी अच्छी संभावना है।

2.25 जून 1979 के अन्त में राज्य को प्रदत्त निगम के वायदे की राशि 2 करोड़ रुपये तक पहुंच गई और राज्य ने 1.2 करोड़ रुपये लिये हैं।

कर्नाटक

2.26 वर्ष के दौरान राज्य के वित्तपोषक बैंकों को 150 योजनाएं मंजूर की गईं जिनमें निगम के वायदे की राशि 22.1 करोड़ रुपये थी। गत वर्ष मंजूर की गयीं योजनायें 162 थीं और 28.8 करोड़ रुपये के वायदे किये गये थे। वर्ष के दौरान 14.3 करोड़ रुपये की कुल राशि वितरित की गई जबकि पिछले साल 13.2 करोड़ रुपये वितरित किये गये थे। राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा ली गई 4.9 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में वाणिज्य बैंकों द्वारा लिया गया पुनर्वित्त 9.4 करोड़ रुपये था। सम्बद्ध प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की भारी अतिदेय राशि के कारण राज्य भूमि विकास बैंक की कार्याविधि पर बुरा असर पड़ा। यह राज्य भूमि विकास बैंक ऐसे 5 बैंकों में से है जिनके सम्बन्ध में निगम के अध्यक्ष ने राज्य के मुख्य मंत्री से बैंक की पुनर्व्यवस्था के लिये आवश्यक उपायों के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय चर्चा की। वितरित 14.3 करोड़ रुपये में से 3.7 करोड़ रुपये लघु सिंचाई प्रयोजनों के लिये थे और शेष 10.6 करोड़ रुपये विविध प्रयोजनों के लिये थे।

2.27 राज्य में रेशम उत्पादन की बड़ी संभावना है और वर्ष के दौरान निगम ने समन्वित रेशम विकास के लिये 6.4 करोड़ रुपये के वायदे के साथ 22 योजनायें स्वीकार की थीं; इनमें अल्पावधि ऋण का भी प्रावधान था।

2.28 अंविसंघ की सहायता प्राप्त चार परियोजनायें अर्थात् कर्नाटक कृषि थोक बाजार परियोजना, डेरी विकास परियोजना, सिंचाई परियोजना तथा राष्ट्रीय बीज परियोजना (चरण II) राज्य में कार्यान्वित हो रही हैं।

2.29 जून 1979 के अन्त तक राज्य में निगम द्वारा किये गये कुल वायदे की राशि 182.6 करोड़ रुपये तक पहुंच गयी जिसमें से राज्य ने 104.2 करोड़ रुपये का लाभ उठाया है।

केरल

2.30 वर्ष के दौरान राज्य के बैंकों को 174 योजनायें स्वीकार की गईं जिसमें निगम का वायदा 30.3 करोड़ रुपये का था जबकि गत वर्ष 50 योजनायें स्वीकार की गई थी और 16.8 करोड़ रुपये का वायदा किया गया था। गत वर्ष के 3.7 करोड़ रुपये के मुकाबले में इस वर्ष के दौरान वितरित राशि 9.7 करोड़ रुपये तक बढ़ गयी। राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा लिये गये 2.5 करोड़ रुपये के मुकाबले में वाणिज्य बैंकों द्वारा लिया गया 7.1 करोड़ रुपया अधिक था। वितरित 9.6 करोड़ रुपये में से 5 करोड़ रुपया लघु सिंचाई के लिये था और शेष 4.6 करोड़ रुपये की राशि विविध प्रयोजनों के लिये थी।

2.31 निगम के अध्यक्ष ने बैंक को अधिक मात्रा में निगम से पुनर्वित्त की सहायता लेने में हुई समस्याओं पर राज्य सरकार और भूमि विकास बैंकों से चर्चा की।

2.32 राज्य में पेड़ों की फसल के विकास की एक परियोजना अंविसंघ की सहायता से कार्यान्वित है। राज्य में भूमि विकास से संबंधित कार्यान्वित की जा रही दो अन्य योजनायें हैं—कुट्टनाड की भूमि विकास परियोजना और त्रिचूर की कोल परियोजना।

2.33 जून 1979 के अंत तक इस राज्य में निगम द्वारा किये गये वायदे की राशि 74 करोड़ रुपये थी और इसमें से 22.5 करोड़ रुपये लिये गये।

मध्य प्रदेश

2.34 इस वर्ष के दौरान राज्य में वित्तपोषक बैंकों को 399 योजनायें स्वीकार की गईं। इनमें निगम के वायदे 60.6 करोड़ रुपये थे। गत वर्ष 190 योजनायें मंजूर की गई थी और निगम के वायदे 32.8 करोड़ रुपये थे। वर्ष के दौरान वितरित पुनर्वित्त की राशि 16.7 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। यह राशि गत वर्ष के 16.7 करोड़ रुपये के स्तर पर ही थी। वाणिज्य बैंकों को प्राप्त 9.6 करोड़ रु० का हिस्सा राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा प्राप्त 7.1 करोड़ रुपये के मुकाबले में अधिक था। 16.7 करोड़ की वितरित राशि में से 14.2 करोड़ रुपये की राशि लघु सिंचाई के प्रयोजन के लिये थी और शेष 2.5 करोड़ रुपये की राशि विविध प्रयोजनों के लिये थी।

2.35 राज्य में दो महत्वपूर्ण सघन क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित हैं, पहला चंबल में अंविसंघ द्वारा वित्तपोषित है तथा दूसरा होशंगाबाद जिले के तवा में पश्चिमी जर्मनी के के० एफ० डब्ल्यू० द्वारा वित्तपोषित है। इन परियोजनाओं की प्रगति बहुधा कृषकों की दिलचस्पी के अभाव और अंशतः प्रक्रियागत देरी के कारण धीमी रही है। कृषिनि की सहायता से राज्य के अपने वन निगम द्वारा एक विकास कार्यक्रम भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

2.36 जून 1979 के अंत तक राज्य के सम्बन्ध में किये गये निगम के कुल वायदों की राशि 186.7 करोड़ रुपये थी जिसमें से राज्य ने 10434 करोड़ रुपये प्राप्त किये।

महाराष्ट्र

2.37 इस वर्ष के दौरान राज्य के बैंकों के लिये 241 योजनायें स्वीकृत की गई थीं जिन के संदर्भ में निगम के वायदों की राशि 40.6 करोड़ रुपये थी जबकि पिछले वर्ष स्वीकृत 233 योजनाओं के संदर्भ में निगम के वायदों की राशि 26.4 करोड़ रुपये थी। वर्ष के दौरान वितरित पुनर्वित्त की राशि 24.3 करोड़ रुपये थी जबकि गत वर्ष वितरित राशि 19.7 करोड़ रुपये थी। राज्य भूमि विकास बैंकों का हिस्सा 13.9 करोड़ रुपये था जो वाणिज्य बैंकों द्वारा लिए गये 10.4 करोड़ रुपयों के मुकाबले में अधिक था। वितरित 24.3 करोड़ रुपयों की राशि में से 17.7 करोड़ रुपये की राशि लघु सिंचाई प्रयोजन के लिए थी तथा बाकी 6.6 करोड़ रुपये की राशि विविध प्रयोजनों के लिए थी।

2.38 राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा प्राप्त 13.9 करोड़ रुपए का पुनर्वित्त पिछले वर्ष के दौरान लिये गये 12.5 करोड़ के पुनर्वित्त की तुलना में अधिक थी। अपनी शाखाओं की उच्चस्तरीय अतिदेय राशियों के कारण बैंक की कार्यावधि बाधाग्रस्त हो गई। बैंक को पुनर्व्यवस्थित करने की दृष्टि से निगम के अध्यक्ष ने मार्च 1979 में राज्य के मुख्य मंत्री से बातचीत की और राज्य सरकार, बैंक की स्थिति को सुधारने की दिशा में कुछ निश्चित उपाय खोजने के लिए सहमत हो गई और 8.15 करोड़ रुपये तक के कुछ ऋणों के समस्त दायित्व को भी अपने ऊपर लेने के लिए सरकार राजी हो गई।

2.39 कृषिनि द्वारा वित्तपोषित क्रियाकलापों में पशु विकास के लिए निर्मित भारतीय उद्योग प्रतिष्ठान (बी० ए० आई० एफ०) की परियोजना महत्वपूर्ण थी। इस के अन्तर्गत वीर्यसंचयन के लिए संकर पशुओं के मुंह और पैरों से सम्बन्धित बीमारियों को रोकने और पशुओं का स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए वैक्सीन का उत्पादन करना शामिल है।

2.40 इस राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता से महाराष्ट्र और सिंचाई और सघन क्षेत्र विकास समन्वित परियोजना राष्ट्रीय बीज परियोजना (चरण I) तथा समन्वित रूई विकास परियोजना कार्यान्वित हैं।

2.41 जून 1979 के अन्त तक राज्य में निगम द्वारा किये गए वायदे की कुल राशि 203.1 करोड़ रुपये थी जिसमें से 131.7 करोड़ रुपये लिये गये।

मणिपुर

2.42 इस वर्ष के दौरान राज्य में वित्तपोषक बैंकों को 2 योजनाएं स्वीकृत की गईं और इस संबंध में निगम का वायदा 20 लाख रुपया था, जबकि गत वर्ष 24 योजनाएं स्वीकृत की गई थीं और निगम का वायदा 1.4 करोड़ रुपया था। वर्ष के दौरान वितरित पुनर्वित्त की राशि 43 लाख रुपये थी और राज्य सहकारी बैंक ने विविध प्रयोजनों के लिए इस सम्पूर्ण राशि का प्रयोग किया।

2.43 भूमि विकास के लिये बैंक की दृष्टि से व्यवहार्य योजनाओं के निर्माण के सम्बन्ध में राज्य सरकार को निर्देश देने की दृष्टि से 1978 के नवम्बर महीने में निगम के तकनीकी अधिकारियों के एक दल ने राज्य का दौरा किया। विकास कार्य को बढ़ावा देने की दृष्टि से राज्य सरकार, इस क्षेत्र में एक भूमि विकास निगम तथा बागान फसल विकास निगम की स्थापना शीघ्र ही करने का प्रस्ताव करती है।

2.44 जून 1979 के अंत तक राज्य में निगम के कुल वायदे की राशि 2 करोड़ रुपये तक पहुंच गई और राशि केवल 0.8 करोड़ रुपये थी।

मेघालय

2.45 वर्ष के दौरान इस राज्य में कोई नई योजना स्वीकार नहीं की गई। जून 1979 के अंत तक स्वीकृत कुल योजनाओं की संख्या केवल 5 थी जिनके संदर्भ में वित्तीय सहायता 65 लाख रुपये की थी और पुनर्वित्त का वायदा केवल 59 लाख रुपया था। स्वीकृत योजनाओं के सन्दर्भ में कोई आहरण नहीं किया गया। इन योजनाओं में मेघालय

वन विकास निगम द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली वन उद्योग परियोजना भी शामिल है और इसमें वित्तीय सहायता की राशि 49 लाख रुपये है तथा पुनर्वित्त के वायदे की राशि 44 लाख रुपये है।

2.46 फरवरी 1979 में, उत्तरपूर्वी क्षेत्र में क्रियाशील बैंकों तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के लाभ के लिए योजना निर्माण पर निगम द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से एक कार्यशाला चलाई गई।

2.47 निगम के अध्यक्ष ने कृषि विकास की योजना बनाने से सम्बन्धित समस्याओं पर और उनके निराकरण के आवश्यक उपाय खोजने के संबंध में सरकारी अधिकारियों से चर्चा की।

नागालैंड

2.48 इस राज्य में वर्ष के दौरान न तो कोई योजना स्वीकृत की गई और न इसके पहले स्वीकृत योजनाओं के सम्बन्ध में कोई आहरण किया गया। जून 1979 के अंत तक राज्य में स्वीकार की गई योजनाओं की कुल संख्या 6 रही और इस संबंध में वित्तीय सहायता 50 लाख रुपये थी तथा कृपुविनि का वायदा 47 लाख रुपये था। इससे केवल 18 लाख रुपये लिये गये।

उड़ीसा

2.49 पिछले वर्ष की 65 योजनाओं के मुकाबले में जिनमें 13.6 करोड़ रुपयों के वायदे थे, इस वर्ष के दौरान राज्य के बैंकों के लिए 55 योजनाएं स्वीकृत की गई जिनमें 6.7 करोड़ रुपये के वायदे थे। पिछले वर्ष वितरित किये गए 8.2 करोड़ रुपए के पुनर्वित्त के मुकाबले में इस वर्ष 8.7 करोड़ रुपये की राशि पुनर्वित्त के रूप में वितरित की गई। पुनर्वित्त में वाणिज्य बैंकों का 4.3 करोड़ रुपये का हिस्सा था जोकि राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा ली गई 2.9 करोड़ रुपये की राशि से अधिक था। 8.7 करोड़ रुपये की वितरित राशि में से 6.8 करोड़ रुपये लघु सिंचाई प्रयोजनों के लिए तथा शेष 1.9 करोड़ रुपये की राशि विविध प्रयोजनों के लिए थी। राज्य में पुनर्वित्त का उपयोग कई कारणों से धीमा रहा, जैसे उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त स्टाफ की कमी, सुस्त कृषि विस्तार सेवा का न होना तथा वित्तय संस्थाओं की संगठनात्मक कमजोरियाँ,। कृपुविनि ने चालू और बकाया योजनाओं का पुनरीक्षण करने, प्रस्तावों के निबटारों में तेजी लाने के लिए उठाए जाने योग्य कदम निश्चित करने तथा कृषि विकास के लिए और अधिक योजनाएं बनाने के लिए किये जाने वाले आवश्यक प्रयत्नों की दिशा निर्धारित करने के उद्देश्य से एक अध्ययन दल का गठन किया है।

2.50 अंविसंघ से सहायता प्राप्त एक विस्तार-व-अनुसंधान-परियोजना पर कार्य हो रहा है जिससे कृषकों को उपलब्ध विस्तार-सुविधाओं में सुधार होने की आशा है। राज्य में अंविसंघ की सहायता प्राप्त दो परियोजनाओं, उड़ीसा सिंचाई परियोजना तथा राष्ट्रीय बीज परियोजना (दूसरा चरण) को भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

2.51 राज्य में निगम के वायदों का कुल योग जून 1979 के अंत तक 78.4 करोड़ रुपये रहा जिसमें से 27.3 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया। 30 जून 1979 तक राज्य में स्वीकृत योजनाओं की संख्या 298 थी जिनके लिए निगम के वायदों की राशि 78.4 करोड़ रुपये थी इनमें से 66 योजनाएं जिनके लिए वायदों की राशि 18.4 करोड़ रुपये थी; राज्य के कम विकसित क्षेत्रों के लिए स्वीकृत की गई थी और इस राशि में से 4.7 करोड़ रुपये की राशि पुनर्वित्त के रूप में ली गई।

पंजाब

2.52 पिछले वर्ष की 96 योजनाओं के मुकाबले में, जिनमें 26 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त के वायदे थे, इस वर्ष के दौरान राज्य के वाणिज्य बैंकों को, 154 योजनाएं, जिनके लिए 36.9 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त के वायदे थे, स्वीकृत की गई। पिछले वर्ष वितरित 11.8 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त के मुकाबले इस साल के दौरान 16.2 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त वितरित किया गया। पुनर्वित्त में वाणिज्यिक बैंकों का हिस्सा 12.4 करोड़ रुपये (समन्वित रूई विकास परियोजना के अन्तर्गत 0.2 करोड़ रुपये के अल्पावधि ऋण को मिला कर) था जो कि राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा लिए गए 3.5 करोड़ रुपये के मुकाबले में अधिक था। वितरित 16.2 करोड़ रुपयों में से 5.7 करोड़ रुपये की राशि लघु सिंचाई प्रयोजनों के लिए 10.3 करोड़ रुपये विविध प्रयोजनों के लिए तथा शेष 0.5 करोड़ रुपये की राशि समन्वित रूई विकास परियोजना के अन्तर्गत अल्पावधि कृषि प्रयोजनों के लिए थी।

2.53 लघु सिंचाई निवेश में गुंजाइश कम होने के कारण जल प्रबंध की योजनाओं को इस राज्य में महत्व मिला। हरियाणा की तरह ही, नहरों के आधुनिकीकरण, जलस्रोतों आदि का एक ठोस कार्यक्रम हाल ही में परिकल्पित अंविसंघ द्वारा सहायता प्राप्त पंजाब सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत तैयार किया गया है। अंविसंघ से सहायता प्राप्त 2 अन्य परियोजनाओं—राष्ट्रीय बीज परियोजना (चरण I) तथा समन्वित रूई विकास परियोजना—में भी राज्य सहभागी है।

2.54 राज्य में जून 1979 के अंत तक निगम के वायदों का योग 156 करोड़ रुपये का था जिनमें से 95.5 करोड़ रुपयों का उपयोग किया गया।

2.55 राज्य के बैंकों को इस वर्ष के दौरान 141 योजनाएं स्वीकार की गई जिनके लिए 34.6 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त के वायदे किये गये थे जबकि पिछले वर्ष 79 योजनाएं स्वीकृत की गई थीं। जिनके लिए 19.7 करोड़ रुपयों का पुनर्वित्त प्रदान करने के वायदे किये गये थे। पिछले वितरित 13.1 करोड़ रुपयों के पुनर्वित्त के मुकाबले में इस वर्ष के दौरान 16.2 करोड़ रुपये की राशि का पुनर्वित्त वितरित किया गया। पुनर्वित्त में वाणिज्य बैंकों का हिस्सा 10.4 करोड़ रुपया था जो कि राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा लिए गए 5.8 करोड़ रुपये से अधिक था। राज्य सहकारी बैंक ने, जिसे अन्त्योदय कार्यक्रम के अंतर्गत 3.2

करोड़ रुपये का पुनर्वित्त स्वीकृत किया गया था, वर्ष के दौरान कोई भी रकम नहीं ली। वितरित 16.2 करोड़ रुपये की राशि में से 9.7 करोड़ रुपये लघु सिंचाई प्रयोजन के लिए तथा शेष 6.5 करोड़ विविध प्रयोजनों के लिए थे।

2.56 चालू योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की जांच करने, बकाया योजनाओं का विश्लेषण करने तथा मंजूरी में तेजी लाने के आवश्यक मुद्दों की पहचान कराने की दृष्टि से कृपुविनि ने एक अध्ययन दल का गठन किया। इस दल ने राज्य में उपलब्ध क्षमता को दृष्टिगत रखकर निगम द्वारा बनाए गए संदर्भ ऋण वितरण कार्यक्रम का भी पुनरीक्षण किया तथा उन क्षेत्रों के बारे में सुझाव दिए जहां नयी योजनाएं बनाई जा सकती हों।

2.57 राज्य में, अंविसंघ की सहायता प्राप्त दो परियोजनाएं—चंबल सघन क्षेत्र विकास परियोजना तथा राजस्थान नहर सघन क्षेत्र विकास परियोजना—कार्यान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त अंविसंघ की सहायता प्राप्त राष्ट्रीय बीज परियोजना के दूसरे चरण में राजस्थान भी आ जाता है और इसी संदर्भ में वित्तीय संस्थाओं के लिए एक बैंकिंग योजना को भी अंतिम रूप दिया जा चुका है। सघन क्षेत्र विकास परियोजनाओं के मामले में वितरण की गति में, योग्य किसानों को जमीन के आबंटन तथा हस्तान्तरण के संदर्भ में में आनेवाली कानूनी तथा विधिक कठिनाइयों के कारण कुछ मंदी आ गई है।

2.58 इस सन्दर्भ में राज्य में जून 1979 के अन्त तक निगम के वायदों का कुल योग 137.6 करोड़ रुपये था जबकि 52.7 करोड़ रुपये का प्रयोग किया गया।

तमिलनाडु

2.59 राज्य के वित्तपोषक बैंकों को वर्ष के दौरान 114 योजनाएं स्वीकृत की गई जिनके लिए 14.4 करोड़ रुपयों के पुनर्वित्त का वायदा किया गया था जब कि पिछले वर्ष 89 योजनाएं स्वीकृत की गई थी। इनके लिए 6.5 करोड़ रुपये का वायदा किया गया था। इस वर्ष के दौरान 6.9 करोड़ रूपये का पुनर्वित्त वितरित किया गया जबकि पिछले वर्ष यह राशि 8.9 करोड़ रुपये थी। पुनर्वित्त में राज्य भूमि विकास बैंक का हिस्सा 4.4 करोड़ रुपये था जो कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लिए गए 2.5 करोड़ रुपये से अधिक था। कुल वितरित 6.9 करोड़ रुपयों में से 4.3 करोड़ रुपये लघु सिंचाई प्रयोजनों के लिए थे तथा शेष 2.6 करोड़ रुपये विविध प्रयोजनों के लिए थे।

2.60 पिछले दो वर्षों में पुनर्वित्त के वितरण की गति कुछ धीमी पड़ गई है जिसका मुख्य कारण यह है कि लघु सिंचाई विकास के लिए उपलब्ध क्षमता का कमोबेश पूर्ण उपयोग हो चुका था। तमिलनाडु उन राज्यो में से एक है जहां लघु सिंचाई क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों की भूमिका सीमित रही है।

2.61 कई सम्बद्ध प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की बहुत अधिक अतिदेय राशि होने के कारण राज्य भूमि विकास बैंक को भी तकलीफ हुई। बैंक को पुनर्व्यवस्थित करने के उद्देश्य से निगम के अध्यक्ष ने राज्य के मुख्य मंत्री से मार्च 1979 में विस्तृत विचार विमर्श किया। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए दो अलग-अलग दलों ने—पहला भूमि विकास बैंकों की गठन संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए तथा दूसरा कृषकों को विशेष रूप से लघु कृषकों को राहत पहुंचाने के उपाय सुझाने के लिए—जो सिफारिशें की हैं, वे राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

2.62 राज्य में निगम के द्वारा किये गये वायदों का कुल योग जून 1979 के अंत तक 108.1 करोड़ रुपये था जबकि 94.3 करोड़ रुपये लिये गये।

त्रिपुरा

2.63 वर्ष के दौरान राज्य के लिये कोई योजना स्वीकृत नही की गई। वाणिज्यिक बैंकों ने पहले से ही स्वीकृत योजना के अन्तर्गत लघुसिंचाई के उद्देश्यों के लिए 1 लाख रुपये की राशि आहरित की। 30 जून, 1979 तक स्वीकृत 8 योजनाओं में से वन विकास से संबंधित 2 योजनाएं त्रिपुरा वन विकास तथा बागान निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जानी है।

2.64 राज्य में निगम द्वारा किये गये वायदों का कुल योग जून 1979 के अंत तक 68 लाख रुपये था जबकि केवल 12 लाख रुपयों का उपयोग किया गया।

2.65 वर्ष के दौरान इस राज्य में स्थित बैंकों के लिए 361 योजनाएं स्वीकार की गई हैं और इसमें पुनर्वित्त का वायदा 98.9 करोड़ रुपया है, जबकि पिछले साल 220 योजनाएं मंजूरी की गई थीं। और पुनर्वित्त का वायदा 24 करोड़ रुपया था। गत वर्ष वितरित किये गये 43.2 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त की अपेक्षा इस वर्ष के दौरान 48.8 करोड़ करोड़ रुपये का पुनर्वित्त वितरित किया गया। इसमें से 27.6 करोड़ रुपये की राशि लघु सिंचाई प्रयोजनों के लिए थी और बाकी 21.2 करोड़ रुपये विविध प्रयोजनों के लिए थे। वर्ष के दौरान लिए गए पुनर्वित्त की राशि में राज्य भूमि विकास बैंक का हिस्सा 26.1 करोड़ रुपये था जो वाणिज्य बैंकों द्वारा लिए गए 22.7 करोड़ रुपये के मुकाबले में थोड़ा अधिक था।

2.66 रामगंगा, शारदा सहायक और गण्डक क्षेत्रों में राज्य के सघन क्षेत्र विकास कार्यक्रम हैं और ये कार्यक्रम शुरू हो गये हैं। राज्य भूमि विकास बैंकों ने किसानों के खेतों में चालू विकास कार्य को पूरा करने की दृष्टि से सघन क्षेत्र विकास प्राधिकरण को अंतिम वित्त वितरित करना शुरू कर दिया है।

2.67 राज्य ने 1978 तक अंविसंघ की सहायता प्राप्त कृषि ऋण परियोजना सफलतापूर्वक पूरी कर दी है तथा परियोजना समाप्ति रिपोर्ट तैयार करने हेतु चलाया गया सर्वेक्षण यह साबित करता है कि बैंकों के ऋण से लाभान्वित होने वालों में 60 प्रतिशत लघु कृषक थे। अंविसंघ की

सहायता प्राप्त राष्ट्रीय बीज परियोजना (चरण II) राज्य में कार्यान्वित की जा रही है।

2.68 राज्य में 30 जून, 1979 तक मंजूर की गई योजनाओं की कुल संख्या 1213 है और इस सम्बन्ध में निगम का वायदा 348.2 करोड़ रुपया है जिसमें से 212.8 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है। स्वीकृत योजनाओं में से 349 योजनाएं राज्य के कम विकसित क्षेत्र अर्थात् पूर्वी जिलों के लिए मंजूर की गई थीं और इसमें निगम के वायदे की राशि 122.3 करोड़ रुपये थी। राज्य ने कुल 56 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त प्राप्त किया।

पश्चिम बंगाल

2.69 वर्ष के दौरान राज्य में वित्तपोषक बैंकों के लिए 97 योजनाएं स्वीकार की गई जिनके सम्बन्ध में 23.8 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त का वायदा किया गया था। जबकि गत वर्ष 89 योजनाएं मंजूर की गई थीं तथा वायदा किये गए पुनर्वित्त की राशि 14.5 करोड़ रुपये थी। वर्ष के दौरान राज्य में वितरित 10.4 करोड़ रुपया पिछले वर्ष के 10 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में सीमान्त रूप से ही अधिक था। पुनर्वित्त में वाणिज्य बैंकों का हिस्सा 6.1 करोड़ रुपये था जो राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा प्राप्त 4.3 करोड़ रुपये के मुकाबले में अधिक था। वितरित 10.4 करोड़ रुपये में से 7.8 करोड़ रुपये की राशि लघु सिंचाई प्रयोजनों के लिए थी तथा शेष 2.6 करोड़ की राशि विविध प्रयोजनों के लिए थी।

2.70 अंधिसंघ की सहायता प्राप्त एक कृषि विकास परियोजना राज्य में कार्यान्वित की जा रही है। गतिशील हो रहे उथले नलकूपों के कार्यक्रम के अलावा इस परियोजना में लघु सिंचाई निगम द्वारा नलकूपों की स्थापना की परिकल्पना भी की गयी है। राज्य में चाय बागान के लिए कई योजनाएं मंजूर की गई हैं जिनके संदर्भ में वितरण कार्य में अभी तेजी आनी है क्योंकि दस्तावेज तैयार करने का कार्य और अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी हैं।

2.71 निगम के अध्यक्ष ने और भी अधिक योजनाएं बनाने के लिए साधन और उपाय ढूंढ निकालने तथा मंजूर की गई योजनाओं के अधीन आहरण की स्थिति को सुधारने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने के संबंध में जून 1979 में राज्य सरकार एवं अन्यान्य वाणिज्य बैंकों से विचार विमर्श किया है। कुछ क्षेत्रों में व्यापक रूप के विकास कार्यक्रम चलाने के लिए राज्य में एक व्यापक क्षेत्र विकास निगम की स्थापना की गई है। इस निगम द्वारा प्रवर्तित बाहर योजनाओं पर कारवाई की जा रही है।

2.72 जून, 1979 के अंत तक निगम के वायदे की कुल राशि 65.8 करोड़ रुपये थी और 29 करोड़ रुपये का प्रयोग किया गया था।

3. वर्ष के दौरान किये गए नीति संबंधी प्रमुख निर्णय

(1) ब्याज दरें

निगम द्वारा दिये जाने वाले पुनर्वित्त संबंधी ब्याज दरें और निगम की योजनाओं के अन्तर्गत अंतिम ऋणकर्ताओं से ली जानेवाली ब्याज दरों में कटौती करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय इस वर्ष लिया गया। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को पांच वर्ष की अवधि के लिए निगम कर से छूट देने और उसके ऋणों पर ब्याज दरों में 1/2 प्रतिशत की कटौती करने के भारत सरकार के निर्णय के बाद कृषिनि ने अपनी योजनाओं के अन्तर्गत ब्याज दरों में 15 मार्च 1979 से निम्नप्रकार कटौती कर दी:

(प्रतिशत दर)

	पुरानी ब्याज दरें		संशोधित ब्याज दरें	
	पात्रता प्राप्त संस्थाओं को दिए गये पुनर्वित्त पर	अंतिम ऋण कर्ताओं के लिए	पात्रता प्राप्त संस्थाओं को दिये गये पुनर्वित्त पर	अंतिम ऋण कर्ताओं के लिए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. लघु सिंचाई और भूमि विकास	7.5	10.5	6.5	9.5
2. विविध प्रयोजन				
(क) लघु कृषक	8	11	6.5	0.5
(ख) अन्य	8	11	7.5	10.5

बढ़ायी गयी ब्याज दरें 15 मार्च 1979 को अथवा उसके बाद किये गये वितरणों पर लागू होंगी।

3.2 रिजर्व बैंक ने राज्य भूमि विकास बैंक तथा वाणिज्य बैंकों को भी यह सूचित किया है कि वे अपने अंतिम ऋणकर्ताओं से कृषि या अन्य संबंधित प्रयोजनों के लिए दिये जाने वाले तीन साल से अन्यून अवधि के मीयादी ऋणों पर उन्हीं दरों पर ब्याज लें चाहे वे कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के पुनर्वित्त का उपयोग करते हों या न हों।

(2) अतिदेय स्तर की सीमा में छूट

3.3 भारतीय रिजर्व बैंक ने सितम्बर, 1975 में डिबेंचर के मानदण्डों के निर्धारण के लिए एक स्थायी समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने वर्ष के दौरान वर्तमान मानदण्डों पर फिर से विचार-विमर्श किया और उनमें कुछ प्रमुख परिवर्तनों की सिफारिश की। राज्य भूमि विकास बैंकों द्वारा प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को/अपनी शाखाओं को 30 सितम्बर 1979 तक दिये गए अग्रिमों के विनियम से सम्बन्धित इन मानदण्डों को भारत सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से परामर्श कर भारतीय रिजर्व बैंक तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने अंतिम रूप दिया। मानदण्डों में किये गए प्रमुख परिवर्तन नीचे दिये जाते हैं जो जनवरी 1979 से अमल में आए :

(i) पहले प्राथमिक भूमि विकास बैंकों/राज्य भूमि विकास बैंकों की शाखाओं का वर्गीकरण उन इकाइयों के लिए जिनकी अतिदेय राशियां मांग के 25 प्रतिशत से अधिक हो, 10-10 प्रतिशत की अतिदेय राशियों के खण्डों के आधार पर किया जाता था। अब उसे 5-5 प्रतिशत के खण्डों में बदल दिया गया है। लेकिन इन इकाइयों का पात्र ऋण कार्यक्रम पिछली प्रणाली के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यक्रम से उच्चतर होगा।

(ii) जिन प्राथमिक भूमि विकास बैंकों/शाखाओं की अतिदेय राशियां पूर्व निर्धारित 60 प्रतिशत या अधिक माँग की बजाय 55 प्रतिशत और उससे अधिक हों वे किसी प्रकार के ऋण कार्यक्रम के पात्र नहीं होंगे। लेकिन जिन ऋणों की पहली किश्तें/वितरित कर दी गयी है उनकी दूसरी परवर्ती किश्तों के सुनिश्चित व्यय की पूर्ति के मामले में यह बात लागू नहीं होगी।

(iii) प्रत्येक प्राथमिक भूमि विकास बैंक/शाखा की अतिदेय राशियों की स्थिति जून के अंत में विद्यमान पिछले तीन सालों की अतिदेय राशियों के औसत या पिछले वर्ष की अतिदेय राशियों के आधार पर—इनमें जो भी कम हो—निर्धारित की जाएगी जबकि इससे पहले पिछले वर्ष के अंत में विद्यमान अतिदेय राशियों के आधार पर उसकी पात्रता निर्धारित की जाती थी।

(iv) जिन प्राथमिक भूमि विकास बैंकों/शाखाओं की अतिदेय राशियां मांग के 26 प्रतिशत और 55 प्रतिशत के बीच हों, वे पात्रता के निर्दिष्ट प्रतिशत तक नये ऋणों की मंजूरी कर सकते हैं।

(v) चाहे प्राथमिक भूमि विकास बैंकों/शाखाओं की अतिदेय राशियों की स्थिति कुछ भी क्यों न हो, वे दूसरी और परवर्ती किश्तों के सुनिश्चित व्यय का वितरण कर सकती हैं ताकि ऋणकर्ता अपने निवेश पूरा कर सकें। यह बात उन निवेशों पर लागू होगी जिनके लिए पहले की किश्तें दी जा चुकी हैं।

(vi) लघु कृषकों को बड़ी मात्रा में ऋण उपलब्ध कराने के कार्य को बढ़ावा देने की दृष्टि से प्राथमिक भूमि विकास बैंकों/शाखाओं को जो लघु कृषक विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, सघन क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि के क्षेत्रों में आती है तथा जिनकी मानदण्डों के अनुसार ऋण की पात्रता है, किसी प्रतिबन्ध के बिना इन कार्यक्रमों के अंतर्गत परिभाषित लघु कृषकों को उधार देने की अनुमति दी जाएगी।

(3) राज्य भूमि विकास बैंकों द्वारा पुनर्वित्त की चुकौती

3.4 राज्य भूमि विकास बैंकों के विशेष विकास डिबेंचरों में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा दिए गए अंशदान को वार्षिक आधार पर वापस करने हेतु व्यक्तिगत ऋणकर्ताओं से 100 प्रतिशत वसूली करने में राज्य भूमि विकास बैंकों द्वारा अनुभव की गई परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने राज्य भूमि विकास बैंकों को दिनांक 1 जुलाई 1978 से विशेष विकास डिबेंचर जारी करने की अनुमति दी है। इनकी परिपक्वता की अवधि अंतिम ऋणकर्ताओं को जारी किए गए ऋणों की अवधि से दो वर्षों से अधिक नहीं होगी; बशर्ते कि डिबेंचरों की अवधि 15 वर्षों से अधिक न हो; हालांकि यह सुविधा राज्य बिजली बोर्ड जैसे कंपनी निकायों को जहां व्यक्तिगत वसूली का प्रश्न नहीं उठता, दिए गए ऋणों के संबंध में जारी किए गए डिबेंचरों के लिए प्राप्त नहीं होगी।

3.5 कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा 1 जुलाई 1978 को या उसके बाद जारी किए गए अभिदत्त विशेष विकास डिबेंचरों की राशियों पर पहले की तरह छमाही की बजाए वार्षिक आधार पर ब्याज प्रत्येक वर्ष के 1 जुलाई, को अथवा किसी अन्य पूर्व निर्धारित तिथि को अथवा डिबेंचरों की वार्षिक किश्तों के साथ, जिनकी निश्चित तिथि वापसी की सहमति से निर्धारित होगी; देय होगा।

(4) ऋण के 90 प्रतिशत पर रियायती पुनर्वित्त

3.6 कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम राज्य भूमि विकास बैंकों को लघु सिंचाई योजना हेतु जारी किए गए

उनके डिबेंचरों में अभिदान के रूप में 90 प्रतिशत पुनर्वित्त प्रदान करना आ रहा है। इस प्रकार डिबेंचरों में राज्य सरकारों के अंशदान को कम कर 10 प्रतिशत कर दिया है। यह सुविधा 30 जून 1979 तक उपलब्ध थी। निगम ने इस प्रश्न पर पुनर्विचार कर यह निर्णय किया है कि राज्य भूमि विकास बैंकों को ही नहीं बल्कि वाणिज्य बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी लघु सिंचाई निवेशों के संबंध में भी अनिश्चित काल तक 90 प्रतिशत रियायत देने का निर्णय किया है। यही नहीं, यह रियायत राज्य बिजली बोर्ड को उक्त बैंकों द्वारा कृपुविनि की योजनाओं के अंतर्गत कृषि पंपसैटों को बिजली चालित करने के लिए दिए जाने वाले ऋणों/अग्रिमों के संबंध में भी प्राप्त होगी। यह सुविधा उन्हीं क्षेत्रों में दी जाएगी जहां ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने नई योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू नहीं किया है।

3.7 90 प्रतिशत के पुनर्वित्त की यह रियायत 31 मार्च 1979 तक उन सक्षम कृषि विकास योजनाओं को भी प्राप्त थी जिन्हें विशेष एजेंसियों जैसे—लघुकृषक विकास एजेंसी, सूखा-ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, जनजातीय क्षेत्रों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तथा गिरिजनों की एजेंसियों की सहायता प्राप्त थी। अब यह निश्चय किया गया है कि बैंकों द्वारा इन योजनाओं के अधीन दिए गए ऋणों पर 90 प्रतिशत पुनर्वित्त की रियायत अनिश्चित काल तक जारी रखी जाए।

(5) पंपसेटों को बिजली चालित करने के लिए वित्तीय सहायता

3.8 आलोच्य वर्ष के दौरान निगम ने सदस्य बकों द्वारा पंपसेटों के बिजलीकरण हेतु राज्य बिजली बोर्ड को दिए गए ऋणों पर दिए जाने वाले पुनर्वित्त के मानकों को उदार बना दिया है। जिससे वित्तीय सहायता देने वाले बैंक, पिछले वर्ष की प्रति इकाई दर रु० 4,500 की अपेक्षा इस वर्ष 5 अश्वशक्ति वाले हर पंपसेट पर रु० 5,500 की दर से ऋण देंगे, ऐसे प्रसंगों में जहां उच्च शक्ति की मोटरों की स्थापना तकनीकी आधारों पर की जानी होती है, मोटरों की शक्ति में आई हर 2.5 अश्वशक्ति की वृद्धि पर अधिक ऋण दिया जा सकता है, जिसकी मात्रा हर वृद्धि के लिए रु० 1,000 से अधिक नहीं होगी। वित्तीय सहायता से सम्बन्धित यह उदारीकृत मान 1 जुलाई, 1978 के बाद बिजलीकृत कुओं के सम्बन्ध में लागू किया गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की नई योजना को दृष्टिगत रखते हुए कृपुविनि की योजना केवल उन क्षेत्रों में जारी रहेगी जहां ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने कोई नई योजना शुरू नहीं की है।

(6) प्रधान कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों को पुनर्वित्त मंजूर न करने के अधिकारों का प्रत्यायोजन

3.9 पात्रता प्राप्त संस्थाओं से प्राप्त योजनाओं को मंजूर करने में शीघ्रता लाने की दृष्टि से प्रधान कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों और क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों को पुनर्वित्त की मंजूरी हेतु कुछ सीमित अधिकार प्रत्यायोजित करना निगम का दूसरा निर्णय था। प्रत्यायोजन की यह प्रणाली ठीक प्रकार से कार्य कर रही है।

(7) केवल बोरिंग कार्य के लिए लघु कृषकों को वित्तीय सहायता

3.10 जो लघु कृषक अपने निजी पंपसेट खरीदने में असमर्थ हैं, उनके मामले में निगम ने इस वर्ष के दौरान केवल बोरिंग कार्य हेतु पुनर्वित्त प्रदान करने के प्रश्न पर विचार किया। इस संबंध में निगम इस बात से सहमत हुआ कि जिन राज्यों में किराए पर पंपसैट देने की व्यवस्थाएं संतोष-जनक हैं तथा निवेश तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त हैं, वहां लघु कृषकों को केवल बोरिंग कार्य के लिए वित्तीय सहायता देने वाली योजनाएं पुनर्वित्त के लिए कुछ निश्चित शर्तों के अधीन पात्र होंगी।

(8) खाद्यान्न भंडार

3.11 निगम द्वारा खाद्यान्न भंडारों की सुविधा बढ़ाने के सम्बन्ध में दिये गए वायदे पूरे करने के लिए जैसा कि पिछली रिपोर्ट में बताया गया है, भंडार क्षमता 20 लाख टन की वृद्धि करने के निमित्त गोदाम निर्माण कार्य के लिए पुनर्वित्त सुविधा देने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है। इन गोदामों का निर्माण प्राइवेट पार्टियों द्वारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में होगा।

(9) बाजार केन्द्रों के विकास की योजनाओं के लिए पुनर्वित्त

3.12 आगामी योजना में परिकल्पित बाजार केन्द्र विकास कार्यक्रम तथा राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ से ही 1 प्रतिशत बाजार शुल्क लगाने के सम्बन्ध में अनुभव की गई कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में, निगम बाजार केन्द्रों के विकास की योजनाओं के लिए पुनर्वित्त सुविधा देने के लिए सहमत हो गया। इन बाजार केन्द्रों का न्यूनतम शुल्क 1/2 प्रतिशत होगा; बशर्ते कि कृषि उत्पादन बाजार समितियों से संबंधित अधिनियमों में आगामी दो या तीन वर्षों में शुल्क को बढ़ाकर 1 प्रतिशत कर देने का प्रावधान किया जाय। निगम ने इस संदर्भ में राज्य सरकारों को मार्ग निर्देश जारी किया है।

(10) लघु सिंचाई के निवेशों के लिए कृपुविनि की योजनाओं के अन्तर्गत 2 से 4 हैक्टेयर भूमि वाले किसानों को पूंजी सहायता

3.13 वर्ष के दौरान भारत सरकार ने 2 से 4 हेक्टेयर भूमि वाले कृषकों को पूंजी सहायता देने का निर्णय किया और उसके अनुसार, व्यक्तिगत योजनाओं के लिए 20 प्रतिशत की दर से तथा सामूहिक योजनाओं के लिए 40 प्रतिशत की दर से, पूंजी सहायता क्षेत्रवार शुरू की गई कृपुविनि की योजनाओं या उनके बराबर की योजनाओं के अन्तर्गत लघु सिंचाई के लिए किए जाने वाले निवेशों के लिए दी जाएगी।

किन्तु इसके लिए भूमिगत जल संबंधी प्रमाणपत्र भी आवश्यक होगा। ऐसी सहायता अलग-अलग कृषकों को उसी सीमा तक दी जाएगी जिस सीमा तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों को दी जाती है तथा यह सहायता कृषकों के विभिन्न-वर्गों अर्थात् जन-जातीय गैर-जनजातीय आदि वर्गों को रु० 3000 और रु० 5000 के बीच दी जाएगी। भारत सरकार ने भी उन ऋणों के माध्यम से यह सहायता देने का निर्णय किया है, जो ऋण के अंतिम सदुपयोग को सुनिश्चित करती है।

4. प्रमुख उद्देश्य और उपलब्धियां

निगम ने अपने समक्ष जिन लक्ष्यों को रखा है वे इस प्रकार हैं:—(1) संस्था का गठन (2) क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना (3) निगम के कार्यक्रमों में और अधिक लघु कृषकों को समाविष्ट करना तथा (4) कारोबार का विविधीकरण। इन वर्षों में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति हुई है जैसा कि निम्नांकित अनुच्छेदों से सिद्ध होता है:

(I) संस्था का गठन

4.2 एक विकास बैंक की तरह, कृषिविनि के प्राथमिक उत्तरदायित्वों में से एक उत्तरदायित्व है—सदस्य बैंकों को संस्था गठन में सहायता देना, ताकि कृषि निवेशों के लिए और अधिक ऋण प्रदान करने में सुविधा हो सके। इस संदर्भ में निगम ने कई पहलुओं पर जोर दिया है। सबसे आवश्यक पहलू यह है कि सदस्य बैंक और राज्य सरकारों के कर्मचारियों को, योजना निर्माण, मूल्यांकन तथा ऋण वितरण की गुणवत्ता सुधारने से संबंधित क्षमता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण व्यवस्थाओं को व्यापक और मजबूत बनाया जाये। इन कार्रवाइयों का विवरण रिपोर्ट में अन्यत्र दिया गया है। निगम द्वारा उठाया गया दूसरा महत्वपूर्ण कदम है बैंकों को क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से ऋण विभाग का निर्माण करने में मदद देना और उनकी आर्थिक क्षमता सुधारने के लिए विभाग के कार्य में विविधता लाना और उन्हें आवश्यक विशेषज्ञता प्राप्त करने में सक्षम बनाना। परि-योजना निर्माण, अनुवर्ती कार्रवाईयों और कार्यान्वयन के निरीक्षण में आयी कठिनाइयों को कार्यशालाओं और विचार-विमर्शों द्वारा तथा इस संबंध में निर्देश जारी कर, दूर करने के प्रयत्न किये गये हैं। उनके लिए स्वीकृत की गयी योजनाओं पर निकट से निगरानी करने और उनके मूल्यांकन की एक प्रणाली का निर्धारण करने के लिए भी उन्हें धीरे-धीरे प्रोत्साहन दिया जा रहा है। संस्था गठन के संबंध में निगम द्वारा अपनाए गये तीसरे आयाम में कारोबारी प्रणालियों को औचित्य-पूर्ण बनाना, ऋण प्रदान करने के तरीकों और ऋण वितरण के मानदण्डों को उचित स्वरूप देना और आचरण संबंधी कुछ नियमों को कड़ाई से लागू करना शामिल है। विकास के बहुएजेंसी दृष्टिकोण के तहत, निगम द्वारा बड़ी परियोजनाओं के लिए बैंकिंग योजनाओं की तैयारी में वाणिज्य बैंकों को शामिल करने से ऋण की अंतर्सांस्थानिक समस्याओं को दूर करने में मदद मिली है और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में गति आई है। इस बहुएजेंसी दृष्टिकोण को अपनाने से कृषि के लिए मीयादी ऋण देने में वाणिज्य बैंकों की बढ़ती हुई संबद्धता में बढ़ोत्तरी भी हुई है और जैसा कि इस रिपोर्ट में अन्यत्र जिक्र किया गया है, पिछले दो वर्षों में कृषिविनि के पुनर्वित्त के कुल वितरणों का आधे से अधिक हिस्सा इन बैंकों ने ही लिया है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लिए मानदण्ड के रूप में निगम वसूली कार्य पर निरन्तर बल दे रहा है। भूमि विकास बैंकों के लिए परिवर्तित रूप में अतिदेय राशि संबंधी अनुशासन को बनाये रखने तथा वाणिज्य बैंकों के लिए स्थायी समिति के गठन आदि से यह प्रमाणित हो जाता है। निगम, सदस्य बैंकों से निरन्तर चर्चा करता रहता है ताकि उनकी संचालन संबंधी कठिनाइयों को समझा जा सके और ऐसी चर्चा के आधार पर अपनी स्वयं की नीति का भी पुनरीक्षण कर सके।

4.3 1977-78 में यह देखा गया कि पांच राज्य भूमि विकास बैंक भारी अतिदेय राशियों की स्थिति से इतने परेशान थे कि उनकी आर्थिक स्थिति ही खतरे में पड़ गई थी। उनकी संगठनात्मक कमजोरियां पहचानी गयी थीं। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे विषय भी थे जिनसे चिंता उत्पन्न होती थी, जैसे (i) चूककर्ताओं की काफी बड़ी संख्या। इनका बोझ बैंकों को इसलिए उठाना पड़ रहा था कि बैंकों को राज्य सरकार के कुछ विशिष्ट कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना था (ii) बड़ी संख्या में निष्क्रिय निवेश, जिनके कारण अतिदेय राशि की स्थिति बनी थी। निगम के अध्यक्ष ने भारत सरकार, निगम, तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के मुख्य मंत्रियों से गंभीर विचार-विमर्श किया तथा इन बैंकों के पुनर्स्थापन के लिए कुछ उपाय निश्चित किए। इसके प्रति उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया रही है और अब वे कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

(II) क्षेत्रीय असंतुलनों में कमी

4.4 विभिन्न राज्यों में कृषिविनि के कार्यों की रूपरेखा रिपोर्ट में अन्यत्र प्रस्तुत की गई है। पिछले वर्षों में निगम ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल और पश्चिम में राजस्थान तथा उत्तर में हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और काश्मीर सहित उत्तरपूर्वी राज्यों को देश के कम विकसित और/अथवा कम बैंक सुविधा वाले राज्य माना है, और अपने प्रयत्नों को कृषि निवेश को प्रोत्साहन देने तथा उसका विकास करने की ओर केंद्रित किया है। उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्वी क्षेत्रों सहित, निवेश अच्छेखासे हो गए हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा पश्चिम बंगाल और राजस्थान में यद्यपि निवेश की दर तेज नहीं हुई फिर भी इसे बरकरार रखा गया है (विवरण 6) राजस्थान, उड़ीसा जैसे राज्यों में विकास की धीमी गति के कारण खोजने तथा भविष्य में विकास की संभाव्यता की जांच करने के लिए विशेष दल भेजने के ठोस प्रयत्न किए गए। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में परियोजना निर्माण को सुविधाजनक बनाने तथा स्वीकृत परि-योजनाओं के सुगम कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक

कार्यशाला चलाई गई । कृषुविनि के अध्यक्ष तथा भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार और निगम के अधिकारियों के एक दल ने बिहार के मुख्य मंत्री, राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों तथा भूमि विकास बैंक से कृषि निवेशों के विभिन्न पक्षों के संबंध में बातचीत की ।

4.5 कम विकसित राज्यों में कृषि विकास को प्रोत्साहन देने के निगम के प्रयत्नों का अंदाजा 1972–73 की स्थिति के संदर्भ में भली-भाँति लगाया जा सकता है जो कि निगम के लिए आधार वर्ष माना जाता है । इससे संबंधित आँकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं :

सारणी 11

1972-73, 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान कम विकसित/अल्पविकसित क्षेत्रों में किए गए वितरण

(लाख रुपयों में)

राज्य	निम्नलिखित वर्ष के दौरान वितरण			30-6-1979 तक किया गया वितरण
	1972-73	1977-78	1978-79	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
हिमाचल प्रदेश	—	23	50	101
	—	(0.1)	(0.2)	(0.1)
जम्मू और काश्मीर	—	15	14	123
	—	(0.1)	(—)	(0.1)
राजस्थान	136	1312	1616	5269
	1.4	(5.6)	(5.7)	(4.0)
असम	—	273	235	718
	—	(1.2)	(0.8)	(0.5)
मणिपुर	—	23	43	79
		(0.1)	(0.2)	(0.1)
मेघालय	—	—	—	—
नागालैण्ड	—	5	—	18
		(—)	—	(—)
त्रिपुरा	—	8	1	12
		(—)	(—)	(—)
बिहार	154	1864	2253	9055
	(1.6)	(8.0)	(7.9)	(6.7)
उड़ीसा	11	816	875	2727
	(0.1)	(3.5)	(3.1)	(2.0)
पश्चिम बंगाल	4	996	045	2900
	(0.1)	(4.3)	(3.7)	(2.2)
मध्य प्रदेश	319	1670	1666	10441
	(3.4)	(7.1)	(5.9)	(7.8)
उत्तर प्रदेश	1143	4317	4877	21275
	(12.1)	(18.4)	(17.1)	(16.0)
कुल (सभी कम विकसित राज्य)	1767	11322	12675	52718
	(18.8)	(48.3)	(44.5)	(39.5)
कुल (अखिल भारतीय)	9414	23430	28487	133356
	(100.0)	(100.00)	(100.00)	(100.00)

(कोष्ठकों में दिए गए जोड़ के प्रतिशत हैं ।)

4.6 ऊपर दी गई सारणी से यह स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान इन राज्यों में वितरित की गई कुल 127 करोड़ रुपए की राशि 1972-73 में वितरित राशि की मात्रा (18 करोड़ रुपए) से सात गुनी अधिक है। कुल वितरित पुनर्वित्त में इन राज्यों का हिस्सा भी वास्तव में आधार वर्ष के 19 प्रतिशत से बढ़कर पुनरीक्षण वर्ष के दौरान 44.5 प्रतिशत हो गया। यद्यपि अलग अलग राज्यों में विकास की दर कई कारणों से एक समान नहीं रही, फिर भी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हुई प्रगति पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले में वस्तुतः उल्लेखनीय थी। फिर भी हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में इसका प्रभाव नगण्य रहा क्योंकि वहां भौतिक कारणों, मूलभूत आवश्यकताओं की कमी तथा ऋण वितरण के स्वरूप में प्राप्त कमजोरियों के कारण उचित मात्रा में ऋण वितरण नहीं हो पाएगा।

4.7 निगम एक ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पाए जाने वाले असंतुलनों को दूर करने की ओर भी उचित ध्यान दे रहा है और उसने कृषि विकास तथा अन्य सम्बद्ध प्रयोजनों के लिए कई योजनाएं स्वीकार की हैं (देखिए विवरण–7)

4.8 अभी हाल ही में भारत सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है। हमारे निगम के अध्यक्ष इसके एक सदस्य हैं। राष्ट्रीय समिति कार्यकारी दल का गठन भी किया है जो पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए संगठनात्मक बनावट का अध्ययन करेगा और उनके सुचारू रूप से संचालन के उपाय सुझाएगा।

सारणी 12

लघु कृषकों को वित्त**

(करोड़ रुपये)

प्रयोजन	वर्ग	वितरित राशि कुल	उसमें लघु कृषकों का अंश		प्रतिशत
			राशि	खातों की संख्या	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लघु सिंचाई	(क) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ परियोजनाएं	329.9	111.1	1,48,100	34
	(ख) कृषि पुनर्वित्त और विकास परियोजनाएं-I	112.5	62.4	83,400	55
	(ग) कृषि पुनर्वित्त और विकास परियोजनाएं-II	154.1	82.8	1,10,400	54
	(घ) लघु कृषक विकास एजेंसी/सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक योजनाएं	35.9	35.9	89,800	100
	(ङ) अन्य योजनाएं	201.4	111.9	2,79,700	56
	जोड़	833.8	404.1	7,11,400	48
विविध	(क) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ परियोजनाएं*	13.1	5.3	36,300	40
	(ख) कृपुविनि-I	10.5	4.0	5,300	38
	(ग) कृपुविनि-II	29.6	10.4	13,400	34
	(घ) लघुकृषक विकास एजेंसी/सीमांत कृषक तथा कृषि श्रमिक योजनाएं	5.4	5.4	11,600	100
	(ङ) अन्य योजनाएं@	74.5	44.2	1,47,300	59
		133.1	68.9	2,12,900	52
	सकल जोड़	966.9	473.0	9,24,300	49

*केवल भूमि विकास से संबंधित।

@इनमें कृषि मशीनीकरण और भंडार तथा बाजार केन्द्र शामिल नहीं हैं।

**31 मार्च 1979 तक अनंतिम।

(III) लघु कृषकों को सहायता

4.9 निगम, अपने कार्यक्रमों के अन्तर्गत लघु कृषकों को और अधिक संख्या में समाविष्ट करने के कार्य में निरन्तर प्रयासशील रहा है। निगम अपनी प्रथम और द्वितीय कृपुविनि साख परियोजनाओं के अन्तर्गत अपने वायदों को पूरा करने में सफल रहा है। इन वायदों के अनुसार इन परियोजनाओं के अन्तर्गत वितरित राशि का कम से कम 50 प्रतिशत लघु

कृषकों को दिए गए गए ऋण के संदर्भ में होगा। मार्च 1979 के अंत तक, द्वितीय कृपुवित्त साख परियोजनाओं के अन्तर्गत लघु कृषकों को दिए गए ऋण के संदर्भ में पुनर्वित्त के वितरण का कुल योग 93 करोड़ रुपए रहा जो कि परियोजना के अंतर्गत कुल वितरण का 51 प्रतिशत है। सभी कृपुवित्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत लघुकृषकों के समावेशन संबंधी उपलब्ध आंकड़े सारणी-12 में दिए गए है ।

4.10 इस सारणी से यह स्पष्ट हो जाएगा कि कुल मिलाकर लघु सिंचाई के अन्तर्गत लघु-कृषकों के समावेशन में थोड़ा सुधार हुआ और वह 48 प्रतिशत हो गया जबकि कृषि मशीनीकरण, भंडार और बाजार केंद्रों को छोड़कर, विविध प्रयोजनों के अन्तर्गत, यह प्रतिशत घटकर 52 प्रतिशत रह गया, जो मुख्य रूप से चाय बागानों तथा मत्स्योद्योग में हुए अधिक वितरण के कारण हुआ । यह उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं की समापन रिपोर्टों के संबंध में किए गए क्षेत्र सर्वेक्षणों ने यह सिद्ध कर दिया है कि परियोजना के अंतर्गत 50 प्रतिशत से अधिक लाभभोगी लघु कृषक थे। निगम को अभी भी सदस्य बैंकों से उनके लिए मंजूर किए गए विभिन्न कृपुवित्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत आए लघु कृषकों से संबंधी आंकड़े इकट्ठे करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

4.11 इस वर्ष के दौरान निगम ने लघु कृषक विकास एजेन्सी के तत्वावधान में 177 योजनाएं स्वीकार कीं जिनमें 18.2 करोड़ रुपये के वायदे थे, (विवरण–8) । जून 1979 के अंत तक ऐसी योजनाओं की कुल संख्या 534 थी जिनमें निगम के वायदे की राशि 90 करोड़ रुपये है, इनमें से राज्य भूमि विकास बैंकों के लिये 155 योजनाएं स्वीकार की गई हैं जबकि वाणिज्य बैंकों और सहकारी बैंकों के लिये क्रमशः 358, तथा 21 योजनाएं स्वीकार की गई हैं। प्रयोजनवार, स्वीकृत योजनाओं का बड़ा भाग लघु सिंचाई के हिस्से में आया, उनकी संख्या 227 है और उसके बाद डेरी विकास योजना है जिसकी संख्या 211 है। इनके अन्तर्गत आए अन्य प्रयोजनों में मुर्गीपालन (13), भेड़पालन (43), भूमि विकास (22), बागान और बागवानी (9), सुअरपालन (2), मत्स्योद्योग (2) तथा अन्य (5) हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत पिछले वर्ष के 5 करोड़ रुपयों के पुनर्वित्त वितरण के मुकाबले में इस वर्ष के दौरान 14.4 करोड़ का वितरण किया गया। जून 1979 के अंत तक इन योजनाओं के अन्तर्गत निकाली गयी राशि 47.0 करोड़ रुपये थी जो कि वायदों का 50 प्रतिशत थी ।

4.12 चालू योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा चलाए गए समन्वित ग्रामीण विकास (सग्रावि) कार्यक्रम को गतिशील बनाना इस वर्ष के दौरान एक मुख्य बात रही। इसका मुख्य उद्देश्य एक निश्चित अवधि में उत्पादक कार्यक्रमों द्वारा लक्ष्य वर्ग के लिये अच्छा जीवन स्तर तथा पूर्ण रोजगार प्रदान करना है। प्रारम्भ में देश के 2300 खंडों में यह कार्यक्रम शुरू किया गया है तथा योजनावधि के अंत तक 3500 खंडों में यह योजना चलाने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम में, ग्रामीण समाज के कमजोर वर्गों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, जिनमें लघु एवं सीमांत कृषक, बटाईदार, कृषि मजदूर, ग्रामीण कारीगर, अनसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोग शामिल हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिन विकास योजनाओं को लिया जाएगा उनमें लघु सिंचाई भूमि विकास, कृषि औजार तथा पशुपालन कार्यक्रम शामिल हैं । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित लोगों को 25 से 33⅓ प्रतिशत तक पूंजी उपदान उपलब्ध है। कृपुवित्त, समन्वित ग्रामीण विकास खंडों के लिये, उन निवेशों के संबंध में, जिनके लिये पुनर्वित्त की पात्रता होगी, बैंकिंग योजनाएं तैयार करने के लिये कटिबद्ध है। बहुत-सी योजनाएं बनाई गई हैं और स्वीकार की जा रही हैं।

4.13 राजस्थान राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अन्त्योदय कार्यक्रम का भी विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए। इसके अन्तर्गत प्रत्येक गांव में सबसे गरीब 5 परिवारों का पता लगाया जाता है और कृषि तथा अन्य सम्बद्ध गतिविधियों के विकास और ग्रामीण उद्योगों के विकास आदि के द्वारा उनका आर्थिक स्तर सुधारा जाता है। कार्यक्रम का मूलाधार पशुपालन योजनाएं होंगी तथा अन्य सहायक धन्धों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। कृपुवित्त ने इस कार्यक्रम के लिए राजस्थान राज्य सहकारी बैंक को 3.2 करोड़ रुपये तक की निधि देने का वायदा किया है ।

(iv) परिचालन में विविधता

4.14 निगम और सदस्य बैंकों के कारोबार में विविधता लाने के प्रयत्न आलोच्य वर्ष के दौरान भी जारी रहे। जैसा कि पहले सूचित किया गया है, लघु सिंचाई के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए, और भी अधिक संख्या में योजनाएं स्वीकार की गई हैं। पिछले 2 वर्षों में सघन क्षेत्र विकास कार्यक्रम का महत्व काफी बढ़ गया है। इस वर्ग में निगम द्वारा अंविसंघ/अंपुवि बैंक से सहायता प्राप्त 7 परियोजनाओं के अतिरिक्त, अन्य राज्यों में विशेष रूप से गुजरात और उत्तर प्रदेश में कई अन्य परियोजनाएं स्वीकार की गई हैं; जिनमें खेतों के विकास के लिये सांस्थानिक ऋण लगा हुआ है। उच्चतमस्तर पर दिसम्बर 1978 में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के व्यापक निरीक्षण के उपरांत निगम, राज्य सरकारों से मिलकर ऋण परिचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने के लिये कई विषयों पर विचार कर रहा है। अपनी ओर से निगम ने अपनी कार्यविधि आसान बना दी है और कार्यान्वयन करने वाल अभिकरणों को उचित किस्तों में अंतरिम वित्त वितरित करने तथा सरकारी गारंटी पर ऋण लेनेवालों के पात्र एवं अपात्र ऋण कर्ताओं के रूप में वर्गीकरण किये जाने तक पूर्ण हो चुके विकास के लिये तदर्थ ऋण प्रदान करने की अनुमति भी प्रदान कर दी है ।

4.15 विकास का एक और आशाजनक क्षेत्र अंतदेशीय मत्स्यपालन है जो लघुकृषकों को काफी लाभान्वित भी करेगा। मत्स्योद्योग एक ऐसा प्रमुख स्रोत है जिससे बड़ी मात्रा में

ताजा मछली की आपूर्ति की जा सकती है। यह काफी संभाव्यतावाला कार्यक्रम है; खास तौर पर बिहार, यू० पी०, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल में, जहां कुल जलक्षेत्र का 70 प्रतिशत भाग परिष्कृत मछली तालाबों के लिये है, इसकी अधिक संभावना है। विकास की इस मद के लिए निगम ने पहले ही 50 योजनाएं स्वीकृत की हैं; जिनके संबंध में 7 करोड़ रुपयों के वायदे किये गये हैं। इसी प्रयोजन के लिये अंविसंघ की सहायता प्राप्त एक परियोजना के संबंध में भी बातचीत चल रही है। यह योजना भारत में अपने ढंग की पहली है।

4.16 जिन अन्य क्षेत्रों में कार्यकलापों में विविधता लाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं वे हैं—रेशम उत्पादन, बाजार केन्द्रों का विकास, भंडार, बागान, गायों-का अंतर्प्रजनन, कसाईखानों का आधुनिकीकरण, तथा नए खाद कारखाने लगाना। कर्नाटक में अंविसंघ की सहायता से एक रेशम उत्पादन परियोजना पर विचार किया जा रहा है। कॉफी, रबड़ इत्यादि अन्य बागानों में निगम के योगदान को बढ़ाने के लिये भी कदम उठाए जा रहे है। इस संबंध में यह पता लगाया जाएगा कि क्या पण्प मंडलों द्वारा बनाई गई विकास योजनाओं के लिये निगम की पुनर्वित्त सहायता के साथ, संस्थागत ऋण की मदद मिल सकती है। बी० ए० आई० एफ० द्वारा प्रवर्तित देशी गायों के अंतर्प्रजनन में भी निगम मदद कर रहा है। ऐसी कई योजनाएं स्वीकार की गई हैं। इसी तरह वर्ण-संकर बछड़ियों को पालने से संबंधित योजना भी कई प्रदेशों में जोर पकड़ रही है।

सारणी 13

प्रयोजन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ/अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की परियोजनाएं

(करोड़ रुपये)

प्रयोजन	अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋण का उपयोग करने के लिए आवश्यक वितरण	कृपुवि निगम के कार्यक्रम के लिए अंविसंघ/अंपुवि बैंक की सहायता की राशि	30 जून 1979 तक कृपुविनि द्वारा किया गया पुनर्वित	30 जून 1979 तक अंविसंघ/अंपुवि बैंक द्वारा भारत सरकार के माध्यम से वितरित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. लघु सिंचाई	1213.9	673.9	167.7	415.6
2. भूमि विकास	11.7	8.3	8.5	
3. कृषि मशीनीकरण	93.3	57.3	64.6	
4. बाजार केन्द्र विकास	23.8	17.2	18.5	10.2
5. खराब होने वाली बागवानी उपज का अभिसंस्करण और विपणन	30.3	13.3	0.4	—
6. डेरी विकास	60.6	33.8	—	—
7. सुघन क्षेत्र विकास	68.6	46.5	6.6	5.4
8. बीज उत्पादन	51.0	35.9	2.2	1.9
9. विविध प्रयोजन* (जैसी बक्ष की फसलें, मुर्गीपालन आदि)	172.9	87.8	54.5	10.0
10. मत्स्यापालन विकास	22.3	7.6	—	—
11. $रूई विकास और अभिसंस्करण	16.1	10.3	2.5	1.1
	1764.5@@	991.9@	775.5	444.2

*इसमें केरल में रोपण फसलों का विकास शामिल है।

$इसमें समन्वित रूई विकास परियोजना के अधीन उन्नत किस्म की रूई पैदा करने के लिए निर्धारित 75 लाख डालरों का ऋण शामिल है।

@कृपुविनि साख परियोजना III का घटक शामिल है।

5. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

I. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ/अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की सहायता प्राप्त परियोजनाएं

चूंकि द्वितीय कृपुविनि साख परियोजना के लिये उपलब्ध ऋण का उपयोग पूरा होने वाला था। अतः कृपुविनि साख परियोजना तैयार करने तथा इस सम्बन्ध में विश्व बैंक और अंविसंघ से, अप्रैल 1979 में बातचीत की दिशा में, कदम उठाए गए। भारत सरकार और कृपुविनि ने सफलता पूर्वक समझौता वार्ता पूरी की और अंविसंघ ने जुलाई 1979 में 2500 लाख डालर का ऋण मंजूर किया। यह ऋण कृपुविनि के 2 वर्षीय ऋण वितरण कार्यक्रम की मदद करने के लिये है, यद्यपि जैसा कि पूर्ववर्ती ऋणों के संदर्भ में था, प्रतिपूर्ति कुछ ही प्रयोजनों तक सीमित रहेगी। इस अवधि के दौरान एक अन्य स्वागत योग्य बात यह हुई है कि कनाडा के कैनेडियन अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, पश्चिम जर्मनी के केडि-

टनस्टल्ट फर आदरोफबाऊं (के० एफ० डब्यू०), यू० के०, स्विटजरलैंड तथा जापान ने कृपुविनि को कृषि विकास में उनके योगदान को बनाए रखने के लिये साधन उपलब्ध कराने में रुचि दिखाई है। इन ऋणों के लिये भारत सरकार, कृपुविनि तथा अन्य अभिकरणों के बीच चल रही बातचीत पूरी होने वाली है। ये ऋण किसी भी प्रकार से अंविसंघ के ऋणों के संबंध में किये जाने वाले आहरणों पर बुरा असर नहीं डालेंगे, बल्कि कृपुविनि के पास उपलब्ध साधनों के पूरक सिद्ध होंगे। तृतीय कृपुविनि साख परियोजना के स्वीकृत होने के बाद विश्व बैंक/अंविसंघ द्वारा किया गया ऋण का वायदा 1 अरब अमरीकी डालर के लक्ष्य को पार कर गया है। यह ऋण कृपुविनि के माध्यम से दिया जाएगा।

5.2 हालांकि इस परियोजना में द्वितीय कृपुविनि साख परियोजना की पद्धति का ही अनुसरण किया गया है फिर भी इसमें कई महत्वपूर्ण तथ्यों को स्वीकारा गया है जैसे, कृषि निवेशों में वाणिज्य बैंकों की बढ़ती हुई भूमिका, सहकारी भूमि विकास बैंकिंग प्रणाली को एक स्वस्थ संस्थागत रूप प्रदान करने के लिये आवश्यक प्रयास, खासतौर पर लघु सिंचाई निवेशों के लिये, ऋण वितरण की गुणवत्ता में आवश्यक सुधार, जिला और खंड स्तरों पर आयोजन के महत्व, मूल्यांकन और निगरानी के तरीकों में सुधार की आवश्यकता, तथा वितरण की गणवत्ता सुधारने और लघु कृषकों का समावेशन बढ़ाने के लिये सदस्य बैंकों के स्टाफ को तैयार करने म प्रशिक्षण सुविधाओं की महत्वपूर्ण भूमिका।

5.3 तृतीय कृपुविनि साख परियोजना के अतिरिक्त वर्ष के दौरान, विश्व बैंक से पंजाब सिंचाई परियोजना के संबंध में भी बातचीत की गई है।

5.4 जून 1979 तक 37 परियोजनाएं विश्व बैंक ग्रुप ने स्वीकार की है। जिनमें 11670 लाख डालर के ऋण कृपुविनि के माध्यम से दिए जाएंगे। इनमें 12 कृषि ऋण परियोजनाएं, 7 सघन क्षेत्र विकास परियोजनाएं 3 दुग्धविकास परियोजनाएं, 3 बीज परियोजनाएं, 2 बाजार केन्द्र परियोजनाएं, 2 बागबानी उत्पादन विपणन परियोजनाएं, 2 मत्स्योद्योग परियोजनाएं, एक समन्वित कृषि विकास परियोजना, कृपुविनि की 3* सामान्य ऋण व्यवस्थाएं और 2 सिंचाई परियोजनाएं शामिल है, प्रयोजनवार ऋण वितरण कार्यक्रम तथा अब तक किये गये वितरण और जून 1979 के अंत तक अंविसंघ द्वारा प्रतिपूर्ति की गई अथवा प्रतिपूर्ति के योग्य राशि का भी विवरण सारणी 13 में दिया गया है। अलग अलग परियोजनओं का संक्षिप्त ब्योरा विवरण 9 में तथा कुल ऋण वितरण कार्यक्रम, वितरण और अन्य पक्षों के संबंध में ब्योरेवार विवरण 10 में दिए गए हैं।

(क) द्वितीय कृपुविनि साख परियोजना

5.5 चालू दूसरी कृपुविनि ऋण परियोजना के अंतर्गत, जून 1979 के अंत तक 238 करोड़ रुपये का जो वितरण कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने किया है उसके लिये कुल 2000 लाख डालर की निर्धारित ऋण राशि में से 1580 लाख डालर की राशि के अंविसंघ के ऋण की आहरण करने की अर्हता प्राप्त हो जाएगी। शेष 420 लाख डालर के ऋण का उपयोग शीघ्र ही करने के लिये प्रयत्न किए जा रहे है।

5.6 दूसरी कृपुविनि ऋण परियोजना के अंतर्गत 22 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में ऋण वितरण किया गया। इसमें से 195 करोड़ रुपये लघु सिंचाई प्रयोजनों के लिये तथा 43 करोड़ रुपये डेरी, मुर्गीपालन, मत्स्योद्योग, बागान आदि विविध निवेशों हेतु प्रदत्त ऋणों के पुनर्वित्त के संबंध में दिए गए।

(ख) कृषि ऋण परियोजनाएं

5.7 अब तक 9 कृषि ऋण परियोजनाएं सफलतापूर्वक सम्पन्न की जा चुकी हैं, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, हरियाणा, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश के लिये स्वीकार की गई थीं। इन परियोजनाओं में कृपुविनि के वितरण का कुल योग 328 करोड़ रुपयों का रहा जिसमें अंविसंघ का 2780 लाख डालर का ऋण लगा हुआ था।

5.8 इस समय तीन परियोजनाएं—बिहार कृषि ऋण परियोजना, पश्चिम बंगाल कृषि विकास परियोजना और केरल कृषि विकास परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। बिहार कृषि ऋण परियोजना में जून 1979 तक 38.9 करोड़ रुपयों के पुनर्वित्त का वितरण किया गया। यदि जल स्रोत और विकास निगम का वित्त पोषित कार्यक्रम भी प्रतिपूर्ति के लिये शामिल कर लिया जाए तो परियोजना जल्दी ही समाप्त की जा सकती है। इस सम्बंध में भारत सरकार से पत्र-व्यवहार चल रहा है। पश्चिम बंगाल कृषि विकास परियोजना में उथले नलकूपों के कार्यक्रम में अच्छी प्रगति हो रही है। मगर गहरे नलकूप कार्यक्रम और कृषि सेवा केंद्र और बाजार केन्द्र विकास जैसे अन्य घटकों की गति धीमी है। जून 1979 के अन्त तक इन परियोजनाओं के अन्तर्गत कृपुविनि जो वितरण करेगा उस वितरण से 150 लाख डालर में से 110 लाख डालर के आहरण की अर्हता प्राप्त होगी। केरल कृषि विकास परियोजना के अंतर्गत 25 लाख रुपयों का प्रथम वितरण इस वर्ष के दौरान कृपुविनि द्वारा किया गया। योजना के प्रारम्भ में अक्सर हो जाने वाली देरी से इसके कार्यान्वयन की गति धीमी रही।

(ग) सघन क्षेत्र विकास परियोजनाएं

5.9 इस समय 7 सघन क्षेत्र विकास परियोजनाएं विश्व बैंक समूह की सहायता से चल रही हैं और इनमें खेतों के विकास के लिये, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के द्वारा ऋण दिया जा रहा है। इन परियोजनाओं में से 2 राजस्थान में तथा एक-एक परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा में हैं। राजस्थान, आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र की सघन क्षेत्र विकास परियोजाओं में सीमित प्रगति हुई है। इस धीमी प्रगति के कई कारण

*जुलाई 1979 म स्वीकृत तृतीय कृपुविन परियोजना भी शामिल है।

थे। आंध्र प्रदेश में अभी तक लाभान्वित होने वाले लोगों की जमीन का अनिवार्य रूप से विकास करने का अधिकार सघन क्षेत्र विकास अभिकरण को देने से संबंधित कानून बनाया नहीं गया है। इस राज्य में तथा कर्नाटक में भी परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये कोई अलग, निकाय या एजेन्सी की स्थापना नही की गई है। राजस्थान में भूखंडों के पुनर्रेखांकन और आयतीकरण से भी कानूनी अड़चनें खड़ी हो गई है। उड़ीसा में सघन क्षेत्र के कृषक, खेत विकास कार्य के लिये बैंक ऋण का उपयोग करने में झिझक रहे हैं। कहा जाता है कि राज्य सरकार अपने खर्च पर खेतों को पानी पहुंचाने वाली नालियों का निर्माण करने का विचार कर रही है। और इस प्रकार हुए खर्च की वसूली के अतिरिक्त जल शुल्क लगा कर की जाएगी। कृपुविनि के इस निर्णय के फलस्वरूप कि वह महाराष्ट्र में अंतरिम वित्त प्रदान करेगी, बैंकों ने कुल 71 लाख रुपए वितरित किए ताकि भूमि विकास निगम, परियोजना कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर सकें। इस अंतरिम वित्त का समायोजन पात्रताप्राप्त ऋणकर्ताओं को ऋण देकर और ऋण मांगने वाले अपात्र कृषकों को विशेष ऋण देकर किया जाएगा। मध्य प्रदेश में यह कार्यक्रम 12000 हेक्टेयर से घटाकर केवल 5000 हेक्टेयर करने का प्रस्ताव है; क्योंकि कृषकों की प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं रही।

5.10 सघन क्षेत्र परियोजनाओं में, उन कृषकों के खेतों के विकास के लिए वित्त प्रदान करने के लिए जो विभिन्न कारणों से ऋण लेने के पात्र नहीं हैं, निगम एक विशेष ऋण खाता रख रहा है जिसके लिए भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकारें तथा कृपुविनि द्वारा योगदान किया जा रहा है। जून, 1979 के अंत तक इस निधि कोष में 9 राज्यों के संदर्भ में 6.6 करोड़ रुपयों की राशि जमा हो चुकी थी। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात भी शामिल हैं। इनमें से राजस्थान नहर सघन क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत 1.2 करोड़ रुपयों की राशि पहले ही दी जा चुकी है।

(घ) डेरी विकास परियोजना

5.11 राजस्थान, मध्य प्रदेश, और कर्नाटक में, अंविसंघ द्वारा स्वीकृत तीन डेरी विकास परियोजनाओं में से मध्य प्रदेश और राजस्थान के परियोजना प्राधिकारियों ने, आसान शर्तों के कारण भारतीय डेरी निगम से धन लेना पसंद किया है। केवल कर्नाटक डेरी विकास परियोजना में वर्ण-संकर गायों के कार्यक्रम का वित्त पोषण कृपुविनि की पुनर्वित्त सहायता से बैंकों द्वारा किया जाएगा। कृपुविनि द्वारा इस कार्यक्रम के लिए एक बैंकिंग योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है और इसका कार्यान्वयन 1979-80 में प्रारम्भ हो जाएगा।

(ङ) बाजार केन्द्र परियोजनाएं

5.12 बिहार और कर्नाटक में दो बाजार केन्द्र परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। बिहार बाजार केन्द्र परियोजना की प्रगति संतोषजनक है और आगे बढ़ाई गई तिथि अर्थात 31 दिसम्बर, 1979 तक इसके पूरे हो जाने की आशा है। कर्नाटक थोक कृषि बाजार परियोजना के कार्यान्वयन में होने वाली देरी के कारणों का भी पता लगाया जा चुका है और अब इस योजना का कार्यान्वयन काफी सरलता से होने की संभावना है। इस बात की भी संभावना है कि योजनाएं पूरी करने के लिए, परियोजना समाप्ति की तिथि 31 दिसम्बर, 1979 से एक वर्ष और आगे बढ़ानी पड़े।

(च) बीज परियोजनाएं

5.13 तराई बीज परियोजना समाप्त की जा चुकी है। राष्ट्रीय बीज परियोजना के प्रथम चरण के अधीन आंध्र प्रदेश हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र आते हैं। उक्त परियोजना के अंतर्गत केवल पंजाब में एक योजना स्वीकार की गई है और कृपुविनि ने उसके लिए 28 लाख रुपए की पुनर्वित्त सहायता भी जारी कर दी है। महाराष्ट्र बीज निगम और भारतीय राज्य खेत निगम से प्राप्त प्रस्ताव कृपुविनि के विचाराधीन है।

5.14 राष्ट्रीय बीज परियोजना के दूसरे चरण के अंतर्गत, बिहार राज्य बीज निगम द्वारा लगाए जाने वाले बीज अभिसंस्करण संयंत्र की परियोजना रिपोर्ट, कृपुविनि द्वारा तकनीकी रूप से पास कर दी गई है।

(छ) समन्वित रूई विकास परियोजना

5.15 समन्वित रूई विकास परियोजना में मौसमी ऋण खाते के अंतर्गत 1978-79 के दौरान 2.5 करोड़ रुपए वितरित किए गए। इस वर्ग के अंतर्गत कृपुविनि द्वारा किए गए दावों का अब तक कुल योग 18 लाख डालर हुआ है। अल्पावधि ऋण की व्यवस्था अच्छी प्रगति कर रही है। महाराष्ट्र में कई कारणों से विशेषकर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक की उच्च अतिदेयता की स्थिति के कारण कोई आहरण नहीं हुआ। हरियाणा में इस परियोजना के अंतर्गत रूई की औटाई करने वाले 2 आरा संयंत्र का प्रस्ताव विचाराधीन है। महाराष्ट्र में, राज्य स्वामित्व के उपक्रम द्वारा लगाय जाने वाले विलायक निस्सारण संयंत्र की साध्यता रिपोर्ट कृपुविनि ने तैयार कर ली है।

(ज) मत्स्योद्योग परियोजनाएं

5.16 गुजरात मत्स्योद्योग परियोजना में 45 यंत्रीकृत नावों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और नावों की खरीद की एक योजना 62 लाख के वित्त पोषण के लिए स्वीकार की गई है। परियोजना के अंतर्गत 1400 आउट-बोर्ड मोटरों की आपूर्ति के लिए भी आर्डर दिए जा चुके हैं। अक्तूबर 1978 मे चालू हुई आंध्र प्रदेश मत्स्य परियोजना के लिए कृपुविनि द्वारा एक बैंकिंग योजना बनाई गई। परियोजना के अंतर्गत कृपुविनि द्वारा वर्ष के दौरान 2 लाख रूपए का प्रथम वितरण किया गया।

(झ) बागबानी परियोजनाएं

5.17 जम्मू और कश्मीर बागबानी परियोजना जनवरी 1979 से लागू हुई और कृषिविनि द्वारा एक बैंकिंग योजना तैयार की गई । परियोजना का कार्यान्वयन चालू वर्ष से प्रारंभ हो जाएगा । हिमाचल प्रदेश सेब अभिसंस्करण और विपणन परियोजना के अंतर्गत, ढुलाई केबल पथों को छोड़कर, जितनी भी योजनाएं परिकल्पित थीं, सब स्वीकार कर ली गई हैं । अब तक इस योजना के अंतर्गत कृषिविनि ने 44 लाख रुपए वितरित किए हैं । परियोजना समाप्ति की तिथि दिसम्बर 1980 तक बढ़ा दी गई है

(ञ) सिंचाई परियोजनाएं

5.18 हरियाणा सिंचाई परियोजना दिसम्बर 1978 से अमल में आयी । परियोजना के अंतर्गत परिकल्पित जलमार्गों की मेंड़ें बनाने, आवर्धक नलकूपों के निर्माण और विकास की अन्य मदों से संबंधित योजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है । अंविसंघ द्वारा मार्च 1979 में पंजाब सिंचाई परियोजना के अंतर्गत स्वीकार की गई जिसके लिए 460 लाख डालर का ऋण है । परियोजना के अंतर्गत जिस विकास कार्यक्रम का वित्तपोषण किया जाना है वह मूल्य मुख्य रूप से जलपथों के आधुनिकीकरण से संबंधित है । इस परियोजना के अंतर्गत एक बैंकिंग योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

(ट) निर्माणाधीन परियोजनाएं

5.19 मछलियों के अंडे बैठाने के 27 आधुनिक स्थान बनाने और 117000 हैक्टेयर में फैले मछलियों के तालाबों में सुधार करने से संबंधित एक अंतर्देशीय मत्स्योद्योग परियोजना के संबंध में जल्दी ही विश्व बैंक से बातचीत होने की संभावना है । इनके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, के राज्य आएंगे । कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा भेजी गई बहुराज्यीय काजू विकास परियोजना और एक रेशम उत्पादन परियोजना का पूर्व-मूल्यांकन अंविसंघ के दलों ने पूरा कर लिया है । कर्नाटक रेशम उत्पादन परियोजना के लिए विश्व बैंक मूल्यांकन दल संभवतः सितम्बर 1979 में भारत आयेगा । विश्व बैंक का एक दल जल्दी ही राजस्थान नहर सघन क्षेत्र विकास परियोजना के दूसरे चरण का अध्ययन करेगा ।

II अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों की सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(क) क्रेडिटनस्टल्ट फर बादरोफबाऊ (के० एफ० डब्ल्यू०) की सहायता प्राप्त परियोजना

5.20 मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पश्चिम जर्मनी के क्रेडिटनस्टल्ट फर बादरोफबाऊ (के० एफ० डब्ल्यू०) की सहायता से कार्यान्वित की जा रही सघन क्षेत्र विकास परियोजना के अंतर्गत 61 योजनाओं के संदर्भ में खेत विकास के लिए तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है । मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम को मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए भी कृषिविनि ने 18 लाख रुपयों का पुनर्वित्त वितरित किया है । खेत विकास कार्यों के लिए कृषिविनि ने 9 लाख रुपए का पुनर्वित्त वितरित किया । आयात की जाने वाली मशीनरी की जरूरतों को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश भूमि विकास निगम ने पूरे विश्व से निविदाएं आमंत्रित की हैं ।

(ख) परियोजनाएं जिन्हें अन्य सहायता एजेंसियों की सहायता मिलेगी

5.21 पिछली वार्षिक रिपोर्ट में केनेडियन अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा कृषिविनि को दिए गए ऋण का उल्लेख किया गया था । इस वर्ष के दौरान कैनेडियन अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने 150 लाख केनेडियन डालर का ऋण प्रदान किया है जिसका संपूर्ण आहरण, दूसरी कृषिविनि ऋण परियोजना के अंतर्गत अक्तूबर-दिसम्बर 1978 के दौरान किए गए वितरणों के संदर्भ में किया जा सका । इस ऋण के लिए वैसी ही शर्तें थीं जैसी द्वितीय कृषिविनि ऋण परियोजना के अंतर्गत अंविसंघ ने निर्धारित की थीं । तृतीय कृषिविनि ऋण परियोजना के मूल्यांकन के लिए आए अंविसंघ के दल के साथ केनेडियन अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने भी अपने अधिकारी शामिल किए थे । इसी तरह संयुक्त राज्य/भारत स्थानीय लागत अनुदान 1974 के अंतर्गत भी, कृषिविनि द्वारा, दूसरी कृषिविनि ऋण परियोजना के अधीन किए गए वितरणों के संदर्भ में आहरित किए जाने के लिए, 150 लाख डालर का ऋण उपलब्ध था । शीघ्र ही इस ऋण का पूरा उपयोग किया जाएगा

6. अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्य

(क) निगरानी और मूल्यांकन

इस वर्ष के दौरान किए गए कार्यों में योजना के अंत में रिपोर्ट और परियोजना समाप्ति रिपोर्टें तैयार करने के अलावा निगरानी, समवर्ती मूल्यांकन और कार्योत्तर मूल्यांकन अध्ययन महत्वपूर्ण रहे । ये अध्ययन परस्पर संबंधित हैं और अध्ययन स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वियन की पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने के मूलभूत उद्देश्य को पूरा करते हैं ताकि योजना के बेहतर निर्माण, मूल्यांकन और कार्यान्वयन के लिए नए अनुभव मिल सकें । प्रत्येक योजना की आर्थिक एवं भौतिक प्रगति के सम्बन्ध में सदस्य बैंकों से प्राप्त की जाने वाली त्रैमासिक विवरणियों के अलावा निगम, कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की निगरानी और समवर्ती मूल्यांकन भी करता है ताकि प्रमुख आंकड़ों का संचयन और विश्लेषण कर प्रबन्ध तंत्र को परियोजना/योजना की प्रगति की सूचना समय समय पर दी जा सके तथा उचित कार्रवाई, यदि कोई हो तो, दर्शायी जा सके। परियोजना समाप्ति रिपोर्ट और योजना के अंत में रिपोर्ट परियोजना/योजना के समाप्त होने ही तत्काल तैयार की जाती है । परियोजना समाप्ति रिपोर्ट, जिसका सम्बन्ध अंविसंघ द्वारा स्वीकार की गई योजनाओं से पूरी की गई परियोजनाओं के बारीक पुनरीक्षण का प्रयास करती हैं । इसकी सीमा में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, परियोजना लागत, ऋण का उपयोग और पुनर्विवरण, वित्तीय स्रोत, कार्यान्वियन करने वाली एजेन्सियों का गठन और प्रबन्ध व्यवस्था, नीति परिवर्तन, योजना की परिधि में लाये गये

लघु कृषकों की संख्या और कृषकों को प्राप्त लाभ तथा क्षेत्र प्रभाव इत्यादि आते हैं। इससे योजना परिरूपण और विकास नीति के संबंध में निर्णय लेने में सहूलियत होती है। कार्यान्वयन के दौरान व्यक्ति द्वारा पूरी की गई योजना के अनुभवों का सार निकालने और उस अनुभव द्वारा उसी उद्देश्य की नई योजनाओं की बनावट में सुधार लाने की दृष्टि से योजना के अंत में रिपोर्ट तैयार की जाती है। मूल्यांकन अध्ययन योजनाओं के पूरे होने के पश्चात् ही किये जाते हैं ताकि संबंधित व्यक्तियों को निवेशों से संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इनसे सुदूर भविष्य में निवेशों से प्राप्त होने वाले अधिक लाभ की जांच एवं कार्यारंभ में की गयी प्रत्याशी तथा कार्योत्तर उपलब्धियों की तुलना करने का उद्देश्य पूरा होता है। ये रिपोर्टें निवेशों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने की दिशा में व्यक्तियों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों पर भी प्रकाश डालती हैं।

6.2 वर्ष के दौरान निगम ने विकास से संबंधित सभी उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से कई प्रकार के अध्ययन किये। (योजनाओं की संख्या अधिक होने के कारण केवल चुनीन्दा अध्ययन ही करने पड़े) तथा इसके परिणामों, से संबंधित बैंकों को अवगत कराया गया। विश्व बैंक के कहने पर निगम ने पोचम्पड परियोजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के चुने गए क्षेत्रों में प्रयोग में लायी गई घूर्णन जल आपूर्ति प्रणाली (वाराबन्दी) के कार्यों का निगरानी एवं मूल्यांकन अध्ययन किया। निगरानी अध्ययनों का परिणाम सम्बन्धित प्राधिकरणों को सूचित किया गया है। लाभ के मूल्यांकन पर रिपोर्ट तैयार की जा रही थी।

क्षेत्रीय कार्यालयों में निगरानी एवं मूल्यांकन कार्य को मजबूत बनाने की दृष्टि से अधिकतर कार्यालयों में कृषि अर्थशास्त्रियों को आवश्यक प्रशिक्षण देकर नियुक्त किया गया। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी निगम ने वित्तपोषक बैंकों के अधिकारियों को लाभान्वित करने की दृष्टि से निगरानी एवं मूल्यांकन पर चार अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये।

6.3 स्वीकृत कई योजनाओं और सीमित स्टाफ उपलब्धता को मद्दे नजर रखते हुए निगम अपनी निगरानी प्रणाली में और भी परिष्कार लाना चाहता है। भविष्य में ऐसी निगरानियों का आधार प्रत्येक जिला होगा। स्वीकृत योजनाओं के सम्बन्ध में सदस्य बैंकों द्वार प्रस्तुत किये जाने वाले प्रगति प्रतिवेदनों के आधार पर और भी विस्तृत अध्ययन के लिए सहभागी बैंकों की शाखाओं और लाभान्वित योजना से सम्बन्धित समस्याओं को पहचान कर उनका गहरा अध्ययन किया जाएगा।

6.4 वर्ष के दौरान, योजनाओं के अंत में अलग-अलग प्रयोजनों की 9 समापन रिपोर्टें पूरी की गईं और ऐसी अन्य 14 योजनाओं की रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया गया।

परियोजना समाप्ति रिपोर्टें

6.5 इस वर्ष के दौरान कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश कृषि साख परियोजनाओं से सम्बन्धित 3 योजना समाप्ति रिपोर्टें पूरी की गईं और उन्हें अंतिम रूप दिया गया। इन सभी परियोजनाओं में निवेशों का बड़ा हिस्सा लघु सिंचाई को दिया गया; हालांकि कर्नाटक में कृषि मशीनीकरण सहायता को समान महत्व दिया गया।

6.6 उत्तर प्रदेश में चलाए गए खेत लाभ सर्वेक्षण से यह पता लगा है कि लघु सिंचाई के लिए किए गए कुल करीब 6500 लाख रुपए के निवेश से फसल क्षेत्रों में करीब 50,000 हेक्टेयर की वृद्धि हुई। पूर्ण विकास के चरण पर बढ़ता हुआ उत्पादन 5,500 लाख रुपए के अनुमानित स्तर तक पहुंचने की संभावना थी। ऋणों का करीब 60 प्रतिशत लघु कृषकों में वितरित किया गया। इन निवेशों के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष करीब 250 लाख श्रम दिनों के अतिरिक्त रोजगार पैदा करने की परिकल्पना की गई थी। इन निवेशों से प्राप्त वित्तीय दर 23 और 33 प्रतिशत के बीच थी।

6.7 मध्य प्रदेश में कुल 2,50,000 खेतिहर किसानों एवं उनके आश्रितों को परियोजना निवेशों से फायदा हुआ। कुल वितरित किए गए ऋणों में लघु कृषकों का अंश संतोषजनक था और वह 55 प्रतिशत तक पहुंच गया था। इन निवेशों के अनुमानित 82 लाख श्रमदिनों के रोजगार अवसरों के परिणाम स्वरूप, कृषि समुदाय के कमजोर वर्ग को लाभ पहुंचा। निवेशों के प्रकार पर आधारित वित्तीय दर 27% और 37% के बीच थी।

6.8 कर्नाटक में परियोजना समाप्ति रिपोर्ट के लिए चलाये गए क्षेत्र अध्ययन से यह साबित हुआ है कि परियोजना के अधीन वित्तपोषित लघु सिंचाई और भूमि विकास निवेश आर्थिक एवं लाभकर दृष्टि से व्यवहार्य है। लघु सिंचाई के अंतर्गत दिये गए उधार के करीब 27 प्रतिशत तथा भूमि विकास के अंतर्गत दिये गये उधार के 25 प्रतिशत लघु कृषकों के हित में थे। विवरणियों की वित्तीय दरें, पम्पसेट सहित खोदे हुए कुओं के लिए 21 प्रतिशत और भूमि विकास के लिए 50 प्रतिशत से ऊपर थी जबकि मूल्यांकन द्वारा अनुमानित दरें 19 प्रतिशत और 59 प्रतिशत थीं। निवेशों के कारण कूप निर्माण और भूमि विकास में किराए के मजदूर की मांग बढ़ गई और तकरीबन 330 लाख श्रमदिनों की जरूरत पड़ी तथा खेत विकास कार्यों के लिये आवर्ती आधार पर प्रतिवर्ष 110 लाख श्रमदिनों की आवश्यकता पड़ी। वर्ष 1976-77 की कीमतों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि वृद्धिगत उत्पादन खर्चा 1700 लाख रुपये तक पहुंचेगा जो 3600 लाख रुपये मूल्यांकन अनुमान की तुलना में कम था।

6.9 अब तक 8 कृषि ऋण परियोजनाओं तथा प्रथम कृषि विनि साख परियोजना की समाप्ति रिपोर्टें तयार की गई हैं, या उन्हें अंतिम रूप दिया गया है। इन रिपोर्टों से यह ज्ञात हुआ है कि आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए सिंचाई कार्य में व्यापकता लाने का मूल उद्देश्य पूरा हो गया है तथा किसानों को प्राप्त वित्तीय दर संतोषजनक थी।

कुछ राज्य भूमि विकास बैंकों ने सफलतापूर्वक कार्य निभाया। किन्तु अन्य राज्य भूमि विकास बैंकों की कार्य कुशलता अपनी भारी अतिदेय राशियों के कारण संतोषजनक नहीं रही। इन परियोजनाओं में वाणिज्य बैंकों द्वारा निभाई गई भूमिका के कारण ऋण की दिशा में अनेक एजेंसियों द्वारा किए गए प्रयास लाभकार सिद्ध हुए और इनमें उन्होंने काफी रुचि भी ली और इससे परियोजना के कार्यान्वयन में तीव्रता आई। निगम के निरीक्षण और देखभाल का स्तर काफ़ी अच्छा पाया गया। जमानती आधार पर दिए जाने वाले ऋणों के स्थान पर अब वृद्धिगत आय के आधार पर मूल्यांकन का महत्व बढ़ गया है। ऋण वितरण के प्रकारों में सुधार किया गया है और बड़ी संख्या में लघु कृषकों को ऋण वितरण की परिधि में लाने का उद्देश्य भी पूरा हो गया।

मूल्यांकन

6.10 कर्नाटक में समुद्री मत्स्योद्योग विकास योजना की चर्चा गत वर्ष की रिपोर्ट में की गई थी। मूल्यांकन कक्ष ने उससे सम्बन्धित रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया है। आंध्र प्रदेश के मुर्गीपालन विकास और कर्नाटक की काफी बागान से सम्बन्धित योजनाओं के दो और अध्ययनों को अंतिम रूप दिया गया है। आंध्र प्रदेश में 1974-75 के दौरान कार्यान्वित मुर्गीपालन योजना से यह बात सामने आई है कि अंडों के उत्पादन का स्तर निर्माण के कारण परिशीलन के समय लगाए गए अनुमान के अनुरूप ही रहा जबकि पक्के शेडों के निर्माण के कारण फार्म की स्थापना की असली लागत, परिष्कृत ढांचे और मूलनिवेश की वृद्धिगत लागत की तुलना में, अनुमानित लागत की औसतन तिगुनी रही। जहां अंडे और चुने हुए पक्षियों से अधिक से अधिक आय हुई, शुद्ध अधिशेष, मुर्गियों के चारे के बढ़े हुए मूल्य के कारण कम दिखाई पड़ा। योजना के अधीन ऋणकर्ता के लिए प्राप्त आंतरिक लाभ दर 29 प्रतिशत तक पहुंच गई।

6.11 1973-74 और 1974-75 के दौरान कर्नाटक में कार्यान्वित समुद्री मत्स्यापालन की योजना का लक्ष्य, दक्षिण कन्नड़ के समुद्र तटवर्ती जिलों के पात्रता प्राप्त कर्जदारों को यंत्रचालित मछुवा नावें उपलब्ध कराकर मछुओं की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना था। कुल मिलाकर 49 नावों को वित्तीय सहायता दी गई है। वे ठीक प्रकार से काम कर रही हैं। वर्ष 1975-76 के दौरान शुद्ध आय का औसत स्तर 30' नाव के लिए करीब 26,300 रुपए और 32' नाव के लिए 35,400 रुपये था, मछुवाई के लिए यह मामूली वर्ष ही रहा। मछुवाई में आई प्रासंगिक कमी के कारण बाद के वर्ष के दौरान वास्तविक आय अपेक्षाकृत कम हुई। इस योजना के परिणामस्वरूप निर्मित वार्षिक रोजगार लगभग 84,000 श्रम दिवस थे और यंत्रचालित और यंत्ररहित दोनों प्रकार की नावों से संबंधित वित्तीय दर के आंकड़े 42 प्रतिशत थे। इससे यह निश्चय हुआ कि निवेश लाभदायक था।

स्टाफ में वृद्धि

6.12 बढ़ता हुआ कारोबार, उस कारण से बढ़ती हुई जटिलता और नए कारोबार के लिए सदा व्यापक होती हुई गुंजाइश के कारण निगम को अपने स्टाफ बढ़ाने की पद्धति और आंतरिक संगठन के सम्बन्ध में एक नया दृष्टिकोण अपनाना पड़ा जबकि पिछले वर्षों में अधिकार और दायित्व निगम के प्रधान कार्यालय में ही मूलरूप से केन्द्रित थे। क्षेत्रीय कार्यालयों के वर्धमान अनुभवों को देखते हुए शीघ्र ही यह निर्णय किया गया कि अधिकार और दायित्व का विकेन्द्रीकरण किया जाये। निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों को मजबूत बनाने पर अधिक बल दिया गया और उन्हें बढ़ते हुए कार्यभार निभाने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से तकनीकी एवं व्यावसायिक स्टाफ उपलब्ध कराया गया ताकि वे अपने को सौंपे गए विकास कार्यों को सफलतापूर्वक निभा सकें।

6.13 अगर कृषि सम्बन्धी निवेशों को एक व्यवस्थित ढंग से बढ़ावा देना हो और जनता पर प्रभाव डालना हो तो आयोजना इकाइयों में संगत तकनीकी आधारों के प्रखंडों का होना जरूरी हो जाता है। कृपुविनि कार्यक्रम, इस प्रकार, बृहत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का अंग बन जाता है और निगम को इस दिशा में एक समुचित भूमिका निभानी होगी।

6.14 विभिन्न प्रबंध संस्थाओं, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे तथा अन्य संस्थाओं द्वारा चलाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निगम ने तेरह अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया था। कृपुविनि के प्रधान कार्यालय में दो अंतर्सेवाकालीन कार्याभिमुख कार्यक्रमों की व्यवस्था की गयी थी जिनमें 51 सहायक विकास अधिकारियों ने भाग लिया।

क्षेत्रीक कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों का सम्मेलन

6.15 निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों का पांचवां सम्मेलन 29 मई से 1 जून 1979 तक चलाया गया; प्रमुख रूप से, कार्यों का पुनरीक्षण बजट कार्यविधि और तृतीय कृपुविनि साख परियोजना के संबंध में विश्व बैंक से अप्रैल 1979 को हुई बातचीत की प्रमुख विशेषताओं से क्षेत्रीय अधिकारियों को परिचित कराने के प्रयोजन से यह सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में क्षेत्रीय कार्यालयों को योजनाएं मंजूर करने के सम्बन्ध में प्रत्यायोजित अधिकारों के उपयोग के सम्बन्ध में उनकी कार्यविधि का पुनरीक्षण तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का परिशीलन भी किया। सम्मेलन की एक विशिष्ट बात यह रही कि निगम के प्रमुख ग्राहक राज्य भूमि विकास बैंक और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के साथ चर्चा के लिए दो बैठकों की व्यवस्था की गई ताकि निगम की नीतियों एवं क्रियाविधि से परिचय कराया जा सके और कार्यान्वयन से सम्बन्धित उनकी समस्याओं को समझा जा सके।

प्रकाशन

6.16 निगम ने वर्ष के दौरान कृषि विकास की योजनाओं के स्वरूप पर कुछ छोटी पुस्तिकायें प्रकाशित की हैं

जिनमें डेरी, मुर्गी पालन, मत्स्यपालन, चाय और काफी जैसे बागान योजनाओं को स्थान दिया गया है। ये प्रकाशन ज्यादातर ग्राम जनता की शिक्षा और भावी लाभभोगियों के लिए हैं ताकि प्राप्त सुविधाओं के प्रकार से उन्हें अवगत कराया जा सके और कोई विकास कार्य शुरू करने से पहले विचार योग्य पहलुओं को समझाया जा सके। वर्ष के दौरान निगम के प्रकाशन "कृषि परियोजनाओं के तकनीकी पक्ष" को संशोधित कर अद्यतन बनाया गया है। निगम ने जनवरी 1976 से जनवरी 1979 की अवधि में जारी किए गए महत्वपूर्ण परिपत्रों की एक पुस्तक भी प्रकाशित की है। विस्तृत जांच सूचियां भी तैयार की गई हैं और उन्हें राज्य सरकार और पात्रता प्राप्त संस्थाओं को भेजा गया है। लघु-सिंचाई, भूमि विकास एवं अनेक अन्य विविध प्रयोजनों से संबंधित ये सूचियां बेहतर योजनाएं बनाने में मदद पहुंचाने और यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से तैयार की गई हैं कि निगम के समक्ष प्रस्तुत की जानेवाली सभी योजनाओं में सम्बन्धित बैंकों द्वारा सभी आवश्यक सूचनाएं दी जाती हैं ताकि अनावश्यक पत्राचार से बचा जा सके और स्वीकृति शीघ्रातिशीघ्र दी जा सके।

अनुसंधान एवं विकास निधि

6.17 निगम ने वर्ष 1977-78 के दौरान अपने शुद्ध लाभ की रकम से एक करोड़ रुपये की अनुसंधान एवं विकास निधि बनाई है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र की अनुसंधान व कार्रवाई परियोजनाओं की सहायता करना, परियोजना निर्माण में सदस्य बैंकों की योग्यताओं को सक्षम बनाने के लिए उन्हें चयनात्मक आधार पर सहायता पहुंचाना, निगरानी एवं मूल्यांकन तथा निगम की रुचि के क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए, अनुमति देना आदि कार्य के लिए इस निधि का उपयोग किया जाएगा। निधि के उपयोग को नियंत्रित करने वाले नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और सहायता देने योग्य परियोजनाओं को निश्चित किया जा रहा है।

समितियां, कार्यकारी दल, अध्ययन इत्यादि

6.18 भूमि विकास बैंकों के विशेष संदर्भ में कृषि ऋण क्षेत्र में प्रचलित ब्याज दरों की जांच करने, पम्पसेटों के प्रतिस्थापन की अनुमानित अपेक्षाओं से तथा पिछली रिपोर्ट के उलेखानुसार कतिपय क्षेत्रों में उपलब्ध भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग किये जाने की संभावनाओं का नमूने के तौर पर अध्ययन करने के लिए कृपुविनि द्वारा स्थापित समितियों ने अपना अध्ययन लगभग पूरा कर लिया है तथा रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

6.19 वर्ष के दौरान निगम ने सलाहकारों तथा अपने तकनीकी स्टाफ के माध्यम से आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के चुने गए जिलों में, किसानों के कुओं पर लगाये जाने वाले सिंचाई पम्पसेटों के चयन के सम्बन्ध में अपनाए गए तकनीकी मानदंडों के प्रश्न पर अध्ययन चलाये हैं। इन अध्ययनों से यह पता चला है कि आइल इंजन और बिजली चालित मोटर दोनों प्रसंगों में, पम्पसेटों की दक्षता 50 प्रतिशत तक कम थी जबकि अधिकतम दक्षता 70 से 75 प्रतिशत तक थी। अन्य कारणों के अलावा, प्रमुख मोटरों और परिरूपित जल निस्सरण के बीच की असम्बद्धता, पम्प लगाने में तकनीकी अपेक्षाओं का पालन न करना, लापरवाह रखवाली, नलों और फुटवाल्वों में घर्षणात्मक क्षति, बिजलीचालित मोटरों पर अतिभार लद जाना इत्यादि बातें कम दक्षता की उत्तरदायी ठहरायी जा सकती हैं। कम दक्षता की इस समस्या के कारण एक बहु-विध नियंत्रण की आवश्यकता आ पड़ती है। जैसा कि "भावी संभावनाएं" परिच्छेद में चर्चा की गई है, पम्पसेटों के गुण नियंत्रण के लिए निगम कुछ उचित उपाय करना चाहता है।

6.20 श्री बी० शिवरामन की अध्यक्षता में कृषि ऋण के लिए विद्यमान संस्थागत व्यवस्थाओं का पुनरीक्षण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक समिति का निर्माण किया गया है (निगम के अध्यक्ष इसके एक सदस्य हैं)। यह समिति विचारणीय विषयों में एक कृषि एवं संबद्ध प्रयोजनों के लिए दिये जाने वाले मीयादी ऋण की बढ़ती हुई मांगों के परिप्रेक्ष्य में निगम के परिचालन और उसके स्वरूप से सम्बन्ध रखती है।

6.21 छठी योजना के दौरान वाणिज्य बैंकों की क्षमता बढ़ाने तथा कृषिगत निवेश के कुशल कार्यकर्त्ताओं के रूप में उनका विकास करने की दृष्टि से एक स्थायी समिति का गठन किया गया है। निगम के अध्यक्ष श्री एम० रामकृष्णय्या इस समिति के अध्यक्ष हैं। यह समिति वर्तमान व्यवस्थाओं का पुनरीक्षण करेगी और उनमें सुधार लाने के लिए उपयुक्त सुझाव देगी। "वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि-ऋण दिए जाने के" सम्बन्ध में निर्मित इस समति में कृपुविनि के अतिरिक्त भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्य बैंकों के प्रतिनिधि हैं। इस समिति से यह अपेक्षा है कि यह कृषि के लिए किए जाने वाले ऋण निवेश-सम्बन्धी प्रावधानों को वर्तमान प्रणालियों और कार्यविधियों का पुनरीक्षण करेगी और उनकी वसूली स्थिति में सुधार लाने के लिए जहां आवश्यक हो, उपयुक्त मार्ग निर्देश तैयार करेगी तथा कार्रवाई कार्यक्रम बनाएगी।

6.22 वर्ष के दौरान निगम के अध्यक्ष और/अथवा प्रबन्ध निदेशक ने उत्तरी, उत्तर-पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों के राष्ट्रीयकृत बैंकों की क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बैठकों में भाग लिया ताकि राज्य सरकारों से निकट संपर्क बनाया जा सके, कृपुविनि योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति एवं प्रगति से उन्हें परिचित कराया जा सके और उच्चतम स्तर पर समस्याओं को छांटा जा सके।

कार्यशालाएं

6.23 फरवरी 1979 में मेघालय में उत्तर-पूर्वी राज्यों के राज्य सहकारी अधिकारियों और बैंकों के लाभार्थ योजना सूत्रीकरण पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। वर्ष के

दौरान निगम ने मध्य प्रदेश के तावा और अन्य सघन क्षेत्रों के अधीन काम करने वाले राज्य सरकार के अधिकारियों और सदस्य बैंकों के लाभ के लिए (1) ग्वालियर में एक पाठ्यक्रम चलाने के निमित्त मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास निगम को तथा (2) हैदराबाद में "उठाऊ सिंचाई योजना में मानकीकरण और पम्प स्थापना के डिजाइन" पर परिसंवाद सहित कार्यशाला चलाने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सिंचाई निगम को वित्तीय सहायता प्रदान की। इस कार्यशाला में विभिन्न संस्थानों के 152 पदाधिकारियों ने भाग लिया था।

प्रशिक्षण

(i) वरिष्ठ और मझौले स्तर के स्टाफ

6.24 सदस्य बैंकों के कार्यकर्ताओं के लिए की जाने वाली प्रशिक्षण व्यवस्था का आलोच्य वर्ष के दौरान और भी विस्तार किया गया। कृषि बैंकिंग महाविद्यालय पुणे में चार सप्ताह में चलाए गए 15 कृषि परियोजना पाठ्यक्रमों में 374 वरिष्ठ/मझौले स्तर के अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया जिसमें राज्य भूमि विकास बैंक के 155 अधिकारी तथा घाना, तंजानिया और नेपाल जैसे कुछ विदेशों के अधिकारी भी शामिल थे। इसके अलावा वर्ष के दौरान तीन क्षेत्रीय कृषि परियोजना पाठ्यक्रम क्रमशः उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए शिमला, बैंगलूर और बम्बई में आयोजित किये गए। उपर्युक्त तीन पाठ्यक्रमों में 71 अधिकारियों ने (15 भूमि विकास बैंकों से) भाग लिया।

6.25 अब तक 2030 वरिष्ठ और मझौले स्तर के पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इनमें से 878 राज्य भूमि विकास बैंकों के 701 वाणिज्य बैंकों के और बाकी 451 भारतीय रिजर्व बैंक, कृपुविनि, राज्य सरकारों इत्यादि के अधिकारी थे।

(ii) भूमि विकास बैंकों के कनिष्ठ स्तर के कर्मचारी

6.26 निगम के व्यापक मार्गदर्शन के अंतर्गत भूमि विकास बैंकों के कनिष्ठ स्तर के कर्मचारियों के लिए भूमि विकास बैंकों द्वारा चलाये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम को तीसरे वर्ष भी जारी रखा गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष के दौरान 194 पाठ्यक्रम 14 राज्य भूमि विकास बकों द्वारा चलाये गये जिनमें अलग-अलग बैंकों के 4551 अधिकारियों ने भाग लिया। तकनीकी अधिकारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निगम ने जल-भूगर्भशास्त्र पर दो तकनीकी पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की। इन पाठ्यक्रमों में से एक लखनऊ में तथा दूसरा रुड़की में चलाया गया जहां 56 तकनीकी अधिकारी प्रशिक्षित किये गये जिनमें भूमि विकास बैंकों के पांच अधिकारी भी सम्मिलित थे।

6.27 भूमि विकास बैंकों के प्रशिक्षण स्टाफ के लिए उपर्युक्त पाठ्यक्रम चलाने वाले प्रशिक्षकों के लिए, दो कार्यशालाएं, वर्ष के दौरान निगम द्वारा चलायी गयीं। उनमें से एक पुणे में तथा दूसरी चण्डीगढ़ में क्रमशः दिसम्बर 1978 और जून 1979 में आयोजित की गई।

6.28 उपर्युक्त कार्यशालाओं से तैंतालिस प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित हुए। 26 प्रशिक्षण केंद्रों को चलाने वाले 14 बैंकों में से बारह बैंकों में अनुवाद कार्य और प्रशिक्षणार्थियों के लिए संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराने के लिए पुस्तिकाएं छापने में अच्छी प्रगति की है। वर्ष के दौरान कृपुविनि के अधिकारियों ने समस्त 26 प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण किया।

(iii) प्रशिक्षण संबंधी अन्य व्यवस्थाएं

6.29 पहले की ही तरह बंगला देश, रोम, एफएओ और अफ्रीकी देश के 20 अधिकारियों को जिन्होंने वर्ष के दौरान कृपुविनि का संदर्शन किया, अध्ययन सुविधाएं प्रदान की गई। विभिन्न राज्य सरकारों एवं अन्य संस्थानों के सहकारिता एवं कृषि विभागों के 125 पदाधिकारियों को इसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई।

7 भावी संभावनाएं

छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप-दस्तावेज में कृषि ऋण के वर्तमान स्तर को लगभग तीन सालों में दुगुना करने की परिकल्पना की गई है। बहुविध एजेंसी के दृष्टिकोण से ऋण का क्रमिक संस्थानीकरण करना और कमजोर वर्ग के लिए ऋण का अधिकाधिक अंश अलग रखना, ऋण-संबंधी नीति का प्रमुख उद्देश्य होगा। उपर्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निगम ने 2700 करोड़ रुपये का भावी ऋण वितरण कार्यक्रम तैयार किया है। वह मोटे तौर पर उन वित्तीय साधनों की ओर इशारा करता है जिन्हें पंचवर्षीय योजना में अपेक्षित निवेश कार्यक्रम को सहायता देने हेतु आंतरिक और बाहरी साधनों से कृपुविनि जुट सकता है। फिर भी यह कार्यक्रम तभी सही रूप में पूरा होगा जब संस्थागत ऋण की उपलब्धि में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों को दूर किया जाएगा। मूलतः ऋण की मांग बड़ी मात्रा में तभी बढ़ेगी जब ऋण के संस्थानीकरण को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों की ओर से विधिक और प्रशासनिक कार्रवाई द्वारा आवश्यक वातावरण का निर्माण किया जाएगा तथा निवेश करनेवाले कृषकों को अधिक संख्या में मशीनरी देना और पर्याप्त तकनीक उपलब्ध कराना संभव होगा, विकास की गति में तेजी लाने और उसे कायम रखने के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जहां तक ऋण संस्थाओं का संबंध है, निगम द्वारा पुनर्वित्त सुविधा का अधिक सहारा देने का निर्णय, पर्याप्त स्टाफ, क्षेत्र स्तरीय संगठन व्यवस्था, वसूली कार्य, दक्षता पहचानने और विकास कार्य के लिए व्यवहार्य योजनाएं बनाने की क्षमता के आधार पर किया जाएगा। ऋण वितरण के गुण पर बल देने से विकास की गति कुछ हद तक मंद पड़ जाएगी। उपलब्ध ऋण में पाई जाने वाली इन अड़चनों को कालान्तर में ही दूर किया जा सकता है। अनेक बाधाएं होने के बावजूद निगम ने पिछले वर्ष के 234 करोड़ रुपये के मुकाबले में इस वर्ष 285 करोड़ रुपये वितरित किये। इस तरह से यह स्पष्ट

होता है कि अधिक मांग की संभावना विद्यमान है और विकास के मार्ग की अड़चनों को दूर करने के लिए सम्मिलित प्रयास करने पर इसे पूरा किया जा सकता है। अब अग्रणी बैंक भी जिला ऋण योजना तैयार करने में तत्पर हैं जिससे खंडों के स्तर की ऋण आवश्यकताओं का अन्दाजा लग जाएगा। इन योजनाओं के अंतर्गत कृषिविनि के वित्तीय साधनों की संभाव्य मांग तभी निश्चित की जा सकती है जब ये योजनाएं तैयार होंगी। इसलिए निगम द्वारा बनाये गये भावी ऋण वितरण कार्यक्रम को लचीला समझना चाहिए और योजना के आखिरी दस्तावेज के आलोक में उसे अंतिम रूप देना होगा। सही कार्य का निर्णय ऊपर बताई गई बाधाओं को ध्यान में रखकर करना होगा।

7.2 हमारी पंचवर्षीय योजना 170 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता उत्पन्न करने का प्रस्ताव करती है, जिनमें से 90 लाख हेक्टेयर की क्षमता लघु सिंचाई निवेशों द्वारा तथा शेष 80 लाख हेक्टेयर प्रमुख एवं मध्यवर्ती सिंचाई परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न की जानी है। इसलिए निगम के भावी ऋण वितरण कार्यक्रम का बड़ा हिस्सा लघु सिंचाई निवेशों को वित्तीय सहायता देने के लिए रहेगा। ऐसे निवेशों को बढ़ावा देते हुए भी ऋण वितरण की गुणवत्ता पर बल दिया जाएगा और भूजल संभाव्यता का बेहतर मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाएगा।

7.3 भूजल विकास को नियंत्रित करने के लिए एक विधान का निर्माण करने में विद्यमान कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में यही एक मात्र व्यावहारिक मार्ग नजर आता है कि प्रस्तावों के तकनीकी मूल्यांकन के लिए बेहतर आधार उपलब्ध कराने के लिए संभाव्यता की व्यापक छानबीन कर यह सुनिश्चित करना होगा कि संस्थागत ऋण अतिशय भूजल विकास के लिए बाधक नहीं है। कृषिविनि ने भारत सरकार की सलाह से भूजल स्रोतों के परिशीलन के लिए कुछ मार्गनिर्देश निश्चित किये हैं जिनके अंतर्गत भूजल विकास के स्तर के आधार पर देश को तीन विस्तृत भागों में विभाजित किया जाएगा। उनमें समाविष्ट क्षेत्र इस प्रकार है: (क) ऐसे क्षेत्र जहां 5 वर्षों में निकाला जाने वाला जल पुन: निकाले जाने वाले भूजल के 60 प्रतिशत से कम हो (ख) ऐसे क्षेत्र जहां निकाला जाने वाला जल, पुन: निकाले जाने वाले जल की भराई के 60 और 80 प्रतिशत के बीच हो (ग) ऐसे क्षेत्र जहां पांच वर्षों में निकाला जाने वाला जल पुन: निकाले जानेवाले जल के 80 प्रतिशत से अधिक हो। जिन क्षेत्रों में वास्तव में भूमिगत जल निकाला जाएगा वह पुन: निकाले जाने वाले जल के 60 प्रतिशत के ऊपर हो, ऐसे क्षेत्रों में ठोस नियंत्रण रखा जाएगा।

7.4 कृषिविनि द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययनों ने यह दर्शाया है कि किसानों द्वारा खरीदे गए प्राइम मूवर्स कुछ प्रकरणों में तकनीकी विशेषता और गुण की दृष्टि से घटिया स्तर के रहे हैं। पम्प इकाइयां प्राय: गलत ढंग से जुड़ी हुई हैं। अपेक्षित कार्य की दृष्टि से पम्पों का चयन भी कमजोर रहा है और सहायक पुर्जों के डिजाइन ढंग से नहीं किये गए है जो कार्य की क्षमता को निर्बल बना देता है। इसलिए निगम का यह प्रस्ताव है कि बैंकों में रखी जाने वाली अनुमोदित सूची में पम्पसेटों को सम्मिलित करने के लिए निर्मित/निर्माण की जाने वाली समितियों के द्वारा राज्यवार मानदंड बनाया जाए। इस प्रयोजन के लिए इस संबंध में बनाये गए मार्ग निर्देशों की जांच करने हेतु चार राज्यों में प्रायोगिक परियोजनाएं चलाने की बात सोची गई है।

7.5. कृषकों के सिंचाई पम्पसेटों के विद्युतीकरण के लिए राज्य बिजली बोर्डों को वित्तीय सहायता देने वाली वर्तमान योजना कृषिविनि के कार्यों में बड़े ही महत्व की सहायक योजना मानी जाती है। इसी प्रकार चूंकि ऐसे कार्यक्रम न्यायसंगत रूप से ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के कार्यक्षेत्र में आते हैं, यह माना गया है, कि कृषिविनि उन्हें अनिश्चित काल तक सहायता नहीं दे सकता। वाणिज्य बैंक और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के साथ सहभागित्व के आधार पर निगम ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम की सहायता करता है। इस समय कार्यान्वित हो रही योजना का परिव्यय 360 करोड़ रुपये होगा। इस संदर्भ में बिजली के अलग-अलग कनेक्शनों को पुनर्वित्त सहायता देने से पहले, निगम यह सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि ऐसी योजनाओं के लिये ठोस तकनीकी आधार उपलब्ध होता है ताकि इस सिलसिले में स्थानीय विद्युत प्रणाली अतिभार से पीड़ित न हो अथवा उस प्रणाली को अन्य किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। इस प्रयोजन के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से निकटतम समन्वय स्थापित किया जायेगा।

लघु कृषकों का समावेशन

7.6 पिछले दो वर्षों में कुल वितरित राशि का 50 प्रतिशत लघुकृषकों को प्राप्त हुआ है। इस संतोषजनक उपलब्धि को देखते हुए कृषिविनि समावेशन की स्थिति में सुधार लाकर धीरे-धीरे अगले कुछ वर्षों में इस समावेशन को 60% करना चाहता है। चूंकि सभी क्षेत्रों में एक ही स्तर का समावेशन करना मुश्किल है, यह प्रस्ताव किया गया है कि राज्यवार निर्धारण किया जाय और उनका समायोजन इस प्रकार किया जाये कि वे जोतों की वर्तमान पद्धति को प्रतिबिंबित कर सकें। इस व्यवस्था से प्रगति की अच्छी निगरानी भी संभव हो सकेगी। कृषिविनि लघु कृषक विकास कार्य को बढ़ावा देने की कार्य कुशलता के एक अंग के रूप में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बड़ी फुर्ती के साथ तत्पर है।

कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम अपने द्वारा प्रस्तुत लघु कृषक की परिभाषा की समीक्षा यह देखने के लिये करेगा कि उसमें कोई असंगति तो नहीं है, और विभिन्न राज्यों में विद्यमान कृषि श्रमिकों के सूचकांक में किये परिवर्तनों को मद्देनजर रखते हुए मानदंडों में परिवर्तन किया जाएगा ताकि 1972 के मूल्यों पर 2,000 रुपये की आय की उच्चतम सीमा निर्धारित हो। इस बीच मार्च, 1979 में कृषिविनि ने ब्याज दरों के ढांचे में संशोधन किया है और वह भी लघु कृषकों के पक्ष में ही है, क्योंकि सभी प्रयोजनों से उन्हें उन्हीं दरों पर ब्याज देना होगा। हाल ही में भारत सरकार ने यह घोषणा की है कि ऐसे कृषकों, जिनके पास 2

और 4 हेक्टेयर के बीच जोत की भूमि है, को लघु सिंचाई पर किये जाने वाले निवेशों पर लागत के 20% के बराबर का पूंजी उपदान प्राप्त होगा। इस निर्णय से और विशेष कार्यक्रमों के भीतर न आने वाले लघु कृषकों को (जो लघु कृषक विकास अभियान के मानदंडों के अनुसार निर्धारित है) 25 प्रतिशत पूंजी उपदान देने के भारत सरकार के पिछले निर्णय से उपदान योजनाओं की एक बड़ी असंगति दूर हो गयी है।

इसके अलावा ब्याज दरों में कटौती, और अभिज्ञात लघु कृषकों को उधार देने के लिये प्राथमिक भूमि विकास बैंकों/शाखाओं की उपलब्ध असीमित पात्रता से बड़ी संख्या में लक्ष्य समूह में आने वाले लघु कृषकों को, लघु सिंचाई प्रायोजनों के लिए ऋण सुविधाएं प्राप्त करने में सुविधा होगी। उसका बड़ा हिस्सा कृपुविनि की ओर से उपलब्ध कराए जाने की संभावना है। कृपुविनि यह सुनिश्चित करने का प्रयास भी करेगा कि, भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत उपदान, बैंकिंग प्रणाली से दिये जाते हैं और सही ढंग से वितरित किये जाते हैं।

7.7 कृपुविनि द्वारा बनाये गये भावी बृहत् ऋण वितरण कार्यक्रम के लिये अगर ऋण वितरण के माध्यम को सुगमतापूर्वक कार्य करना हो तो आगामी वर्षों में संस्था के गठन के लिए सुनियोजित प्रयास करना आवश्यक होगा। यह प्रक्रिया कृपुविनि द्वारा ही शुरू की जानी है। उसी प्रकार कृपुविनि ने एक सक्रिय भूमिका निभाने की दृष्टि से क्षेत्रीय कार्यालयों को स्टाफ उपलब्ध कराने की बात पर बल देते हुए स्टाफ विकास योजना बनाई है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कारण उत्पन्न होने वाली बढ़ती हुई जिम्मेदारियों और क्षेत्रीय कार्यालयों के निदेशकों को प्रायोजित मंजूरी अधिकार के संदर्भ में क्षेत्रीय कार्यालयों में अतिरिक्त स्टाफ नियुक्त करने का प्रस्ताव है। इसकी नीति और प्रक्रिया बार-बार पुनरीक्षित की जा रही है ताकि मंजूरी के कार्य में तेजी आ सके, विकास को बढ़ावा दिया जा सके, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि उधार देने के प्रकार में भी सुधार लाया जाता है।

7.8 अध्यक्ष ने बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के मुख्य मंत्रियों से इन राज्य भूमि विकास बैंकों को पुनःस्थापित करने के संबंध में जो चर्चा की थी उसका जिक्र इसके पहले किया गया है। इस कार्यक्रम को गम्भीरता के साथ पूरा करने के लिये कृपुविनि राज्य सरकारों से विचार विमर्श करेगा ताकि भूमि विकास बैंक फिर से ऋण का सुदृढ़ साधन बन सके। इस बात पर बल देने के लिये कि मूलतः वसूली की स्थिति के आधार पर भूमि विकास बैंकों की कार्यकुशलता आंकी जाएगी। प्राथमिक स्तर की अतिदेय राशियों की स्थिति के संदर्भ में भूमि विकास बैंकों के ऋण वितरण कार्यक्रम का विनियमन आगामी वर्षों में भी जारी रखा जायेगा। अगले दो वर्ष के दौरान तकनीक परिवर्तन के साथ अतिदेय राशि संबंधी वर्तमान अनुशासन को चलने दिया जाएगा।

7.9 जहां तक वाणिज्य बैंकों का संबंध है, स्थायी समिति (वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि ऋण देने के सम्बन्ध में निर्मित समिति) का विचार विमर्श वाणिज्य बैंकों के कृषि संबंधी मीयादी ऋण को सशक्त बनाने और उचित कार्यवाही करने के लिये आवश्यक ढांचा उपलब्ध करायेगा। कृपुविनि यह सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्य बैंकों से लगातार चर्चा करता रहेगा कि कृषि के लिए उनके मीयादी ऋणों का एक बड़ा हिस्सा कृपुविनि कार्यक्रम के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है, ताकि ऐसे ऋणों के लिए तकनीकी अनुशासन और योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाया जा सके। चूंकि उनके द्वारा दिए गए कृषि संबंधी सभी मीयादी ऋणों पर ब्याज दरें वे ही हैं जो कृपुविनि ने अपनी योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित की है, अतः कृपुविनि यह लक्ष्य साधने का विश्वास रखता है। इस संबंध में बड़ी अड़चन यह है कि वाणिज्य बैंकों के प्राथमिक स्तर का स्टाफ मार्गनिर्देशों के अनुसार योजनाएं बनाने में सक्षम नहीं है। कृपुविनि द्वारा चलाया जाने वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम बेहतर योजना निर्माण पर बल देता है। तेजी से चलाये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम इस स्थिति को अगले दो वर्षों में काफ़ी हद तक सुधारने में सफल होंगे।

7.10 कृपुविनि अपने कार्यक्रमों में राज्य सहकारी बैंकों, और क्षेत्रीय बैंकों को योगदान को बढ़ाने में भी और अधिक ध्यान देगा।

7.11 संस्था के गठन से संबंधित प्रयत्नों के एक भाग के रूप में इस वक्त विभिन्न स्थानों पर चलाये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अगले दो वर्षों में और अधिक व्यापक और गहन बनाने का प्रस्ताव है। पुणे के कृषि बैंकिंग महाविद्यालय में चलाये जा रहे नियमित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त तकनीकी स्टाफ के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के लिए सेमीनार आयोजित करने का भी विचार है।

8. वित्त

1977-78 और 1978-79 के दो वर्षों तथा 1974-75 से 1978-79 तक के पिछले पांच वर्षों की अवधि के दौरान अपने ऋण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये उपलब्ध कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की निधियों के स्रोतों का विवरण निम्नलिखित सारणी 14 में प्रस्तुत किया गया है:

सारणी 14

निधियों के स्रोत

(करोड़ रुपये)

	1977-78	जोड़ का प्रतिशत	1978-79	जोड़ का प्रतिशत	जुलाई 1974 जून, 1979	जोड़ का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1. चुकता शेयर पूंजी और प्रारक्षित निधियां/ अधिशेष . . .	15.8	5.5	19.9	5.7	62.3	5.2
2. भारतीय रिजर्व बैंक की विशेष जमाराशियां	0.9	0.3	1.4	0.4	3.8	0.3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. भारत सरकार से लिए गए उधार :						
(क) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की निधियां	99.6	34.4	84.8	24.2	361.0	30.3
(ख) अन्य (सी०आई०डी०ए०) .	—	—	10.3	2.9	10.3	0.9
4. भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन निधि से लिए गए उधार) . . .	65.0	22.5	75.0	21.5	290.0	24.3
5. बांड	20.6	7.1	44.1	12.6	180.1	15.1
6. बैंकों द्वारा की गयी चुकौतियां .	82.9	28.7	111.8	31.9	276.6	23.2
7. विशेष ऋण लेखा में जमा राशि .	3.1	1.1	1.9	0.5	6.6	0.5
8. अनुसंधान एवं विकास निधि .	1.0	0.3	1.0	0.3	2.0	0.2
जोड़ .	288.9	100.0	350.2	100.0	1192.7	100.0

शेयर पूंजी :

8.2 कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम अधिनियम की धारा 20 (2) के अधीन निगम की चुकता पूंजी और प्रारक्षित निधि की 20 गुनी राशि तक उसकी उधार लेने की क्षमता सीमित है। वर्ष के दौरान निगम ने अपने कारोबार की वृद्धि के अनुरूप रु० 10 करोड़ चुकता मूल्य के शेयरों की आठवीं शृंखला जारी की है। इन शेयरों पर गारंटीकृत लाभांश 6.25 प्रतिशत है जून, 1969 के अंत में निगम की कुल चुकता पूंजी 57.5 करोड़ रुपये थी। 30 जून, 1979 को निगम की शेयर पंजी में शेयरधारियों के विभिन्न वर्गों का अंशदान इस प्रकार है :—

सारणी 15

शेयर पूंजी स्रोतों में अंशदान

(करोड़ रुपये)

	शेयर		जोड़ का प्रतिशत
	संख्या	मूल्य	
(1) (2)	(3)	(4)	(5)
1. भारतीय रिजर्व बैंक	31,072	31.1	54.0
2. मध्यवर्ती भूमि विकास बैंक	9,268	9.2	16.1
3. राज्य सहकारी बैंक	4,594	4.6	8.0
4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक	11,081	11.1	19.3
5. भारतीय जीवन बीमा निगम	893	0.9	1.6
6. अन्य बीमा और निवेश कंपनियां	592	0.6	1.0
जोड़	57,500	57.5	100.0

भारत सरकार से लिये गये उधार

8.3 वर्ष 1978-79 के दौरान निगम ने भारत सरकार से प्रतिपूर्ति के रूप में कुल 95.1 करोड़ रुपये उधार लिए जो विशिष्ट परियोजनाओं के अन्तर्गत विदेश से लिए गए ऋण के बराबर थे। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ/अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की परियोजना के अन्तर्गत प्राप्त कुल राशि 84.8 करोड़ रुपये है तथा शेष 10.3 करोड़ रुपये की राशि कैनेडियन अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त सहायता है।

8.4 कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम अधिनियम, 1963 की धारा 19 के अनुसार भारत सरकार ने जुलाई 1963 में निगम को 5 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया था। निगम की प्रार्थना पर भारत सरकार ने जुलाई 1978 में इस राशि को अनुदान के रूप में परिवर्तित कर दिया।

बाजार से लिये गये उधार

8.5 अपने ऋण कार्यक्रम की पूर्ति के लिये निगम द्वारा वित्तीय साधनों को जुटाने के विविध स्रोतों में से एक मुख्य स्रोत खुले बाजार में बांड जारी करना है। वर्ष 1978-79 के दौरान कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम कुल 44.1 करोड़ रुपये की राशि के बांडों की चौदहवीं शृंखला जारी की। इन बांडों को 6¼ प्रतिशत की ब्याज दर पर 10 वर्षों की पुगाई अवधि के लिए सममूल्य पर जारी किया गया था। जून, 1979 के अंत म कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा खुले बाजार से लिए गये उधार की कुल राशि 246.4 करोड़ रुपये थी। इस वर्ष के दौरान जारी बांड़ों की चौदहवीं शृंखला के लिए विभिन्न अभिदाताओं से प्राप्त राशि तथा पिछली शृंखलाओं के लिए प्राप्त अभिदान की कुल राशि सारणी 16 में दर्शायी गयी है।

भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये उधार

8.6 भारतीय रिजर्व बैंक ने इस वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से 75 करोड़ रुपयों की ऋण सीमा मंजूर की और निगम ने इस सीमा का पूरा उपयोग किया। पिछले ऋणों की किश्तें चुकाने के बाद, जून 1979 के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक से इस शीर्ष के अन्तर्गत लिये गये उधारों की बकाया राशि 263.5 करोड़ रुपये थी।

8.7 भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को 10 करोड़ रुपये की अल्पकालीन ऋण सीमा मंजूर की।

हालांकि इस वर्ष के दौरान इस सीमा से कोई राशि निकाली नहीं गयी ।

विशेष जमाराशि

8.8 कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम अधिनियम की धारा 29 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को निगम के शेयरों से प्राप्त लाभांश को पहले पंद्रह साल के लिए ब्याज मुक्त जमा राशि के रूप में रखना है । जून 1980 में जो जमा राशि चुकायी जानी है उसे निगम की प्रार्थना पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जुलाई, 1980 से और दस साल तक जारी रखना मंजूर किया है। 30 जून, 1979 तक विशेष जमा राशि की कुल रकम 5.2 करोड़ रुपये थी किन्तु बैंक ने यह सूचित किया है कि 1980-81 से जो लाभांश मिलेगा वह हर वर्ष दिया जायेगा ।

8.9 चुकौतियां

वर्ष 1978-79 के दौरान सदस्य बैंकों द्वारा की गयी चुकौतियों की राशि 111.8 करोड़ रुपए है जबकि पिछले वर्ष के दौरान उक्त राशि 82.9 करोड़ रुपये थी। जून 1979 के अंत तक सदस्य बैंकों द्वारा 287.5 करोड़ रुपयों की राशि चुकायी गयी जिसका ब्यौरा सारणी 17 में दिया गया है । सदस्य बैंक नियमित रूप से चुकौतियां करते आ रहे हैं।

सारणी 16

बांडों में अभिदान

(करोड़ रुपये)

अभिदाता	I से XIII	XIV	कुल
1. भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंक	44.7	24.1	68.8
2. राष्ट्रीय कृत बैंक	76.0	14.5	90.5
3. अन्य वाणिज्य बैंक	13.0	1.4	14.4
4. भारतीय जीवन बीमा निगम	1.9	0.8	2.7
5. अन्य बीमा और निवेश कंपनियां	1.3	0.1	1.4
6. सहकारी बैंक	64.2	3.0	67.2
7. अन्य	1.2	0.2	1.4
जोड़	202.3	44.1	246.4

सारणी 17

पुनर्वित्त की चुकौती

(करोड़ रुपये)

एजेंसी	कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की योजनाएं	अंतरराष्ट्रीय विकास संघ की सहायता प्राप्त योजनाएं	कुल
1. अनुसूचित वाणिज्य बैंक	73.0	45.9	118.9
2. राज्य भूमि विकास बैंक	51.5	104.8	156.3
3. राज्य सहकारी बैंक	10.1	2.2	12.3
जोड़	134.6	152.9	287.5

9. संगठन और अन्य बातें

शेयरधारी

वर्ष 1978-79 के दौरान दि धनलक्ष्मी बैंक लि०, वि नैनीताल बैंक लि०, और 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के सदस्य बन गये हैं। जून, 1979 के अंत में निगम के कुल सदस्यों की संख्या 156 थी जबकि पिछले वर्ष की समाप्ति को यह संख्या 149 थी। (विवरण 12)।

निदेशक बोर्ड

9.2 इस वर्ष निदेशक बोर्ड की 5 बैठकें हुईं।

9.3 जब कृषि विभाग, कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव के रूप में डा० म० स० स्वामिनाथन की नियुक्ति हुई, तब भारत सरकार ने कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के अधिनियम, 1963 की धारा 10 (ग) की अपेक्षा के अनुसार श्री जी० वी० के० राव के स्थान पर उन्हें निगम के निदेशक के रूप में नामित किया। बोर्ड ने श्री जी० वी० के० राव की बहुमूल्य सेवाओं के लिये उनके प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट किया ।

9.4 28 जून, 1979 से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यभार से अवकाश प्राप्त करने पर श्री के० माधवदास निगम के निदेशक पद से मुक्त हुए। बोर्ड ने श्री माधवदास की सेवाओं की हार्दिक सराहना की।

हिन्दी का प्रयोग

9.5 भारतीय रिजर्व बैंक की राजभाषा कार्यान्वयन समिति में कृपुविनि का प्रतिनिधित्व जारी रहा। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेश के अनुसार निगम ने अपने प्रधान कार्यालय में तथा चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ और पटना के क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी कक्षों की स्थापना की। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी और अंग्रेजी में एक साथ दिये जाते हैं। श्रेणी तीन और चार के कर्मचारियों से संबंधित परिपत्र भी हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में जारी किये जाते हैं। निगम के प्रधान कार्यालय में अपने स्टाफ को लाभान्वित करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक की अनिवार्य हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी कक्षाएं चलाने के लिये केन्द्र स्थापित किया गया है। निगम ने अपने त्रैमासिक प्रकाशन "एग्रीडीसी न्यूज" में कुछ लेखों के हिन्दी रूपांतर जोड़ने का भी निर्णय किया है।

विदेश यात्रा

9.6 वर्ष 1978-79 के दौरान, प्रबन्ध निदेशक, एक वरिष्ठ निदेशक और एक निदेशक ने भारतीय वार्तादल के सदस्यों के रूप में विश्व बैंक के साथ ऋण संबंधी बातचीत करने के लिये वाशिंगटन, अमेरिका की यात्रा की। इन यात्राओं से संबंधित व्यय की कुल राशि 1,02,600 रुपये थी।

लाभ

9.7 1978-79 के दौरान विनियोजन के लिये उपलब्ध

निगम का शुद्ध लाभ 1,398.85 लाख रहा। निदेशक, लाभ का विनियोजन निम्नांकित रूप से करने की अनुसंसाएं करते हैं :

	लाख रुपए
अनुसंधान और विकास निधि में अंतरण	100.00
प्रारक्षित निधि में अंतरण	989.63
शेयरों पर लाभांश	309.22
जोड़	1,398.85

निदेशकों की ओर से

एम० रामकृष्णय्या,
अध्यक्ष

26 सितम्बर, 1979

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. राशियों को निकटतम लाख रुपयों/करोड़ रुपयों में पूर्णांकित कर दिया गया है।

2. विवरणों में निम्नलिखित चिह्नों/संक्षिप्त नामों का उपयोग किया गया है।

चिह्न : @ अद्यतन उपलब्ध आंकड़े
—शून्य या नगण्य

संक्षिप्त नाम :

प्रयोजन : लसि = लघु सिंचाई
ग्राविनि = ग्रामीण विद्युतिकरण निगम
भूमि/रक्षे वि = भूमि विकास/उद्धार/संरक्षण/सघन क्षेत्र विकास
कृम/कृसेकें = कृषि मशीनीकरण/कृषि उपकरण/कृषि सेवा केन्द्र
बान/बानी = बागान/बागवानी
मुपा/भेपा/सुपा = मुर्गीपालन/भेड़ पालन/सुअर पालन
मपा = मत्स्य पालन
डेवि = डेरी विकास
भंभौरबा = भंडार और बाजार केन्द्र
वन = वन उद्योग
कृवि = कृषि विस्तार
सरूविप = समन्वित रूई विकास परियोजना
गोसं = गोबर गैस संयंत्र
अ.अ = अल्पावधि

एजेंसी : 1. राभूवि बैंक = राज्य भूमि विकास बैंक
2. वा. बैंक = अनुसूचित वाणिज्य बैंक
3. रास बैंक = राज्य सहकारी बैंक

विवरण 1

1978-79 के दौरान मंजूरियां-क्षेत्रवार और राज्यवार

(लाख रुपये)

क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषिविनि के वायदे	राज्य सरकारों बैंकों के वायदे
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. उत्तरी क्षेत्र :				
दिल्ली	1	9	8	1
हरियाणा	118	5988	4711	1277
हिमाचल प्रदेश	10	630	524	106
जम्मू और कश्मीर	3	15	11	4
पंजाब	154	4691	3687	1004
राजस्थान	141	4050	3459	591
	427	15383	12400	2983
II. उत्तर पूर्वी-क्षेत्र :				
असम	38	1317	1183	134
मणिपुर	2	21	20	1
	40	1338	1203	135
III. पूर्वी क्षेत्र :				
बिहार	131	3551	3145	406
उड़ीसा	55	741	667	74
पश्चिम बंगाल	97	2654	2382	272
	283	6946	6194	752

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)
iv मध्यवर्ती क्षेत्र :				
मध्य प्रदेश	399	7437	6063	1374
उत्तर प्रदेश	361	11683	9891	1792
	760	19120	15954	3166
v पश्चिमी क्षेत्र :				
गोवा	12	90	72	18
गुजरात	79	2092	1581	511
महाराष्ट्र	241	5236	4063	1173
	332	7418	5716	1702
vi दक्षिणी क्षेत्र :				
आंध्र प्रदेश	222	10839	9084	1755
कर्नाटक	150	2761	2209	552
केरल	174	3813	3026	787
पांडिचेरी	3	62	48	14
तमिलनाडु	114	1802	1440	362
	663	19277	15807	3470
जोड़ (I से VI)	**2505**	**69482**	**57274**	**12208**

सूचना : वर्ष के दौरान चंडीगढ़ मेघालय, नागालैण्ड और त्रिपुरा में कोई नई योजना मंजूर नहीं की गई।

वितरण 2

30 जून, 1979 तक मंजूर योजनाओं का वितरण प्रयोजनवार

(लाख रुपये)

प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषिविनि के बायदे	सरकारी बैंकों के बायदे	वितरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लघु सिंचाई	3713	171471	150055	21416	90264
भूमि विकास	499	17971	14352	3619	5612
कृषि मशीनीकरण	1284	32453	24756	7697	18673
बागान/बागवानी	798	18551	14897	3654	4159
मुर्गीपालन/भेड़ पालन/सुअर पालन	343	2294	1897	397	809
मत्स्य पालन	386	5741	4476	1265	2228
डेरी विकास	704	8540	6946	1594	1994
भंडार और बाजार केन्द्र	843	13782	11399	2383	9143
कृषि विमानन	3	53	40	13	17
वन उद्योग	26	1209	908	301	152
गोबर गैस संयंत्र	48	531	399	132	38
अन्य	8	153	135	18	12
समन्वित ग्रुई विकास परियोजना (अल्पावधि)	—	—	—	—	255
जोड़	**8655**	**272749**	**230260**	**42489**	**133356**

विवरण 3

1978-79 के दौरान मंजूर योजनाओं का आकारवार और प्रयोजनवार वर्गीकरण

(लाख रुपए)

योजना का आकार	लघु सिंचाई		भूमि विकास		कृषि मशीनीकरण		बागान/बागवानी	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 लाख रुपये तक . . .	298	779	63	124	86	250	31	99
5 से 10 लाख रुपये तक . .	198	1707	16	198	113	794	32	282
10 से 25 लाख रुपये तक . .	268	4964	14	353	73	1140	164	2485
25 से 50 लाख रुपये तक . .	173	8081	6	245	38	1413	69	2467
50 से 100 लाख रुपये तक . .	44	3405	5	378	6	398	11	788
100 लाख रुपये से ऊपर . .	54	15730	3	1387	4	1025	4	664
जोड़ :	1035	34666	107	2685	320	5020	311	6785

योजना का आकार	मुर्गीपालन/भेड़ पालन		मत्स्य पालन		डेरी विकास		भंडार और बाजार केन्द्र		अन्य		कुल जोड़	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5 लाख रुपये तक	97	206	42	80	118	291	62	225	20	84	817	2138
5 से 10 लाख रुपये तक	33	231	15	109	61	432	66	502	14	145	548	4400
10 से 25 लाख रुपये तक	16	232	21	385	38	551	40	574	10	262	644	10946
25 से 50 लाख रुपये तक	6	169	19	663	9	184	20	609	9	291	349	14222
50 से 100 लाख रुपये तक	—	—	4	288	3	215	4	290	—	—	77	5762
100 लाख रुपये से ऊपर	—	—	1	203	—	—	4	797	—	—	70	19806
जोड़ :	152	838	102	1728	229	1673	196	2997	53	882	2505	57274

विवरण 4

30 जून 1979 तक मंजूर योजनाओं का राज्य, एजेन्सी और प्रयोजनवार वितरण

(लाख रुपये)

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेन्सी की कुल संख्या	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृपुविनि के कुल वायदे	वितरण	
						1978-79 के दौरान	30 जून 1979 तक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. उत्तरी क्षेत्र							
चण्डीगढ़	2	बान/बानी	1	4	3	—	3
दिल्ली		कृम	4	130	102	9	78
		भूपा	1	20	16	—	—
		डेवि	6	41	37	6	14
			11	191	155	15	92

1	2	3	4	5	6	7	8
दिल्ली (जारी)		3 मुपा	1	12	12	—	6
			12	203	167	15	98
हरियाणा		1 ससि	48	6500	5850	366	4415
		भूवि	7	461	370	23	117
		कृम	7	1887	1416	572	1345
		बान/बानी	3	69	52	4	41
		डेवि	11	226	169	6	44
		गोसं	2	16	12	—	—
			78	9159	7869	971	5962
		2 ससि	66	8272	6674	397	2241
		ग्राविनि	2	30	15		
		भूवि	21	266	213	8	14
		कृम	118	2829	2123	305	1526
		मुपा	6	32	27	2	8
		भेपा	1	2	1	—	1
		डेवि	9	72	63	2	38
		भंओरब	58	740	591	209	429
		गोसं	2	12	10	6	6
		कृवि	1	30	23	—	—
		अन्य	1	4	4	1	1
		सरूविप (अश्र)	—	—	—	25	25
			285	12289	9744	955	4289
		3 डेवि	1	20	15	—	15
		भंओरब	4	267	262	—	243
		सरूविप (अ०अ०)	—	—	—	175	175
			5	287	277	175	433
			368	21735	17890	2101	10684$
हिमाचल प्रदेश		1 ससि	1	20	18	2	4
		बान/बानी	3	86	64	4	22
		डेवि	1	10	7	—	—
			5	116	89	6	26
		2 कृम	2	23	18	—	11
		बान/बानी	17	768	653	35	49
		मुपा	1	6	6	—	—
		सुपा	1	2	2	2	2
		डेवि	5	28	27	7	13
			26	827	706	44	75
			31	943	795	50	101
जम्मू और कश्मीर		1 कृम	1	34	26	2	22
		बान/बानी	3	130	97	—	78
		डेवि	1	14	10	—	—
		भेपा	1	23	18	—	—
			6	201	151	2	100

1	2	3	4	5	6	7	8
— उड़ीसा (जारी)	2	कुम	2	44	33	6	17
		बान/बानी	2	7	6	1	1
		डेवि	2	11	8	5	5
		अन्य	1	8	6	—	—
			7	70	53	12	23
			13	271	204	14	123
पंजाब	1	लसि	59	4289	3882	155	2791
		भूवि	23	1380	1140	197	542
		कुम	4	1430	1072	—	750
		बान/बानी	2	187	141	—	—
		डेवि	3	84	63	—	—
			91	7370	6298	352	4083
	2	लसि	46	4246	3452	383	1358
		ग्राविनि	10	211	105	33	33
		भूवि	5	269	219	22	25
		कुम	57	4328	3246	86	2115
		कुसेके	2	23	17	6	6
		मुपा	8	79	64	14	27
		डेवि	30	280	243	43	132
		भंओरखा	146	1488	1189	635	1051
		गोसं	2	23	18	—	—
		सरुविप (अ० अ०)	—	—	—	19	19
			306	10947	8553	1241	4766
	3	कुम	1	18	16	—	16
		भंओरखा	4	747	730	—	651
		सरुविप (अ० अ०)	—	—	—	32	32
			5	765	746	32	699
			402	19082	15597	1625	9548
राजस्थान	1	लसि	118	4948	4565	565	2434
		भूवि	4	454	340	10	35
		बान/बानी	3	123	101	—	18
			125	5525	5006	575	2487
	2	लसि	81	2250	1854	400	859
		ग्राविनि	4	56	28	—	—
		भूवि	3	83	62	2	3
		सखीवि	18	3899	3094	284	568
		कुम	41	991	736	190	617
		कुसेके	3	78	58	1	14
		बान/बानी	1	61	48	—	—
		मुपा	3	35	26	1	2
		भेपा	14	306	275	46	62
		मुपा	1	2	2	—	—
		डेवि	40	1236	1009	37	74
		भंओरखा	63	1484	1184	69	572
		अन्य	3	69	61	11	11
			275	10550	8437	1041	2782

1	2	3	4	5	6	7	8
राजस्थान (जारी)	3	भूवि	11	357	321	—	—
			411	16432	13764	1616	5269
			1238	58670	48420	5421	25826
II उत्तर पूर्वी क्षेत्र							
असम	1	लसि	1	126	113	—	—
		बान/बानी	1	5	4	—	—
			2	131	117	—	—
	2	लसि	10	281	253	4	22
		भूवि	1	11	10	—	7
		कुम	3	78	71	1	9
		बान/बानी	65	2324	2084	170	486
		मपा	1	15	14	—	1
		डेवि	4	32	29	10	17
		भंओरबा	40	222	182	49	174
		सुपा	1	3	2	1	2
			125	2966	2645	235	718
	3	बान/बानी	2	68	61	—	—
			129	3165	2823	235	718
मणिपुर	2	कुम	1	41	37	—	18
		बान/बानी	1	64	57	—	—
			2	105	94	—	18
	3	लसि	1	4	3	—	—
		कुम	1	55	51	20	31
		बान/बानी	1	15	14	10	10
		मपा	21	36	31	13	20
		सुपा	1	6	5	—	—
			25	116	104	43	61
			27	221	198	43	79
मेघालय	2	सुपा	2	5	5	—	—
		वन	1	49	44	—	—
			3	54	49	—	—
	3	बान/बानी	2	11	10	—	—
			5	65	59	—	—
नागालैण्ड	2	भंओरबा	3	9	7	—	7
	3	भूवि	1	30	30	—	11
		बान/बानी	2	11	10	—	—
			3	41	40	—	11
			6	50	47	—	18

1	2	2	4	5	6	7	8
त्रिपुरा	2	लसि	4	20	18	1	3
		बाग/बागी	1	5	5	--	4
		भंघोरबा	1	6	5	--	5
		वन	2	50	40	--	--
			8	81	68	1	12
			175	3582	3195	279	827
III पूर्वी क्षेत्र							
बिहार	1	लसि	24	6572	5915	255	3153
		भूवि	3	131	99	--	84
		कृम	2	142	128	4	83
		बान/बानी	2	22	18	--	3
		मपा	1	46	41	1	1
			32	6913	6201	260	3324
	2	लसि	252	6431	5764	935	2974
		प्राविनि	7	108	54	2	2
		भूवि	2	69	53	—	—
		कृम	37	1177	1027	364	870
		मुपा	1	1	1	—	—
		मपा	1	25	23	--	--
		वन	3	166	116	--	23
		डेवि	9	56	49	1	3
	2	भंघोरबा	121	2224	1960	691	1849
			433	10257	9047	1993	5721
	3	डेवि	2	70	53	—	10
			467	17240	15301	2253	9055
उड़ीसा	1	लसि	54	3194	2875	200	885
		भूवि	7	92	73	4	40
		कृम	2	88	67	4	19
		बाल/बानी	17	413	350	68	187
		मपा	3	64	58	11	11
			83	3851	3424	287	1142
	2	लसि	128	3118	2867	333	1023
		भूवि	4	97	81	2	18
		कृम	5	68	61	11	49
		कुसेकें	1	2	2	--	--
		बाग/बागी	4	42	38	--	1
		मुपा	2	18	16	--	--
		भेपा	1	3	3	--	--
		मुपा डेवि }	18	87	79	37	39
		मपा	18	308	278	52	71
		भंघोरबा	6	47	40	—	20
			187	3854	3465	435	1221

1	2	3	4	5	6	7	8
नागालैंड (जारी)	3	लसि	26	1013	912	149	354
		मपा	1	39	35	4	10
		सुपा	1	2	2	—	—
			28	1054	549	153	364
			298	8758	7837	875	2727
पश्चिम बंगाल	1	लसि	89	2597	2344	390	1232
		कुम	4	97	87	17	17
		बान/बानी	14	166	148	23	38
		मपा	20	585	527	3	3
			127	3445	3106	433	1290
बंगाल (जारी)	2	लसि	86	1732	1525	391	1052
		ग्राविनि	1	19	10	—	—
		कुम	10	199	179	39	100
		कुसिके	2	2	2	—	1
		बान/बानी	35	1430	1287	122	205
		सुपा	2	31	27	5	5
		मपा	5	97	87	3	21
		डेवि	6	60	55	1	18
		मंओरबा	21	364	305	51	208
			168	3934	3477	612	1610
			295	7379	6583	1045	2900
			1060	33377	29721	4173	14682
IV मध्यवर्ती क्षेत्र मध्यप्रदेश	1	लसि	194	10601	8729	709	5858
		भूवि	33	259	195	—	32
		कुम	3	246	184	2	85
		बान/बानी	2	31	23	—	—
			232	11137	9131	711	5975
	2	लसि	413	6636	5659	710	3404
		ग्राविनि	29	458	288	—	—
		भवि	50	222	165	10	17
		कुम	39	1502	1133	157	645
		कुसिके	99	84	66	3	43
		बान/बानी	1	2	2	—	—
		डेवि	26	797	642	—	11
		सुपा	10	23	18	10	11
		मंओरबा	70	450	360	17	241
		वम	12	570	456	40	85
		गोसं	9	159	120	8	18
			758	10903	8909	955	4455
	3	लसि	5	732	605	—	—
		मंओरबा	1	27	20	—	11
			6	759	625	—	11
			996	22799	18665	1666	10441

1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तर प्रदेश	1	लसि	183	24503	21911	2422	13057
		भूसि	17	140	116	—	—
		सक्षेसि	149	743	651	180	180
		बान/बानी	8	135	101	7	52
		डेसि	13	243	191	2	2
			370	25764	22970	2611	13291
	2	लसि	130	3464	2919	336	1708
		ग्रासिनि	3	62	31		
		भूसि	5	954	711	—	199
		सक्षेसि	40	58	48	—	—
		कुम	422	6571	5000	1134	4010
		कुसेके	4	3	2	—	—
		भेपा	4	9	8	7	8
		डेसि	85	799	656	80	192
		मपा	2	18	17	—	—
		भंओरक्षा	134	2824	2226	702	1710
		गोसं	11	35	25	7	7
			840	14797	11643	2266	7834
	3	डेसि	2	64	48	—	—
		भंओरक्षा	1	155	155	—	150
			3	219	203	—	150
			1213	40780	34816	4877	21275
			2209	63579	53481	6543	31716
V पश्चिमी क्षेत्र							
गोवा	2	लसि	2	18	15	9	12
		बान/बानी	1	8	6	—	—
		डेसि	5	26	20	2	2
		मूपा	5	26	22	8	20
		मपा	34	315	252	65	14
			47	393	315	84	177
	3	बान/बानी	1	24	19	—	—
		मपा	1	40	30	—	30
			2	64	49	—	30
			49	457	364	84	207
गुजरात	1	लसि	80	5651	5283	54	4675
		कुम	1	351	263	—	233
		बान/बानी	2	30	22	—	22
		डेसि	14	325	249	9	9
			97	6357	5817	63	4939
	2	लसि	83	3181	2709	927	1717
		ग्रासिनि	16	343	172	47	47
		भूसि	2	9	7	—	—
		कुम	56	1712	1304	334	951
		कुसेके	3	36	29	2	16

1	2	3	4	5	6	7	
गुजरात—(जारी)		मुपा	6	58	46	7	8
		मपा	8	266	213	43	124
		डेवि	32	655	539	90	329
		मंओरक्षा	15	298	236	1	234
		गोसं	1	3	3	2	2
		अन्य	2	5	4	—	—
			224	6566	5262	1453	3428
	3	मंओरक्षा	1	2	2	—	2
			322	12925	11081	1516	8369
महाराष्ट्र	1	लसिं	201	11923	10735	1361	8720
		भूवि	8	411	368	—	368
		कृम	3	272	205	—	153
		बाल/बानी	12	314	236	18	35
		मुपा	3	29	22	—	—
		डेवि	19	113	85	13	13
			246	13062	11650	1392	9289
	2	लसिं	476	4680	3842	406	1810
		प्राविनि	48	813	407	—	—
		भूवि	5	404	304	83	83
		सखेवि	1	922	692		
		कृम	181	1855	1411	286	794
		बान/बानी	12	44	35	6	12
		मपा	39	223	176	24	108
		भेपा	5	11	9	2	2
		मुपा	23	143	180	20	58
		डेवि	169	1425	1155	110	587
		मंओरक्षा	15	493	393	96	333
		कृवि	1	7	5	—	5
		गोसं	5	54	41	2	3
		सरविप (अ०अ०)	—	—	—	4	4
			980	11074	8578	1039	3799
	3	मपा	5	180	84	—	82
			1231	24316	20312	2431	13170$
			1602	37698	31757	4031	21746$
VI दक्षिणी क्षेत्र :							
आंध्र प्रदेश	1	लसिं	132	19544	17649	3499	10681
		भूवि	33	2349	1903	109	1526
		कृम	5	1932	1449	462	1524
		बना/बानी	23	595	446	37	115
		मुपा	6	147	114	4	4
		भेपा	23	310	245	53	135
		मपा	1	188	141	17	70
		डेवि	26	481	370	102	153
			249	25546	22317	4283	14208
	2	लसिं	111	1617	1460	361	860
		प्राविनि	31	882	441	5	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		भूवि	12	276	214	5	43
		कुम	36	587	441	43	293
		कुसेके	4	159	122	—	27
		बान/बानी	12	38	31	11	17
		मुपा	76	322	258	73	165
		भेपा	49	213	182	53	87
		मपा	35	350	281	19	59
		डेवि	86	599	505	55	192
		भंओरबा	43	511	417	17	403
		वन	7	292	187	33	33
		गोसं	1	4	2	—	—
			503	5850	4541	675	2184
	3	लसि	1	11	9	—	—
		मपा	3	331	257	—	39
			4	342	266	—	39
			756	31738	27124	4958	16431
कर्नाटक	1	लसि	196	10394	9403	350	5257
		भूवि	15	1147	867	21	614
		कुम	12	872	653	22	472
		बान/बानी	54	1844	1384	100	823
		भेपा	5	48	39	—	—
		डेवि	4	49	38	—	—
		गोसं	3	59	44	—	—
			289	14413	12428	493	7166
[1]कर्नाटक (जारी)	2	लसि	55	817	637	21	214
		भूवि	5	89	67	—	3
		कुम	59	1303	1020	27	926
		बान/बानी	175	2315	1855	302	622
		मुपा	28	83	69	7	44
		भेपा	8	21	19	2	2
		मपा	57	1083	759	385	656
		डेवि	25	268	239	5	7
		भंओरबा	62	963	761	176	501
		गोसं	9	146	110	11	11
			483	7088	5536	936	2985
	3	लसि	1	2	2	—	—
		बान/बानी	2	36	36	—	25
		मुपा	2	206	143	—	137
		भंओरबा	2	132	113	—	111
			7	376	294	—	273
			779	21877	18258	1429	10424
केरल	1	लसि	13	1013	912	122	204
		भूवि	5	110	82	1	21
		बान/बानी	119	2891	2227	128	463
		कुम	2	53	40	1	3
		मुपा	1	37	28	—	—
		डेवि	2	17	13	—	—
			142	4121	3302	252	691

1	2	3	4	5	6	7	8
	2	लसि	20	741	663	375	495
		भूवि	4	1631	1380	179	554
		कृम	11	101	78	—	38
		बान/बानी	89	1672	1333	11	125
		मपा	70	401	302	137	249
		डेवि	16	76	65	6	13
		मंऔरखा	5	39	30	—	26
		बन	1	82	65	—	—
		गोसं	1	2	1	—	—
			217	4745	3917	708	1500
	3	मुपा	1	22	21	—	—
		मपा	3	162	162	—	56
			4	184	183	—	56
			363	9050	7402	960	2247
पांडिचेरी	1	बान/बानी	1	31	23	—	—
		डेवि	1	5	4	—	—
			2	36	27	—	—
	2	लसि	1	2	1	—	1
		मपा	1	26	21	—	—
		डेवि	2	22	11	—	11
			4	50	33	—	12
	3	मुपा	2	46	34	—	15
			8	132	94	—	27
तमिलनाडु	1	लसि	146	6947	6260	383	6597
		भूवि	4	662	497	—	470
		कृम	1	780	585	—	625
		बान/बानी	48	1481	1112	58	294
		भपा	5	25	19	—	—
		मपा	1	19	14	—	—
		डेवि	5	26	20	—	—
		गोसं	1	11	8	—	—
			211	9951	8515	441	7986
	2	लसि	9	168	133	48	107
		प्राविमि	16	168	84		
		भूवि	2	53	40	—	38
		कृम	21	246	181	23	117
		कृसेके	12	24	16	2	15
		बान/बानी	54	1049	755	103	419
		मुपा	9	37	30	1	11
		भेपा	7	53	45	16	24
		मपा	63	604	459	13	308
		डेवि	28	231	187	44	78
		मंऔरखा	27	290	231	1	212
		कृनि	1	16	12	—	12
		गोसं	2	18	13	1	1
			251	2957	2186	252	1342

1	2	3	4	5	6	7	8
तमिलनाडु (जारी)	3	मपा	2	100	69	—	64
		भेपा	1	38	38	—	38
			3	138	107	—	102
			465	13046	10808	693	9430
			2371	75843	63686	8040	38559
		कुल जोड़ (I से VI)	8655	272749	230260	28487	133356$

$1976-77 और 1977-78 में किए गए अल्पावधि वितरणों को छोड़कर

विवरण 5

30 जून 1979 तक मंजूर योजनाओं का एजेन्सीवार वितरण

लाख रुपए

एजेन्सी	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृपुवित्त के वायदे	सरकारी बैंकों के वायदे	वितरण
राज्य भूमि विकास बैंक	2387	147098 (53.9)	128417 (55.8)	18681	81959
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	6147	120560 (44.2)	97423 (42.3)	23137	49053
राज्य सहकारी बैंक	121	5091 (1'9)	4420 (1.9)	671	2344
जोड़	8655	272749 (100.0)	230260 (100.0)	42489	133356

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े जोड़ का प्रतिशत है।

विवरण 6

कम विकसित/कम बैंक सुविधा वाले राज्यों में मंजूर योजनाओं और वितरित पुनर्वित्त की स्थिति

लाख रुपए

विवरण	मंजूर योजनाएं			वितरण	कुल वितरित राशि का प्रतिशत
	योजनाओं की संख्या	कृपुवित्त के वायदे	कुल वायदों का प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6
उत्तर प्रदेश					
1963-69	16	1384	8.6	123	8.5
1969-74 (चौथी योजना)	161	10331	15.8	3794	14.7
1974-75	75	3714	18.2	1849	17.3
1975-76	108	4172	14.1	2598	15.2
1976-77	269	1766	5.7	3720	16.9
1977-78	220	2403	7.3	4317	18.4
1978-79	361	9891	17.3	4877	17.1
30-6-1979 तक	1213	34816	15.1	21275	16.0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मध्य प्रदेश					
1963-69	12	1157	7.2	31	2.1
1969-74 (चौथी योजना)	163	8339	12.8	1291	5.0
1974-75	38	795	3.9	1234	11.6
1975-76	102	1242	4.2	1932	11.3
1976-77	118	1940	6.3	2610	11.8
1977-78	190	3279	9.9	1670	7.1
1978-79	399	6063	10.6	1666	5.9
30-6-1979 तक	996	18665	8.1	10441	7.8
बिहार					
1963-69	4	1190	7.4	18	1.2
1969-74 (चौथी योजना)	26	3630	5.6	980	3.9
1974-75	28	2069	10.1	932	8.8
1975-76	3	2313	7.8	1318	7.7
1976-77	101	2863	7.7	1696	7.7
1977-78	166	2053	6.2	1864	8.0
1978-79	131	3145	5.5	2253	7.9
30-6-1979 तक	467	15301	6.6	9055	6.8
उड़ीसा					
1963-69	3	55	0.2	4	--
1969-74 (चौथी योजना)	20	1233	1.9	51	0.2
1974-75	38	1684	8.2	82	0.8
1975-76	53	985	3.3	338	1.9
1976-77	79	2230	6.0	565	2.6
1977-78	65	1357	4.1	816	3.5
1978-79	55	667	1.2	875	3.1
30-6-1979 तक	298	7837	3.4	2727	2.0
पश्चिम बंगाल					
1963-64	4	413	2.6	--	--
1969-74 (चौथी योजना)	23	320	0.5	42	0.2
1974-75	9	127	0.6	69	0.6
1975-76	31	997	3.4	159	0.9
1976-77	52	1389	3.8	590	2.7
1977-78	89	1446	4.4	996	4.3
1978-79	97	2382	4.2	1045	3.7
30-6-1979 तक	295	6583	2.9	2900	2.2
राजस्थान					
1963-69	6	362	2.2	7	0.5
1969-74 (चौथी योजना)	49	2621	4.0	656	2.5
1974-75	16	851	4.2	350	3.3
1975-76	57	3353	11.3	536	3.3
1976-77	69	2139	5.8	787	3.6
1977-78	79	1970	6.0	1312	5.6
1978-79	141	3459	6.0	1616	5.7
30-6-79 तक	411	13764	6.0	5269	3.9
30-6-79 तक सभी कमविकसित कम बैंक सुविधावाले राज्यों* का जोड़	3899	101160	43.9	52718	39.5
(उपर्युक्त 6 राज्यों सहित) 30-6-79 तक सभी राज्यों का जोड़	8655	230260	100.0	133356	100.0

*उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, असम और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्य ।

विवरण–7

अन्तर्राज्यीय असंतुलनों में कमी--मंजूर योजनाओं की स्थिति

लाख रुपए

राज्य	30 जून 1971 तक			30 जून 1978 तक			30 जून 1979 को		
	योजनाओं की संख्या	कृपुविनि के वायदे	वितरण	योजनाओं की संख्या	कृपुविनि के वायदे	वितरण	योजनाओं की संख्या	कृपुविनि के वायदे	वितरण
आंध्र प्रदेश									
कम विकसित क्षेत्र *	4	1800	639	330	9734	4605	473	15853	8280
संपूर्ण राज्य	74	3416	1758	549	18142	11473	756	27124	16431
उड़ीसा									
कम विकसित क्षेत्र *	3	43	--	55	1775	179	66	1842	471
संपूर्ण राज्य	8	155	27	246	7314	1852	298	7837	2727
उत्तर प्रदेश									
कम विकसित क्षेत्र *	10	544	157	221	7621	5135	349	12228	5599
संपूर्ण राज्य	32	2566	671	839	25158	16398	1213	34816	21275

*आंध्र प्रदेश . तेलंगाना और रायल सीमा क्षेत्र
उड़ीसा . मयूर भंज, केन्जौर, फूलबनी, सुन्दरगढ़, कोरापट और कालाहाण्डी जिले
उत्तर प्रदेश . फैजाबाद, गोरखपुर और वाराणसी के तीन खण्डों के जिले

विवरण 8

30 जून 1979 की लघु कृषक विकास/सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिक एजेन्सियों के तत्वावधान में मंजूर योजनाएं

लाख रुपए

क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	एजेन्सी की कूट संख्या	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृपुविनि के कुल वायदे	वितरण	
						1978-79 के दौरान	30 जून 1979 तक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I उत्तरी क्षेत्र							
दिल्ली	2	डेवि	6	41	37	6	14
हरियाणा	2	लसि	1	1	1	--	--
		मूपा	1	11	10	--	4
		डेवि	3	27	27	--	23
हिमाचल प्रदेश	2	मूपा	1	6	6	--	--
		डेवि	4	22	18	6	13
		भूपा	1	2	2	2	2
जम्मू और काश्मीर	2	डेवि	2	11	8	5	5
पंजाब	1	लसि	4	179	179	--	138
	2	लसि	1	6	6	--	6
		मूपा	2	35	32	3	3
		डेवि	23	210	197	21	78
राजस्थान	1	लसि	30	856	815	60	512
	2	लसि	39	461	413	14	34
		क्रम	1	46	41	--	--
		भेपा	10	243	219	46	62
		डेवि	12	116	105	20	21
		भवि	11	357	321	--	--
			152	2630	2437	183	915

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
II. उत्तर पूर्वी क्षेत्र							
असम	1	लसि	1	126	113	--	--
	2	लसि	7	57	51	1	13
		बान/बानी	1	6	6	--	1
		मृपा	1	15	14	--	1
		डेवि	2	23	20	2	6
मणिपुर	3	लसि	1	4	3	--	--
मेघालय	3	बान/बानी	2	11	10	--	--
		मृपा	2	5	5	--	--
नागालैण्ड	3	बान/बानी	2	11	10	--	--
त्रिपुरा	1	लसि	3	19	17	--	2
			22	277	249	3	23
III. पूर्वी क्षेत्र							
बिहार	2	लसि	2	69	64	11	34
		क्रम	1	4	4	--	--
		मृपा	1	1	1	--	--
		डेवि	6	34	31	1	1
उड़ीसा	1	लसि	3	231	208	24	88
		भूवि	1	2	2	--	--
		क्रम	1	8	7	--	--
	2	लसि	5	442	403	44	58
		भूवि	1	16	16	2	5
		बान/बानी	2	12	11	--	--
		मृपा	1	6	5	--	--
		डेवि/सुपा	18	80	72	5	5
	3	सुपा	1	2	2	--	--
पश्चिम बंगाल	1	लसि	7	136	127	--	102
		बान/बानी	1	9	9	--	--
	2	लसि	6	67	62	--	68
		डेवि	2	15	15	--	7
			59	1134	1039	87	368
IV. मध्यवर्ती क्षेत्र							
मध्य प्रदेश	1	लसि	12	471	447	194	355
	2	लसि	3	25	23	--	11
		डेवि	7	40	34	--	--
उत्तर प्रदेश	1	लसि	8	931	911	--	557
		भूवि	3	21	19	--	--
		डेवि	7	51	46	--	--
	2	लसि	3	26	25	--	18
		मृपा	2	5	5	--	--
		डेवि	22	136	124	--	19
			67	1706	1634	194	960
V पश्चिमी क्षेत्र							
गोवा	2	लसि	1	13	12	7	7
		डेवि	4	6	5	2	2
गुजरात	1	लसि	1	4	3	--	--
		डेवि	2	10	9	2	2
	2	लसि	9	41	36	2	10
		डेवि	16	121	108	11	74
		अन्य	2	5	4	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
महाराष्ट्र	1	लसि	22	580	528	58	316
	2	लसि	13	126	114	8	15
		डेवि	26	175	154	10	50
			96	1081	973	100	476
V दक्षिणी क्षेत्र							
आन्ध्र प्रदेश	1	लसि	17	1135	1087	545	1066
		भूवि	4	124	111	12	12
		भेपा	9	98	85	48	54
		डेवि	4	45	41	35	38
	2	लसि	10	170	154	80	92
		भूवि	2	8	7	--	--
		बान/बानी	1	4	4	--	--
		मुपा	3	23	21	4	4
		भेपा	18	96	85	34	51
		डेवि	31	220	197	32	71
	3	लसि	1	11	9	--	--
कर्नाटक	1	लसि	4	484	484	--	429
	2	लसि	3	74	71	--	--
		भेपा	1	4	3	--	--
		डेवि	1	2	2	--	--
केरल	1	लसि	4	37	33	--	--
	2	मपा	1	2	1	--	1
		डेवि	6	25	23	2	5
	3	मुपा	1	22	21	--	--
पांडेचेरी	2	डेवि	1	9	6	--	6
तमिलनाडु	1	लसि	6	156	148	51	100
		भेपा	1	2	1	--	--
	2	मुपा	1	11	10	--	--
		भेपा	2	24	22	9	9
		डेवि	6	57	49	19	19
			138	2843	2675	871	1957
	जोड़ I से VI)		534	9671	9007	1438	4699

विवरण-9

अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ/अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की परियोजनायें—प्रत्येक परियोजना का संक्षिप्त विवरण

विश्व बैंक समूह की सहायता प्राप्त राज्य कृषि ऋण परियोजनाओं में लघु सिंचाई (जैसे खोदे गये कुएं, खोदे गये व बोरिंग किये गये कुएं, उथले, मध्यम और गहरे नलकूप, उठाऊ सिंचाई की इकाइयां और कुओं में पंपसेट लगाने, पाइप लाइनें बिछाने तथा उसके संबंध में भूमि को समतल बनाने के कार्य) और भूमि विकास में भारी निवेशों की परिकल्पना की गयी है। अन्य विशेष विकास योजनाओं के मामले में उनके नाम ही विकास के उद्देश्यों के द्योतक हैं। कृपुविनि की ऋण परियोजना I, II और III सामान्य स्वरूप की है। निगम की लघु सिंचाई और डेरी, मुर्गीपालन, बागान, बागवानी, मत्स्य पालन जैसे अन्य अनुमोदित विविध प्रयोजनों के लिए ऋण प्रदान करने में सहायता देती है।

प्रत्येक परियोजना की कुल लागत, निगम के माध्यम से प्रदान की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ/अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की सहायता, परियोजना को कार्यान्वित करने वाली एजेंसियों का संक्षिप्त विवरण तथा परिकल्पित विकास के स्वरूप और प्रगति का संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया गया है :-

1. क—कृपुविनि की पहली ऋण परियोजना (540 आई एन)

   ख—परियोजना की लागत—1685 लाख डालर। कृपुविनि के माध्यम से प्रदान की जानेवाली अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 750 लाख डालर।

   ग—लघु सिंचाई के कार्यों और डेरी, मुर्गीपालन, मत्स्य-पालन, बागवानी जसे अन्य विविध प्रयोजनों के लिए प्रदत्त ऋणों में निवेश

घ–राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, अनुसूचित वाणिज्य बैंक और एक राज्य सहकारी बैंक

ङ–दो वर्ष–समाप्ति की तारीख 31 दिसम्बर 1977

च–परियोजना लक्ष्य से छः महीने पूर्व ही, जून 1977 में संपूर्ण हो गई.

कृपुविनि की मदद से अंविसंघ ने परियोजना समाप्ति रिपोर्ट तैयार की

2 क–कृपुविनि की दूसरी ऋण परियोजना (715 आई एन)

ख–परियोजना की लागत 5830 लाख डालर कृपुविनि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 2000 लाख डालर.

ग–लघु सिंचाई तथा कृपुविनि को पहली ऋण परियोजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में निवेश तथा प्रशिक्षण.

घ–राज्य भूमि विकास बैंक, अनसूचित वाणिज्य बैंक और राज्य सहकारी बैंक.

ङ– दो वर्ष समाप्ति की तारीख 31 दिसम्बर 1979.

च–यह परियोजना अभी कार्यान्वित की जा रही है. जून 1979 के अंत में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने इस परियोजना के अंतर्गत 238 करोड़ रुपयों के पुनर्वित्त सहायता के योग्य वितरण किये। यह राशि 1580 लाख डालर का ऋण प्राप्त करने के लिये पर्याप्त थी; इस परियोजना के अधीन 19 राज्यों एवं 3 संघशासित क्षेत्रों ने पुनर्वित्त सहायता प्राप्त की। इस परियोजना के एक भाग के रूप में दो समितियां गठित की गयी. पहली समिति भारत में कृषि ऋण क्षेत्र में, विशेष रूप में भूमि विकास बैंको की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, ब्याज दरों की मात्रा का अध्यान करने के लिये तथा दूसरी समिति अगले पांच वर्षों के दौरान भारत में पंपसेटों को बदलने से सम्बन्धित अनुमानित आवश्यकताओं के अध्ययन के लिये गठित की गयी. ये रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत की जानी है. भूमिगत जल की संभावना के अधिक उपयोग की समस्या का नमूने के तौर पर एक अध्ययन पूरा होने के करीब है.

3. क–तृतीय कृपुविनि ऋण परियोजना

ख–परियोजना की लागत 10050 लाख डालर कृपुविनि के माध्यम से दी जाने वाली अंविसंघ की सहायता राशि 2500 लाख डालर.

ग–लघु सिंचाई (भूमि विकास सहित) और अन्य विविध वर्गों में निवेश जैसा कि परियोजना की चालू अवधि के दौरान भारत सरकार अंविसंघ और कृपुविनि द्वारा निर्धारित किया जायेगा.

क : परियोजना का नाम,

ख : परियोजना की लागत अंवि संघ की सहायता

ग : निवेश कार्यक्रम,

घ : वित्तपोषक बैंक,

ङ : परियोजना की अवधि और समाप्ति की तारीख

च : परियोजना स्तर

जारी

घ–राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक और अनुसूचित वाणिज्य बैंक.

ङ–दो व समाप्ति की तारीख 30 जून 1982.

च–परियोजना की बातचीत अप्रैल 1979 में हुई और जुलाई 1979 में अंविसंघ ने इसे स्वीकृत किया था.

4. क–आंध्र प्रदेश कृषि ऋण परियोजना (226 आई एन)

ख–परियोजना की लागत 450 लाख डालर कृपुविनि निगम के माध्यम से प्रदत्त अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 244 लाख डालर.

ग–लघु सिंचाई के क्षेत्र में किये गये निवेशों, भूमि विकास और ट्रेक्टरों का वित्तपोषण.

घ–आंध्र प्रदेश सहकारी मध्यवर्ती कृषि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक.

ङ–6 वर्ष परियोजना जून 1977 के अंत में पूर्ण की गयी.

च–अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम तथा भूमि विकास बैंक की सहायता परियोजना की समाप्ति की रिपोर्ट तैयार की गयी है.

5. क–आंध्र प्रदेश मत्स्यपालन परियोजना (815 आई एन)

ख–परियोजना की लागत–365 लाख डालर अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 175 लाख डालर जिसमें से 39 लाख डालर कृषि नर्वित्त और विकास निगम के माध्यम से दिये जाएंगे.

ग–आंध्र प्रदेश में समुद्रीय मछली के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति, कंपनी और सहकारी संस्था द्वारा स्वाधिकृत एवं चालित यांत्रिक तथा यांत्रिकेतर दोनों प्रकार के मछलीमार जहाजों को खरीदने के लिये ऋण प्रदान करने तथा विशाखापट्टनम, काकीनाडा और निजाम पट्टनम के तीन महत्वपूर्ण मछलीमार बन्दरगाहों की स्थिति में सुधार लाने के लिये इस परियोजना द्वारा और अधिक मार्गो

का निर्माण कर छोटे मछलीमारों की उत्पादकता में भी सुधार लाया जायेगा।

घ—आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ङ—छः वर्ष समाप्ति की तारीख 30 दिसम्बर 1984

च—जून 1979 के अंत तक निगम द्वारा वितरित पुनर्वित्त की राशि 2 लाख रुपये तक पहुंच गई।

6. क—आंध्र प्रदेश सिंचाई और सघन क्षेत्र विकास की संयुक्त परियोजना (1251 आई एन)

ख—परियोजना की लागत 2970 लाख डालर अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की सहायता 1450 लाख डालर जिसमें से 101 लाख डालर कृषि पुनर्वित और विकास निगम के माध्यम से।

ग—इस परियोजना में नहरों और नालियों के जाल बनाने के कार्य को पूरा करने; नागार्जन सागर परियोजना में ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने (नागार्जुन सागर) तथा पोंचपड तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर सघन क्षेत्र में सधन क्षेत्र विकास का कार्य प्रारंभ करना शामिल है।

घ—आंध्र प्रदेश सहकारी मध्यवर्ती कृषि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ङ—छः वर्ष समाप्ति की तारीख 31 दिसम्बर 1982।

च—72,000 हेक्टेयर के विकास के प्रथम चरण को 1976—77 से 1978—79 के दौरान पूरा किया जाना था परन्तु केवल 23600 हेक्टेयर का विकास हुआ। परियोजना कार्य को इस धीमी गति के मुख्य कारण हैं (क) सक्षेवि प्राधिकरणों को अनिच्छुक कृषकों की जमीन का अनिवार्य रूप से विकास करने का अधिकार देने संबंधी कानून को लागू न करना (ख) परियोजना को चलाने और इसके लिए धन लेने के लिये अलग निकाय की स्थापना न करना (ग) अपात्र कृषकों की भूमि के विकास पर होने वाले खर्च को पूरा करने के उद्देश्य बनाये गये विशेष ऋण खाते के संचालन में आनेवाली वैधानिक और प्रक्रियागत कठिनाइयां कृपुविनि ने योजना के अधीन अब तक 1.2 करोड़ रूपये वितरित किये है।

7. क—बिहार कृषि परियोजना (440 आइएए)

ख—परियोजना की लागत—600 लाख डालर कृपुविनिगम के माध्यम से प्रदान की जानेवाली अंविसंघ की सहायता 320 लाख डालर।

ग—लघु सिंचाई कार्यक्रम जिसमें नलकूप को गहरा बनाना और सतही जल को थोड़ा सा ऊपर उठाकर पंप करना तथा जल पंपसेटों को लगाना शामिल है।

घ—बिहार राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ङ—चार वर्ष समाप्ति की तारीख जून 1977 से बढ़ाकर मार्च 1980 कर दी गयी है।

च—परियोजना का कार्यान्वयन हो रहा है और बढ़ाई गई तिथि तक इसके पूरे हो जाने की संभावना है। वित्तपोषक बैंकों ने 43 करोड़ रुपये वितरित किये थे जिसमें बिहार जल विकास निगम की वितरित राशि भी शामिल है। अंविसंघ से इस वितरणों की पूर्ति के संबंध में पत्राचार जारी है।

8. क—बिहार बाजार केन्द्र परियोजना (294 आइ एन)

ख—परियोजना की लागत 226 लाख डालर अंविसंघ की सहायता 140 लाख डालर जिसमें से 138 डालर कृपुविनि के माध्यम से।

ग—बिहार के लगभग 50 कस्बों में बाजार केन्द्रों में निवेश किये जाने के लिये, इसमें प्रवेश मार्गों का निर्माण करना, भूमि को समतल बनाना, मेंड़ बनाना, गोदाम बनाना और व्यापारियों को दुकानें बनाना आदि नागरी निर्माण कार्य शामिल है।

घ—भारतीय स्टेट बैंक।

ङ—पांच वर्ष समाप्ति की तारीख 31 दिसम्बर 1979

च—इस परियोजना के अधीन 51 बाजार केन्द्रों से संबंधित योजनायें मंजूर की गई है। "अप्राक्कलित वर्ग" से 10 लाख डालर का ऋण पुनर्प्राक्कलित किया गया। समाप्ति की तिथि तक परियोजना के पूरे हो जाने की संभावना है।

9. क—गुजरात कृषि ऋण परियोजना (191 आइ एन)

ख—परियोजना की लागत 670 लाख डालर अंविसंघ की सहायता 350 लाख डालर जिसमें से 347 लाख डालर की सहायता कृपुवि निगम के माध्यम से।

ग—लघु सिंचाई के निवेश और टेक्ट्ररों की खरीद के लिये वितपोषण :

घ—गुजरात राज्य भूमि विकास बैंक।

ङ—पांच वर्ष परियोजना का कार्य 31 मार्च 1975 को पूरा हो गया।

च—भारत में अंविसंघ की सहायता प्राप्त कृषि ऋण संबंधी इस पहली परियोजना की समाप्ति की रिपोर्ट कृपुवि निगम की सहायता से अंविसंघ द्वारा पूरी की गयी है।

10. क—गुजरात मत्स्यपालन परियोजना (695 आइ एन)

ख—परियोजना की लागत-380 लाख डालर अंविसंघ/अंपुवि बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता 180 लाख डालर जिसमें से 47 लाख डालर कृपुवि निगम के माध्यम से।

ग—गुजरात में मत्स्यपालन का समन्वित विकास वेरावल और मैंगलूर में मछली पकड़ने के बन्दरगाहों

का विकास, तटीय सुविधाओं में सुधार, मछली अभिसंस्करण इकाइयों बर्फ संयंत्रों तथा पारंपारीक मछुओं को छोटी नाव (डोंगी) और बाह्य बोर्ड पर रखी जानेवाली मोटर खरीदने के लिये ऋण।

घ—चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ङ—छः वर्ष समाप्ति की तारीख 30 जून 1983

च—वेरावल और मेंगलूर में 1978-79 के लिये 45 यंत्रचालित मछली नावों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और 62 लाख रुपयों को पुनर्वित्त सहायता मंजूर की गई है। गुजरात मत्स्यपालन केन्द्रीय सहकारी संघ ने नावों का निर्माण कार्य की योजना को अंतिम रूप दे दिया है और बर्फ संयंत्र लगाने के लिये जगह निश्चित कर ली गई है भारत सरकार ने मत्स्य सर्वेक्षण करने के लिये एक डच नाव लगाई है और II एम अहमदाबाद एक मत्स्यविपणन अध्ययन कर रहा है।

11. क—हरियाणा कृषि ऋण परियोजना (249 आइ एन)

ख—परियोजना की लागत 622 लाख डालर कृषुवि निगम के माध्यम से प्रदान की जानेवाली अंविसंघ की सहायता 250 लाख डालर।

ग—उथले नलकूप, आयातित एवं देशी ट्रेक्टरों आदि लघु सिंचाई के कार्यों में निवेश।

घ—राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक

ङ—छः वर्ष परियोजना 30 जून 1977 को समाप्त की गयी।

च—परियोजना बढ़ायी गयी अवधि में पूर्णतः कार्यान्वित की गयी। परियोजना समाप्ति की रिपोर्ट अंविसंघ को प्रस्तुत की गयी है।

12. क—हरियाणा सिंचाई परियोजना (843 आइ एन)

ख—परियोजना की लागत 2219 लाख डालर अंविसंघ की सहायता 1110 लाख डालर जिसमें से 414 लाख डालर कृषुवि निगम के माध्यम से।

ग—नहरों, जलमार्गो का आधुनिकीकरण और अधिक नलकूपों आदि का निर्माण।

घ—हरियाणा राज्य भूमि विकास बैंक, हरियाणा राज्य सहकारी बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ङ—5 वर्ष समाप्ति की तारीख 30 अगस्त 1983

च—परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। कृषुविनि ने 39 लाख का पुनर्वित्त प्रदान किया है।

13. क—हिमाचल प्रदेश सेब अभिसंस्करण और विपणन परियोजना (456 आइ एन)

ख—परियोजना की लागत 204 लाख डालर अविसंघ की सहायता 130 लाख डालर जिसमें से 54 लाख डालर कृषुविनि के माध्यम से।

ग—हिमाचल प्रदेश में सेब अभिसंस्करण एवं उसके विपणन में सुधार लाना।

घ—चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ङ—छ वर्ष समाप्ति की तारीख 31 दिसम्बर 1980।

च—परियोजना कार्यान्वित की जा रही है और 11 उपपरियोजनायें स्वीकृत है। हवाई केबिल पथों के संबंध में तकनीकी आर्थिक साध्यता की कमी को ध्यान में रखते हुए, वैकल्पिक प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाना है। सहभागी बैंकों ने अब तक 49 लाख रुपये अब तक वितरित किये है।

14. क—समन्वित रूई विकास परियोजना (610 आइ एन)

ख—परियोजना की लागत 360 लाख डालर अंविसंघ की सहायता 180 लाख डालर जिसमें से 129 लाख डालर कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के मायम से।

ग—इसमें रूई की विभिन्न उन्नत किस्मों को उगाने, के लिये मौसमी ऋण तथा रूई की ओटाई के कारखानों एवं बिनोला अभिसंस्करण करने वाली इकाइयों की मीयादी ऋण प्रदान करना। इसमें हरियाणा, पंजाब तथा महाराष्ट्र के परियोजना क्षेत्रों का आधुनिकीकरण भी शामिल है।

घ—राज्य सहकारी बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ङ—पांच वर्ष समाप्ति की तारीख 31 दिसम्बर 1981

च—1979 के दौरान अविसंघ निरीक्षण दल ने भारत का दौरा किया और गुजरात के कुछ हिस्सों में परियोजना क्षेत्र के विस्तार पर विचार किया ऋण के दीर्घकालीन घटक हेतु परियोजना क्षेत्र का विस्तार महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा के समूचे राज्यों में किया जा रहा है। हरियाणा में इस परियोजना के अधीन रूई की ओटाई करने वाले 2 आरा संयंत्र तथा एक समन्वित रूई बीज अभिसंस्करण संयंत्र लगाये जा रहे है। रूई की औटाई करनेवाले तीसरे आरा संयंत्र का प्रस्ताव विचाराधीन है। महाराष्ट्र में राज्य स्वामित्व के उपक्रम द्वारा लगायें जाने वाले विलायक दोहन संयंत्र की साध्यता रिपोर्ट कृषुविनि ने तैयार कर ली है।

15. क—जम्मू और कश्मीर बागवानी परियोजना (806 आइ एन)

ख—परियोजना की लागत 276 लाख डालर-अंविसंघ सहायता 140 लाख जिसमें से 96 लाख डालर कृषुवि निगम के माध्यम से।

ग—कृषुवि निगम सेबों की श्रेणी करनेवाले और पैकिंग करनेवाले 25 केन्द्रों 10 शीतगृहों एक वाहनांतरण केन्द्र सेब के रस के अभिसंस्करण की एक फैक्टरी का निर्माण करेगा तथा सेब अखरोट एवं कुकुरमुत्ता

(मशरूम) के उत्पादकों की सहायतार्थ लगभग 2 करोड़ रुपये के मौसमी ऋण देगा.

घ–चुने हुए वाणिज्य बैंक और राज्य सहकारी बैंक.

ङ–छः वर्ष समाप्ति की तारीख 31 दिसम्बर 1983

च–विभिन्न सुविधाओं के निर्माण के लिये आवश्यक 40 स्थलों में से 39 का सर्वेक्षण कर लिया गया है और उनमें से 20 चुने गये है। सेबों की श्रेणी करने वाले और पैकिंग करने वाले कुछ केन्द्रों और अखरोट छीलने के केन्द्रों के संबंध में तकनीकी आर्थिक साध्यता संबंधी अध्ययन कराने की व्यवस्था की गई है.

16. क–कर्नाटक कृषि ऋण परियोजना (278 आइ एन)

ख–परियोजना की लागत–754 लाख डालर जिसमें से अंविसंघ की 400 लाख डालर की सहायता निगम के माध्यम से.

ग–लघु सिंचाई के लिये निवेश, भूमि सुधार कार्य, ट्रैक्टरों और भूमि उद्धार उपकरणों की खरीद.

घ–कर्नाटक राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक

ङ–पाँच वर्ष परियोजना की तारीख जून 1977 के अंत तक बढ़ा दी गयी थी.

च–परियोजना जून 1977 तक पूर्णतः कार्यान्वित की गयी. लघु सिंचाई तथा भूमि समतल करने के कार्यों के अलावा इस परियोजना के अधीन 2900 ट्रैक्टर प्राप्त किये गये.

17. क—कर्नाटक कृषि थोक बाजार परियोजना (378 आइ एन)

ख–परियोजना की लागत–120 लाख डालर-अंविसंघ की सहायता 80 लाख डालर जिसमें से 79 लाख डालर की सहायता कृपुविनि के माध्यम से।

ग–विपणन की सुविधाएं जिनमें नागरी कार्य, उपयोगिता उपकरण आदि शामिल है.

घ–चुने हुए वाणिज्य बैंक.

ङ–छः वर्ष समाप्ति की तारीख दिसम्बर 1979.

च–सहभागी बैंकों ने अब तक 3.8 करोड़ रुपए वितरित किए हैं.

18. क–कर्नाटक डेरी विकास परियोजना (482 आइ-एन)

ख–परियोजना की लागत 637 लाख डालर-अविसंघ की सहायता 300 लाख डालर जिसमें से मूल रुपए 209 लाख डालर और संशोधित 61 लाख डालर कृपुविनि के माध्यम से.

ग–कर्नाटक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संकरण के द्वारा अच्छी नस्ल के पशु पैदा करने तथा पशुओं के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए तकनीकी सेवाएं उपलब्ध करवाकर दूध के उत्पादन को बढ़ाने तथा उसके विपणन के लिए समन्वित कार्यक्रम.

घ–कर्नाटक राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक.

ङ–आठ वर्ष, समाप्ति की तारीख 30 सितम्बर 1982

च–इस परियोजना के आधीन भारतीय डेरी निगम को ऋण देने के लिए एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया है। केवल संकर गायों की खरीद से संबंधित घटक को कृपुविनि का पुनर्वित्त प्रदान किया जाएगा.

19. क–कर्नाटक सिंचाई परियोजना (788 आईएन)

ख–परियोजना की लागत 2844 लाख डालर–अविसंघ की सहायता 1260 लाख डालर जिसमें से 70 लाख डालर कृपुविनि के माध्यम से.

ग–इस परियोजना के अंतर्गत अलमट्टी तथा नारायण-पुर बंधों तथा नारायणपुर के बायें किनारे की नहर और साथ ही उप नहर के निर्माण तथा 4,25,000 कर्टेयर के कृषि योग्य सघन क्षेत्र के लिए वित्त प्रदान किया जाएगा.

घ–कर्नाटक राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक.

ङ–छः वर्ष समाप्ति की तारीख 31 मार्च 1984.

च–बैंक योजना तैयार की गई है. प्रक्रियागत कठिनाइयों के कारण खेत विकास कार्यों के लिए वित्त पोषण आरंभ नहीं हुआ है.

20. क–केरल कृषि विकास योजना (680 आई एन)

ख–परियोजना की लागत (690 लाख डालर-अविसंघ की सहायता 300 लाख डालर-कृपुविनि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सहायता 267 लाख डालर.

ग–इस परियोजना में नारियल, काली मिर्च, और काजू जैसे वृक्ष फसलों का विकास करना तथा तथा क्रम्ब रबड़ फैक्टरी स्थापित करना आदि शामिल हैं. कृषक लघु सिंचाई निवेशों के लिए ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे.

घ–केरल राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक.

ङ–सात वर्ष समाप्ति की तारीख 31 मार्च, 1985

च—निगम ने अब तक नारियल और काली मिर्च बागान विकास के लिए 126 योजनाएं तथा काजू विकास के लिए एक योजना मंजूर की है। सहभागी बैंकों ने अब तक 96 लाख रुपए वितरित किए हैं.

21. क–मध्य प्रदेश कृषि ऋण परियोजना (391 आईएम)

ख–परियोजना की लागत 603 लाख डालर-अंविसंघ

की 332 लाख डालर की सहायता कृषिवि निगम के माध्यम से.

ग–लघु सिंचाई निवेश तथा भूमि को समतल बनाना.

घ–राज्य भूमि विकास बैंक तथा चुने हुए वाणिज्य बैंक.

ङ–तीन वर्ष समाप्ति की तारीख 31 दिसम्बर 1976.

च–दिसम्बर 1976 के अंत तक कार्यक्रम पूर्णत: कार्यान्वित किया गया. तत्संबंधी परियोजना समाप्ति की रिपोर्ट तैयार की जा रही है.

22. क–मध्य प्रदेश डेरी विकास परियोजना (552 आईएन).

ख–परियोजना की लागत 312 लाख डालर-अविसंघ की सहायता 164 लाख डालर जिसमें से 137 लाख डालर कृषिवि निगम के माध्यम से.

ग–डेरी संयंत्रों पशुपालन फार्मों, चारे की मिलों आदि का निर्माण.

घ–चुने हुए वाणिज्य बैंक.

ङ–सात वर्ष : समाप्ति की तारीख 30 जून 1982.

च–इस परियोजना के अंतर्गत भारतीय डेरी विकास निगम के माध्यम से ऋण वितरित किए जाने की संभावना है.

23. क–मध्य प्रदेश चम्बल सघन क्षेत्र विकास परियोजना (562 आईएन).

ख–परियोजना की लागत 458 लाख डालर-अंविसंघ की सहायता 240 लाख डालर जिसमें से 31 लाख डालर की सहायता कृषिवि निगम के माध्यम से.

ग–सघन क्षेत्र में खेतों का विकास.

घ–मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास बैंक तथा चुने हुए वाणिज्य बैंक.

ङ–चार वर्ष : समाप्ति की तारीख 31 दिसम्बर 1979.

च–इस परियोजना के अंतर्गत कृषिविनि ने अब तक 18 योजनाएं मंजूर की हैं जिनमें 9.3 लाख रुपयों के पुनर्वित्त के वायदे हैं चूंकि कृषकों की प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं है अत: खेत विकास कार्यक्रम को 12000 हेक्टेयर से घटाकर 5000 हेक्टेयर कर दिया गया है.

24. क–महाराष्ट्र कृषि ऋण परियोजना (293 आईएन)

ख–परियोजना की लागत 603 लाख डालर अंविसंघ की सहायता 300 लाख डालर जिसमें से 281 लाख डालर की सहायता कृषिवि निगम के माध्यम से

ग–लघु सिंचाई कार्यक्रम तथा भूमि को समतल बनाने के लिए निवेश.

घ–महाराष्ट्र राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक.

ङ–चार वर्ष. परियोजना की अवधि जून 1976 तक बढ़ा गई थी.

च–परियोजना 1975–76 में पूर्ण हो गयी. परियोजना समाप्ति रिपोर्ट कृषिवि निगम की सहायता से अंविसंघ द्वारा तैयार की गई थी.

25. क–महाराष्ट्र सिंचाई और सघन क्षेत्र विकास की संयुक्त परियोजना (736 आईएन).

ख–परियोजना की लागत 1400 लाख डालर-अंविसंघ की सहायता 700 लाख डालर जिसमें से 5 लाख डालर की सहायता कृषिवि निगम के माध्यम से खेत विकास के लिए.

ग–जायकवाड़ी और पूर्णा सिंचाई योजना क्षेत्रों में खेतों का विकास.

घ–महाराष्ट्र राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक.

ङ–छ: वर्ष समाप्ति की तारीख 31 मार्च 1983.

च–खेत विकास कार्यों के वित्त पोषण से सम्बन्धित ऋण प्रक्रियाओं तथा दस्तावेजीकरण को अंतिम रूप दे दिया गया है. सहभागी बैंकों ने महाराष्ट्र भूमि विकास निगम को, परियोजना कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए 71 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया है.

26. क–राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण 1 (1273 आईएन).

ख–परियोजना की लागत 527 लाख डालर-अंपुवि बैंक की सहायता 250 लाख डालर जिसमें से 182 लाख डालर कृषिवि निगम के माध्यम से.

ग—यह परियोजना 4 राज्यों में राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के विकास का पहला चरण है.

घ–चुने हुए वाणिज्य बैंक.

ङ–पांच वर्ष समाप्ति की तारीख 30 जून. 1981.

च–भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से राज्य को पंजाब में लाडोवाल फार्म का विकास करने के लिये, एक परियोजना मंजूर की गई है इस परियोजना के अधीन कृषिविनि ने 28 लाख रुपये वितरित किये हैं. राज्य बीज निगम ने संयंत्र की रूपरेखा तैयार करने के लिये राष्ट्रीय बीज निगम को अपना परामर्शदाता बनाना स्वीकार कर लिया है.

27. क–राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण II (816 आईएन).

ख–परियोजना की लागत 348 लाख डालर-अंविसंघ की 145 लाख डालर की सहायता निगम के माध्यम से.

ग–राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के दूसरे चरण के अंतर्गत पांच राज्य अर्थात् बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आते हैं, इनमें अनाज मूगफली और सब्जियों के बीजों के उत्तम किस्म के उत्पादन पर मुख्तः ध्यान दिया जाएगा. बीजों के उत्पादन में लगभग 125 लाख टनों की वृद्धि होगी.

घ–चुने हुए वाणिज्य बैंक.

ङ–छः वर्ष समाप्ति की तारीख 31 दिसम्बर 1984

ज–बिहार के बीज अभिसंस्करण संयंत्र का प्रस्ताव तकनीकी रूप से साध्य पाया गया है और अब विचाराधीन है.

28. क–उड़ीसा सिंचाई परियोजना (740 आइडा)

ख–परियोजना की लागत 1160 लाख डालर-अंविसंघ की सहायता 580 लाख डालर जिसमें से 24 लाख डालर की सहायता कृपुवि निगम के माध्यम से

ग–हीराकुंड, सलांदी और महानदी के डेल्टा सिंचाई पद्धति के सघन क्षेत्र के 5700 हेक्टेयर भूमि में खेतों का विकास।

घ–राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक

ङ–छः वर्ष समाप्ति की तारीख 31 अक्तूबर 1983

च–चूंकि कृषक, बैंकों द्वारा खेत विकास के लिये दिये जाने वाले ऋण का उपयोग करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं अतः कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है. राज्य सरकार कृषकों के खेतों में उन्हीं के पैसे खेतों को पानी पहुचाने वाली नालियां बनवाने का विचार कर रही है. लागत की वसूली अतिरिक्त जल-कर लगाकर की जायेगी.

29. क–पंजाब कृषि ऋण परियोजना (203 आईएन)

ख–परियोजना की लागत 400 लाख डालर कृपुवि निगम के माध्यम से प्रदान की जानेवाली अंविसंघ की सहायता 275 लाख डालर.

ग–कृषि मशीनीकरण उपकरण.

घ–पंजाब राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक.

ङ–सात वर्ष परियोजना की अवधि को समय समय पर बढ़ाकर उसे जून 1977 के अंत तक बढ़ाया गया।

च–परियोजना जून 1977 के अंत तक पूरी तरह से कार्यान्वित की गयी. परियोजना के अंतर्गत 7827 ट्रैक्टरों के लिये वित्त प्रदान किया गया जिसम से 4051 देशी और 3776 आयातित ट्रैक्टर थे.

30. क–पंजाब सिंचाई परियोजना (889 आईएन)

ख–परियोजना की लागत 2575 लाख डालर अंवि-संघ की सहायता 1290 लाख डालर इसमें 460 लाख डालर कृपुविनि के माध्यम से.

ग–जलपथों का आधुनिकीकरण.

घ–वाणिज्य बैंक.

ङ–पांच वर्ष समाप्ति की तारीख 30 जून 1985

च–परियोजना की बातचीत फरवरी-मार्च 1979 को हुई. इसमें नहरों एवं जलपथों का आधुनिकीकरण शामिल है.

31. क–चम्बल सघन क्षेत्र विकास परियोजना राजस्थान (1011 आईएन)

ख–परियोजना (कृपुवि निगम कार्यक्रम) की लागत 120 लाख डालर-कृपुवि निगम के माध्यम से प्रदान की जानेवाली अंपुवि बैंक की सहायता 65 लाख डालर.

ग–चम्बल सघन क्षेत्र में खेतों का विकास

घ–चुने हुए वाणिज्य बैंक.

ङ–सात वर्ष समाप्ति की तारीख 30 जून 1981।

च–परियोजना के अंतगत 54 जल ग्रहण क्षत्रों से सम्बन्धित लागत अनुमान का अनुमोदन कृपुविनि ने किया 17 क्षेत्रों में खत का कार्य पूरा हो गया है और 32 जलग्रहण क्षेत्रों का काम प्रगति पथ पर है. कृपुविनि ने अब तक 18 लाख रुपयें का पूनर्वित्त वितरित किया है.

32. क–राजस्थान नहर सधन क्षेत्र विकास परियोजना (502 आईएन)

ख–परियोजना की लागत 398 लाख डालर-कृपुवि निगम के माध्यम से प्रदान की जाने वाली अंविसंघ की सहायता 225 लाख डालर.

ग–राजस्थान नहर सघन क्षेत्र में खेतों का विकास.

घ–चुने हुए वाणिज्य बैंक

ङ–सात वर्ष की समप्ति की तारीख 30 जून 1981

च–कृपुवि निगम ने अबतक 4.3 करोड़ रुपये तक का पुनर्वित्त वितरित किया है.

33. क–राजस्थान डेरी विकास परियोजना (521 आइएन)

ख–परियोजना की लागत 518 लाख डालर अंविसंघ की सहायता 275 लाख डालर जिसमें से 223 लाख डालर की सहायता कृपुविनि के माध्यम से.

ग–डेरी सहकारी समितियां बनाना और डेरी संयंत्र स्थापित करना.

घ–चुने हुए वाणिज्य बैंक.

ङ–सात वर्ष की समाप्ति की तारीख 31 दिसम्बर 1982।

च–परियोजना के अधीन ऋण घटक का वितरण कृपुविनि के माध्यम से किये जाने की संभावना है.

34. क–तमिलनाडु कृषि ऋण परियोजना (250 आइएन

ख–परियोजना की लागत 623 लाख डालर-अंविसंघ

की सहायता 350 लाख डालर जिसमें से 310 लाख डालर निगम के माध्यम से।

ग—लघु सिंचाई के लिये निवेश, भूमि का समलतीकरण और ट्रैक्टरों की खरीद।

घ—तमिलनाडू राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ङ—छः वर्ष परियोजना समाप्ति की तारीख को 31 दिसम्बर 1977 तक बढ़ा दिया गया था।

च—वर्ष 1976-77 तक परियोजना पूरी तरह कार्यान्वित की गयी। परियोजना के अंतर्गत 1627 ट्रैक्टर प्राप्त किए गए। परियोजना समाप्ति की रिपोर्ट कृपुविनि की सहायता से अंविसंघ द्वारा तैयार की गयी है।

34. क—तराई बीज परियोजना—उत्तर प्रदेश (614 आई एन)

ख—परियोजना की लागत 224 लाख डालर अंपुवि बैंक की सहायता 130 लाख डालर जिसमें से 90 लाख डालर कृपुविनि के माध्यम से।

ग—खाद्यान्नों की अधिक उपजाऊ किस्मों को ले अधिक मात्रा में उपलब्ध करवाकर उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भूमि विकास।

घ—भारतीय स्टेट बैंक।

ङ—आठ वर्ष समाप्त की तारीख 31 दिसम्बर 1977 तक बढ़ा दी गयी थी।

च—परियोजना को समाप्त समझा गया है।

36. क—उत्तर प्रदेश कृषि ऋण परियोजना (392 आइएन)

ख—परियोजना की लागत 725 लाख डालर कृपुवि निगम के माध्यम से प्रदान की जानेवाली अंविसंघ की सहायता 380 लाख डालर।

ग—लघु सिंचाई के लिये निवेश।

घ—राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ङ—चार वर्ष समाप्ति की तारीख जून 1977 तक बढ़ा दी गयी थी।

च—यह परियोजना दिसम्बर 1977 तक पूर्ण हो गयी।

37. क—पश्चिम बंगाल कृषि ऋण परियोजना (541 आइ एन)।

ख—परियोजना की लागत 590 लाख डालर अंविसंघ की सहायता 340 लाख डालर जिसमें से 150 लाख डालर कृपुवि निगम के माध्यम से।

ग—उथले नलकूपों का निर्माण और नदी उठाऊ सिंचाई इकाइयों और कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना तथा बाजार विकास।

घ—पश्चिमी बंगाल राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ङ—पाच वर्ष समाप्ति की तारीख 31 मार्च 1980।

च—उथले नलकूपों के कार्यक्रम की प्रगति अच्छी रही। गहरे नलकूप कार्यक्रम और कृषि सेवा केन्द्र की स्थापना का कार्य भी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। वित्तपोषक बैंकों ने अब तक योजना के अंतर्गत 18 करोड़ रुपए वितरित किए जिससे 121 लाख डालर की अंविसंघ सहायता की अर्हता भी प्राप्त हो जाती है।

38. सूखाग्रस्त परियोजना

सूखाग्रस्त क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान के छः जिले आते हैं। इस परियोजना द्वारा उसके अधीन आनेवाले जिलों में समन्वित विकास होगा जिसमें लघु सिंचाई, भेड, और डेरी विकास, बागवानी, मत्स्यपालन, रेशम उत्पादन आदि शामिल है। कृपुविनि की दूसरी परियोजना के अंतर्गत निगम द्वारा बैंक ऋण के लिय पुनर्वित्त प्रदान किया जा रहा है।

विवरण 10

30 जून 1979 को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निमाण और विकास बैंक/अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की परियोजनाओं की स्थिति

लाख रुपए

परियोजना		लागू/समाप्त होने का दिनांक	प्रयोजन	कुल ऋण कार्यक्रम	कृपुवि निगम को अंपुवि बैंक/अविसंघ से सहायता के रूप में प्राप्य राशि	एजेंसी	प्राभुवि बैंकों/सहभागी वाणिज्यों/बैंकों द्वारा वितरित राशि@	कृपुवि निगम द्वारा वितरित राशि	भारत सरकार से प्राप्त राशि
1		2	3	4	5	6	7	8	9
क. अंपुवि बैंक की परियोनाएं :									
1. तराई बीज परियोजना (उत्तर प्रदेश)	(क) (ख) (ग)	12-9-79 30-6-74 31-12-77	भूवि	927	690	वा० बैंक	263	193	193

1		2	3	4	5	6	7	8	9
2. चम्बल सघन क्षेत्र विकास परियोजना (राजस्थान)	(क)	12-12-74	भूवि	619	520	वा० बैंक	21	18	10
	(ख)	30-6-89							
3. राष्ट्रीय बीज परियोजना (आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र)	(क)	अक्तूबर 76	भू वि	2169	1634	वा० बैंक	32	28	--
	(ख)	30-6-81							
4. आंध्र प्रदेश सिंचाई और सघन क्षेत्र विकास की संयुक्त परियोजना	(क)	8-9-76	भूवि	1241	819	राभूवि बैंक	150	113	58
	(ख)	31-12-82		60	45	वा० बैंक	3	2	
जोड़	(क)			5016	3708		469	354	261
ख. अंविसंघ की परियोजनाएं									
i कृपुवि निगम ऋण परियोजना I	(क)	5-8-75	लसि	11100	5520	राभूवि बैंक	13816	9490	16623
	(ख)	31-12-77	अन्यप्रयोजन	900	400	वा० बैंक		2787	
				12000	5920	रास बैंक	13816	12295	
ii कृपुवि निगम ऋण परियोजना II	(ख)	31-12-79	लसि	28636	15750	राभूवि बैंक	28645	15756	
			अन्य प्रयोजन	3927	2160	वा० बैंक		7704	
						रास बैंक		315	
				32563	17910		28645	23775	16623
iii समन्वित रुई विकास परियोजना	(क)	24-8-76	रुई के लिए अल्पावधि फसल ऋण	889	600	वा० बैंक	53	48	139
						रास बैंक	227	207	
	(ख)	31-12-81	रुई ओटाई और बीज अभिसंस्करण	720	432	वा० बैंक	--	--	
				1609	1032		280*	255*	139*
iv कृषि ऋण परियोजनाएं									
1. आंध्र प्रदेश	(क)	10-5-71	लसि	2111	1393	राभूवि बैंक	2014	1776	1920
	(ख)	30-6-74				वा० बैंक	97	88	
	(ग)	30-6-77							
			भूवि	230	154	राभूवि बैंक	230	151	
			कृम	806	431	राभूवि बैंक	603	359	
						वा० बैंक	203	149	
				3147	1978		3147	2523	1920
2. बिहार	(क)	29-3-74	लसि	4473	2728	राभूवि बैंक	2208	1986	1870
	(ख)	31-12-77							
	(ग)	31-3-80				वा० बैंक	2103	1900	
				4473	2728		4311	3886	1870
3. गुजरात	(क)	14-9-70	लसि	4027	2344	राभूवि बैंक	4027	3635	2608
	(ख)	30-6-74							
	(ग)	313--75	कृम	351	182	राभूवि बैंक	319	233	
				4378	2526		4346	3868	2608
4. हरियाणा	(क)	2-11-71	लसि	1962	903	राभूवि बैंक	2841	1894	2140
	(ख)	31-3-75				वा० बैंक	76	64	
	(ग)	30-6-77	कृम	1433	1002	राभूवि बैंक	660	468	
						वा० बैंक	1060	792	

*वर्ष 1978-79 के दौरान

1		2	3	4	5	6	7	8	9
5. कर्नाटक	(क)	25-9-72	लसि और	3070	2057	राभूवि बैंक	3122	2795	
	(ख)	31-12-75	कुओं की खुदाई			वा० बैंक	187	128	
	(ग)	30-6-77	भूवि	525	315	राभूवि बैंक	256	185	3265
			भूमि उद्धार उपकरण	105	105	वा० बैंक	4	3	
			कृम	1575	1008	राभूवि बैंक	680	450	
						वा० बैंक	960	777	
				5275	3485		5209	4338	3265
6. केरल	(क)	29-6-77	वृक्ष फसलें	5060	2403	राभूवि बैंक	40	15	--
						वा० बैंक			
	(ख)	31-3-85	रबड़ अभिसंस्करण और लसि				56	10	
				5060	2403		96	25	--
7. मध्य प्रदेश	(क)	10-10-73	लसि	4003	2719	राभूवि बैंक	2930	2532	2854
						वा० बैंक			
	(ख)	31-12-75	(भूवि सहित)				2112	1866	
				4003	2619		5042	4398	2854
8. महाराष्ट्र	(क)	31-1-73	लसि	3690	3136	राभूवि बैंक	3475	3140	
	(ख)	31-12-75				वा० बैंक	187	178	2558
	(ग)	30-6-76	भूवि	226	192	राभूवि बैंक	226	170	
			कृम	211	148	राभूवि बैंक	190	143	
				4127	3476		4078	3631	2558
9. पंजाब	(क)	4-9-70	कृम	4000	2380	राभूवि बैंक	1000	750	2180
	(ख)	31-12-73							
	(ग)	30-6-77				वा० बैंक	2228	1684	
				4000	2380		3228	2434	2180
10. तमिलनाडु	(क)	2-11-71	लसि	3001	1861	राभूवि बैंक	3001	2781	
	(ख)	31-12-74	भूवि	88	61	राभूवि बैंक	88	66	
	(ग)	31-12-77	कृम	780	492	राभूवि बैंक	834	625	2526
						वा० बैंक	29	22	
			मिट्टी खोने की मशीनें	243	243	वा० बैंक	46	35	
				4112	2657		3998	3529	2526
11. उत्तर प्रदेश	(क)	31-10-73	लसि	5516	3420	राभूवि बैंक	4277	3849	
	(ख)	31-12-7				वा० बैंक	1429	1162	3406
	(ग)	31-12-77							
				5516	3420		5769	5001	3406
12. पश्चिम बंगाल	(क)	28-8-75	लसि	2197	1206	राभूवि बैंक	754	637	
	(ख)	31-3-80				वा० बैंक	1028	924	773
			कृम	171	90	वा० बैंक	9	8	
			मंओरबा	96	54	वा० बैंक	19	17	
				2464	1350		1810	1586	773
	जोड़ IU	(1 से 12)		49950	30927		45671	38437	26100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
V. अन्य परियोजनाएं								
1. बिहार बाजार केन्द्र परियोजना	(क)	31-7-72	1491	1002	वा० बैंक	1728	1553	897
	(ख)	30-6-78						
	(ग)	31-12-79						
2. चंबल सघन क्षेत्र विकास परियोजना (मध्य प्रदेश)	(क)	18-9-75	246	156	रा०भू०वि० बैंक	—	—	—
	(ख)	31-12-79			वा० बैंक	—	—	—
3. हिमाचल प्रदेश सेब अभिसंस्करण और विपणन परियोजना	(क)	26-9-74	608	488	वा० बैंक	49	45	—
	(ख)	31-12-78						
	(ग)	31-12-80						
4. कर्नाटक कृषि थोक बाजार परियोजना	(क)	7-9-73	891	713	वा० बैंक	376	301	128
	(ख)	31-12-79						
5. कर्नाटक डेरी विकास परियोजना	(क)	23-12-74	2497	506	रा०भू०वि० बैंक	—	—	—
	(ख)	30-9-82			वा० बैंक	—	—	—
					रास बैंक	—	—	—
6. मध्य प्रदेश डेरी विकास परियोजना	(क)	23-7-75	1389	1091	वा० बैंक	—	—	—
	(ख)	30-6-82						
7. पंजाब सिंचाई परियोजना	(क)	30-6-85	6691	3680	वा० बैंक	—	—	—
8. राजस्थान नहर सघन क्षेत्र विकास परियोजना	(क)	12-12-74	2395	1800	वा० बैंक	556	434	271
	(ख)	30-6-81						
9. राजस्थान डेरी विकास परियोजना	(क)	8-8-75	2175	1784	वा० बैंक	—	—	—
	(ख)	31-12-82						
10. गुजरात मत्स्यपालन परियोजना	(क)	19-7-77	1620	423	वा० बैंक	—	—	—
	(ख)	30-6-83						
11. महाराष्ट्र सिंचाई और सघन क्षेत्र विकास संयुक्त सघन क्षेत्र विकास संयुक्त परियोजना	(क)	31-3-83	825	495	रा०भू०वि० बैंक			
					वा० बैंक	71	57*	—
12. उड़ीसा सिंचाई परियोजना	(क)	31-10-83	393	216	वा० बैंक	1	1	—
13. कर्नाटक सिंचाई परियोजना	(क)	31-3-84	1082	595	रा०भू०वि० बैंक	—	—	—
					वा० बैंक	—	—	—
14. जम्मू और काश्मीर बागवानी परियोजना	(क)	31-12-83	2422	840	वा० बैंक	—	—	—
					रास बैंक	—	—	—
15. राष्ट्रीय बीज परियोजना-II	(ख)	31-12-84	2003	1267	वा० बैंक	—	—	—
16. आंध्र प्रदेश मत्स्य पालन परियोजना	(क)	30-9-84	608	335	रा०भू०वि० बैंक	—	—	—
					वा० बैंक	2	2	—
17. हरियाणा सिंचाई परियोजना	(क)	31-8-83	6473	3560	रा०भू०वि० बैंक	—	—	—
					वा० बैंक	43	39	—
					रास बैंक	—	—	—
	जोड़ V (1 से 17)		33809	18951		2861	2432	1296
	जोड़ (ख)		129931	74740		91238	77194	44158
	कुल जोड़ (क+ख)		134947	78448		91707	77548	44419

*अन्तरिम वित्त @ उपलब्ध अद्यतन आंकड़े

टिप्पणी :—लागू/समाप्ति का दिनांक (क) लागू दिनांक (ख) समाप्ति का दिनांक (ग) समाप्ति का परिशोधित दिनांक

विवरण 11

1978-79 के दौरान राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरित राशि

(लाख रुपए)

क्षेत्र/राज्य/ संघशासित क्षेत्र	एजेन्सी	प्रयोजन	जारी किये गये डिबेंचरों/ ऋणों की कुल राशि	कृषिविनि द्वारा अभिदत्त डिबेंचर/ वितरित ऋण	राज्य सरकारों/ बैंकों का अंशदान
1	2	3	4	5	6
I. उत्तरी क्षेत्र					
दिल्ली	वाणिज्य बैंक	कृषि मशीनीकरण	12	9	3
		डेरी विकास	7	6	1
			19	15	4
हरियाणा	राभू वि बैंक	लघु सिंचाई	407	366	41
		भूमि विकास	30	23	7
		कृषि मशीनीकरण	762	572	190
		बागान/बागवानी	5	4	1
		डेरी विकास	8	6	2
	वाणिज्यक बैंक	लघु सिंचाई	496	397	99
		भूमि विकास	10	8	2
		कृषि मशीनीकरण	407	305	102
		मुर्गी पालन	2	2	—
		डेरी विकास	2	2	—
		भंडार और बाजार केन्द्र	261	209	52
		गोबर गैस संयंत्र	8	6	2
		अन्य	1	1	—
		समाश्रित रुई विकास परियोजना	28	25	3
	रास बैंक	समन्वित रुई विकास परियोजना	194	175	19
			2621	2101	520
हिमाचल प्रदेश	राभवि बैंक	लघु सिंचाई	2	2	—
		बागान/बागवानी	6	4	2
	वाणिज्य बैंक	बागान/बागवानी	39	35	4
		सुअर पालन	3	2	1
		डेरी विकास	9	7	2
			59	50	9
जम्मू और कश्मीर	राभूवि बैंक	कृषि मशीनीकरण	4	2	2
		कृषि मशीनीकरण	8	6	2
	वाणिज्य बैंक	बागान/बागवानी	1	1	—
		डेरी विकास	10	5	5
			23	14	9
पंजाब	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	172	155	17
		भूमि विकास	221	197	24
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	473	383	90
		ग्रामीण विद्युतीकरण (सिंगम)	6	33	33

1	2	3	4	5	6
पंजाब (जारी)		भूमि विकास	27	22	5
		कृषि मशीनीकरण	114	86	28
		कृषि सेवा केंद्र	8	6	1
		मुर्गीपालन	18	14	4
		डैरी विकास	53	43	10
	वाणिज्य बैंक	भंडार और बाजार केंद्र	795	635	160
		सरूवि परियोजना	21	19	2
	रास बैंक	सरूवि परियोजना	36	32	4
			2003	1625	378
राजस्थान	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	628	565	63
		भूमि विकास	13	10	3
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	506	400	106
		भूमि विकास	3	2	1
		सघन क्षेत्र विकास	327	284	43
		कृषि मशीनीकरण	253	190	63
		कृषि सेवा केंद्र	1	1	—
		मुर्गी पालन	2	1	1
		भेड़पालन	51	46	5
		डैरी विकास	54	37	17
		भंडार और बाजार केंद्र	86	69	17
		अन्य	15	11	3
			1938	1616	322
II. उत्तर पूर्वी क्षेत्र					
असम	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	5	4	1
		कृषि मशीनीकरण	2	1	1
		बागान/बागवानी	191	170	21
		डैरी विकास	11	10	1
		भंडार और बाजार केन्द्र	54	49	5
		सुअर पालन	1	1	—
			164	235	29
मणिपुर	रास बैंक	कृषि मशीनीकरण	22	20	2
		बागान/बागवानी	11	10	1
		मत्स्य पालन	14	13	1
			47	43	4
त्रिपुरा	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	1	1	—
			1	1	—
III पूर्वी क्षेत्र					
बिहार	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	284	255	29
		कृषि मशीनीकरण	4	4	—
		सन उद्योग	1	1	—
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	1040	935	105
		ग्रामीण विद्युतीकरण (निगम)	3	2	1
		कृषि मशीनीकरण	404	364	40
		डैरी विकास	1	1	—
		भंडार और बाजार केन्द्र	774	691	83
			2511	2253	258

1	2	3	4	5	6
उड़ीसा	राभूबि बैंक	लघु सिंचाई	222	200	22
		भूमि विकास	5	4	1
		कृषि मशीनीकरण	5	4	1
		बागान/बागवानी	78	68	10
		मत्स्यपालन	12	11	1
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	368	333	35
		भूमि विकास	2	2	—
		कृषि मशीनीकरण	13	11	2
		सुअर पालन	29	27	2
		मत्स्य पालन	58	52	6
		डेरी विकास	11	10	1
	रास बैंक	लघु सिंचाई	166	149	17
		मत्स्य पालन	5	4	1
			974	875	99
पश्चिम बंगाल	राभूबि बैंक	लघु सिंचाई	433	390	43
		कृषि मशीनीकरण	20	17	3
		बागान/बागवानी	25	23	2
		मत्स्यपालन	3	3	—
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	431	391	40
		कृषि मशीनीकरण	43	39	4
		बागान/बागवानी	138	122	16
		मुर्गी पालन	6	5	1
		मत्स्यपालन	3	3	—
		डेरी विकास	1	1	—
		भंडार और बाजार केंद्र	60	51	9
			1163	1045	118
IV मध्यवर्ती क्षेत्र					
मध्य प्रदेश	राभूबि बैंक	लघु सिंचाई	788	709	79
		कृषि मशीनीरण	2	2	—
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	797	637	160
		ग्रामीण विद्युतीकरण (निगम)	146	73	73
		भूमि विकास	14	10	4
		कृषि मशीनीकरण	208	157	51
		कृषि सेवा केंद्र	4	3	1
		मुर्गी पालन	13	10	3
		भंडार और बाजार केन्द्र	22	17	5
		वन उद्योग	50	40	10
		गोबर गैस संयंत्र	10	8	
			2054	1666	388
उत्तर प्रदेश	राभूबि बैंक	लघु सिंचाई	2696	2422	274
		सघन क्षेत्र विकास	200	180	20
		बागान/बागवानी	9	7	2
		डेरी विकास	3	2	1
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	419	336	83
		कृषि मशीनीकरण	1512	1134	378
		मुर्गी पालन	3	3	—
		भेड़ पालन	4	4	—
		डेरी विकास	89	80	9
		भंडार और बाजार केन्द्र	879	702	177
		गोबर गैस संयंत्र	8	7	1
			5822	4877	945

1	2	3	4	5	6
V पश्चिमी क्षेत्र					
गोवा	वाणिज्यिक बैंक	लघु सिंचाई	10	9	1
		डेरी विकास	2	2	—
		मुर्गी पालन	9	8	1
		मत्स्यापालन	81	65	16
			102	84	18
गुजरात	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	60	54	6
		डेरी विकास	12	9	3
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	1072	928	144
		ग्रामीण विद्युतीकरण (निगम)	93	47	46
		कृषि मशीनीकरण	460	334	126
		कृषि सेवा केंद्र	3	2	
		मुर्गी पालन	8	7	1
		मत्स्यपालन	56	43	13
		डेरी विकास	136	90	46
		भंडार और बाजार केंद्र	1	1	—
		गोबर गैससंयंत्र	5	2	3
			1905	1516	389
महाराष्ट्र	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	1512	1361	151
		बागान/बागवानी	23	18	5
		डेरी विकास	18	13	5
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	497	406	91
		भूमि विकास	110	83	27
		कृषि मशीनीकरण	387	286	101
		बागान/बागबानी	8	6	2
		मुर्गी पालन	28	24	4
		भेड़ पालन	3	2	1
		मत्स्यपालन	26	20	6
		डेरी विकास	130	110	20
		भंडार और बाजार केन्द्र	120	96	24
		गोबर गैससंयंत्र	3	2	1
		सरूवि परियोजना	5	4	1
			2870	2431	439
VI दक्षिणी क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	3888	3499	389
		भूमि विकास	141	109	32
		कृषि मशीनीकरण	616	462	154
		बागान/बागबानी	50	37	13
		मुर्गी पालन	6	4	2
		भेड़ पालन	66	53	13
		मत्स्यपालन	23	17	6
		डेरी विकास	133	102	31
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	526	361	165
		ग्रामीण विद्युतीकरण (निगम)	10	5	5

1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश—(जारी)		भूमि विकास	7	5	2
		कृषि मशीनीकरण	57	43	14
		बागान/बागवानी	15	11	4
		मुर्गी पालन	97	73	24
		भेड़ पालन	66	53	13
		मत्स्यपालन	25	19	6
		डेरी विकास	74	55	19
		भंडार और बाजार केन्द्र	22	17	5
		वन उद्योग	43	33	10
			5865	4958	907
कर्नाटक	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	389	350	39
		भूमि विकास	28	21	7
		कृषि मशीनीकरण	29	22	7
		बागान/बागवानी	133	100	33
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	27	21	6
		कृषि मशीनीकरण	37	27	10
		बागान/बागवानी	389	302	87
		मुर्गी पालन	8	7	1
		भेड़ पालन	3	2	1
		मत्स्यपालन	501	385	116
		डेरी विकास	7	5	2
		भंडार और बाजार केन्द्र	220	176	44
		गोबर गैस संयंत्र	13	11	2
			1784	1429	355
केरल	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	136	122	14
		भूमि विकास	1	1	-
		बागान/बागवानी	166	128	38
		कृषि मशीनीकरण	2	1	1
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	417	375	42
		भूमि विकास	223	179	44
		बागान/बागवानी	12	11	1
		मत्स्यपालन	183	137	46
		डेरी विकास	8	6	2
			1148	960	188
तमिलनाडु	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	425	383	42
		बागान/बागवानी	77	58	19
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	94	48	46
		कृषि मशीनीकरण	33	23	10
		कृषि सेवा केन्द्र	5	2	3
		बागान/बागवानी	147	103	44
		मत्स्यपालन	21	13	8
		डेरी विकास	53	44	9
		मुर्गी पालन	1	1	–
		भेड़ पालन	21	16	5
		भंडार और बाजार केन्द्र	1	1	–
		गोबर गैस संयंत्र	3	1	2
			881	693	188
		जोड़ I से VI	34054	28487	5567

विवरण 12

30 जून 1979 को शेयरधारियों की सूची

I भारतीय रिज़र्व बैंक

II राज्य भूमि विकास बैंक (19)

1. आन्ध्र प्रदेश सहकारी मध्यवर्ती कृषि विकास बैंक लिमिटेड
2. असम सहकारी मध्यवर्ती भूमिबंधक बैंक लिमिटेड
3. बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक सीमित
4. गुजरात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
5. हरियाणा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
6. हिमाचल प्रदेश मध्यवर्ती सहकारी भूमिबंधक बैंक लिमिटेड
7. जम्मू और काश्मीर सहकारी मध्यवर्ती भूमिबंधक बैंक लिमिटेड
8. कर्नाटक राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
9. केरल सहकारी मध्यवर्ती भूमिबंधक बैंक लिमिटेड
10. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक सीमित
11. महाराष्ट्र राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
12. उड़ीसा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
13. पांडिचेरी सहकारी मध्यवर्ती भूमि विकास बैंक लिमिटेड
14. पंजाब राज्य सहकारी भूमिबंधक बैंक लिमिटेड
15. राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
16. तमिलनाडु सहकारी राज्य भूमि विकास बैंक लिमिटेड
17. त्रिपुरा सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
18. उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
19. पश्चिम बंगाल मध्यवर्ती भूमि विकास बैंक लिमिटेड

III राज्य सरकारी बैंक (24)

1. आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
2. असम सहकारी शिखर बैंक लिमिटेड
3. बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
4. दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
5. गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
6. गुजरात राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
7. हरियाणा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
8. हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
9. जम्मू और काश्मीर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
10. कर्नाटक राज्य सहकारी शिखर बैंक लिमिटेड
11. केरल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
12. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित
13. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
14. मणिपुर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
15. मेघालय सहकारी शिखर बैंक लिमिटेड
16. नागालैण्ड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
17. उड़ीसा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
18. पांडिचेरी राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
19. पंजाब राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
20. राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
21. तमिलनाडु राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
22. त्रिपुरा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
23. उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड
24. पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड

IV अनुसूचित वाणिज्य बैंक (65)

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर
3. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
4. स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर
5. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
6. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
7. स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र
8. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर
9. अलाहाबाद बैंक
10. बैंक ऑफ बड़ौदा
11. बैंक ऑफ इण्डिया
12. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
13. कनारा बैंक
14. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
15. देना बैंक
16. इंडियन बैंक
17. इंडियन ओवरसीज बैंक
18. पंजाब नेशनल बैंक
19. सिंडीकेट बैंक
20. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
21. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
22. यूनाइटेट कार्मशियल बैंक
23. आंध्र बैंक लिमिटेड
24. बैंक ऑफ कोचीन लिमिटेड
25. बैंक ऑफ कराड लिमिटेड
26. बैंक ऑफ मदुरा लिमिटेड
27. बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड
28. बरेली कार्पोरेशन (बैंक) लिमिटेड
29. बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड
30. केथॉलिक सीरियन बैंक लिमिटेड
31. कार्पोरेशन बैंक लिमिटेड
32. धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड

33. फेडरल बैंक लिमिटेड
34. हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड
35. जम्मू एण्ड काश्मीर बैंक लिमिटेड
36. कर्नाटक बैंक लिमिटेड
37. करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
38. कुम्भकोणम सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड
39. लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड
40. लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड
41. लार्ड कृष्ण बैंक लिमिटेड
42. नैनीताल बैंक लिमिटेड
43. नेडुंगाडी बैंक लिमिटेड
44. न्यू बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड
45. ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स लिमिटेड
46. पंजाब एण्ड सिंध बैंक लिमिटेड
47. पूर्वांचल बैंक लिमिटेड
48. रत्नाकर बैंक लिमिटेड
49. सांगली बैंक लिमिटेड
50. साऊथ इंडियन बैंक लिमिटेड
51. तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लिमिटेड
52. यूनाइटेड इण्डस्ट्रियल बैंक लिमिटेड
53. युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड
54. दि बैंक ऑफ तंजौर लिमिटेड
55. विजया बैंक लिमिटेड
56. वैश्य बैंक लिमिटेड
57. एल्जमेने बैंक नेद्रलैड्स एन० बी०
58. अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कार्पोरेशन
59. बैंक ऑफ अमेरिका नेशनल ट्रस्ट एण्ड सेविंग्ज एसोसिएशन एसोसिएशन
60. बैंक ऑफ टोकियो लिमिटेड
61. बैंक नेशनल दि पैरिस
62. चार्टर्ड बैंक
63. ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड
64. मर्केन्टाइल बैंक लिमिटेड
65. मित्सुई बैंक लिमिटेड

V ग्रामीण बैंक. (41)

1. बाराबंकी ग्रामीण बैंक
2. भागीरथ ग्रामीण बैंक
3. भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक
4. बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
5. बोलंगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक
6. बुंदेलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
7. कावेरी ग्रामीण बैंक
8. चंपारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
9. कटक ग्राम्य बैंक
10. गौड़ ग्रामीण बैंक
11. गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
12. गुरगांव ग्रामीण बैंक
13. हरदोई उन्नाव ग्रामीण बैंक
14. हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
15. जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक
16. कोरापुर पंचवटी ग्राम्य बैंक
17. कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
18. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होशंगाबाद
19. मगध ग्रामीण बैंक
20. मलप्रभा ग्रामीण बैंक
21. मल्लभूम ग्रामीण बैंक
22. मराठवाडा ग्रामीण बैंक
23. मयूराक्षी ग्रामीण बैंक
24. मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
25. नागार्जुन ग्रामीण बैंक
26. नार्थ मलबार ग्रामीण बैंक
27. पंड्यन ग्राम बैंक
28. प्राग्ज्योतिष/गानलिय बैंक
29. पुरी ग्राम्य बैंक
30. रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
31. रायलसीमा ग्रामीण बैंक
32. रीवां सिधो ग्रामीण बैंक
33. सम्युत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
34. संथाल परगना ग्रामीण बैंक
35. शेखावाटी ग्रामीण बैंक
36. साउथ मलबार ग्रामीण बैंक
37. सुलतानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
38. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक
39. तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक
40. उत्तर बंगाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
41. वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

VI जीवन बीमा निगम, बीमा और निवेश कंपनियाँ आदि (6)

1. जनरल इन्श्योरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया
2. भारतीय जीवन बीमा निगम
3. नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड
4. न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
5. ओरियण्टल फायर एन्ड जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
6. यूनाइटेड इंडिया फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड

शाह एण्ड कम्पनी

सनदीलेखाकार

मेकर भवन क्र० 2;
18 न्यू मरिन लाइन्स,
बम्बई–400 020

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के 30 जून 1979 को विद्यमान संलग्न तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिये लाभ हानि लेखे की भी जांच की है और हम यह रिपोर्ट देते हैं कि :

1. हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं जिनकी हमें अपेक्षा थी. वे संतोषजनक पाये गये है.

2. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार और निगम की बहियों में दर्शाये गये अनुसार, उक्त तुलनपत्र पूर्ण और सही है. उसमें निगम के अधिनियम और उसकी सामान्य विनियमावली के अनुसार सभी आवश्यक विवरण हैं और वह उचित रूप से इस प्रकार तैयार किया गया है कि निगम के कार्यों की यथार्थ और सही स्थिति का पता लग सके.

कृते शाह एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
(इन्दुलाल एच० शाह)
भागीदार

बम्बई, 27 सितम्बर, 1979

कृषि पुनर्वित्त और
30 जून 1979

देयताएं					30-6-1978 को	
	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०
1. पूंजी :						
प्राधिकृत						
प्रत्येक 10,000 रूपयों के 1,00,000 शेयर				100,00,00,000 .00		100,00,00,000 .00
जारी की गई, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी प्रत्येक 10,000 रूपयों के 57,500 प्रदत्त शेयर				57,50,00,000 .00		47,50,00,000 .00
2. प्रारक्षित निधि और अधिशेषप्रारक्षित निधि :						
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष (नोट 1)		10,38,20,000 .00				7,11,16,000 .00
जोड़िए :						
(i) वर्तमान लाभ का 25 प्रतिशत -अंतरित राशि (आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(i) (viii) के अनुसार						3,00,00,000 .00
(ii) लाभ हानि लेखे से अंतरित राशि		9,89,63,000 .00				27,04,000 .00
				20,27,83,000 .00		10,38,20,000 .00
प्रारक्षित पूंजी (नोट 2)				5,00,00,000 .00		
अनुसंधान और विकास निधि						
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष		1,00,00,000 .00				--
लाभ हानि लेखे से अंतरिम राशि		1,00,00,000 .00				1,00,00,000 .00
				2,00,00,000 .00		1,00,00,000 .00
लाभ हानि लेखा						
आगे लाया गया लाभ		420 .75				190 .91
इस वर्ष का लाभ		13,98,84,906 .14				3,75,47,551 .76
		13,98,85,326 .89				3,75,47,742 .67
घटाइये : (i) अनुसंधान और विकास निधि की अंतरिम राशि		1,00,00,000 .00				1,00,00,000 .00
		12,98,85,326 .89				2,75,47,742 .67
(ii) प्रारक्षित निधि की अंतरित राशि		9,89,63,000, .00				27,04,000 .00
		3,09,22,326 .89				2,48,43,742 .67
(iii) लाभांश की व्यवस्था के लिए अंतरित राशि		3,09,22,089 .04				2,48,43,321 .92
				237 .85		420 .75
3. विशेष जमा राशि				5,21,95,234 .14		3,86,67,606 .40
4. गारंटीकृत लाभांश के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया भुगतान						
5. बांड और डिबेंचर	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०	
5¼% कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बांड 1982 पहली श्रृंखला		10,93,77,000 .00				
5¼% कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बांड 1982 दूसरी श्रृंखला		8,52,40,000 .00				
5¾% कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बांड 1984 तीसरी श्रृंखला		8,25,00,000 .00				
5¾% कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बांड 1985 चौथी श्रृंखला		11,00,00,000 .00				
5¾% कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बांड 1985 पांचवी श्रृंखला		16,50,00,000 .00				
5¾% कृषि पुनर्वित्तऔर विकास निगम बांड 1986 छठी श्रृंखला		11,00,00,000. 00				
6% कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बांड 1984 सातवीं श्रृंखला		16,50,00,000 .00				
6% कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बांड 1985 आठवीं श्रृंखला		16,,5900,000 .00				
6% कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बांड 1985 नौवी श्रृंखला		11,00,000,00 .00				
6% कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बांड 1986 दसवीं श्रृंखला		27,50,00,000 .00				
6% कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बांड 1987 ग्यारहवीं श्रृंखला		16,50,00,000 .00				
6% कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बांड 1987 बारहवीं श्रृंखला		27,50,00,000 .00				
6% कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बांड 1988 तेरहवीं श्रृंखला		20,62,50,000 .00				
6% कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बांड 1988 बांड चौदहवीं श्रृंखला		44,05,00,00 .00				
				46,38,77,000,00		202,33,77,000 .00

विकास निगम तुलन पत्र

आस्तियां			30-6-1978 को	
	रु० पै०	रु० पै०	रु०	पै०
1. नकदी				
(क) हाथ में	3,304.92		4,360.67	
(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के पास	4,18,24,668.11		8,42,575.98	
(ग) दूसरों के पास				
(i) भारत में	1,74,720.23		1,13,887.06	
(ii) विदेश में			-	
2. ऋण		4,20,02,693.24	9,60,823.71	
(क) पुनर्वित्त के रूप में	382,69,39,968.60		284,21,26,650.00	
(ख) अन्य	2,58,72,900.00		-	
घटाइए : अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए व्यवस्था			-	
		385,28,12,868.60	284,21,26,650.00	
3. डिबेंचर		661,33,14,890.20	589,37,73,145.61	
4. केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश : (लागत पर) (अंकित मूल्य रु० 27,61,86,300)	4,	27,67,34,279.05	22,69,45,554.15	
5. निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज		27,24,300.50	49,39,499.65	
6. अन्य आस्तियां				
(क) फर्नीचर, फिटिंग और जुड़नार, कार्यालयीन उपस्कर आदि (30-6-1978 तक की लागत)	29,92,174.44		21,79,343.91	
जोड़िए : इस वर्ष के दौरान वृद्धि	7,77,758.13		8,23,410.59	
	37,69,93.57		30,02,754.50	
घटाइए : बेची गई/समायोजित वस्तुएं	233.54		10,580.06	
	37,69,699.03		29,92,174.44	
घटाइये : आज की तारीख तक का मूल्य ह्रास	13,00,826.73		9,90,598.60	
	24,68,872.30		20,01,575.84	
(ख) सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं के पास जमाराशियां	2,27,151.16		2,34,146.16	
	26,96,023.46		22,35,722.00	
(ग) फुटकर अग्रिम	7,03,41,665.96		1,58,62,930.45	
(घ) पुनर्वित्त के रूप में दिये गये ऋणों पर प्रोद्भूत ब्याज	13,92,89,525.06		9,79,92,009.66	
(ङ) डिबेंचरों पर प्रोद्भूत ब्याज	24,96,59,073.27		24,35,72,685.97	
(च) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बांडों पर छूट	91,47,111.11		1,05,08,361.11	
(छ) चुकाया गया अग्रिम कर (इसमें वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 44 के अंतर्गत वापिस मिलने योग्य 6,58,56,354/- रु० की राशि शामिल है)	14,76,01,363.00		9,46,75,766.00	
		61,87,34,761.86	46,26,11,753.19	
आगे ले जाया गया जोड़	1140,63,23,793.47		943,35,93,148.31	

देयताएं			30-6-78 को	
	रु०	पै०	रु०	पै०
6. केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण				
(क) अधिनियम की धारा 19 के अधीन				5,00,00,000 .00
(ख) अन्य ऋण	502,40,03,544 .00			422,61,15,829 .00
			502,40,03,544 .00	427,61,15,829 .00
7. अन्य उधार :				
(क) भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये उधार				
(i) दीर्घकालीन	263,50,00,000 .00			216,80,00,000 .00
(ii) अल्पकालीन				
			263,50,00,000 .00	216,80,00,000 .00
(ख) दूसरों से लिये गये उधार :				
भारत में				
विदेश में	—		—	—
8. मीयादी जमा रशियां :				
(क) विशेष ऋणलेखों के लिये :				
(i) केन्द्रीय सरकार से	3,91,48,000 .00			3,00,00,000 .00
(ii) राज्य सरकारों से	2,66,31,904 .00			1,62,58,000 .00
			6,57,79,904 .00	4,62,58,000 .00
(ख) दूसरों से			—	—
9. लाभांशों की व्यवस्था (लाभ-हानि लेखे से अंतरित राशि)			3,09,22,089 .04	2,48,43,321 .92
10. कराधान के लिये व्यवस्था (नोट 3)			13,96,43,614 .00	13,96,43,614 .00
11. अन्य देयताएं				
फुटकर लेनदार	1,74,27,652 .53			1,60,29,258 .43
निम्नलिखित पर प्रोद्भूत ब्याज जो देय नहीं है :				
(क) केन्द्र सरकार से लिये गये ऋण	9,83,01,748 .15			8,55,72,199 .34
(ख) बांड और डिबेंचर	3,13,89,769 .76			2,62,65,898 .47
			14,71,19,170 .44	12,78,67,356 .24
आकस्मिक देयताएं				
(क) भारत के बाहर से पूंजीगत माल खरीदने के लिये आस्थगित अदायगी के संबंध में दी गई गारंटी				
(ख) अन्य—			—	—
जोड़ रुपये			1140,63,23,793 .47	943 .35,93,148 .31

नोट : (1) इसमें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (iii) के अनुसार रु० 6,67,47,000/- रुपयों की विशेष प्रारक्षित निधि शामिल है। (पिछले वर्ष यह राशि 3,67,47,000/- रुपये थी)

(2) भारत सरकार से कृषुविनि अधिनियम की धारा 19 के अधीन प्राप्त ब्याज मुक्त ऋण के कार्य विवरण से तैयार किया गया, उसी प्रकार भारत सरकार के पत्र दिनांक 12 जुलाई 1978 के अनुसार अभिदान के रुपये परिवर्तित।

(3) कराधान के प्रावधान में वर्ष 1977-78 के लेखा वर्ष के 5,17,00,000/- रुपये शामिल है जो वित्त अधिनियम 1976 की धारा 44 के अन्तर्गत अपेक्षित नहीं हैं ।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

एम० एस० जावडेकर
वरिष्ठ निदेशक, वित्त और प्रशासन
बम्बई, 20 सितम्बर 1979

समदी लेखाकार
ह०
भागीदार
कृते—शाह और कंपनी
बम्बई, 27 सितम्बर, 1979

आस्तियां	30 जून, 1978 को	
	रु० पै०	रु० पै०
आगे लाया गया जोड़ . . .	1140,63,23,793 .47	943,35,93,148 .31
जोड़ रुपये	1140,63,23,793 .47	943,35,93,148 .31

एम० रामकृष्णय्या — अध्यक्ष
बलदेव सिंह, पी० सी० जी० नाम्बियार, एम० वी० हाटे — निदेशक
एम० ए० चिदम्बरम् — प्रबन्ध निदेशक

बम्बई, 26 सितम्बर, 1979

	30 जून 1979 को समाप्त हुए		पिछले वर्ष	
	रु०	पै०	रु०	पै०
1. अदा किया गया ब्याज	50,89,00,070	.16	40,18,50,865	.02
2. वेतन और भत्ते	2,46,52,756	.37	1,58,22,215	.80
3. कर्मचारी भविष्य निधि, पेन्शन और अन्य निधियों में अंशदान	17,73,564	.92	13,01,663	.98
4. निदेशकों और समिति के सदस्यों की फ़ीस	300	.00	1,200	.00
5. निदेशकों और समिति के सदस्यों की बैंकों के संबंध में यात्रा और अन्य भत्ते	12,145	.45	30,851	.00
6. किराया, उपकर, बीमा, बिजली आदि	23,00,214	.08	18,87,826	.87
7. यात्रा व्यय	10,67,913	.02	8,63,310	.52
8. मुद्रण और लेखन सामग्री	5,79,807	.29	3,90,795	.63
9. डाक, तार और टेलीफोन	5,44,484	.94	3,77,917	.48
10. संपत्ति की मरम्मत	26,269	.59	33,681	.39
11. लेखा परीक्षकों की फीस	12,500,	.00	12,500	.00
12. विधि संबंधी व्यय	10,563	.12	19,147	.10
13. विविध व्यय (नोट 1 और 2)	77,23,354	.33	48,21,123	.17
14. मूल्यह्रास	3,10,337	.55	2,52,069	.18
15. निवेशों की बिक्री पर हानि	—		—	
16. विशेष प्रारक्षित निधि को अंतरण. यह राशि वर्तमान लाभ का 25% है [आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अनुसार]	—		3,00,00,000	·00
17. कराधान के लिये व्यवस्था	—		5,17,00,000	.00
18. तुलन-पत्र को ले जाया गया शुद्ध लाभ	13,98,84,906	.14	3,75,47,551	.76
जोड़ रुपये	68,77,99,186	.96	54,69,12,718	.90

नोट :

1. इनमें ये राशियां शामिल हैं :
   - (i) बांडों पर मुद्रांक शुल्क — रु० 44,05,000.00
   - (ii) सातवीं से तेरहवीं तक की श्रंखलाओं के बांडों पर दी गई छूट — रु० 13,61,250.00
2. इसमें आतिथ्य व्यय शामिल है — रु० 18,041.56
3. इस राशि में अभिदत्त डिबेंचर पर प्राप्त बट्टा शामिल है — रु० 3,33,717.59
4. वित्त अधिनियम 1979 की धारा 44 को देखते हुए कराधान के लिये कोई सुविधा नहीं बनाई गई है.

एम० एस० जावडेकर
वरिष्ठ निदेशक, वित्त और प्रशासन

बम्बई : 20 सितम्बर, 1979

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
सनदी लेखाकार
ह/-
भागीदार
कृते—शाह और कंपनी
बम्बई, 27 सितम्बर 1979

वर्ष के लिये लाभ-हानि लेखा

					पिछले वर्ष	
	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०
1. प्राप्त ब्याज						
(क) ऋणों और डिबेंचरों पर	64,16,82,149	.76			52,31,98,021	.09
(ख) निवेशों पर (स्रोत पर काटा गया कर 1,45,10,986 रु०)	4,51,19,729	.72			2,33,27,337	.55
(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास जमा राशि पर	81,870	.00			81,870	.00
(घ) अन्य जमा राशियों पर	5,78,437	.70			2,37,039	.48
			68,74,62,187	.18	54,68,44,268	.12
2. बट्टा, कमीशन आदि					--	
3. अन्य मदें .						
(क) शेयर अंतरण शुल्क	4	.00			2	.00
(ख) विविध प्राप्तियां (नोट 3) . . .	3,36,995	.78			68,448	.78
			3,36,999	.78	68,450	.78
जोड़ . . रुपये			68,77,99,186	.96	54,69,12,718	.90

(पिछले वर्ष रु० 20,62,500 .00)
(पिछले वर्ष रु० 13,61,250 .00)
(पिछले वर्ष रु० 13,247 .66)
(पिछले वर्ष रु० 60,137 .68)

एम० रामकृष्णय्या — अध्यक्ष
बलदेव सिंह, पी० सी० डी० नाम्बियार, एम० बी० हाटे — निदेशक
एम० ए० चिदम्बरम् — प्रबन्ध निदेशक

बम्बई, 26 सितम्बर 1979
11—339GI/79

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Bombay, the 29th October 1979

NOTICE

The following appointment on the Bank's staff is hereby notified :—

Shri T. Shanmugam has assumed charge as Chief General Manager (Personnel & Human Resources Development), Central Office, Bombay, as from the 25th October 1979.

S. C. NAGAR
Dy. Managing Director
(Personnel & Services)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(SOUTHERN REGIONAL SECRETARIAT)

Madras-600034, the 28th September 1979

No. 8SCA/5/79-80.—In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10(1) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members shall stand cancelled from the date mentioned against their names, as they do not desire to hold their certificate of practice.

S. No.	M. No	Name & Address	Date of Cancellation
1.	18968	Shri M. S Siddaraj A.C.A. Accounts Officer Visvesvaraya Iron & Steel Ltd. Bhadravati-577 301.	31-7-79
2.	19673	Shri Jacob Varghese A.C.A. 51, Sterling Road Madras-600 034.	1-4-79
3.	19736	Shri R. Venkataramani A.C.A. Plot No. 61, Pasumponn Stree Chitrakala Mini Colony Tirunapar Madurai-625 006.	31-7-79

No.8SCA/6/79-80.—In pursuance of Clause (iv) of Regulation 10(1) read with Regulation 10(2)(b) of the Chartered Accountants Regulation, 1964, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members shall stand cancelled with effect from 1st August 1979 as they have not paid their annual fee for Certificate of Practice for the year 1979-80 till 31st day of July 1979.

S. No.	M. No.	Name & Address
1.	639	Shri A. Sambanda Murthy F.C.A. Bashir Bagh Hyderabad-500 029.
2.	4118	Shri R. Srinivasan A.C.A. 136, Mowbray's Road Madras-600 018.
3	7669	Shri P.E. Peethambaran F.C.A. Valanjambalam Cochin-682 016.
4.	7810	Shri M. K. Varkey F.C.A. Valia Veedu Cherai-683 514 Ernakulam Dist.
5.	15014	Shri S. Prakash Chand Mutha A.C.A. 2, Perianaicken Street Sowcarpet Madras-600 001.
6.	18554	Shri R. Vijayaraghavan A.C.A. 12, Nungambakkam High Road Madras 600 034.

No. 8SCA/7/79-80.—In pursuance of Clause (iv) of Regulation 10(1) read with Regulation 10(2)(b) of the Chartered Accountants Regulation, 1964, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members shall stand cancelled with effect from 1st August 1979 as they have not paid their annual fee for Certificate of Practice for the year 1979-80 till 31st day of July 1979.

S. No.	M. No.	Name & Address
1	2	3
1.	1988	Shri C. H. Seshagirisachar F.C.A. Ganga Nivas 859, Narayana Sastry Road Mysore
2.	2971	Shri J. S. Kameswara Rao A.C.A. 1-10-179, Bank Colony Ashok Nagar Hyderabad-500 020.
3.	3139	Shri M. Venkatakrishnan A.C.A. 22 Sunkuvar Street Triplicane Madras-600 005.
4.	4228	Shri D. Vasudeva Rao F.C.A. "Guru Krupa" 8, Kamala Bai Street T. Nagar Madras-600 017.
5.	5783	Shri George Joseph F.C.A. 22, Lakshmi Street Off. New Avadi Road Madras-600 010
6.	6242	Shri Y. S. Venkatramana Bhat F.C.A. Bank Road Kasaragod.
7.	6247	Shri R. Venkataramanan F.C.A. Weekly Market Road Vaniyambadi-635 753.
8.	6613	Shr V.S. Krishna Murthy F.C.A. 11, Peenya Industrial Estate II Tumkur Road Bangalore-560 057.
9.	7843	Shr Om Prakash Goyal F.C.A. Shanti Kutir Moti Mahal 2, Ranapratep Marg LUCKNOW
10.	9024	Shri K. Apparao A.C.A. Makkom 310, Rolling Hills Professional Bldg., 655, Deepvalley Drive Rolling Hills Estate California, 90274 Los Angles U.S.A.
11.	9336	Shri P. J. Jagannatha Rao F.C.A. "Sri Panduranga Nilaya" Behind Chamundeswari Talkies Mysore-570 001.
12.	9594	Shri R. Sankara Narayanan A.C.A. 1, Basudev Street T. Nagar Madras-600 017.
13.	9948	Shri K. S. Kanakaraj F.C.A. 44, Sambandamoorthy Street Madurai-625 001.
14.	10508	Shri K. P. Subramanian F.C.A. 26 A, Muthuranga Mudaliar Street Erode-638 001.
15.	10766	Shri A.K. Krishna Moorthy F.C.A. Mahalakshmi Mandiram Gita Road Mysore-570 004.

1	2	3
16.	10875	Shri K. Gunabalen F.C.A. 'Sankar Illam' 4, 11th Cross, Western Extension Thillainagar Tiruchirapalli-620 018.
17.	10897	Shri Nisar Pasha F.C.A. No. 27, Second Floor, Silver Jubilee Park Road Bangalore-560 002.
18.	11563	Shri R. Balasubramanian F.C.A. 21, Nageswara Iyer Road Nungambakkam Madras-600 034.
19.	12326	Shri Majety Venkata Sampath Baba A.C.A. Meher Cloth Shop Eluru Road Vijaywada-520 002.
20.	12697	Shri K. P. Ramachandran F.C.A. O.V. Road Tellicherry-670 101.
21.	12736	Shri Madhava Anantshayan Shirahatti A.C.A. 781, Wright Town Post Box No. 300 Jabalpur-482 002.
22.	12754	Shri P. Jeyapragash Narayanan F.C.A. 50, Railway Station Road Tuticorin-628 001.
23.	12795	Shri M. Sitaraman A.C.A. 21/814, Valiasalai Street Trivandrum-695 023.
24.	12885	Shri Ashok Kumar Dalmia F.C.A. 14, Cathedral Gardens Nungambakkam Madras-600 034.
25.	13018	Shri K. J. Anto A.C.A. XXXV/1225/6, Manikkiri Cross Road Pallimukku Cochin-682 016

No. 8SCA/8/79-80.—In pursuance of Clause (iv) of Regulation 10(1) read with Regulation 10(2)(b) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members shall stand cancelled with effect from 1st August 1979 as they have not paid their annual fee for Certificate of Practice for the year 1979-80 till 31st day of July 1979.

S. No.	M. No.	Name & Address
1	2	3
1.	13516	Shri Kanhaiyalal Chandak A.C.A. I Type, Block No. 1/4 Bangurnagar Dandeli (N.K.)
2.	13755	Mrs. S. Seshambal A.C.A. 56-57, Oppanakkara Street Coimbatore-641 001.
3.	13826	Shri Subbian Janarthanan A.C.A. 115, Gopal Buildings Pollachi-642 001.
4.	14622	Shri N.V. John F.C.A. Sivasudha XXXV/1225/6, Manikkiri Cross Road Pallimukku, Cochin-682 016
5.	14733	Shri P. Sankaranarayanan F.C.A Raja Vilas, Jetty Road Alleppey.
6.	14986	Shri V. K. Raman F.C.A. 46, South Usman Road T. Nagar Madras-600 017.
7.	15156	Shri P. N Neelakantan F.C.A. 24, General Patters Road Madras-600 002.
8	15364	Shri M. Ramdas A.C.A. Moothedthe House Nellikkunnu P. O. Trichur-680 005.
9.	15390	Shri N. Subramanian A.C.A. 15, Kalyanapuram Choolaimedu Madras-600 094.
10.	15656	Shri J. Ranganadham A.C.A. 28, Perish Venkatachala Iyer Street Madras-600 001.
11.	15828	Shri Ajjavara Shiva Rao A.C.A. 2nd Floor, Swatantra Mansion 6, Hospital Road Bangalore-560 053.
12.	15892	Shri C. Rajagopal A.C.A. 37-C, Big Street Pattukkottai-614 601.
13.	18092	Shri M. P. Badrinath A.C.A. 'Sree Nrusimha Nilaya' 4245, Subramanya Nagar Bangalore-560 021.
14.	18148	Shri B. V. Satyanarayana A.C.A. 11, Lakshmana Mudaliar Street Commercial Street Corss Bangalore-560 001.
15.	18363	Shri T. Rama Ramanan A.C.A. Krishna Buildings Manjeri.
16.	18544	Shri B. Rajagopal A.C.A. 15-1-503/5/11, Ashok Market Feelkhana Hyderabad-500 012.
17.	18575	Shri Yakchure Subarao A.C.A. 5/37, Stonehousepet Nellore-524 002.
18.	18827	Shri M. Kumarasamy A.C.A. 18-A, Municipal Office Road (Opp. District Court) Contoinment Tiruchirapalli-620 001.
19.	19099	Shri H. N. Srinath A.C.A. 42/1, East Anjaneya Temple Street Besavanagudi Bangalore-560 004.
20.	19229	Shri S. Kuppuram A.C.A. 115, Gopal Buildings Pollachi-642 001.
21.	19249	Shri K. Venkata Ramanan A.C.A. A-13, Vivakananda Nagar Trichy Road Dindigul-624 007.
22.	19284	Shri R. Somanatha Shenoi A.C.A. Thoppil House East of St. Antony's Church Alleppey.
23	19297	Shri Satish C. Shah A.C.A. 26/1, Lloyds Road Royapettah Madras-600 014.
24.	19349	Shri K. Nichala Ramananda Swami A.C.A. 815, Newpet Attur-636 102 Salem Dist.

1	2	3
25.	19463	Shri V. V. Ranganathan A.C.A. 'Sree Bhag' Amman Kovil Road Cochin-682 011.
26.	19476	Shri E. Chetanya Murthy A.C.A. H. No. 2-2-3/6/B, Opposite C.T.I. Hyderabad-500 044.
27.	19562	Shri S. Shankar A.C.A. 63, Noor Buildings, I Floor J.C. Road Bangalore-560 002.
28.	19600	Mrs. Bagyalakshmi Shankar A.C.A. 5/49, 34th Cross IV 'T' Block Jayanagar Bangalore-560 011.
29.	19628	Shri M. Srinivasa Rao A.C.A. 1-9-648, 'Jata Bhavan' Vidyanagar Hyderabad-500 044.
30.	19668	Shri S. Srinivasa Rao A.C.A. 32, North Masi Street Madurai-625 001.
31.	19690	Shri C. Ramamoorthy A.C.A 6, South Street C.I.T. Nagar West Madras-600 035.
32.	19735	Shri G. Mohan Raju A.C.A. 3, Goomes Street Madras-600 001.
33.	19750	Shri R. Nagarajan A.C.A. 'Bhavani' 5, V Street Gopalapuram Madras-600 086.
34.	19989	Shri S. Prabhudev Aradhya A.C.A. 27, I Main Road Gandhinagar Bangalore-560 009.
35.	20052	Shri N. Mohan A.C.A. 20, Vinayakar Koil St. East Tambaram Madras-600 059
36.	30719	Shri Rajesh Gurunath Dhakappa A.C.A. Block 20, II Floor, Corporation Bldg. Super Bazar Hubli-580 020.

The 5th October 1979

No. 4SCA/5/79-80.—In pursuance of Regulation 16 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Clause (a) of Sub-Section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, has removed from the Register of Members of this Institute on account of Death, with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen :—

S. No.	M.No.	Name & Address	Date of Removal
1	2	3	
1.	134	Shri C.S. Sivaramakrishnan Old Kalpathy Palghat-678 008.	15-8-79
2.	188	Shri K. N. Subbarama Iyer 161, Mount Road Madras-600 002.	4-10-79
3.	211	Shri T.S. Rama Iyer 10-A, Krishnamachari Avenue Lattice Bridge Road Adyar Madras-600 020.	25-9-79

P. S. GOPALAKRISHNAN
Secretary

(EASTERN REGIONAL SECRETARIAT)

Calcutta-700071, the 3rd October 1979

No. 4ECA(6)/79-80.—In pursuance of Regulation 16 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Clause (C) of Sub-Section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute with effect from 1st August, 1978 on account of non-payment of the prescribed fees, the name of Shri Khounish Chandra Roy, House No. F-34, Sector10, Rourkela-769002, Orissa. His membership number is 3567.

The 17th October 1979

No. 5ECA(11)/79-80.—With reference to this Institute's Notification No. 4ECA(6)/79-80 dated the 3rd October, 1979 it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1964 that in exercise of powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Member with effect from 6th August, 1979 the name of Shri Khounish Chandra Roy, F.C.A., 153, Manmatha Dutta Road, Calcutta-700037. His membership number is 3567.

P. S. GOPALAKRISHNAN
Secretary

EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 28th October 1979

No. U.16/53/76 Med.II Guj.—In partial modification of this office notification No. 12(1)/2/67Med.II dated the 31st August, 1968 and in pursuance of the resolution passed at its meeting held on 25th April, 1951 conferring upon me the powers of the Corporation under Regulations 105 of the Employees' State Insurance (General) Regulations 1950, I hereby authorise Resident Medical Officer, Class II, Bhavasinhji Hospital to function as medical authority with effect from 15th November, 1979 for Porbandar for the purpose of medical examination of the Insured Persons and grant of further certificates to them when the correctness of original certificate is in doubt.

DR. V. M. CHARNALIA
Director General

New Delhi, the 31st October 1979

No. X.11/14/20/77-P&D.—In exercise of the powers conferred by sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has determined that in the establishments specified in the State Government of Tamil Nadu Notification No. G.O.M.S. No. 1483 dated 12-9-1979 issued under sub-section (5) of Section 1 of the ESI Act, 1948, extending the provisions of the said Act to those establishments, the first contribution and first benefit periods for Sets 'A', 'B' and 'C' shall begin and end in respect of persons in insurable employment on the appointed day of midnight of 29-9-1979 as indicated in the table given below :—

Set	First contribution period		First benefit period	
	Begins on midnight of	Ends on midnight of	Begins on midnight of	Ends on midnight of
A .	29-9-79	26-1-80	28-6-80	25-10-80
B .	29-9-79	29-3-80	28-6-80	27-12-80
C .	29-9-79	24-11-79	28-6-80	30-8-80

The 5th November 1979

No. 15/13/10/1/78-P&D(1).—In exercise of the powers conferred by sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 the Director General has determined that in the areas specified in the Schedule given below the first contribution and first benefit periods for Sets 'A', 'B' and 'C' shall begin and end in respect of persons in insurable employment on the appointed day of midnight of 10-11-1979 as indicated in the table given below :—

Set	First contribution period		First benefit period	
	Begins on midnight of	Ends on midnight of	Begins on midnight of	Ends on midnight of
A .	10-11-79	26-1-80	9-8-80	25-10-80
B .	10-11-79	29-3-80	9-8-80	27-12-80
C .	10-11-79	24-11-79	9-8-80	30-8-80

Schedule

"The areas comprising the revenue villages of Kalarapur and Panda in the Tahsil of Bhubaneswar, District Puri".

No. N.15/13/10/1/78-P&D(2).—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 11-11-1979 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Orissa Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1951, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Orissa namely :—

"The areas comprising the revenue villages of Kalarapur and Pandara in the Tahsil of Bhubaneswar, District Puri."

FAQIR CHAND
Director (Plg. & Dev.)

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
REACTOR RESEARCH CENTRE

Kalpakkam, the 25th, September 1979

ORDER

No. RRC/WS/1069/73/52-P/79-15102.—Whereas Shri A. M. Abdul Khadar while functioning as Tradesman A (Rigger) in the FBTR (Mechanical) Construction Group, RRC has been granted 32 days earned leave from 16-5-1979 to visit his native place.

2. Whereas Shri A. M. Abdul Khadar while functioning as Tradesman A (Rigger) as aforesaid has been absenting from duty unauthorisedly from 18-6-1979.

3. And whereas the said Shri Abdul Khadar was directed to report for duty immedately vide letter No. RRC/PF/1069/73/12824 dated August 10, 1979 which was sent by registered post to his address and he failed to report for duty.

4. And whereas Shri Abdul Khadar was issued a charge sheet vide Memorandum No. RRC/WS/1069/73/14077 dated September 7, 1979. This charge sheet was sent by registered post one at his permanent address and the other at the address indicated in the leave application.

5. And whereas till date no communication has been received from the said Shri Abdul Khadar.

6. And whereas for the reasons stated in the preceding paragraphs the undersigned is satisfied that it is not reasonably practicable to hold an enquiry into the charge of unauthorised absence against Shri Abdul Khadar in the manner specified in the charge sheet dated September 7, 1979.

7. And whereas the said Shri Abdul Khadar has committed grave misconduct by unauthorisedly absenting himself from duty from 18-6-1979 and the undersigned has come to the conclusion that the said Shri Abdul Khadar is not a fit person to be retained in service.

8. Now, therefore, the undersigned in exercise of the powers conferred hereby removes the said Shri Abdul Khadar from service with immediate effect.

N. L. CHAR
Principal Project Engineer

OFFICE OF THE PUNJAB WAKF BOARD

Ambala Cantt, the 9th November 1979

No. GN/PWB/79-10339.—In exercise of the powers conferred under section 27 of the Wakf Act, 1954 which are, exercisable by me under the delegated powers vide Boards Resolution No. 5(3) dated 30-11-76, the following proprty is hereby declard as Suni Wakf :—

Sr. No.	Name of District / Tehsil	Location	Name of Wakf	Kh. No.	Area	Purpose	Remarks
1.	Rohtak / Rohtak	Village Bharan	Graveyard	329	K.—M. 5—04 Value Rs. 20,000/-	Religious	Under the direct management of the Secrtary Punjab Wakf Board, Ex-Officio Mutawali

Recorded as Graveyard in the Jamabandi of Village Bharan Distt. and Tehsil Rohtak for the year 1975-76.

Sd. (ILLEGIBLE)
Secretary,
Punjab Wakf Board.

AGRICULTURAL REFINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION, BOMBAY

No. G.S.R.—In persuance of Section 32(2) of the A.R.D.C. Act, 1963 (10 of 1963), the report of the Board on the working of the Corporation for the year ended 30 June 1979 and the balance sheet and Profit and Loss account of the Corporation for the year ended 30 June 1979 are published hereunder.

ARDC AT A GLANCE

Rs. crores

Sources	Year ended 30 June			Uses	Year ended 30 June		
	1977	1978	1979		1977	1978	1979
Paid-up share capital and reserves	42	59	85	Refinance provided to : (outstanding)			
Borrowings from GOI	340	428	502	State Land Development Banks	525	589	663
(Of which IDA/IBRD assistance)	260	360	444	(Of which under IDA/ IBRD projets)	(332)	(384)	(435)
R B I LTO Fund	173	217	264	Scheduled Commercial Banks	186	273	372
				(Of which under IDA/ IBRD projects)	(102)	(135)	(184)
Short Term	—	—	—	State Co-operative Banks	11	11	11
Open Market	182	202	246	(Of which under IDA projects)	(—)	(2)	(3)

RECORD OF GROWTH

Rs. crores

Particulars	As at the end of June						
	1969	1974	1975	1976	1977	1978	1979
Paid-up share capital and reserves	5	17	23	29	42	59	85
Special Deposit	1	1	2	2	3	4	5
Special Loan Account	—	—	—	—	—	5	7
Subvention loans	—	—	—	—	—	—	—
Borrowings from :							
GOI	26	164	197	250	340	428	502
RBI	—	66	93	140	173	217	264
Short term	—	12	5	2	—	—	—
Long term	—	54	88	138	173	217	264
Open market	—	66	99	138	182	202	246
Refinance granted (net)	30	310	407	549	722	874	1046
Debentures	28	272	344	426	525	590	661
Loans	2	38	63	123	197	284	385
Other assets	1	9	14	20	30	46	62
Investment and cash reserves	1	—	—	—	—	23	32
Gross income	1	16	22	30	41	55	69
Profits before tax	1	3	4	6	8	12	14
Tax payable	—	2	2	3	3	—	—
Profits after Tax	—	1	2	3	5	12	14
Divident paid	—	1	1	1	2	2	3

TABLE 1—DISBURSEMENT OF REFINANCE-PURPOSEWISE (JULY-JUNE)

Rs. crores

Purpose	1963-69£	Fourth plan 1969-74£	During 1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	Upto 30 June 1979
Minor irrigation	13 (43·3)	242 (84·6)	84 (79·3)	108 (63·1)	142 (64·3)	143 (61·1)	171 (60·0)	903 (67·7)
Land development*	14 (46·7)	14 (4·9)	2 (1·9)	5 (2·9)	6 (2·7)	4 (1·7)	11 (3·8)	56 (4·2)
Farm mechanization*	—	7 (2·5)	12 (11·3)	46 (26·9)	52 (23·5)	28 (12·0)	41 (14·4)	187 (14·0)
Plantation/Horticulture	2 (6·7)	9 (3·1)	2 (1·9)	3 (1·7)	5 (2·3)	8 (3·4)	12 (4·2)	42 (3·2)
Poultry/Sheep breeding/Piggery	—	—	1 (0·9)	1 (0·6)	1 (0·4)	2 (0·9)	4 (1·4)	8 (0·6)
Fisheries	—	2 (0·7)	2 (1·9)	2 (1·2)	2 (0·9)	5 (2·2)	8 (2·8)	22 (1·7)
Dairy development	—	2 (0·7)	1 (0·9)	3 (1·8)	3 (1·4)	4 (1·7)	7 (2·5)	20 (1·5)
Storage & Market yards	1 (3·3)	10 (3·5)	2 (1·9)	3 (1·8)	10 (4·5)	38 (16·2)	27 (9·5)	91 (6·8)
Forestry	—	—	—	—	—	1 (0.4)	1 (0.4)	2 (0·1)
Agricultural aviation	—	—	—	—	—	—	—	—
Integrated cotton development project	—	—	—	—	—	1 (0.4)	3 (1·0)	3 (0·2)
Gobar gas plants	—	—	—	—	—	—	—	—
Others	—	—	—	—	—	—	—	—
Total	30 (100·0)	286 (100·0)	106 (100·00)	171 (100·0)	221 (100·0)	234 (100·0)	285 (100·0)	1334$ (100·0)

Figures in brackets are percentages to the total.

*Please see note 2 under explanatory notes on page 50.

£Yearwise break-up given in earlier publications.

$Excludes short-term disbursements made in 1976-77 and 1977-78.

TABLE 2—DISBURSEMENT OF REFINANCE-AGENCYWISE (JULY-JUNE)

Rs. crores

Agency	1963-69£	Fourth Plan 1969-74£	During 1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	Upto 30 June 1979
State land Development Banks	28 (93·4)	246 (86·0)	77 (72·6)	99 (57·9)	127 (57·4)	112 (47·9)	131 (46·0)	820 (61·5)
Of which under IBRD project	—	—	—	—	—	—	1	1
IDA Projects	—	122	52	91	100	86	88	539
Scheduled Commerical Banks	1 (3·3)	28 (9·8)	28 (26·4)	71 (41·5)	93 (42·1)	120 (51·3)	150 (52·6)	491 (36·8)
Of which under IBRD projects	—	1	—	1	—	—	—	2
IDA Projects	—	4	10	41	55	46	72	228
State Co-operative Banks	1 (3·3)	12 (4·2)	1 (1·0)	1 (0·6)	1 (0·5)	2 (0·8)	4 (1·4)	23 (1·7)
Of which under IDA projects	—	—	—	—	—	2	4	6
Total	30 (100·0)	286 (100·0)	106 (100·0)	171 (100·0)	221 (100·0)	234 (100·0)	285 (100·0)	1334@ (100·0)

Figures in brackets are percentages to the total.

£Yearwise break-up given in earlier publications.

@Excludes short-term disbursements made in 1976-77 and 1977-78.

AGRICULTURAL REFINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

16TH ANNUAL REPORT 1978-79

HIGHLIGHTS

The highlights of the operations of the Agricultural Refinance and Development Corporation during the year 1978-79 are summarised below :

Aggregate disbursements during the year touched a new level of Rs. 285 crores as against Rs. 234 crores last year.

For meeting the disbursements the Corporation borrowed Rs. 95 crores from Government of India, Rs. 75 crores from Reserve Bank and Rs. 44 crores through floatation of bonds besides ploughing back annual repayment of refinance.

Interest rates on refinance were reduced from 7.5 and 8 per cent to 6.5 and 7.5 per cent and the ultimate lending rates from 10.5 and 11 per cent to 9.5 and 10.5 per cent respectively depending on the purpose, with effect from 15 March, 1979.

The Corporation has been exempted for a period of 5 years from the payment of the Corporation tax. GOI has also reduced the interest rates by ½ per cent on its loans to ARDC.

The powers of sanction of refinance have been decentralised and upto certain limits vested with the Regional Directors.

The Third General Line of Credit to the Corporation for $ 250 million has been successfully negotiated with IDA. The Canadian International Development Agency (CIDA) had extended $ 15 million and UK Government £ 15 million to support Corporation's development programmes.

An Irrigation Project for Punjab has been sanctioned by the IDA in which part of the credit ($ 46 million) will be routed through ARDC.

A Standing Committee called CALCOB was set up to review the operations of commercial banks in the agricultural sector and suggest appropriate measures to improve their recovery performance.

OPERATIONS

(a) Disbursements

1.2 Disbursements made by the Corporation continued to pick up and reached, during the year 1978-79, Rs. 285 crores which were higher by Rs. 51 crores than Rs. 234 crores disbursed during the previous year 1977-78. All the major states except Tamil Nadu and Madhya Pradesh benefited from this higher level of disbursement. The cumulative disbursements of the Corporation since inception reached Rs. 1331 crores excluding short-term finance of Rs. 3 crores at the end of June 1979. A very significant feature of this year's disbursement was the heavy drawals of nearly Rs. 100 crores which took place in the month of June, compared to the previous year's. Of the total disbursements during the year, Rs. 164 crores or 57 per cent of the total (same percentage as last year) was made under the projects assisted by the World Bank/IDA group. The summary position of disbursements in 1977-78 and 1978-79 is given in Table 3 below :

TABLE 3—DISBURSEMENT OF REFINANCE

(Rs. crores)

	During		Upto 30 June
	1977-78	1978-79	1979
Disbursement under IDA/ IBRD etc. Projects	134	164	775
Total disbursement	234	285	1334

The cumulative disbursements under these projects stood at Rs. 775 crores at the end of the year constituting 58 per cent of the total disbursements.

1.3 The response from the member-banks operating in the various states was generally on the same basis as last year. Similarly, the disbursement which flowed into each state did not show any significant variation—Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar and Haryana led the states with availment of over Rs. 20 crores each. Of these, Andhra Pradesh and Uttar Pradesh together accounted for a little over one-third of the aggregate disbursements. Tamil Nadu among developed states showed a significant shortfall. The share of developed states in the total amount of refinance increased by Rs. 37 crores to Rs. 158 crores. On the other hand, the states that were grouped by ARDC as less developed or under-banked showed an increase of Rs. 14 crores to Rs. 127 crores. This smaller increase in the latter was due to the disturbed conditions in the North-Eastern States and the inability of the infrastructure in Orissa to sustain a faster pace of development.

1.4 Agency-wise, commercial banks continued to maintain their lead over the LDBs, which was witnessed for the first time last year (Table 2). Summary position of agency-wise disbursement during the last two years is given in Table 4 below :

TABLE 4—AGENCY-WISE DISBURSEMNT

(Rs. crores)

During	SLDBs	Com. Bks	SCBs	Total
1977-78	112	120	2	234
1978-79	131	150	4	285
Upto 30 June 1979	820	491	23	1334

Commercial banks' availment of Rs. 150 crores as refinance constituted 53 per cent of the total or nearly the same level as was recorded in the preceding year. The participation of commercial banks in different states, however, varied. The availment had increased by Rs. 30 crores mainly in 11 states which included the less developed states of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Orissa and Rajasthan. In Tamil Nadu only there was a sizable decline.

1.5 As regards LDBs, there are some welcome signs in the trend of their business. Their total availment was of the order of Rs. 131 crores as against Rs. 112 crores in 1977-78. In some states notably in Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Maharashtra and Andhra Pradesh, they improved their availment by as much as Rs. 22 crores; 50 per cent of this increase was accounted for by Andhra Pradesh SLDB alone. The banks in other states did not respond favourably to the situation.

1.6 The refinance disbursed to state co-operative banks during the year was Rs. 4 crores as against Rs. 2 crores in the previous year.

1.7 The purpose-wise analysis of disbursement showed that refinance for all major purposes increased over the previous year excepting storage (Table 1). The summary position is given in Table 5 below :

TABLE 5—PURPOSE-WISE DISBURSEMENT

(Rs. crores)

Purpose	During		Upto 30 June
	1977-78	1978-79	1979
Minor Irrigation	143	171	903
Land Development	4	11	56
Farm Mechanization	29	41	187
Others	58	62	188
Total	234	285	1334

1.8 As in the previous year, the minor irrigation investments absorbed Rs. 171 crores or 60 per cent of the total as against Rs. 143 crores (61 per cent) disbursed in the previous year (Table 1). Of the total disbursements, a sum of Rs. 48.4 crores related to refinancing of loans to the State Electricity Boards (SEBs) for energization of pumpsets as against Rs. 27 crores provided in the previous year. The share of SLDBs in the refinance for energization of pumpsets was higher at Rs. 31.6 crores as compared to Rs. 16.8 crores availed of by commercial banks.

SLDBs' share for minor irrigation was Rs. 108 crores as compared to Rs. 99 crores absorbed in 1977-78. The commercial banks' availment was also substantially larger at Rs. 61 crores as against Rs. 43 crores disbursed in the previous year.

1.9. Disbursements under land development were much larger at Rs. 11.4 crores in relation to Rs. 4.1 crores disbursed in 1977-78. As discussed elsewhere in the report, the progress in several CAD Projects was affected due to various factors. Disbursement under this category also included a sum of Rs. 2.4 crores made in Uttar Pradesh and Maharashtra as interim finance to the executing agencies. Nearly Rs. 2 crores each were disbursed in Punjab and Kerala for land development other than CAD Projects.

1.10. Next in the order of disbursement was farm mechanization, which absorbed Rs. 41 crores as compared to Rs. 28.7 crores in 1977-78. Disbursement for the purpose was sizable in Andhra Pradesh (Rs. 5 crores), Haryana (Rs. 8.8 crores) and Uttar Pradesh (Rs. 11.3 crores). The Corporation has been following a cautious policy in regard to sanction of farm mechanization programme to avoid displacement of labour and supporting schemes for power tillers and other small types of machinery.

1.11. Disbursement for market yards was Rs. 11.9 crores. Disbursements under storage declined sharply during the year from Rs. 26.1 crores in the previous year to Rs. 15.2 crores; this was because, during the previous year, a crash programme for construction of godowns for Food Corporation of India was completed. A much smaller programme for the same purpose was sanctioned during the year and disbursements under the schemes are yet to pick up.

1.12. Disbursements under plantation/horticulture, fisheries, dairy development, piggery, etc. also picked up during the year. The availment, however, varied from state to state.

1.13. Regionwise, except in the North-Eastern region where refinance disbursed had declined from Rs. 3.1 crores in 1977-78 to Rs. 2.8 crores in 1978-79, it had improved in all other regions (Table 7). Summary position is given in Table 6 below :

TABLE 6—DISBURSEMENT—REGION-WISE

(Rs. crores)

Region	During		Upto 30 June
	1977-8	1978-9	1979
Northern . . .	36	54	258
North-Eastern . . .	3	3	8
Eastern	37	42	147
Central	60	65	317
Western	34	40	218
Southern . . .	64	81	386
Total	234	285	1334

1.14. The aggregate disbursement of Rs. 1331 crores (excluding short-term finance) by ARDC since inception and upto the end of June 1979 represents ground level investments of the order of Rs. 1500 crores which included the contributions made by borrowers, member-banks and state governments. The achievements in physical terms under various schemes on the basis of the latest available data are indicated below* :

Tubewells	2,63,000
Dugwells	4,48,000
Electric pumpsets/Oil engines	6,62,000
	Hectares
Coffee	12,200
Tea	5,100
Rubber	2,900
Cardamom	1,600
Coconut	40,300
Arecanut	1,300
Others	27,400

1.15. During the last 16 years of its activities the Corporation has assisted in bringing about 30.25 lakh hectares under multiple cropping. Lands developed under the command areas of major irrigation projects and the areas improved under soil conservation schemes aggregated 9.95 lakh hectares. The total area developed under various schemes for plantation and horticulture was of the order of 90,800 hectares.

1.16. The other activities which received refinance facilities from the Corporation are as under* :—

Storage	5.5 million tonnes
Market Yards	123 units
Tractors	40,400 units

Provisional

TABLE 7—DISBURSEMENT OF REFINANCE-STATEWISE (JULY-JUNE)

(Rs. Lakhs)

Region/State/Union Territory	1963-69£	Fourth Plan 1969-74£	During 1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	Upto 30 June 1979
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. *NORTHERN REGION*								
Chandigarh . .	—	—	—	—	—	3 (—)	—	3 (—)
Delhi . . .	—	13 (0·1)	12 (0·1)	28 (0·2)	10 (0·1)	19 (0·1)	15 (—)	98 (0·1)
Haryana . .	303 (9·9)	2774 (9·7)	1075 (10·1)	1569 (9·2)	1770 (8·0)	1111 (4·7)	2101 (7·4)	10684$ (7·9)
Himachal Pradesh .	—	4 (—)	4 (0·1)	16 (0·1)	2 (—)	23 (0·1)	50 (0·2)	101 (0·1)
Jammu & Kashmir	32 (1·0)	38 (0·1)	—	17 (0·1)	6 (—)	15 (0·1)	14 (—)	123 (0·1)
Punjab . .	653 (21·4)	2692 (9·4)	407 (3·8)	1306 (7·6)	1731 (7·8)	1177 (5·0)	1625 (5·7)	9548$ (7·2)
Rajasthan .	6 (0·2)	656 (2·3)	350 (3·3)	536 (3·1)	787 (3·6)	1312 (5·6)	1616 (5·7)	5269 (4·0)
	994 (32)·5)	6177 (21·6)	1848 (17·4)	3472 (20·3)	4306 (19·5)	3660 (15·6)	5421 (19·0)	25826$ (19·4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. *NORTH-EASTERN REGION*								
Assam	70 (2·4)	65 (0·2)	—	5 (—)	70 (0·3)	273 (1·2)	235 (0·8)	718 (0·5)
Manipur	—	—	—	5 (—)	8 (0·1)	23 (0·1)	43 (0·2)	79 (0·1)
Meghalaya	—	—	—	—	—	—	—	—
Nagaland	—	4 (—)	4 (0·1)	2 (—)	3 (—)	5 (—)	—	18 (—)
Tripura	—	—	—	1 (—)	2 (—)	8 (—)	1 (—)	12 (—)
	70 (2·4)	69 (0·2)	4 (0·1)	13 (—)	83 (0·4)	309 (1·3)	279 (1·0)	827 (0·6)
III. *EASTERN REGION*								
Bihar	18 (0·6)	980 (3·4)	932 (8·8)	1318 (7·7)	1696 (7·7)	1864 (8·0)	2253 (7·9)	9055 (6·7)
Orissa	4 (0·1)	51 (0·2)	82 (0·8)	338 (2·0)	565 (2·6)	816 (3·5)	875 (3·1)	2727 (2·0)
West Bengal	2 (0·1)	42 (0·1)	69 (0·6)	159 (0·9)	590 (2·7)	996 (4·3)	1045 (3·7)	2900 (2·2)
	24 (0·8)	1073 (3·7)	1083 (10·2)	1815 (10·6)	2851 (13·0)	3676 (15·8)	4173 (14·7)	14682 (10·9)
IV. *CENTRAL REGION*								
Madhya Pradesh	29 (1·0)	1291 (4·5)	1234 (11·6)	1932 (11·3)	2610 (11·8)	1670 (7·1)	1666 (5·9)	10441 (7·8)
Uttar Pradesh	122 (4·0)	3794 (13·3)	1849 (17·3)	2598 (15·2)	3720 (16·9)	4317 (18·4)	4877 (17·1)	21275 (16·0)
	151 (5·0)	5085 (17·8)	3083 (28·9)	4530 (26·5)	6330 (28·7)	5987 (25·5)	6543 (23·0)	31716 (23·8)
V. *WESTERN REGION*								
Goa	—	3 (—)	5 (0·1)	23 (0·1)	24 (0·1)	68 (0·3)	84 (0·3)	207 (0·2)
Gujarat	207 (6·8)	4165 (14·6)	427 (4·0)	333 (1·9)	402 (1·8)	1319 (5·6)	1516 (5·3)	8369 (6·3)
Maharashtra	189 (6·2)	3041 (10·6)	1358 (12·7)	2248 (13·2)	1928 (8·7)	1974 (8·4)	2431 (8·5)	13170$ (9·9)
	396 (13·0)	7209 (25·2)	1790 (16·8)	2604 (15·2)	2354 (10·6)	3361 (14·3)	4031 (14·1)	21746$ (16·3)
VI. *SOUTHERN REGION*								
Andhra Pradesh	809 (26·5)	2504 (8·7)	892 (8·4)	1295 (7·6)	2122 (9·6)	3853 (16·4)	4958 (17·4)	16431 (12·3)
Karnataka	261 (8·6)	2269 (7·9)	1008 (9·5)	1946 (11·4)	2190 (9·9)	1320 (5·6)	1429 (5·0)	10424 (7·8)
Kerala	17 (0·5)	345 (1·2)	100 (0·9)	208 (1·2)	247 (1·1)	370 (1·6)	960 (3·4)	2247 (1·7)
Pondicherry	—	8 (—)	15 (0·1)	4	—	—	—	27 (—)
Tamil Nadu	325 (10·7)	3877 (13·6)	817 (7·7)	1228 (7·2)	1599 (7·2)	894 (3·9)	693 (2·4)	9430 (7·1)
	1412 (46·3)	9003 (31·5)	2832 (26·6)	4681 (27·4)	6158 (27·8)	6437 (27·5)	8040 (28·2)	38559 (29·0)
TOTAL (I TO VI)	3047 (100·0)	28618 (100·0)	10640 (100·0)	17115 (100·0)	22082 (100·0)	23430 (100·0)	28487 (100·0)	133356 $ (100·0)

Figures in brackets are percentages to the total.

£Year-wise break-up given in earlier publications.

$Excludes S. T. disbursements made in 1976-77 and 1977-798.

Combines/harvestors/bulldozers/power tillers	2,435 units
Trawlers/mechanised boats	2,598 units
Milch cattle	95,500 animals
Poultry birds	12,93,000 chicks
Sheep	2,11,400 animals
Agricultural aircraft	2 units

Note :—The physical achievements have been worked out on the basis of returns received from banks, project completion reports, unit cost of investment etc.

(b) *Sanctions*

1.17. Compared to the previous year the number of schemes sanctioned and amounts committed by the Corporation were much larger. As many as 2505 schemes involving refinance assistance of Rs. 573 crores were sanctioned to member banks as against 1836 schemes with Corporation's commitments of Rs. 330 crores sanctioned in the previous year. Size-wise classification of schemes sanctioned and commitments during 1978-79 are given in Statement 3. Summary position is given in Table 8 below :

TABLE 8—SIZE-WISE CLASSIFICATION OF SCHEMES SANCTIONED DURING 1978-9

(Rs. crores)

Size of schemes	No. of schemes sanctioned	ARDC commitments
Upto 5 lakhs (Rs.)	817	21
5 to 10 lakhs (")	548	44
10 to 25 lakhs (,,)	644	110
25 to 50 lakhs (,,)	349	142
50 to 100 lakhs (,,)	77	58
Above 100 lakhs (,,)	70	198
	2505	573

Out of these, 268 schemes with commitment of Rs. 16.8 crores were sanctioned by the Regional Offices and 701 schemes with commitment of Rs. 85.2 crores were sanctioned by the General Managers and Senior Directors in Head Office in exercise of the powers of sanction delegated to them in January 1979. 1955 schemes with commitments of Rs. 314 crores were sanctioned to the commercial banks as against 529 schemes involving commitments of Rs. 252 crores sanctioned to the SLDBs. Summary position of agency-wise sanctions is given in Table 9 below :

TABLE 9—SCHEMES SANCTIONED AGENCY-WISE

A. *No. of Schemes*

Year	SLDBs	Com. Bks.	SCBs.	Total
1977-78	330	1465	41	1836
1978-9	529	1955	21	2505
B. *ARDC Commitment* (Rs. Crores)				
1977-8	129	192	9	330
1978-9	252	314	7	573

The commitments to first two categories were higher by Rs. 123 and Rs. 122 crores respectively compared to last year. In the case of State Co-operative Banks, the number of schemes sanctioned was only 21 against 41 sanctioned during the previous year; the commitments were at Rs. 7 crores as against Rs. 9 crores in the preceding year.

1.18. Purpose-wise, both in terms of number and commitments, the sanctions for minor irrigation investments were nearly twice those sanctioned in the preceding year. Purpose-wise details of sanction are given in Table 10 below :

TABLE 10—SANCTIONS DURING 1978-9—PURPOSE-WISE

(Rs. crores)

Purpose	No. of Schemes	ARDC commitment
Minor irrigation	866	331
REC	169	16
Land development	107	27
Farm mechanization	320	50
Plantation/Horticulture	311	68
Poultry /Sheep breading/Piggery	152	8
Fisheries	102	17
Dairy development	229	17
Storage and Market yards	196	30
Gobar gas plants	29	3
Forestry	13	5
Others	11	1
Total	2505	573

The sanctions also included 169 schemes with commitment of Rs. 16 crores sanctioned to participating commercial banks for energisation of 87,000 pumpsets under the Rural Electrification Programme being jointly financed by the Corporation with commercial banks and Rural Electrification Corporation.

1.19. The emphasis on diversification of the operations of the member-banks continued. During the year, 1470 schemes involving total commitments of Rs. 226 crores were sanctioned for purposes other than minor irrigation as against 1314 schemes with refinance assistance of Rs. 153 crores sanctioned in 1977-78. Commitment-wise, schemes for plantation and horticulture, farm mechanization, storage and market yards and land development were substantial during the year. As compared to last year, while dairy development schemes declined in terms of commitments, those under fisheries schemes showed an increase.

1.20. Region-wise the sanctions showed considerable increase in the northern, central and southern regions (Statement 1). There was a decline in the eastern and north-eastern regions where more efforts are needed to formulate viable schemes of development.

1.21. As at the end of June 1979, 8655 schemes with Corporation's commitment of Rs. 2303 crores were sanctioned. Of these, 2387 schemes involving commitment of Rs. 1284 crores were sanctioned to the SLDBs, 6147 schemes with commitment of Rs. 974 crores to the commercial banks and the balance 121 schemes with Corporation's commitment of Rs. 44 crores were sanctioned to the state co-operative banks. Of these, 3713 schemes with commitment of Rs. 1501 crores or 65 per cent of total commitments were for minor irrigation purposes. 4942 schemes involving refinance assistance of Rs. 802 crores were for diversified lending (Statements 2 and 5).

1.22 The size-wise and purpose-wise classification of the schemes sanctioned by the Corporation during the year is given in Statement 3. An analysis of the data presented thereunder indicates that only under minor irrigation, farm mechanisation and storage and market yards, the bulk of the schemes sanctioned by the Corporation was in the size group exceeding Rs. 25 lakhs. The plantation and horticulture schemes were evenly distributed between two size groups viz. Rs. 10 lakhs and Rs. 25 lakhs and Rs. 25 lakhs and Rs. 50 lakhs. Under land development, the size was bigger because of the large programme envisaged under the Command Area Development Projects. On the other hand, majority of the schemes relating to poultry, sheep breeding and dairy development were in smaller size groups below Rs. 25 lakhs primarily because of the low unit cost as compared to other purposes and availability of capital subsidy to several beneficiaries. While under poultry and sheep breeding purposes, schemes in terms of commitments were evenly distributed between first 3 size groups viz. upto Rs. 25 lakhs most of the commitments under dairy development programme were in respect of schemes having the size between Rs. 5 lakhs and Rs. 10 lakhs and Rs. 10 lakhs and Rs. 25 lakhs.

1.23. It is significant to mention that the average size of the scheme sanctioned during the last few years has been shrinking as compared to the previous year. In 1974-75 the average size which was of the order of Rs. 33 lakhs declined sharply to Rs. 18 lakhs by 1977-78. During the year under review, however, the average size slightly increased to about Rs. 23 lakhs per scheme. Further, agency-wise, the size of schemes sanctioned to commercial banks was smaller for all purposes as compared to those sanctioned to the SLDBs. As regards the latter, the main purpose covered by the schemes related to minor irrigation and many schemes were of bigger size i.e. over Rs. 50 lakhs as against an average size of Rs. 17 lakhs in the case of commercial banks for the same purpose.

1.24. An analysis of the schemes sanctioned by the Corporation indicates that out of 5004 blocks in the country, 4621 blocks have one type or other of ARDC schemes sanctioned for implementation. Statewise position of 383 blocks without any ARDC scheme as at the end of June 1979 is as under :

Andaman and Nicobar Islands	5
Arunachal Pradesh	43
Assam	63
Bihar	2
Dadra and Nagar Haveli	1
Gujarat	1
Jammu & Kashmir	8
Lakshadweep	5
Madhya Pradesh	43
Manipur	5
Meghalaya	21
Mizoram	20
Nagaland	17
Orissa	23
Rajasthan	16
Tripura	7
Uttar Pradesh	69
West Bengal	34

2. STATE-WISE PROFILES@

Andhra Pradesh

During the year, 222 schemes involving refinance commitment of Rs. 90.8 crores were sanctioned to the financing banks in the state, as against 151 schemes involving refinance commitment of Rs. 45.8 crores in the previous year. Refinance disbursed during the year amounted to Rs. 49.6 crores as compared to Rs. 38.5 crores disbursed in the previous year. The share of SLDB in the refinance was higher at Rs. 42.8 crores as against Rs. 6.8 crores availed of by the commercial banks. Out of Rs. 49.6 crores disbursed, a sum of Rs. 38.6 crores or 78% of the total related to minor irrigation purposes and the balance of Rs. 11 crores related to diversified purposes.

2.2. Besides National Seed Project—Phase 1, two IBRD/IDA assisted projects, one for command area development and another for fisheries in the coastal areas are under implementation in the state. The progress of the CAD Project has been tardy because of absence of necessary legislation and organisational set up at the state level and the disbursement during the year amounted to Rs. 70.0 lakhs. In regard to fisheries project, the disbursement at the banks' level has just commenced.

2.3. The total number of schemes sanctioned in the state upto 30 June 1979 stood at 756 involving ARDC commitment of Rs. 271.1 crores against which availment was of the order of Rs. 164.3 crores. Of this, 473 schemes with commitment of Rs. 159 crores were sanctioned in the less developed regions of the state, against which the refinance availed aggregated Rs. 83 crores.

2.4. During the year 38 schemes involving refinance commitment of Rs. 11.8 crores were sanctioned to the financing banks in the state as against 65 schemes involving refinance commitment of Rs. 13.1 crores in the previous year. Refinance disbursed during the year at Rs. 2.3 crores was slightly lower than Rs. 2.7 crores disbursed in the previous year. The entire amount of refinance was availed of by commercial banks. Neither the SLDB nor the state co-operative bank availed of any refinance during the year in respect of sanctioned schemes. Out of Rs. 2.3 crores disbursed, a sum of Rs. 4 lakhs only was for minor irrigation purposes and the balance was for diversified purposes.

2.5. The poor performance in the State was due to absence of adequate infrastructure and proper climate for institutional finance. Besides, power shortage, lack of communication facilities and absence of surveys regarding availability of groundwater and other natural potential have retarded the progress. The absence of land records and non-availability of trained staff are other constraints. The state government has constituted a committee to examine the co-operative credit structure in the state to identify deficiencies and suggest remedial measures for making it an efficient channel of credit.

2.6. The Chairman of the Corporation held discussions with the state government officials on the problems relating to the scheme formulation and implementation and made suitable suggestions for improvement.

2.7. The commitments of the Corporation in the state aggregated at Rs. 28.2 crores as at the end of June 1979 against which aavilment was of the order of Rs. 7.2 crores only.

BIHAR

2.8. During the year 131 schemes involving refinance commitments of Rs. 31.4 crores were sanctioned to the financing banks in the state as against 166 schemes involving refinance commitment of Rs. 20.5 crores in the previous year. Refinance disbursed during the year amounted to Rs. 22.5 crores as against Rs. 18.6 crores disbursed in the previous year. The share of the commercial banks in the refinance was higher at Rs. 19.9 crores as against Rs. 2.6 crores availed by SLDB. SLDB's performance was affected on account of its high level of overdues. The problem was discussed by the Chairman at the highest level with the Chief Minister of the state as well as the officials of the state government and the lines on which the bank should be rehabilitated were indicated.

2.9. Of the total refinance of Rs. 22.5 crores disbursed during the year, a sum of Rs. 11.9 crores related to minor irrigation purposes and the balance of Rs. 10.6 crores to diversified purposes. In regard to minor irrigation while the usual type of farmer oriented investments are being developed, the Bihar Water Development Corporation is also playing a crucial role through construction of deep tubewells for supply of irrigation water.

2.10. An IDA-assisted National Seed Projects Phase II is under implementation in the state. The agricultural credit project and the market yard development project assisted by IDA were nearing completion.

2.11. The commitments of the Corporation in the state aggregated Rs. 153 crores as at the end of June 1979, against which availment was of the order of Rs. 91 crores.

Gujarat

2.12. During the year, 79 schemes involving refinance commitment of Rs. 15.8 crores were sanctioned to the financing banks in the state, as against 70 schemes involving refinance commitment of Rs. 22.4 crores in the previous year. Refinance disbursed during the year amounted to Rs. 15.2 crores as against Rs. 13.2 crores disbursed in the previous year. The share of the commercial banks in the refinance was higher at Rs. 14.5 crores in relation to only Rs. 0.6 crore availed of by the SLDB. Out of Rs. 15.2 crores disbursed, a sum of Rs. 10.3 crores was for minor irrigation purposes and the balance of Rs. 4.9 crores for diversified purposes.

2.13. The SLDB was not able to avail of larger refinance on account of heavy overdues. The Chairman of the Corporation had discussions with the State Chief Minister in March 1979 and consequently the state government has formulated certain proposals for the rehabilitation of the bank which are under consideration.

2.14. Command area development programme involving ARDC commitments of Rs. 23 crores as well as an IDA-assisted integrated fisheries project were under implementation in the state.

@Figures shown in maps are in Rs. crores as on 30 June 1979 and cover major purposes only.

2.15. The Commitments of the Corporation in the state aggregated Rs. 110.8 crores as at the end of June 1979, against which availment was of the order of Rs. 83.7 crores.

Haryana

2.16. During the year, 118 schemes involving refinance commitment of Rs. 47.1 crores were sanctioned to the financing banks in the state as against 57 schemes involving refinance commitment of Rs. 15.2 crores in the previous year. Refinance disbursed during the year amounted to Rs. 21 crores as compared to Rs. 11.1 crores disbursed in the previous year. The share of the SLDB in the refinance was slightly higher at Rs. 9.7 crores as against Rs. 9.5 crores availed of by the commercial banks which included short-term loans of Rs. 25 lakhs under the integrated Cotton Development Project (ICDP). The balance of Rs. 1.8 crores related to the short-term loans availed by the state co-operative bank under the same project. Of the total disbursements, a sum of Rs. 7.6 crores related to minor irrigation purposes, Rs. 11.4 crores for diversified purposes and the balance of Rs. 2 crores for short-term purposes under ICDP.

2.17. Apart from ICDP, two IDA assisted projects viz. Haryana Irrigation Project and the National Seed Project—Phase I were under implementation in the state.

Himachal Pradesh

2.18. The Commitments of the Corporation in the state aggregated Rs. 178.9 crores as at the end of June 1979, against which availment was of the order of Rs. 106.8 crores.

2.19. 10 schemes involving refinance commitment of Rs. 5.2 crores mainly under the IDA assisted project were sanctioned during the year to the banks in the state, as against 5 schemes involving refinance commitment of Rs. 43 lakhs only in the previous year. Refinance disbursed during the year amounted to Rs. 50 lakhs as against Rs. 23 lakhs disbursed in the previous year. The commercial banks' share in the refinance was higher at Rs. 44 lakhs than Rs. 6 lakhs availed of by SLDB. Out of Rs. 50 lakhs disbursed, a sum of Rs. 2 lakhs was for minor irrigation purposes and the balance of Rs. 48 lakhs was for diversified purposes.

2.20. An IDA assisted project for apple processing and marketing was under implementation in the state.

2.21. No systematic efforts were made in the state for exploitation of groundwater resources in areas where there is potential. Discussions were held with the state authorities on the problems connected with agricultural development and to finalise the norms for formulating fresh plantation/horticulture schemes. The Corporation had also deputed a team of officers, at the instance of the state government, to conduct a survey of tea growing areas in Kangra valley with a view to identifying the programme which can be promoted with ARDC's support.

2.22. The commitments of the Corporation in the state aggregated Rs. 8 crores as at the end of June 1979 against which availment was of the order of Rs. 1 crore.

Jammu & Kashmir

2.23. 3 schemes involving refinance commitment of Rs. 11 lakhs were sanctioned during the year to the banks in the state, as against 7 schemes involving Rs. 55 lakhs in the previous year. Refinance disbursed during the year amounted to Rs. 14 lakhs as against Rs. 15 lakhs disbursed in the previous year. The share of the commercial banks in the refinance was higher at Rs. 12 lakhs while Rs. 2 lakhs were availed of by SLDB. The entire refinance of Rs. 14 lakhs was for diversified purposes.

2.24. The pace of disbursement in the state continued to be negligible on account of weak co-operative credit structure with heavy overdues. The SLDB has not yet built up the necessary expertise for promoting development. Commercial banks with low credit deposit ratio and consequent high liquidity are not approaching the Corporation for refinance facilities. Apart from the weakness of the credit institutions, only 6% of the land in the state is cultivable because of the rugged topography. Owing to the cold winter temperature most of the land is cultivable only once a year, which restricts the scope for investments. An IDA assisted horticulture project for setting up of grading packing centres and a juice concentration plant is under implementation in the state. A part of the credit under the project has to be utilized for promoting the research on mushroom development which has good potential in the state.

2.25. The commitments of the Corporation in the state aggregated Rs. 2 crores as at the end of June 1979 against which availment was Rs. 1.2 crores.

Karnataka

2.26. 150 schemes involving refinance commitments of Rs. 22.1 crores were sanctioned during the year to the financing banks in the state as against 162 schemes for Rs. 28.8 crores in the previous year. Refinance disbursed during the year amounted to Rs. 14.3 crores as against Rs. 13.2 crores disbursed in the previous year. The share of commercial banks in the refinance wah higher at Rs. 9.4 crores as compared to Rs. 4.9 crores aaviled of by the SLDB. The performance of the SLDB was allected by the high overdues position of several PLDBs affiliated to it. This SLDB is one of the 5 banks for which the Chairman of the Corporation had high level discussions with the Chief Minister of the state on the measures necessary to rehabilitate the bank. Out of Rs. 14.3 crores disbursed, a sum of Rs. 3.7 crores was for minor irrigation purposes and the balance of Rs. 10.6 crores for diversified purposes.

2.27. The potential for sericulture in the state is vast and the Corporation has sanctioned during the year 22 schemes with refinance commitment of Rs. 6.4 crores for integrated development of sericulture including the provision of short-term credit.

2.28. Four IDA assisted projects viz. Karnataka Agricultural Wholesale Markets Project, Dairy Development Project, Irrigation Project and National Seed Project (Phase II) are under implementation in the state.

2.29. The Commitments of the Corporation in the state aggregated Rs. 182.6 crores at the end of June 1979 against which availment was Rs. 104.2 crores.

Kerala

2.30. 174 schemes involving refinance commitment of Rs. 30.3 crores were sanctioned during the year to the banks in the state in relation to 50 schemes involving Rs. 16.8 crores in the previous year. Refinance disbursed during the year amounted to Rs. 9.6 crores as against Rs. 3.7 crores in the previous year. The share of commercial banks in the refinance was higher at Rs. 7.1 crores while Rs. 2.5 crores were availed of by SLDB. Out of Rs. 9.6 crores disbursed, a sum of Rs. 5 crores was for minor irrigation purposes and the balance of Rs. 4.6 crores was for diversified purposes.

2.31. The Chairman of the Corporation held discussions with the state government and the LDB on the various problems faced by the bank in availing of larger quantum of refinance from the Corporation.

2.32. An IDA-assisted project for development of tree crops is under implementation in the state. The land development project in Kuttanad and Trichur Cole project are the other two major projects of land development under implementation in the state.

2.33. The commitments of the Corporation in the state aggregated Rs. 74 crores as at the end of June 1979 against which availment was Rs. 22.5 crores.

Madhya Pradesh

2.34. 399 schemes involving refinance commitment of Rs. 60 6 crores were sanctioned during the year to the financing banks in the state as against 190 schemes for Rs. 32.8 crores in the previous year. Refinance disbursed during the year amounted to Rs. 16.7 crores which was the same as was disbursed in the previous year. The share of the commercial banks was higher at Rs. 9.6 crores as compared to Rs. 7|1 crores availed of by SLDB. Out of Rs. 16.7 crores disbursed, a sum of Rsfl 14.2 crores was for minor irrigation purposes and the balance of Rs. 2 5 crores was for diversified purposes.

2.35. Two important command area development programmes are under implementation in the state, one in Chambal financed by the IDA and the other in Tawa in Hoshangabad district financed by the KFW of West Germany. The progress under these projects is slow mostly due to lack of response from the farmers and partly due to procedural delays. A forest development programme is also under implementation in the state through the state owned forest corporation with ARDC support.

2.36. The commitments of the Corporation in the state aggregated Rs. 186.7 crores as at the end of June 1979 against which aavilment was Rs. 104.4 crores.

Maharashtra

2.37. 241 schemes involving refinance commitment of Rs. 40.6 crores were sanctioned during the year to the banks

in the state as against 233 schemes involving commitment of Rs. 26.4 crores in the previous year. Refinance disbursed during the year amounted to Rs. 24.3 crores as against Rs. 19.7 crores disbursed in the previous year. The share of the SLDB was higher at Rs. 13.9 crores as against Rs. 10.4 crores availed by the commercial banks. Out of Rs. 24.3 crores disbursed, a sum of Rs. 17.7 crores was for minor irrigation purposes and the balance of Rs. 6.6 crores was for diversified purposes.

2.38. Refinance of Rs. 13.9 crores availed by SLDB was marginally higher than Rs. 12.5 crores availed by it during the previous year. The bank's performance was affected on account of high level of overdues of many of its branches. With a view to rehabilitating the bank the Chairman of the Corporation had, in March 1979, discussions with the Chief Minister and the state government agreed to take certain measures which included taking over all liabilities by the state in respect of certain loans to the extent of Rs. 8.15 crores.

2.39. An important activity financed in the state with ARDC support was the project of Bharatiya Agro-Industries Foundation (BAIF) for cattle development for collection of semen and manufacturing foot and mouth disease vaccine for providing health cover to cross-bred animals.

2.40. The Maharashtra Irrigation and Command Area Development Composite Project, the National Seed Project (Phase I) and Integrated Cotton Development Project assisted by IDA are under implementation in the state.

2.41. The commitments of the Corporation in the state aggregated Rs. 203.1 crores as at the end of June 1979 against which availment was Rs. 131.7 crores.

Manipur

2.42. During the year 2 schemes involving refinance commitment of Rs. 20 lakhs were sanctioned to the financing banks in the state as against 24 schemes involving refinance commitment of Rs. 1.4 crores sanctioned in the previous year. The refinance disbursed during the year amounted to Rs. 43 lakhs; entire amount was availed of by the state co-operative bank for diversified purposes.

2.43. A team of technical officers of the Corporation visited the state in November 1978 to guide the state government in the formulation of the bankable schemes for land development. The state government proposes to establish land development corporation and plantation crops development corporation shortly to promote development in the area.

2.44. The commitments of the Corporation in the state aggregated Rs. 2 crores as at the end of June 1979 against which availment was of the order of Rs. 0.8 crore only.

Meghalaya

2.45. No new schemes were sanctioned in the state during the year. The total number of schemes sanctioned in the state was only 5 as at the end of June 1979 involving financial assistance of Rs. 65 lakhs and refinance commitment of Rs. 59 lakhs. No drawals were made against the sanctional schemes which included a project for development of forestry to be implemented through the Meghalaya Forest Development Corporation involving financial assistance of Rs. 49 lakhs and refinance commitment of Rs. 44 lakhs.

2.46. A workshop on scheme formulation for the benefit of state government officials and banks operating in the North Eastern Region was organised by the Corporation in February 1979 with assistance from the state government.

2.47. The Chairman of the Corporation held discussions with the government officials on the problems faced and measures necessary to formulate schemes for agricultural development.

Nagaland

2.48. No scheme was sanctioned during the year in the state and no drawals were made against the schemes sanctioned earlier. As at the end of June 1979 the total number of schemes sanctioned in the state stood at 6 involving financial assistance of Rs. 50 lakhs and ARDC commitment of Rs. 47 lakhs against which availment was Rs. 18 lakhs only.

Orissa

2.49. 55 Schemes involving refinance commitment of Rs. 6.7 crores were sanctioned during the year to the banks in the state as against 65 schemes with commitment of Rs. 13.6 crores in the previous year, refinance disbursed during the year amounted to Rs. 8.7 crores as against Rs. 8.2 crores disbursed in the previous year. The share of the commercial banks in the refinance was higher at Rs. 4.3 crores as against Rs. 2.9 crores availed by SLDB. Out of Rs. 8.7 crores disbursed, a sum of Rs. 6.8 crores was for minor irrigation purposes and the balance of Rs. 1.9 crores was for diversified purposes. The progress of the availment of refinance in the state has been halting due to lack of adequately trained staff, absence of energetic agricultural extension service and organisational weaknesses of the financing institutions. The Corporation set up a study team to review on-going and pending schemes and to identify the steps necessary to speed up clearance of the proposals and also measures necessary to formulate more scheme for agricultural development.

2.50. An IDA-assisted extension-cum-research project is under implementation and it is expected to improve the extension facilities aavilable to the farmers. Two IDA assisted projects viz. Orissa Irrigation Project and National Seed Project (Phase II) are under implementation in the state.

2.51. The commitments of the Corporation in the state aggregated Rs. 78.4 crores as at the end of June 1979 against which availment was Rs. 27.3 crores. The total number of schemes sanctioned in the state upto 30 June 1979 stood at 298 involving commitments of Rs. 78.4 crores. Of this, 66 schemes with commitment of Rs. 18.4 crores were sanctioned in the less developed region of the state against which refinance availed of amounted to Rs. 4.7 crores.

Punjab

2.52. 154 schemes involving refinance commitment of Rs. 36.9 crores were sanctioned during the year to the financing banks in the state as against 96 schemes involving refinance commitment of Rs. 26 crores in the previous year. Refinance disbursed during the year amounted to Rs. 16.2 crores as compared to Rs. 11.8 crores in the previous year. The share of the commercial banks in the refinance was higher at Rs. 12.4 crores (inclusive of short-term loan of Rs. 0.2 crore under ICDP) as against Rs. 3.5 crores availed by SLDB.* Out of Rs. 16.2 crores disbursed, a sum of Rs. 5.7 crores was for minor irrigation purposes, Rs. 10.0 crores for diversified purposes and the balance of Rs. 0.5 crore was for short-term agricultural purposes under the Integrated Cotton Development Project.

2.53. In view of the shrinking scope for minor irrigation investment, schemes for water management have assumed importance in the state. A substantial programme, similar to the one in Haryana for modernisation of canals, water courses etc. is envisaged under the recently sanctioned Punjab Irrigation Project assisted by IDA. The state is also participating in 2 other IDA-assisted projects viz. National Seed Project (Phase I) and Integrated Cotton Development Project.

2.54. The commitments of the Corporation in the state aggregated Rs. 156 crores as at the end of June 1979 against which availment was Rs. 95.5 crores.

Rajasthan

2.55. 141 schemes involving refinance commitment of Rs. 34.6 crores were sanctioned during the year to the banks in the state as compared to 79 schemes involving refinance commitment of Rs. 19.7 crores in the previous year. Refinance disbursed during the year amounted to Rs. 16.2 crores as against Rs. 13.1 crores disbursed in the previous year. The share of the commercial banks in the refinance was higher at Rs. 10.4 crores while a sum of Rs. 5.8 crores was availed by SLDB. The state co-operative bank which was sanctioned refinance of Rs. 3.2 crores under the Antyodaya programme did not draw any amount during the year. Out of Rs. 16.2 crores disbursed, a sum of Rs. 9.7 crores was for minor irrigation purposes and the balance of Rs. 6.5 crores was for diversified purposes.

2.56. A study team was constituted by the Corporation to examine the progress of implementation of the on-going schemes, analyse the pending schemes and identify steps necessary to expedite sanction. The team also reviewed the perspective lending programme drawn up by the Corporation in the light of the potential available in the state and suggested areas in which fresh schemes can be formulated.

2.57. Two IDA-assisted projects viz. Chambal Command Area Development Project and the Rajasthan Canal Command Area Development Project are under implementation in the state. Besides, the Second Phase of the National Seed Project

assisted by IDA also covers Rajasthan for which a banking plan for the financing institution has been finalised. In regard to the command area development projects, the pace of disbursement is rather slow because of legal and procedural difficulties relating to allotment and transferability of land to eligible farmers.

2.58 The commitments of the Corporation in the state aggregated Rs. 137.6 crores as at the end of June 1979 against which availment was Rs. 52.7 crores.

Tamil Nadu

2.59 114 schemes involving refinance commitment of Rs. 14.4 crores were sanctioned during the year to the financing banks in the state as against 89 schemes involving commitment of Rs. 6.5 crores in the previous year. Refinance disbursed during the year amounted to Rs. 6.9 crores as against Rs. 8.9 crores in the previous year. The share of the SLDB in the refinance was higher at Rs. 4.4 crores as against Rs. 2.5 crores availed by commercial banks. Out of Rs. 6.9 crores disbursed, a sum of Rs. 4.3 crores was for minor irrigation purposes and the balance of Rs. 2.6 crores was for diversified purposes.

2.60 The pace of disbursement of refinance in the state had been showing a declining trend during the last 2 years mainly because the potential available for minor irrigation development had been more or less fully exploited. Tamil Nadu is one of the states which have provided a restricted role to the commercial banks in the field of minor irrigation.

2.61 SLDB was also handicapped because of the high overdues position of several affiliated PLDBs. In order to rehabilitate the bank, the Chairman of the Corporation had detailed discussions with the Chief Minister of the state in March 1979. Two separate groups appointed by the state government, one to go into the problems of LDBs' structure and the other to suggest measures for relief to farmers, particularly small farmers, have made their recommendations which are under consideration of the state government.

2.62 The commitments of the Corporation in the state aggregated Rs. 108.1 crores as at the end of June 1979 against which availment was of the order of Rs. 94.3 crores.

Tripura

2.63 During the year no scheme was sanctioned in the state; a sum of Rs. 1 lakh was drawn by the commercial banks for minor irrigation purposes against the scheme sanctioned earlier. Out of 8 schemes sanctioned upto 30 June 1979, 2 schemes related to forestry development to be implemented through the Tripura Forest Development and Plantation Corporation Ltd.

2.64 The commitments of the Corporation in the state aggregated Rs. 68 lakhs as at the end of June 1979 against which availment was of the order of Rs. 12 lakhs only.

Uttar Pradesh

2.65 361 schemes involving refinance commitment of Rs. 98.9 crores were sanctioned during the year to the banks in the state as compared to 220 schemes involving refinance commitment of Rs. 24 crores in the previous year. Refinance disbursed during the year at Rs. 48.8 crores was higher than Rs. 43.2 crores in the previous year. Of this, a sum of Rs. 27.6 crores was for minor irrigation purposes and the balance of Rs. 21.2 crores was for diversified purposes. The share of the SLDB in the refinance drawn during the year was higher at Rs. 26.1 crores as against Rs. 22.7 crores availed by commercial banks.

2.66 The state has command area development programmes in Ramganga, Sharda Sahayak and Gandak areas and the work on these projects has begun. SLDB had commenced disbursements of interim loans to the CAD authority for carrying out on-farm development in the field of farmers.

2.67 The state had successfully completed an IDA-assisted agricultural credit project by December 1977 and the survey conducted for preparation of the project completion report indicated that 60% of the beneficiaries of the banks' loans were small farmers. The National Seed Project (Phase II) assisted by IDA is under implementation in the state.

2.68 The total number of schemes sanctioned in the state upto 30 June 1979 stood at 1213 involving commitment of Rs. 348.2 crores, against which the availment was Rs. 212.8 crores. Of the schemes sanctioned, 349 schemes with commitment of Rs. 122.3 crores were in the less development region of the state viz. the eastern districts against which refinance availed aggregated Rs. 56 crores.

West Bengal

2.69 During the year 97 schemes involving refinance commitment of Rs. 23.8 crores were sanctioned to the financing banks in the state as against 89 schemes involving refinance commitment of Rs. 14.5 crores in the previous year. Refinance disbursed during the year in the state at Rs. 10.4 crores was only marginally higher than Rs. 10 crores disbursed in the previous year. The share of the commercial banks in the refinance was higher at Rs. 6.1 crores than Rs. 4.3 crores availed of by SLDB. Out of Rs. 10.4 crores disbursed, a sum of Rs. 7.8 crores was for minor irrigation purposes and the balance of Rs. 2.6 crores was for diversified purposes.

2.70 An IDA-assisted agricultural development project is under implementation in the state. Apart from the programme of shallow tubewells which is catching up, the project also envisages installation of tubewells by the Minor Irrigation Corporation. Several schemes for tea plantation have been sanctioned in the state in respect of which disbursements were yet to pick up as documentation and other formalities were yet to be completed.

2.71 The Chairman of the Corporation had discussions with the state government and the different commercial banks in June 1979 to explore ways and means for formulating more schemes and taking necessary steps to improve the drawals under the sanctioned schemes. A Comprehensive Area Development Corporation had been set up in the state for undertaking programmes of development in certain areas on a comprehensive basis. Twelve schemes sponsored by this Corporation were being processed.

2.72 The commitment of the Corporation in the state aggregated Rs. 65.8 crores as at the end of June 1979 against which availment was of the order of Rs. 29 crores.

3. IMPORTANT POLICY DECISIONS DURING THE YEAR

(1) Interest rates

An important decision taken during the year was the reduction in the rates of interest for refinance from the Corporation as well as those charged to the ultimate borrowers under its schemes. Following the decision of the Government of India to exempt ARDC, for a period of 5 years, from the payment of the Corporation Tax and to effect ½ per cent reduction in the rates of interest on its loans, the Corporation reduced the rates of interest under its schemes as under with effect from 15 March 1979 :

(Rate per cent)

	Old rates of inteest		Revised rates of interest	
	On refinance to eligible institutions	To ultimate borrowers	On refinance to eligible institutions	To ultimate borrowers
1. Minor irrigation and land development .	7·5	10·5	6·5	9·5
2. Diversified purposes :				
(*a*) Small Farmers	8	11	6.5	9.5
(*b*) Others .	8	11	7·5	10·5

The reduced rates will apply in respect of fresh disbursements made on or after 15 March 1979.

3.2 The Reserve Bank had also advised the SLDBs and the commercial banks to charge the same rates to their ultimate borrowers on term loans for agriculture and allied purposes for periods not less than 3 years, irrespective of whether they avail of refinance from ARDC or not.

(2) Relaxations in overdues discipline

3.3 The Standing Committee on Debenture Norms set up by the Reserve Bank of India in September 1975 reconsidered the existing norms during the year and recommended certain major modifications in the criteria. These norms relating to the regulation of advances by the SLDBs to PLDBs/branches of the SLDBs upto 30 September 1979 were finalised by the Reserve Bank of India and ARDC in consultation with the Government of India and IDA. The important modifications made in the criteria which became operative from January 1979 are as under :

(i) The earlier system of classification of PLDBs/branches of SLDBs on the basis of their overdues in slabs of 10 percentage points for the units having overdues above 25% of the demand has been changed to slabs of 5 percentage points each but the eligible lending programme of these units will be higher than what was admissible under the earlier system.

(ii) The PLDBs/branches having overdues of 55% of demand and above, instead of 60% of demand and above, as was stipulated earlier, will not be eligible for any lending programme except to meet the committed expenditure of second and subsequent instalments in respect of loans for which the first instalments were disbursed.

(iii) The overdues position of each PLDB/branch will be determined on the basis of average of last three years' overdues as at the end of June or of the previous year, whichever is less, as compared to the earlier norm of determining its eligibility on the basis of only the overdues as at the end of June of the previous year.

(iv) PLDBs/branches having overdues between 26 and 55 per cent of demand can also grant fresh loans upto the specified percentage of eligibility.

(v) All PLDBs/branches, irrespective of their overdues position, will be allowed to disburse the committed expenditure towards the second and subsequent instalments in respect of investments for which earlier instalments were disbursed so that the borrowers can complete their investments.

(vi) To encourage larger credit flow to small farmers, PLDBs/branches operating in the areas covered by the special programmes such as SFDA, DPAP, CADP etc. and having some eligibility as per the norms would be allowed to lend to small farmers identified as such under these programmes without restriction.

(3) Repayment of refinance by the SLDBs

3.4 Recognising the difficulties experienced by the SLDBs in making 100% recovery from individual borrowers to redeem on an annual basis the contributions made by ARDC to the special development debentures floated by them, the Corporation agreed to allow the SLDBs, with effect from 1 July 1978, to float special development debentures carrying a maturity period of not more than 2 years in excess of the period of the corresponding loans issued to the ultimate borrowers provided the maximum period of debentures does not exceed 15 years. This facility is, however, not available for debentures floated in respect of loans given to the corporate bodies such as State Electricity Boards where the individual recoveries are not involved.

3.5 The Corporation has also agreed to collect interest on an annual basis, instead of the earlier half-yearly basis, on the amounts of the special development debentures subscribed to by it on or after 1 July 1978. The annual interest is payable either on 1 July of each year or any other predetermined date or along with the annual instalment of debentures, the exact date being decided on mutual consent.

(4) Concessional refinance at 90% of the loans

3.6 ARDC has been providing 90% refinance to the SLDBs by way of subscription to their special development debentures for minor irrigation schemes, thus reducing the contribution of the state Governments to 10% towards such debentures. This facility was available upto 30 June 1979. The Corporation reviewed this question and it has now been decided to extend indefinitely the concession of 90% not only to the SLDBs but also to the commercial banks, the state co-operative banks and the regional rural banks in respect of minor irrigation investments. Further, this concession will also be available to these banks in respect of their loans/advances to the State Electricity Boards for energisation of agricultural pumpsets under ARDC schemes in those areas where the REC has not commenced implementation of the new scheme.

3.7 The refinance facility of 90% was also available for viable schemes of agricultural development supported by the special agencies such as SFDA, DPAP, and for tribal areas, scheduled castes and scheduled tribes and Girijans upto 31 March 1979. It has now been decided to continue indefinitely the facility of refinance to the extent of 90% of loans provided by the banks under these schemes.

(5) Financial assistance for energisation of pumpsets

3.8 During the year under review, the Corporation liberalised the scale of refinance to be made available in respect of loans issued by the member-banks to the State Electricity Boards for energisation of irrigation pumpsets whereby the financing banks may provide loans at the rate of Rs. 5,500 per pumpset of 5 HP as against the earlier rate of Rs. 4,500 per unit. Where motors of higher horse power are required to be installed on technical grounds, a higher loan may be allowed at a rate not exceeding Rs. 1,000/- for every increase in the power of the motor in slab of 2.5 HP each. The liberalised scale of financial assistance was made applicable in respect of wells energised from 1 July 1978 onwards. In view of the new scheme of Rural Electrification Corporation, the scheme of the ARDC will be continued only in those areas where the REC has not commenced implementation of the new scheme.

(6) Delegation of powers of sanction of refinance

3.9 Another decision taken by the Corporation related to the delegation of certain limited powers of sanction of refinance to the senior officers in the Head Office as well as the officers in-charge of the regional offices for expediting sanction of schemes received from the eligible institutions. The system of delegation has been working smoothly.

(7) Financial assistance for boring alone to small farmers

3.10 The Corporation, during the year, considered the question of providing refinance facilities for boring alone to help the small farmers who cannot afford to own pumpsets and agreed that in the states where the arrangements for hiring the pumpsets are satisfactory and the investments are technically feasible, the schemes for financing the small farmers for boring alone would be eligible for refinance facility subject to certain terms and conditions.

(8) Storage of foodgrains

3.11 In pursuance of the commitment given by the Corporation for augmenting the storage facilities for foodgrains as indicated in the last Report, the Corporation agreed, in principle, to extend the refinance facilities for construction of godowns for creating further storage capacity of 20 lakh tonnes by private parties in the states of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Maharashtra and Andhra Pradesh.

(9) Refinance for schemes for development of market yards

3.12 In the context of the market yard development programme contemplated in the next Plan and the difficulties experienced by state governments to charge the market fee of 1 per cent from inception, the Corporation agreed to extend refinance facilities to the schemes for development of market yards with market fee at ½% minimum, provided an enabling provision is made in the Act governing Agricultural Produce Market Committees to raise the fee to 1% in the subsequent two or three years. The Corporation has issued suitable guidelines in this regard to state governments.

(10) Capital subsidy to farmers with 2 to 4 hectares of land under ARDC schemes for minor irrigation investments

3.13 During the year, Government of India decided to extend capital subsidy to farmers with 2 to 4 hectares of land and accordingly, the subsidy at the rate of 20 per cent for individual schemes and 40 per cent for community schemes would be given to such farmers for minor irrigation investments under ARDC/ARDC type of schemes taken up on an area basis with ground water clearance. The subsidy to individual farmers would be subject to the same ceiling as applicable to small and marginal farmers under IRD programmes and would range between Rs. 3,000/- and Rs. 5,000/- depending upon the category of farmers i.e. tribal, non-tribal etc. Government of India has also decided to release the subsidy through the credit institutions which sanction the loan to ensure proper end-use of the credit.

4. MAJOR OBJECTIVES AND ACHIEVEMENTS

Major objectives which the Corporation has kept before itself are (1) institution building (2) reduction in regional imbalances (3) improving small farmers coverage under its programme and (4) diversification of business. Good progress has been achieved towards these goals during the recent years.

Institution building

4.2. One of the primary responsibilities which the Corporation has undertaken, as a development bank is to assist the member banks in institution building for facilitating larger lending for agricultural investments. The thrust in this regard is multi-pronged. The most important aspect is the broad basing and strengthening of the training arrangements for equipping the personnel in the member-banks and the state governments, with necessary skills in scheme formulation, appraisal and improving the quality of lending. These steps have been discussed elsewhere in the Report. The other important step taken by the Corporation is to help the banks in building up their loans portfolio through area development approach and diversification to improve their financial viability and enable them to gather necessary expertise. Shortcomings in their project formulation and follow-up and supervision over implementation have been sought to be remedied through issue of guidelines, workshops and discussions. They are also being gradually encouraged to establish a system for close monitoring and evaluation of the schemes sanctioned to them. A third dimension of the approach followed by the Corporation in regard to institution building is to evolve steps to streamlining the business practices, loaning procedures and criteria for lending and enforcing certain code of conduct. Preparation of banking plans by the Corporation for large projects by inducting the commercial banks as part of a multi-agency approach to development had helped in the elimination of the inter-institutional problems of credit and speeded up implementation of the programmes. This multi-agency approach has also promoted the growing involvement of commercial banks in term lending for agriculture and during the last two years, as discussed elsewhere in the Report, they absorbed more than half of the total disbursements of refinance. The emphasis on recovery performance, as a criterion for participation in the programme, is being continued by the Corporation and it is evidenced by the continuance, in a modified form, of the overdues discipline for SLDBs and setting up of a Standing Committee (CAL COB) for commercial banks. The Corporation also has constant dialogues with the member-banks to understand their operational problems and reviews its own policies on the basis of such discussions.

4.3. It was observed during 1977-78 that five of the SLDBs were burdened with heavy overdues which in turn threatened their financial viability. Apart from their organisational weaknesses, which were identified, the aspects which caused concern related to the larger size of defaulters, the burden of which these banks carried on account of implementing certain specific programme of the state government, the existence of sizeable infructuous investments on account of sizeable infructuous investments on account of which large scale overdues persisted etc. The Chairman of the Corporation helped by senior officials of the GOOI, Corporation and RBI had detailed discussions with the Chief Ministers of Bihar, Gujarat, Karnataka, Maharashtra and Tamil Nadu and formulated certain steps for their rehabilitation. The response has been encouraging and rehabilitation programme is under various stages of implementation.

Reduction in the Regional Imbalances

4.4. The profiles of Corporation's performance in various states have been presented elsewhere in the Report. The Corporation had reckoned in the earlier years the states of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Orissa, Assam, West Bengal and the North-Eastern states together with Rajasthan, Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh in the North as the less developed and/or under banked states in the country and concentrated its efforts in developing and promoting agricultural investment. While the investments in Uttar Pradesh, including the eastern parts of the state have picked up, investment rate in the states of Bihar, Madhya Pradesh, Orissa, West Bengal and Rajasthan have been maintained, though it has not been able to achieve a fast rate of development (Statement 6). Special efforts were made to depute special teams to some of the states like Rajasthan and Orissa to examine the causes for the slow pace of development and identify the potential for future lines of growth. In the north-eastern sector, a workshop was organised in order to facilitate project formulation and ensure smooth implementation of sanctioned projects. The Chairman and a team of officers from ARDC, RBI and the Government of India had discussions with the Chief Minister, other state government officials and SLDB of Bihar about the various aspects of promoting agricultural investments.

4.5. The results of the efforts made by the Corporation in promoting agricultural development in less developed states can best be assessed with reference to the position obtaining in 1972-73, which can be considered as the base year for the Corporation. The relative data are presented in Table 11 :

TABLE 11—DISBURSEMENTS MADE IN LESS DEVELOPED/UNDER-DEVELOPED STATES DURING 1972-73, 1977-78 AND 1978-79

(Rs. lakhs)

State	Disbursement during			Disbursement upto 30-6-79
	1972-73	1977-78	1978-79	
Himachal Pradesh	—	23	50	101
		(0·1)	(0·2)	(0·1)
Jammu and Kashmir	—	15	14	123
		(0·1)	(—)	(0·1)
Rajasthan	136	1312	1616	5269
	(1·4)	(5·6)	(5·7)	(4·0)
Assam	—	273	235	718
		(1·2)	(0·8)	(0·5)
Manipur	—	23	43	79
		(0·1)	(0·2)	(0·1)
Meghalaya	—	—	—	—
	—			
Nagaland	—	5	—	18
		(—)		(—)
Tripura	—	8	1	12
		(—)	(—)	(—)
Bihar	154	1864	2253	9055
	(1·6)	(8·0)	(7·9)	(6·7)
Orissa	11	816	878	2727
	(0·1)	(3·5)	(3·1)	(2·0)
West Bengal	4	996	1045	2900
	(0·1)	(4·3)	(3·7)	(2·2
Madhya Pradesh	319	1670	1666	10441
	(3·4)	(7·1)	(5·9)	(7·8)
Uttar Pradesh.	1143	4317	4877	21275
	12·1)	(18·4)	(17·1)	(16·0)
Total (All less-developed states)	1767	11322	12675	52718
	(18·8)	(48·3)	(44·5)	(39·5)
Total (All India)	9414	23430	28487	133356
	(100·00)	(100·00)	(100·00)	(100·00)

(Figures in brackets represent percentages to total)

4.6. It will be seen from the above Table that the aggregate disbursement during the year in these states at Rs. 127 crores represented as much as seven times the quantum of disbursement (Rs. 18 crores) availed of during the year 1972-73. The share of these states in the total refinance disbursed also substantially improved from 19% in the base year to 44.5% during the year under review. Though the growth rate in individual states was uneven due to operation of several factors, the progress was noteworthy in regard to Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Orissa and West Bengal over the years. The impact, however, continues to be negligible in Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and the north-eastern states where because of geographical factors, absence of infrastructural facilities and weaknesses of the credit structure a sizeable volume of lending could not be achieved.

4.7. Corporation has also been paying due attention to removal of imbalances as between the various regions in the same states and has sanctioned several schemes for development of agriculture and allied purposes (Statement 7).

4.8. The Government of India have recently constituted a National Committee on the development of backward areas of which the Chairman of the Corporation is a member. The National Committee has also constituted a Working Group to study the organisational structure for development of backward areas and recommend measures for streamlining them.

TABLE 12—FINANCE TO SMALL FARMERS**

(Rs. crores)

Purpose	Category	Total disbursement	Disbursement to small farmers		Percentage
			Amount	No. of Accounts	
Minor Irrigation	(a) IDA projects	329·9	111·1	1,49·100	34
	(b) ARDE I	112·5	62·4	83·400	55
	(c) ARDC II	154·1	82·8	1,10·400	54
	(d) SFDA/MFAL Schemes	35·8	35·9	89·800	100
	(e) Other schemes	201·4	111·9	2,79·700	56
	Total	833·8	404·1	7,11·400	48
Diversified	(a) IDA Projects*	13·1	5·3	35·300	40
	(b) ARDC I	10·5	4·0	5·300	38
	(c) ARDC II	29·6	10·0	13·400	34
	(d) SFDA/MFAL Schemes	5·4	5·4	11·600	100
	(e) Other schemesh@	74·5	44·2	1,47·300	59
		133·1	68·9	2,12·900	52
	Grand Total	966·9	473·0	9,24·300	49

*Land development only.
@Excludes farm Mechanization and Storage & Market Yards.
**Provisional as on 31 March 1979.

Small farmer coverage

4.9. The Corporation has been progressively improving the coverage of small farmers under its programme. It has been able to fulfil its commitments under the First and Second ARDC Credit Projects that at least 50 per cent of its disbursements under these projects were against loans given to small farmer beneficiaries. As at the end of March 1979 the disbursements of refinance against loans to small farmers under the Second ARDC Credit Project aggregated Rs. 93 crores constituting 51 per cent of the total disbursement under the project. The available data on small farmer coverage under all ARDC Programmes are presented in Table 12.

4.10. It will be observed from the table that in overall terms the coverage of small farmers under minor irrigation marginally improved to 48 per cent while under diversified purposes excluding those for farm mechanisation, storage und market-yards the percentage declined to 52 per cent mainly due to larger disbursements under plantation and fisheries. It is significant to note that the field surveys conducted in regard to Madhya Pradesh and Uttar Pradesh project completion reports have established that more than 50 per cent of the beneficiaries under the project were small farmers. The Corporation still experienced considerable difficulty in collecting data from the member banks regarding the extent of small farmers covered under the various ARDC programmes sanctioned in their favour.

4.11. During the year, the Corporation sanctioned 177 schemes under the aegis of small farmers development agencies with commitments of Rs. 18.2 crores (Statement-8). As at the end of June 1979 total number of such schemes stood at 534 involving Corporation's commitment of Rs. 90 crores; of this, SLDBs account for 155 schemes while the commercial banks and the state co-operative banks were sanctioned 2358 and 21 schemes respectively. Purposewise, the schemes for minor irrigation accounted for the bulk of the sanctions at 227 followed by dairy development, numebering 211. Other purposes covered related to poultry (13), sheep-breeding (43), land development (22), plantation and horticulture (9), piggery (2), fisheries (2), and others (5). The total disbursements of refinance during the year under these schemes were of the order of Rs. 14.4 crores as compared to only Rs. 5 crores in the previous year. The aggregate drawals under these schemes were Rs. 47.0 crores as at the end of June 1979 constituting 50 per cent of the commitments.

4.12. A major development during the year has been the intensification of the programme of Integrated Rural Development (IRD) initiated by the GOI under the current plan. Its main objective is to provide full employment and better standard of living to the target group through productive programme within a definite time span. A programme has been initially taken up in 2300 blocks in the country and it is proposed to cover 3500 blocks by the end of current plan period. Accent of the programme is on the weaker sections of the rural society consisting of small and marginal farmers, share croppers, agricultural labourers, rural artisans, scheduled casts and scheduled tribes. The schemes of development which may be taken up under this programme include minor irrigation, land development, agricultural implements and animal husbandry programmes. Capital subsidy ranging from 25 to 33 1/3 per cent is available to the beneficiaries under this programme. The Corporation has undertaken an obligation for preparation of banking plans for IRD blocks in respect of investments for which refinance will be eligible. Several Plans have been prepared and are being sanctioned.

4.13. Special mention may also be made of the Antyodaya Programme drawn up by the Rajasthan State Government. It envisages identifying at least 5 poorest families in each village and improving their economic status through development of agricultural and allied activities, development of village industries etc. The main crux of the programme will be through animal husbandry schemes and promoting other subsidiary occupations. The Corporation has committed funds to the extent of Rs. 3.2 crores for this programme in favour of the Rajasthan State Co-operative Bank.

Diversification of operations

4.14. Efforts towards diversification of the business of the Corporation and of the member banks were continued during the year under review. As mentioned earlier, increasingly large number of schemes for purposes other than minor irrigation have been sanctioned. During the last 2 years command area development programme has assumed importance. Apart from the 7 projects assisted by IDA/IBRD under this category, several other projects have been sanctioned by the Corporation in other states notably in Gujarat and Uttar Pradesh, in which institutional credit support for on-farm development is involved. Following the detailed review of the implementation of the projects in December 1978 at the highest level, the Corporation has been taking up with the state governments various issues to remove the constraints to credit flow. On its part, it has relaxed its procedure and permitted disbursement of interim finance to implementing agency in suitable instalments and also *ad hoc* loans on government guarantee for completed development pending categorisation of the borrowers into eligibles and ineligibles.

4.15. Another area of development which holds promise and which will largely benefit small farmers is inland fisheries. Fish farming of carp is the major source from which an increased supply of fresh fish can be harvested. This programme has great potential especially in Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Orissa and West Bengal which have 70 per cent of the total water area for cultured fish-ponds. The Corporation has already sanctioned 50 schemes involving commitment of Rs. 7 crores for this item of development. An IDA assisted project, first of this kind in India, is also being negotiated for this purpose.

4.16. Other areas in which efforts are being made to diversify the operations relate to sericulture, marketyard development, storage, plantations, cross-breeding of cows, modernisation of the slaughter houses and setting up of modern compost plants. A sericulture project with IDA assistance is also being considered in Karnataka. Steps are being taken to extend Corporation's involvement in other plantations such as coffee, rubber etc. by exploring whether the schemes of development drawn up by Commodity Boards can be supported by institutional credit with refinance assistance from the Corporation. The Corporation is also supporting the cross breeding of indigenous cows sponsored by the BAIF. Several such schemes have been sanctioned. Similarly the scheme for rearing of cross bred heifers is also catching up in many States.

TABLE 13—IDA/IBRD PROJECTS ACCORDING TO PURPOSE

(Rs. crores)

Purpose	Disbursement necessary to utilise the IDA Credit	Account of IDA/IBRD assistance for ARDC programme	Refinance PROVIDED by ARDC as on 30 June 1979	Amount of disbursement from IDA/IBRD through GOI as on 30 June 1979
1. Minor irrigation	1213·9	673·9	617·7	415·6
2. Land development	11·7	8·3	8·5	
3. Farm mechanisation	93·3	57·3	64·6	
4. Market Yard development	23·8	17·2	18·5	10·2
5. Processing and marketing of perishable horticulture products	30·3	13·3	0·4	—
6. Dairy development	60·6	33·8	—	—
7. Command Area Development	68·6	46·5	6·6	5·4
8. Seed Production	51·0	35·9	2·2	1·9
9. Diversified purposes** (such as tree crops, poultry, etc.)	172·9	87·8	54·5	10·0
10. Fisheries development	22·3	7·6	—	—
11. $ Cotton development and processing	16·1	10·3	2·5	1·1
	1764·5@	991·9@	775·5	444·2

**includes development of plantation crops in Kerala.

$ includes short-term credit of $ 7·5 million earmarked for growing improved variety of cotton under the integrated Cotton Development Project.

@includes credit component of ARDC Credit Project III

5. PROJECTS WITH EXTERNAL AID

I : IDA/IBRD Assisted Projects

As the full utilisation of the credit available from second ARDC Credit Project was nearing completion, steps were initiated to prepare and negotiate the Third ARDC Credit Project with the World Bank and IDA in April 1979. The negotiations were successfully completed by the Government of India and the Corporation and a credit of $ 250 million was approved by IDA in July 1979. The credit is for supporting a two-year lending programme of the Corporation, even though the reimbursement is to be limited to a few purposes as in the case of the earlier credits. A welcome development during the period was the interest evinced by agencies like the CIDA of Canada, KFW of West Germany, U.K., Switzerland and Japan in providing resources to ARDC to further their involvement in agricultural development. These credits for which negotiations between the Government of India, Corporation and the different agencies are in various stages of completion will not in any manner affect the drawals on the IDA credit, but supplement the resources available to the Corporation. With the approval of Third ARDC Credit Project, the total credit committed by the World Bank/IDA to be channelled through the Corporation has crossed the US $ 1 billion mark.

5.2. While generally this project followed the pattern of Second ARDC Credit Project, it recognised the increasing role played by commercial banks in agricultural investments, efforts that still remained to be done in institution building of the co-operative land development banking system, improvements necessary in quality of lending especially for minor irrigation investments, the importance of district level and block level planning, the improvements necessary in monitoring and evaluation systems and the critical role of training arrangements in equipping the staff of member banks for

improving the quality of lending and increasing the small farmer coverage.

5.3. Apart from the Third ARDC Credit Project, the Punjab Irrigation Project was also negotiated with the World Bank during the year.

5.4. At the end of June 1979, 37 projects have been sanctioned by the World Bank Group in which a total credit of $ 1167 million is to be routed through ARDC. This included 12 agricultural credit projects, 7 command area development projects, 3 dairy development projects, 3 seeds projects, 2 market yards projects, 2 horticulture produce marketing projects, 2 fisheries projects, an integrated cotton development project, 3* general lines of credit to ARDC and 2 irrigation projects. The details regarding the purpose-wise lending programme and disbursement made so far as well as the amount reimbursed or eligible for reimbursement from IDA at the end of June 1979 are given in Table 13. Brief details of individual projects are indicated in Statement 9 and the data regarding total lending programme, disbursement and other details are presented in Statement 10.

A. Second ARDC Credit Project

5.5. The ARDC disbursement under the ongoing Second ARDC Credit Project at the end of June 1979 at Rs. 238 crores will qualify for drawal of IDA Credit of $158 million out of the total allocated credit of $ 200 million. Efforts are being made to avail of the balance of credit of $ 42 million as early as possible.

5.6. The disbursements under the project were spread over 22 states/union territories. Of this, Rs. 195 crores were for minor irrigation purposes while a sum of Rs. 43 crores was towards refinancing loans for diversified investments, such as, dairy, poultry, fisheries, plantations etc.

B. Agricultural Credit Projects

5.7. So far, nine agricultural credit projects sanctioned in the states of Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra, Madhya Pradesh, Haryana, Gujarat, Punjab and Uttar Pradesh have been successfully completed. The Corporation's disbursements in these projects aggregated Rs. 328 crores involving IDA Credit of $ 278 million.

5.8. Presently three projects viz., Bihar Agricultural Credit Project, West Bengal Agricultural Development Project and Kerala Agricultural Development Project are under implementation. In the Bihar Agricultural Credit Project the disbursement of refinance at the end of June 1979 stood at Rs. 38.9 crores. If the programme of the Bihar Water Development Corporation financed is also included for reimbursement, the project could be closed soon. The matter is in correspondence with the GOI/IDA. In the West Bengal Agricultural Development Project there has been good progress in the shallow tubewells programme whereas the deep tubewells programme and the other components such as agro-service centres and market yard development are proceeding slowly. The disbursement by ARDC at the end of June 1979 under this project would qualify for a drawal of $ 11 million out of $ 15 million. In the Kerala Agricultural Development Project, the first disbursement of Rs. 25 lakhs was made by the Corporation during the year. The usual start-up delays accounted for the slow pace of implementation.

C. Command Area Development Projects

5.9. There are at present seven Command Area Development Projects which are being assisted by the World Bank Group for which credit for on-farm development is being routed through the Corporation. These comprised two projects in Rajasthan, one each in Madhya Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka and Orissa. Limited progress has been made in Rajasthan, Andhra Pradesh and Maharashtra CAD projects. Several factors were responsible for the slow progress. In Andhra Pradesh, the necessary legislation empowering the CAD to develop the land of beneficiaries on a compulsory basis has not yet been enacted. In that state as well as in Karnataka no separate corporate body or agency has been set up to implement the project. In Rajasthan, realignment and rectangularisation of plots had posed some legal problems. In Orissa, the farmers in the command area are reluctant to avail themselves of bank loans for on-farm development work. The state government is stated to be considering construction of field channels and drainage at government cost and recover the same through the levy of additional water charges. Consequent on the decision of ARDC to provide interim finance, in Maharashtra the banks had disbursed an aggregate sum of Rs. 71 lakhs to enable the Land Development Corporation to implement the project programme. This interim finance will be adjusted by way of loans to eligible borrowers and special loans to ineligible borrowers. In Madhya Pradesh, the programme is proposed to be reduced from 12,000 ha. to only 5,000 ha. as farmer response is not satisfactory.

*Including Third ARDC Credit Project sanctioned in July 1979.

5.10. In command area development projects, for financing the development in the fields of farmers who are treated as ineligibles for various reasons, the Corporation is maintaining a special loan account to which contributions are being made by GOI, the concerned state government and ARDC. At the end of June 1979 the accretions to this fund stood at Rs. 6.6 crores in respect of nine states including Uttar Pradesh, Bihar and Gujarat where no specific IDA project has been sanctioned. Of this, a sum of Rs. 1.2 crores has already been released under the Rajasthan Canal Command Area Project.

D. Dairy Development Projects

5.11. Of the three dairy development projects sanctioned by IDA in Rajasthan Madhya Pradesh and Karnataka the project authorities in Madhya Pradesh and Rajasthan have opted for funds from the Indian Dairy Corporation in view of the favourable terms. Only the cross-bred cows programme in the Karnataka Dairy Development Project will be financed by the banks with refinance assistance from ARDC. Implementation of this programme for which a banking plan has been finalised by ARDC is likely to commence from 1979-80.

E. Market Yards Projects

5.12. Two Market Yards Projects are under implementation in Bihar and Karnataka. The Bihar Market Yards Project is proceeding satisfactorily and it is likely to be completed by the extended closing date, i.e. 31 December 1979. The factors contributing to the delays in the implementation of the Karnataka Agricultural Wholesale Markets Project have been sorted out and the project implementation is now expected to be smooth. It is likely that the project closing date may have to be extended by one year from 31 December 1979 to complete the schemes.

F. Seed Projects

5.13. The Tarai Seed Project has been closed. Under the National Seed Project Phase I which covers the states of Andhra Pradesh, Haryana, Punjab and Maharashtra, only one scheme has been sanctioned in Punjab and ARDC has released refinance assistance of Rs. 28 lakhs. Proposals received from Maharashtra Seed Corporation and State Farm Corporation of India are under consideration of ARDC.

5.14. Under the National Seed Project Phase II a project report for seed processing plant to be set up by the State Seed Corporation of Bihar has been technically cleared by ARDC.

G. Integrated Cotton Development Project

5.15. In the ICDP, a disbursement of Rs. 2.5 crores was made during 1978-79 under the seasonal loan account. Claims filed by ARDC under this category aggregate $ 1.8 million so far. Haryana has been making good progress in the provision of short-term loans. In Maharashtra, no drawals were made because of various factors especially the high overdues position of the district central co-operative bank. In Haryana, two saw ginneries and one integrated cotton seed processing unit are being set up under the project. A proposal for setting up of a third saw ginnery is under consideration. In Maharashtra, the corporation has prepared a feasibility report for a solvent extraction plant to be set up by a state-owned undertaking.

H. Fisheries Projects

5.16. In the Gujarat Fisheries Project, construction of 45 mechanised vessels has been completed and a scheme for

financing the purchase of the vessels has been sanctioned for Rs. 62 lakhs Orders for supply of 1400 outboard motors have also been placed under the project. In the Andhra Pradesh Fisheries Project which became effective in October 1978 a banking plan was prepared by ARDC. The first disbursement of Rs. 2 lakhs was made under the project by ARDC during the year.

I. Horticulture Projects

5.17. The Jammu & Kashmir Horticulture Project became effective in January 1979 and a banking plan was prepared by ARDC. The project implementation will commence during the current year. In the Himachal Pradesh Apple Processing and Marketing Project all schemes envisaged under the project, except the programme of aerial cableways, have been sanctioned. So far ARDC has disbursed Rs. 44 lakhs under the project. The project closing date has been extended upto December 1980.

J. Irrigation Projects

5.18. The Haryana Irrigation Project became effective in December 1978. Schemes have been sanctioned for lining of water courses, construction of augmentation tubewells and other items of development contemplated under the project. The Punjab Irrigation project was sanctioned by IDA in March 1979 involving a credit of $46 million. The development to be financed under the project consists mainly of modernisation of water courses. A banking plan under this project is being finalised.

K. Projects in the pipeline

5.19. An inland fisheries project for setting up of 27 modern fish hatcheries and improvements in about 1,17,000 ha. of fish ponds covering the States of West Bengal, Bihar, Orissa, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh is likely to be negotiated with the World Bank shortly. Pre-appraisals of a multi-state Cashew Development Project and a sericulture project submitted by the Government of Karnataka were done by IDA Missions. The World Bank appraisal Mission for Karnataka Sericulture Project is likely to visit India in September 1979. A team of the World Bank will shortly study the second phase of the Rajasthan Canal Command Area Development Project.

II. Projects Assisted by Other International Aid Agencies

(a) Project assisted by Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KFW).

5.20. Under the CAD Project being implemented in Hoshangabad district of Madhya Pradesh with assistance from KFW Germany, technical clearance for on-farm development has been given in respect of 61 schemes. The Corporation also disbursed refinance assistance of Rs. 18 lakhs for purchase of machinery and equipments by the Madhya Pradesh Land Development Corporation. In respect of on-farm development work ARDC disbursement amounted to Rs. 9 lakhs. Global tenders have been invited by the Madhya Pradesh Land Development Corporation for their requirements of imported machinery.

(b) Projects to be assisted by other aid agencies

5.21. Mention was made in the last year's annual report about CIDA credit to ARDC. During the year, CIDA extended a credit of Canadian $ 15 million which could be fully drawn, against disbursements made under the second ARDC Credit Project during October-December 1978.

The terms and conditions of this credit were similar to the terms stipulated by IDA under the Second ARDC Credit Project. CIDA also associated their officials with the appraisal mission of IDA on the Third ARDC Credit Project. Similarly a credit of £ 15 million was also available to be drawn under the United Kingdom/India Local Costs Grant 1974 against disbursements made under the Second ARDC Credit Project. This credit will be utilised fully shortly.

6. OTHER SIGNIFICANT DEVELOPMENTS

Monitoring and evaluation

Monitoring, concurrent evaluation and ex-posts evaluation studies besides preparing the end-of-scheme reports and project completion reports (PCR) continued to be an important item of work attended to during the year. These studies are inter-related and serve the basic objective of getting adequate feed-back on the implementation of the programme at the field level to draw lessons for better scheme formulation, appraisal and implementation. Apart from the quarterly returns received from the member banks on financial and physical progress of each scheme, the Corporation carries out monitoring and concurrent evaluation studies in respect of schemes while under implementation, to collect and analyse important data to provide the management with timely information on project/scheme progress and indicate the corrective actions required, if any. The project completion reports and end-of-scheme reports are prepared immediately after the completion of the project/scheme. The PCR, which relates to the projects sanctioned by IDA, attempts a comprehensive review of the projects completed covering the physical and financial progress, project cost, utilisation of credit and its re-allocation, sources of finance, organisation and management of implementing agencies, policy changes, small farmer coverage and benefits derived by the beneficiaries and sector impact etc. and draw conclusions on project design and strategy for development. The end-of-scheme reports are prepared for individual completed schemes to summarise lessons learnt during implementation and utilise them for improving the design of the new schemes for the same purpose. Evaluation studies are, however, done only after the completion of the schemes and allowing sufficient time for the beneficiaries to derive full benefit from the investments. They serve the long-term objective of assessing the economic benefits accruing from investments so as to compare the ex-ante expectations with ex-post achievements. They also focus attention on the difficulties faced by the beneficiaries in realising the maximum benefit from investments.

6.2. During the year the Corporation carried out several studies covering all purposes of development (the studies have necessarily to be selective in view of the large number of schemes), findings of which were communicated to the implementing banks. At the instance of the World Bank, the Corporation undertook a monitoring and evaluation study of the working of the rotational water supply system (warabandi) introduced in Andhra Pradesh in selected areas in Pochampad Project. While the results of the monitoring studies have been communicated to the concerned authorities the report on the evaluation of benefits was under preparation.

With a view to strengthening the monitoring and evaluation work in the Regional Offices, agricultural economists were posted in most of the offices after giving necessary training. As in the previous year, the Corporation conducted four short duration training programmes on monitoring and evaluation for the benefit of officers of the financing banks.

6.3. Considering the large number of schemes sanctioned and limited staff available, the Corporation proposes to introduce further refinements in its monitoring system. In future, each district may be the basis of such monitoring. Based on the progress reports to be submitted by member banks in respect of the schemes sanctioned, a sample of branches of participating banks and beneficiaries will be selected for detailed study and draw conclusions. Problem schemes will be identified and studied in depth.

6.4. During the year, nine end-of-scheme reports relating to schemes for different purposes were completed and such reports in respect of 14 other schemes were being finalised.

Project Completion Reports (PCR)

6.5. During the year, the work relating to three PCRs in respect of Karnataka, Uttar Pradesh, and Madhya Pradesh agricultural credit projects was completed and the reports have been finalised. Under all these projects the major share of the investments was for minor irrigation; in Karnataka, however, the investment in farm mechanisation component was equally significant.

6.6. The farm benefit survey conducted in UP showed that with a total investment of about Rs. 650 million for minor irrigation the cropping areas increased by about 50,000 hectares. The incremental production at full development was expected to reach an estimated level of Rs. 550 million. About 66% of the loans made went to small farmers. Further, the investments are estimated to have generated additional employment of about 25 million man-days a year. The financial rates of return on these investments ranged between 23 and 33 per cent.

6.7. In Madhya Pradesh, a total of 2,50,000 cultivators with their dependents benefited from the project investments. The small farmer coverage was also satisfactory accounting for about 55 per cent of the total loans disbursed. The weaker sections of the agricultural community also benefited as a result of creation of recurring employment from these investments estimated at 8.2 million man-days. The financial rates of return ranged between 27% and 37% depending upon the type of investment.

6.8. The results of the field studies in Karnataka for the PCR showed that the minor irrigation and land development investments financed under the project were financially and economically viable. About 27% of the lending under minor irrigation and 25% of the lending under land development were in favour of small farmers. The financial rates of returns were 21% for dugwells with pumpsets, and above 50% for land development as against the appraisal estimates of 19% and 59% respectively. The investments resulted in the increase of demand for hired labour in well construction and land development at about 33 million man-days and for on-farm operations, at 11 million man-days per annum on a recurring basis. The value of incremental output was estimated at Rs 170 million at 1976-77 prices which was lower than the appraisal estimate at Rs. 360 million.

6.9. So far, the PCRs have been prepared or finalised in respect of 8 agricultural credit projects and the first ARDC Credit Project. The main conclusions which have emerged from these reports are that the main objective of achieving increased agricultural production through extension or irrigation by use of modern technology was clearly achieved and the financial returns to the farmers were satisfactory. While some LDBs performed well, other LDBs did not fare satisfactorily because of high overdues position. The multi-agency approach to credit by induction of commercial banks in these projects has been beneficial in that their involvement has been substantial and has contributed to quicker implementation of the projects. The Corporation's standard of appraisal and supervision was found to be satisfactory and there was also a distinct shift from purely security-oriented lending to appraisal based on incremental income. Quality of lending had improved and the objective of covering a large number of small farmers was also achieved.

Evaluation

6.10. The Evaluation Cell finalised the report on the scheme for development of marine fisheries in Karnataka referred to in the last year's report. Two more studies, one relating to the poultry development scheme in Andhra Pradesh and the other on coffee plantation scheme in Karnataka were finalised. The poultry scheme in Andhra Pradesh, implemented during 1974-75, revealed that while the production of eggs was generally in line with the estimates made during appraisal, the actual cost incurred in setting up of a farm was on an average three times the cost originally estimated because of construction of pucca sheds as compared to improvised structure and increased cost of basic inputs. While the income from eggs and culled birds was higher, the net surplus however, worked out to be lower because of increase in prices of poultry feed. The internal rate of return to the borrower under the sheme worked out to be a fairly high rate of 29 percent.

6.11. The scheme on marine fisheries in Karnataka, implemented during 1973-74 and 1974-75, was aimed at augmenting the catch of fish by providing mechanised fishing boats to eligible borrowers in the coastal districts of South Kanara. In all 49 boats have been financed and were working satisfactorily, the net income averaged about Rs. 26,300/- for 30' boat and Rs. 35,400/- for a 32' boat during the year 1975-76 which was a normal year for fish catch. However, the net income was comparatively low during the subsequent year on accouont of relatively low catches. The annual employment generated as a result of the scheme was about 84,000 man-days and the financial rate of return worked out to 42 per cent for both types of boats indicating that the investment was profitable.

Staff Development

6.12. The growing business, its increasing complexities and the ever enlarging scope for new business, necessitated in the Corporation having a fresh look at its staffing pattern and internal organisation. While authority and responsibility in the earlier years was primarily centralised with the head office of the Corporation, it was thought expedient to decentralise these to the regional offices on the basis of increasing experience. The main emphasis of the plan is to strengthen the regional offices of the Corporation and equip them with technical and professional staff to handle increasing workloads and play effectively the developmental role assigned to them.

6.13. If agricultural investments are to be promoted in a planned way and should have an impact on the masses, the unit of planning will have to be blocks, consistent with technical considerations. The ARDC programmes thus become part of the larger rural development programme and the Corporation will have to play the appropriate role in this respect.

6.14. Thirteen officials from the Corporation were deputed for training at the programmes conducted by the various management Institutions, CAB, Pune and other institutions. Two in-service orientation programmes were arranged in Head Office of ARDC in which 51 Assistant Development Officers participated.

Conference of Officers in charge of the regional offices

6.15 The Fifth Conference of the officers in charge of the regional offices of the rorporation was held from 29 May to 1 June 1979, mainly for the purpose of reviewing the operations, performance budgeting and to acquaint the regional offices with the salient features of the Third ARDC Credit Project negotiated with the World Bank in April 1979. The Conference also reviewed the performance of the regional offices in the exercise of powers to sanction schemes delegated to them and implementation of IRD programme. One of the distinguishing features of the Conference was that two sessions were arranged for discussions with important customers of the Corporation viz. the state land development banks and the scheduled commercial banks for better understanding of the policies and operations of the Corporation and to understand their operational problems.

Publications

6.16 The Corporation has brought out during the year small pamphlets on the formulation of schemes for agricultural development covering dairy, poultry, fisheries and plantations, such as coffee and tea. These are meant more for the education of layment and prospective beneficiaries to understand the type of facilities available and aspects to be taken into account while taking up such a development. The publication "Technical aspects of Agricultural Projects" was revised and brought uptodate during the year. The Corporation has also published a book of important circulars issued during the period January 1976 to January 1979. Detailed checklists were also prepared and circulated to state governments and eligible institutions in respect of scheme for minor irrigation, land development and several other diversified purposes to help in better scheme formulation and to ensure that the banks include all necessary information in the schemes submitted to the Corporation to avoid unnecessary correspondence and expedite sanction.

Research and Development Fund

6.17. The Corporation had set up during 1977-78 a Research and Development Fund with an appropriation of Rs. one crore from its net profit. The Fund is to be utilised for supporting research-cum-action projects in the field of rural development, assisting member banks on a selective basis for strengthening their capabilities for project preparation, monitoring and evaluation and permitting research in areas of interest to the Corporation. The rules governing the utilisation of the Fund are being finalised and projects suitable for assistance are being identified.

Committees, Working Groups, Studies etc.

6.18. The Committees set up by ARDC to examine the interest rates spread for agricultural lending sector with particular reference to LDBs, estimated pumpset replacement requirements and study, on a sample basis, possible groundwater over-exploitation areas, referred to in the last year's Report, have more or less completed their work and the reports are being finalised.

6.19. During the year the Corporation conducted studies, through consultants and its own technical staff, in selected districts of Andhra Pradesh, Uttr Pradesh, Bihar, West Bengal and Orissa on the question of technical standards adopted in selection and installation of irrigation pumpsets at the

wells of the farmers. The studies revealed that the pumpset efficiency was as low as 50% both in the case of oil engines and electric motors as against the optimum efficiency of 70% to 75%. The low efficiency was attributable, among others, to lack of co-relation between prime movers and the designed discharge, non-observance of technical requirements for installation, poor maintenance, frictional losses in pipes and foot valves, and over-loading of electric motors, etc. The problem of low efficiency calls for a multi-disciplinary approach. The Corporation proposes to take appropriate measures for quality control of pumpsets, as discussed in the section on "Future Perspective".

6.20 A committee under the Chairmanship of Shri B. Sivaraman (of which the Chairman of the Corporation is a member) has been set up by the RBI to review the existing institutional arrangements for agricultural credit and rural development. One of the important terms of reference of the Committee relates to reviewing the structure and operations of the Corporation in the light of the growing needs for term loans for agriculture and allied purposes.

6.21 With a view to increasing the capabilities of commercial banks and developing them into efficient instruments of agricultural investment during the 6th Plan. ARDC has constituted a Standing Committee with Shri M. Ramakrishnayya, Chairman of the Corporation, as its Chairman to review the existing arrangements and recommend suitable measures of improvement. The Committee on Agricultural Loans through Commercial Banks (CALCOB) consists of representatives from the Government of India, Reserve Bank of India and Commercial Banks besides ARDC. The Committee is expect to review the existing systems and procedures in regard to the provision of investment credit for agriculture and evolve appropriate guidelines and action programme where necessary to bring about improvement in their recovery performance.

6.22 During the year, the Chairman and/or Managing Director of the Corporation participated in the meetings of Regional Consultative Committee for the nationalised banks for the Northern, North-èstern, Southern and Western zones to have intimate contacts with the state governments to know the position and progress of implementation of ARDC schemes and to sort out the problems at the highest level.

Workshops

6.23 A workshop on scheme formulation was organised in Meghalaya in February 1979 for the benefit of state government officials and banks in the North Eastern States. During the year, the Corporation extended financial assistance (i) to Madhya Pradesh Rajya Bhoomi Vikas Nigam for conducting a course at Gwalior for the benefit of officers from State Government and member banks working under Tawa and other command areas in Madhya Pradesh and (ii) to Andhra Pradesh State Irrigation Corporation for holding at Hyderabad a workshop-cum seminar on "Standardization and design of pumping installations on lift irrigation scheme" in which 152 officers from various organisations participated.

Training

(i) Senior and middle level staff

6.24 The training arrangements for the personnel of member-banks were expanded further during the year under review. 374 senior/middle level officer including 155 from LDBs and a few from foreign countries like Ghana, Tanzania and Nepal received training through 15 Agricultural Project Courses of four weeks duration conducted at the College of Agricultural Banking, Pune. Besides, three Regional Agricultural Project Courses (RAPC) were conducted during the year, one each at Simla, Bangalore and Bombay for training the officers from Northern, Southern, and Western regions respectively. 71 officers (15 from LDBs) participated in the above three courses.

6.25 So far, 2030 senior and middle level officials have received training. Of these, 878 were from LDBs, 701 from the commercial banks and the remaining 451 were from RBI, ARDC, State Governments, etc.

(ii) Junior-level LDB Staff

6.26 The training programme of Junior-level LDB staff being conducted by SLDBs under overall guidance of the Corporation was continued for the third year. Under the programme, 194 courses were conducted by 14 SLDBs during the year in which 4551 officers from different banks participated.

To meet the requirements of technical officers, the Corporation arranged two technical courses on hydrogeology, one at Lucknow and the other at Roorkee in which 56 technical officers including 5 from LDBs were trained.

6.27 Two workshops for trainers for the training staff of the LDBs who conduct the above courses were organised by the Corporation during the year, one at Pune and the other at Chandigarh in December 1978 and June 1979 respectively.

6.28 Forty-three trainers were benefited by the above workshops. Twelve out of 14 banks running 26 training centres have made good progress in the translation work and printing of the manuals to serve as reference material to the trainees. All the 26 training centres were inspected by ARDC officers during the year.

(iii) Other training arrangements

6.29 As in the past, study facilities were provided to 20 officers from Bangladesh, Rome, FAO and African countries who visited ARDC during the year. Similar facilities were provided to 125 officials of co-operation and agriculture departments of various state governments and other institutions.

7. FUTURE PERSPECTIVE

The Draft Sixth Plan document envisages doubling of the present level of agricultural credit in about three years. A major objective of credit policy would be the progressive institutionalisation of credit with a multi-agency approach and earmarking of increasingly larger share to the weaker sections. The perspective lending programme of Rs. 2700 crores drawn up by the Corporation, as indicated in the last annual Report, was framed against the above objectives. It broadly indicates the quantum of resources which ARDC can mobilise, both from internal and external sources to support the investment programme contemplated in the Five Year Plan. However, the actual realisation of this programme would ultimately depend upon the removal of various constraints to institutional credit flow. The demand for credit would be largely influenced by the availability of necessary infrastructural facilities to support and sustain a fast pace of development, ability of the extension machinery and its adequacy to transfer technology to the farmers undertaking the investments and creation of necessary environment, through legislative and administrative actions of the state governments, for increased institutionalisation of credit. As far as the credit institutions are concerned greater recourse to refinance facility from the Corporation would be determined by the adequacy of trained staff, organisational arrangements at the field level, recovery performance, ability to identify potential and formulate viable schemes for development. The emphasis on quality of lending will to some extent slow down the pace of development. These constraints to credit flow can only be overcome over a period of time. The fact that the Corporation's disbursements touched Rs. 285 crores as compared to Rs. 234 crores in the preceding year despite the presence of various constraints indicates the great potential demand exists and it can materialise if concerted efforts are taken to remove various impediments to development. The lead banks are also now engaged in the preparation of district credit plans which will provide an estimate of the credit requirements at the block level. The likely demand on Corporation's resources under these plans can crystallize only when the plans are ready. The perspective lending programme drawn up by the Corporation should, therefore, be viewed as a flexible one and will have to be finalised in the light of final plan document. The actual performance will have to be judged after making due allowance for the constraints referred to above.

7.2. The Five Year Plan proposes creation of additional irrigation potential of 17 million hectares of which 9 million hectares are to be created through minor irrigation investments and the remaining 8 million hectares through major and medium irrigation projects. A substantial part of the

Corporation's future lending programme will, therefore, continue to be for financing minor irrigation investments. While promoting such investments, emphasis would be on improving the quality of lending and for ensuring better assessment of groundwater potential.

7.3. In the face of difficulties to have a legislation to control groundwater development, the only practicable way to see that the institutional credit does not aggravate excessive groundwater development is through more detailed investigations of potential to provide a better base for technical appraisal of the proposals. The Corporation has evolved, in consultation with GOI, certain guidelines for assessing the groundwater resources under which the country will be divided into three broad areas based on the level of groundwater development. These comprise (a) areas in which the projected net extraction in year 5 is less than 60 per cent of recoverable recharge (b) areas where such projected net extraction is between 60 and 80 per cent of recoverable recharge and (c) areas where such projected net extraction in year 5 is in excess of 80 per cent of recoverable recharge. A stricter control will be enforced in areas where the projected net extraction of groundwater resources is above 60 per cent of recoverable recharge.

7.4. Recent studies made by the Corporation have demonstrated that the prime movers purchased by the farmers are in some cases substandard in technical specifications and in quality. Pump units are often mismatched. Pumps are also poorly selected for the required duty and the ancillary fittings are not designed properly leading to poor working efficiency. The Corporation, therefore, proposes to establish statewise standards through committees constituted/to be constituted, for inclusion of pumpsets in the approved list maintained by banks. For the purpose, pilot projects are proposed to be carried out in four states to test the guidelines prepared in this regard.

7.5. The present scheme of giving financial assistance to SEBs for energisation of irrigation pumpsets for farmers has been considered as an important adjunct of Corporation's operations. At the same time it is recognised that ARDC cannot indefinitely support such a programme as it legitimately falls within the purview of the REC. While the Corporation supports the rural electrification programme on a participation basis with commercial banks and REC, like the scheme presently under implementation involving an aggregate outlay of Rs. 360 crores, the Corporation proposes to ensure a firm technical base for the other scheme of refinancing individual connections to see that such connections would not lead to overloading of the local power system or any other factor detrimental to the power system. For the purpose, closer co-ordination with the REC would be attempted.

Small farmer coverage

7.6. In the light of satisfactory achievements in regard to small farmer coverage at 50% of its total disbursement in the last 2 years, Corporation proposes to improve this coverage to 60% gradually over the next few years. As it may be difficult to achieve the same coverage in all states, it is proposed to establish state-wise projections which could be adjusted to reflect the existing land holding patterns. This arrangement would also enable better monitoring of the progress. The Corporation will be actively involved in the implementation of the IRD programme in various blocks as part of the strategy for promoting small farmer development. The definition of a small farmer as evolved by it will be reviewed for any inconsistency and in the light of the changes in the agricultural labourers' index in various states the norms will be adjusted accordingly to reflect in real terms the income ceiling of Rs. 2,000 at 1972 prices. The interest rates structure which has been recently revised by the Corporation in March 1979 is also biased in favour of small farmers as they will be required to pay the same rate of interest for all purposes. Recently, GOI has announced that the farmers having land holdings between 2 and 4 hectares will also receive capital subsidy equivalent to 20% of the cost of investment for minor irrigation investments. This together with earlier decision of GOI to give capital subsidy of 25% to small farmers (identified as per SFDA norms) outside the special programme areas has removed an important anomaly in the subsidy scheme. This together with the reduction in the rates of interest and unrestricted eligibility available to PLDBs/branches for lending to identified small farmers will motivate a larger number of farmers in the target group to avail of credit facilities for minor irrigation purposes and a substantial part of it is likely to be under ARDC schemes. The Corporation will also try to ensure that the capital subsidies which have been announced by GOI are routed through the banking system and are disbursed promptly.

Institution building

7.7. The large perspective lending programme drawn up by the Corporation would necessitate concerted efforts towards institution building in the coming years if the channels of credit are to function smoothly. The process will have to start with ARDC itself. Accordingly, it has prepared a staff development plan with emphasis on equipping its regional offices to play a more dynamic role. Additional technical and professional staff are proposed to be posted to the Regional Offices in the context of the increasing responsibilities arising from IRD programme and delegation of sanctioning powers to the Regional Office Directors. Its policies and procedures are under constant review to speed up sanctions and promote development and at the same time ensuring that the quality of lending is improved.

7.8. A reference was made earlier to the Chairman's discussions with the Chief Ministers of Bihar, Gujarat, Karnataka, Maharashtra and Tamil Nadu for drawing up an effective rehabilitation programme for these SLDBs. The Corporation will pursue this matter with the state governments to ensure that the programme is implemented seriously so that the LDBs are made once again viable instruments of credit. In order to emphasise that the efficiency of the LDBs will be judged primarily on the basis of their recovery peformance, the lending programme of LDBs will continue to be regulated in the coming years with reference to overdues position at the primary level. The present overdues discipline will be operative with slight modifications during the next two years.

7.9. As regards the commercial banks the deliberations of the Standing Committee (CALCOB) will provide the necessary frame work for taking appropriate action for toning up their term lending for agriculture and to improve their recovery procedures and performance. The Corporation will have constant dialogue with the banks to see that a substantial part of their term lendings for agriculture is brought under the purview of the ARDC programme so that the schematic approach and technical discipline can be extended to such loans. The Corporation is hopeful of achieving this as the rates of interest on all the term loans for agriculture extended by them now carry the same rates of interest as prescribed by ARDC under its schemes. The major constraint, however, is the inability of the staff of the commercial banks at the primary level to formulate schemes as per the guidelines. The training programme being organised by the Corporation lays emphasis on better scheme formulation and the intensification of training programmes in the next two years will remedy the situation to a significant extent.

7.10. The Corporation will also pay greater attention to increasing the involvement of regional banks and state cooperative banks in its programmes.

7.11. As part of institution building efforts, the training programmes at present being conducted in various places are proposed to be enlarged and made intensive during the next two years. Apart from the regular courses being run in the College of Agricultural Banking, Pune, special training programmes for the technical staff and seminars for Chief Executives of the banks are also proposed to be organised.

8. FINANCES

The sources of funds of the Agricultural Refinance and Development Corporation for carrying out its lending programme during the two years viz. 1977-78 and 1978-79 as well as during the past 5 years period i.e. 1974-75 to 1978-79 are presented in the following table 14 :

TABLE 14—SOURCES OF FUNDS

(Rs. crores)

	1977-78	Percent of total	1978-79	Percent of total	July 1974-June 1979	Percent of total
1. Paid-up share capital and reserves/surplus	15·8	5·5	19·9	5·7	62·3	5·2
2. Special deposits by Reserve Bank of India	0·9	0·3	1·4	0·4	3·8	0·3
3. Borrowings from the Government of India :						
(a) IDA funds	99·6	34·5	84·8	24·2	361·0	30·3
(b) Others (CIDA)	—	—	10·3	2·9	10·3	0·9
4. Borrowings from the Reserve Bank of India N.A.C. (LTO) Fund	65·0	22·5	75·0	21·5	290·0	24·3
5. Bonds	20·8	7·1	44·1	12·6	180·1	15·1
6. Repayments by banks	82·9	28·7	111·8	31·9	276·6	23·2
7. Special loan account deposit	3·1	1·1	1·9	0·5	6·8	0.5
8. Research and Development Fund	1·0	0·3	1·0	0·3	2·0	0·2
Total	288·9	100·0	350·2	100·0	1192·7	100·0

Share Capital

8.2. Under Section 20(2) of ARDC Act, the borrowing power of the Corporation is restricted to 20 times its paid-up capital and reserves. The Corporation issued during the year the eighth series of shares of paid-up value of Rs. 10 crores to meet its growing business. The guaranteed dividend on the new issue was 6.25 per cent. At the end of June 1979 the paid-up share capital of the Corporation stood at Rs. 57.5 crores. The contributions of the various shareholders to the share capital of the Corporation as on 30 June 1979 are as follows :

TABLE 15—CONTRIBUTION TO SHARE CAPITAL SOURCES

(Rs. crores)

	Shares		Per cent of total
	No.	Value	
1. Reserve Bank of India	31,072	31·1	54·0
2. Central Land Development Banks	9,268	9·2	16·1
3. State Co-operative	4,594	4·6	8·0
4. Scheduled Commercial Banks	11,081	14·1	19·3
5. Life Insurance Corporation of India	893	0·9	1·6
6. Other Insurance and Investment Companies	592	0·6	1·0
Total	57·500	57·5	100·0

Borrowings from GOI

8.3. During 1978-79 the Corporation borrowed an aggregate sum of Rs. 95.1 crores from GOI by way of reimbursement of rupee equivalent of foreign credit drawn under specific projects. This comprised an aggregate sum of Rs. 84.8 crores under IDA/IBRD projects and the balance of Rs. 10.3 crores represented assistance from CIDA.

8.4. In terms of section 19 of the ARDC Act, 1963, the GOI made an interest-free loan of Rs. 5 crores to the Corporation in July 1963. On a request made by the Corporation, the Central Government had converted this amount into a grant in July 1978. This amount has since been transferred to Capital Reserve.

Market Borrowings

8.5. One of the major sources of raising resources by the Corporation for fulfilling its lending programme has been through issue of bonds in the open market. ARDC issued in 1978-79 the fourteenth series of bonds for an aggregate sum of Rs. 44.1 crores. The bonds were issued at par at an interest rate of 6¼ per cent with a maturity of 10 years. At the end of June 1979, the total amount raised by ARDC by way of open market-borrowing stood at Rs. 246.4 crores. Table 16 indicates the amounts received from various subscribers for the fourteenth series of bonds issued during the year and the aggregate contributions to the previous issues.

Borrowings from RBI

8.6. During the year, the RBI sanctioned a credit limit of Rs. 75 crores for drawals under the National Agricultural Credit (Long-term Operations) Fund and this limit was fully utilised by the Corporation. At the end of June 1979 the outstanding borrowings under this head stood at Rs. 263.5 crores after repayment of instalments in respect of past drawals.

8.7. ARDC was also sanctioned a short-term loan limit of Rs. 10 crores by the RBI; however, no drawals were made under this limit during the year.

Special Deposit

8.8. In terms of Section 29 of the ARDC Act, the Reserve Bank was required to keep the dividends accruing on its shareholdings in the Corporation for the initial 15 years by way of an interest-free deposit. At the request of the Corporation, the Reserve Bank has since agreed to continue this deposit due for repayment in June 1980 for another 10 years commencing from 1 July 1980. As on 30 June 1979, the shareholdings in the Corporation for the initial 15 years by however, indicated that the dividends accruing from 1980-81 will be payable from year to year.

Repayments

8.9. Repayments by member banks amounted to Rs. 111.8 crores during 1978-79 as against Rs. 82.9 crores repaid during the previous year. As at the end of June 1979 the repayments of member-banks aggregated Rs. 287.5 crores, the break-up of which is given in Table 17. The Member-banks have been prompt in making repayments.

TABLE 16—SUBSCRIPTIONS TO BONDS

(Rs. crores)

Subscribers	I to XIII	XIV	Total
1. State Bank of India and Subsidiaries	44.7	24·1	68·8
2. Nationalised banks	76·0	14·5	90·5
3. Other commercial banks . .	13·0	1·4	14·4
4. Life Insurance Corporation of India . . .	1·9	0·8	2·7
5. Other insurance and investment Companies . .	1·3	0·1	1·4
6. Co-operative banks	64·2	3·0	67·2
7. Others	1.2	0·2	1.4
Total	202·3	44·1	246·4

TABLE 17—REPAYMENT OF REFINANCE

(Rs. crores)

Agency	ARDC schemes	IDA assisted schemes	Total
1. Scheduled commercial banks . .	73·0	45·9	118·9
2. State land development banks	51.5	104.8	156 3
3. State Co-operative banks . . .	10·1	2·2	12·3
Total . .	134·6	152·9	287·5

9. ORGANISATION AND OTHER MATTERS

Shareholders

The Dhanalakshmi Bank Ltd., The Nainital Bank Ltd. and 5 Regional Rural Banks became members of ARDC during 1978-79. The total membership of the Corporation stood at 156 at the end of June 1979 as against 149 at the end of the previous year (Statement 12).

Board of Directors

9.2. The Board of Directors met 5 times during the year.

9.3. On the appointment of Dr. M. S. Swaminathan as secretary to the GOI, Ministry of Agriculture and Irrigation, Department of Agriculture and Cooperation, Government of India nominated him as Director of the Corporation *vice* Shri G. V. K. Rao in terms of Section 10(C) of the ARDC Act, 1963. The Board placed on record its deep appreciation of the valuable services rendered by Shri G. V. K. Rao.

9.4. Consequent on his retirement from the services of the Reserve Bank of India, Shri K. Madhava Das ceased to be Director with effect from 28 June 1979. The Board recorded its appreciation of services rendered by Shri Madhava Das.

Use of Hindi

9.5. ARDC continued to be represented on the Official Language Implementation Committee of the RBI. In terms of the instructions issued by the Reserve Bank of India, the Corporation set up Hindi Cells at Head Office as well as at the Regional Offices of Chandigarh, Jaipur, Lucknow and Patna. All letters received in Hindi are replied simultaneously in English and Hindi. Office circulars relating to Class III and IV staff are also issued both in Hindi and English. A centre for Hindi classes under the compulsory Hindi Teaching Scheme of RBI has been opened in the Head Office of the Corporation for the benefit of its staff. ARDC has also decided to include Hindi version of a few items in the 'ARDC News' which is published every quarter.

Foreign Travel

9.6. During 1978-79, Managing Director, one Senior Director and a Director visited Washington, USA in connection with the negotiations of credits with the World Bank as members of the Indian negotiating teams. The total bill in regard to these visits aggregated Rs. 1,02,600/-.

Profits

9.7. The net profit of the Corporation during 1978-79 available for appropriation amounted to Rs. 1,398.85 lakhs. The Directors recommend appropriation of the profits as under :

	Rs. lakhs
Transfer to Research and Development Fund	100.00
Transfer to Reserve Fund	989.63
Dividend on shares	309.22
Total	1,398.85

On behalf of the Directors
M. Ramakrishnayya,
Chairman.

26 September 1979

EXPLANATORY NOTES

1. The amounts have been rounded off to the nearest lakh of rupees/crore of rupees.
2. The following symbols/abbreviations have been used in the Statements.

Symbols : . . . @Latest available data
—Nil or negligible

Abbreviations :

Purpose :
- MI = Minor irrigation
- REC = Rural Electrification Corporation
- LD/CAD = Land development/Reclamation/Soil Conservation/Command area development
- FM/ASC = Farm mechanization/Farm equipments/Agro-service centres
- P/H = Plantation/Horticulture
- P/SB/Pig = Poultry/Sheep breeding/Piggery
- F = Fisheries
- DD = Dairy development
- S & M = Storage & Market yards
- FR = Forestry
- AA = Agricultural aviation
- ICDP = Integrated cotton development project
- GG = Gobar gas plants
- ST = Short-term

Agency :
- 1. SLDB = State Land Development Bank
- 2. Com. Bks = Scheduled Commercial Banks
- 3. SCB = State Co-operative Bank

STATEMENT—1
SANCTIONS DURING 1978-79—REGIONWISE AND STATEWISE

(Rs. lakhs)

Region/State/Union Territory	No. of schemes	Financial assistance	ARDC commitment	Commitment of Governments/ Banks
I. *NORTHERN REGION*				
Delhi	1	9	8	1
Haryana	118	5988	4711	1277
Himachal Pradesh	10	630	524	106
Jammu & Kashmir	3	15	11	4
Punjab	154	4691	3687	1004
Rajasthan	141	4050	3459	591
	427	15383	12400	2983
II. *NORTH-EASTERN REGION*				
Assam	38	1317	1183	134
Manipur	2	21	20	1
	40	1338	1203	135
III. *EASTERN REGION*				
Bihar	131	3551	3145	406
Orissa	55	741	667	74
West Bengal	97	2654	2382	272
	283	6946	6194	752
IV. *CENTRAL REGION*				
Madhya Pradesh	399	7437	6063	1374
Uttar Pradesh	361	11683	9891	1792
	760	19120	15954	3166
V. *WESTERN REGION*				
Goa	12	90	72	18
Gujarat	79	2092	1581	511
Maharashtra	241	5236	4063	1173
	332	7418	5716	1702
VI. *SOUTHERN REGION*				
Andhra Pradesh	222	10839	9084	1755
Karnataka	150	2761	2209	552
Kerala	174	3813	3026	787
Pondicherry	3	62	48	14
Tamil Nadu	114	1802	1440	362
	663	19277	15807	3470
Total (I to VI)	**2505**	**69482**	**57274**	**12208**

N.B.—No new schemes were sanctioned during the year in Chandigarh, Meghalaya, Nagaland and Tripura.

STATEMENT—2
DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1979—PURPOSEWISE

(Rs. lakhs)

Purpose	No. of schemes	Financial assistance	ARDC commitment	Commitment of Governments/ States	Disbursement
Minor irrigation	3713	171471	150055	21416	90264
Land development	499	17971	14352	3619	5612
Farm mechanization	1284	32453	24756	7697	18673
Plantation/Horticulture	798	18551	14897	3654	4159
Poultry/Sheep breeding/Piggery	343	2294	1897	397	809
Fisheries	386	5741	4476	1265	2228
Dairy development	704	8540	6946	1594	1994
Storage & Market Yards	843	13782	11399	2383	9143
Agricultural aviation	3	53	40	13	17
Forestry	26	1209	908	301	152
Gobar gas plants	48	531	399	132	38
Others	8	153	135	18	12
ICDP (S.T.)	—	—	—	—	255
Total	**8655**	**272749**	**230260**	**42489**	**133356**

STATEMENT—3

SIZE WISE AND PURPOSE WISE CLASSIFICATION OF SCHEMES SANCTIONED DURING 1978-79

(Rs. lakhs)

Size of Scheme	Minor Irrigation		Land Development		Farm Mechanization		Plantation/ Horticulture		Poultry/Sheep Breeding	
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
Upto Rs. 5 lakhs	298	779	63	124	86	250	31	99	87	206
Rs. 5—10 lakhs	198	1707	16	198	113	794	32	282	33	231
Rs. 10—25 lakhs	268	4964	14	353	73	1140	164	2485	16	232
Rs. 25—50 lakhs	173	8081	6	245	38	1413	69	2467	6	169
Rs. 50—100 lakhs	44	3405	5	378	6	398	11	788	—	—
Above Rs. 100 lakhs	54	15730	3	1387	4	1025	4	664	—	—
Total	**1035**	**34666**	**107**	**2685**	**320**	**5020**	**311**	**6785**	**152**	**838**

Continued

(Rs. lakhs)

Size of Scheme	Fisheries		Dairy Development		Storage & Market Yards		Others		Grand Total	
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Upto Rs. 5 lakhs	42	80	118	291	62	225	20	84	817	2138
Rs. 5—10 lakhs	15	109	61	432	66	502	14	145	548	4400
Rs. 10—25 lakhs	21	385	38	551	40	574	10	262	644	10946
Rs. 25—50 lakhs	19	663	9	184	20	609	9	391	349	14222
Rs. 50—100 lakhs	4	288	3	215	4	290	—	—	77	5762
Above Rs. 100 lakhs	1	203	—	—	4	797	—	—	70	19806
Total	**102**	**1728**	**229**	**1673**	**196**	**2997**	**53**	**882**	**2505**	**57277**

STATEMENT—4

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONS UPTO 30 JUNE 1979 BY STATE, AGENCY AND PURPOSE

(Rs. lakhs)

Region/State/ Union Territory	Agency Code	Purpose	No. of schemes	Financial assistance	Total ARDC commit-ment	Disbursement	
						During 1978-79	Upto 30 June 1979
1	2	3	4	5	6	7	8
I. *NORTHERN REGION*							
Chandigarh	2	P/H	1	4	3	—	3
Delhi	2	FM	4	130	102	9	78
		P	1	20	16	—	—
		DD	6	41	37	6	14
			11	191	155	15	92
	3	P	1	12	12	—	6
			12	203	167	15	98
Haryana	1	MI	48	6500	5850	366	4415
		LD	7	461	370	23	117
		FM	7	1887	1416	572	1345
		P/H	3	69	52	4	41
		DD	11	226	169	6	44
		GG	2	16	12	—	—
			78	9159	7869	971	5962

1	2	3	4	5	6	7	8
	2	MI	66	8272	6674		
		REC	2	30	15	397	2241
		LD	21	266	213	8	14
		FM	118	2829	2123	305	1526
		P	6	32	27	2	8
		SB	1	2	1	—	1
		DD	9	72	63	2	38
		S & M	58	740	591	209	429
		GG	2	12	10	6	6
		AA	1	30	23	—	—
		Others	1	4	4	1	1
		ICDP (S.T.)	—	—	—	25	25
			285	12289	9744	955	4289
	3	DD	1	20	15	—	15
		S & M	4	267	262	—	243
		ICDP (S.T.)	—	—	—	175	175
			5	287	277	175	433
			368	21735	17890	2101	10684$
Himachal Pradesh	1	MI	1	20	18	2	4
		P/H	3	88	64	4	22
		DD	1	10	7	—	—
			5	116	89	6	26
	2	FM	2	23	18	—	11
		P/H	17	768	653	35	49
		P	1	6	6	—	—
		Pig	1	2	2	2	2
		DD	5	28	27	7	13
			26	827	706	44	75
			31	943	795	50	101
Jammu & Kashmir . . .	1	FM	1	34	26	2	22
		P/H	3	130	97	—	78
		DD	1	14	10	—	—
		SB	1	23	18	—	—
			6	201	151	2	100
	2	FM	2	44	33	6	17
		P/H	2	7	6	1	1
		DD	2	11	8	5	5
		Others	1	8	6	—	—
			7	70	53	12	23
			13	271	204	14	123
Punjab	1	MI	59	4289	3882	155	2791
		LD	23	1380	1140	197	542
		FM	4	1430	1072	—	750
		P/H	2	187	141	—	—
		DD	3	84	63	—	—
			91	7370	6298	352	4083
	2	MI	46	4246	3452	383	1358
		REC	10	211	105	33	33
		LD	5	269	219	22	25
		FM	57	4328	3246	88	2115
		ASC	2	23	17	6	6
		P	8	79	64	14	27
		DD	30	280	243	43	132
		S & M	146	1488	1189	635	1051
		GG	12	23	18	—	—
		ICDP (S.T.)	—	—	—	19	19
			306	10947	8553	1241	4766

1	2	3	4	5	6	7	8
Punjab—(*Contd.*)	3	FM	1	18	16	—	16
		S&M	4	747	730	—	651
		ICDP (S.T.)	—	—	—	32	32
			5	765	746	32	699
			402	19082	15597	1625	9548$
Rajasthan	1	MI	118	4948	4565	565	2434
		LD	4	454	340	10	35
		P/H	3	123	101	—	18
			125	5525	5006	575	2487
	2	MI	81	2250	1854	400	859
		REC	4	56	28	—	—
		LD	3	83	62	2	3
		CAD	18	3899	3094	284	568
		FM	41	991	736	190	617
		ASC	3	78	58	1	14
		P/H	1	61	48	—	—
		P	3	35	26	1	2
		SB	14	306	275	46	62
		Pig	1	2	2	—	—
		DD	40	1236	1009	37	74
		S&M	63	1484	1184	69	572
		Others	3	69	61	11	11
			275	10550	8437	1041	2782
		LD	11	357	321	—	—
			411	16432	13764	1616	5269
			1238	58670	48420	5421	25826$
II. *NORTH-EASTERN REGION*							
Assam	1	MI	1	128	113	—	—
		P/H	1	5	4	—	—
			2	131	117	—	—
	2	MI	10	281	253	4	22
		LD	1	11	10	—	7
		FM	3	78	71	1	9
		P/H	65	2324	2084	170	486
		F	1	15	14	—	1
		DD	4	32	29	10	17
		S&M	40	222	182	49	174
		Pig	1	3	2	1	2
			125	2966	2645	235	718
	3	P/H	2	68	61	—	—
			129	3165	2823	235	718
Manipur	2	FM	1	41	37	—	18
		P/H	1	64	57	—	—
			2	105	94	—	18
	3	MI	1	4	3	—	—
		FM	1	55	51	20	31
		P/H	1	15	14	10	10
		F	21	36	31	13	20
		Plg	1	6	5	—	—
			25	116	104	43	61
			27	221	198	43	79
Meghalaya	2	P	2	5	5	—	—
		FR	1	49	44	—	—
			3	54	49	—	—
	3	P/H	2	11	10	—	—
			5	65	59	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
Nagaland	2	S&M	3	9	7	—	
	3	LD	1	30	30	—	11
		P/H	2	11	10	—	—
			3	41	40	—	11
			6	50	47	—	18
Tripura	2	MI	4	20	18	1	3
		P/H	1	5	5	—	4
		S&M	1	6	5	—	5
		FR	2	50	40	—	—
			8	81	68	1	12
			175	3582	3195	279	827
III. *EASTERN REGION*							
Bihar	1	MI	24	6572	5915	255	3153
		LD	3	131	99	—	84
		FM	2	142	128	4	83
		P/H	2	22	18	—	3
		F	1	46	41	1	1
			32	6913	6201	260	3324
	2	MI	252	6431	5764	935	2974
		REC	7	108	54	2	2
		LD	2	69	53	—	—
		FM	37	1177	1027	364	870
		P	1	1	1	—	—
		F	1	25	23	—	—
		FR	3	166	116	—	23
		DD	9	56	49	1	3
		S & M	121	2224	1960	691	1849
			433	10257	9047	1993	5721
	3	DD	2	70	53	—	10
			467	17240	15301	2253	9055
Orissa	1	MI	54	3194	2875	200	885
		LD	7	92	73	4	40
		FM	2	88	67	4	19
		P/H	17	413	350	68	187
		F	3	64	58	11	11
			83	3851	3423	287	1142
	2	MI	128	3181	2867	333	1023
		LD	4	97	81	2	18
		FM	5	68	61	11	49
		ASC	1	2	2	—	—
		P/H	4	42	38	—	1
		P	2	18	16	—	—
		SB	1	3	3	—	—
		Pig DD	18	87	79	37	39
		F	18	308	278	52	71
		S&M	6	47	40	—	20
			187	3853	3465	435	1221
	3	MI	26	1013	912	149	354
		F	1	39	35	4	10
		Pig	1	2	2	—	—
			28	1054	949	153	364
			298	8758	7837	875	2727
West Bengal	1	MI	89	2597	2344	390	1232
		FM	4	97	87	17	17
		P/H	14	166	148	23	38
		F	20	585	527	3	3
			127	3445	3106	433	1290

1	2	3	4	5	6	7	8
West Bengal—(*Contd.*)	2	MI	86	1732	1525	391	1052
		REC	1	19	10	—	—
		FM	10	199	179	39	100
		ASC	2	2	2	—	1
		P/H	35	1430	1287	122	205
		P	2	31	27	5	5
		F	5	97	87	3	21
		DD	6	60	55	1	18
		S&M	21	364	305	51	208
			168	3934	3477	612	1610
			295	7379	6583	1045	2900
			1060	33377	29721	4173	14682
IV. *CENTRAL REGION*							
Madhya Pradesh	1	MI	194	10601	8729	709	5858
		LD	33	259	195	—	32
		FM	3	246	184	2	85
		P/H	2	31	23	—	—
			232	11137	9131	711	5975
	2	MI	413	6636	5659	710	3404
		REC	29	458	288	—	—
		LD	50	222	165	10	17
		FM	39	1502	1133	157	635
		ASC	99	84	66	3	43
		P/H	1	2	2	—	—
		DD	26	797	642	—	11
		P	10	23	18	10	11
		S&M	70	450	360	17	241
		FR	12	570	456	40	85
		GG	9	159	120	8	8
			758	10903	8909	955	4455
	3	MI	5	732	605	—	—
		S&M	1	27	20	—	11
			6	759	625	—	11
			996	22799	18665	1666	10441
Uttar Pradesh	1	MI	183	24503	21911	2422	13057
		LD	17	140	116	—	—
		CAD	149	743	651	180	180
		P/H	8	135	101	7	52
		DD	13	243	191	2	2
			370	25764	22970	2611	13291
	2	MI	130	3464	2919	336	1708
		REC	3	62	31		
		LD	5	954	711	—	199
		CAD	40	58	48	—	—
		FM	422	6571	5000	1134	4010
		ASC	4	3	2	—	—
		SB	4	9	8	7	8
		DD	85	799	656	80	192
		F	2	18	17	—	—
		S&M	134	2824	2226	702	1710
		GG	11	35	25	7	7
			840	14797	11643	2266	7834
	3	DD	2	64	48	—	—
		S&M	1	155	155	—	150
			3	219	203	—	150
			1213	40780	34816	4877	21275
			2209	63579	53481	6543	31716

1	2	3	4	5	6	7	8
V. *WESTERN REGION*							
Goa	2	MI	2	18	15	9	12
		P/H	1	8	6	—	—
		DD	5	26	20	2	2
		P	5	26	22	8	20
		F	34	315	252	65	143
			47	393	315	84	177
	3	P/H	1	24	19	—	—
		F	1	40	30	—	30
			2	64	49	—	30
			49	457	364	84	207
Gujarat	1	MI	80	5651	5283	54	4675
		FM	1	351	263	—	233
		P/H	2	30	22	—	22
		DD	14	325	249	9	9
			97	6357	5817	63	4939
		MI	83	3181	2709	927	1717
		REC	16	343	172	47	47
		LD	2	9	7	—	—
		FM	56	1712	1304	334	951
		ASC	3	36	29	2	16
		P	6	58	46	7	8
		F	8	266	213	43	124
		DD	32	655	539	90	329
		S&M	15	298	236	1	234
		GG	1	3	3	2	2
		Others	2	5	4	—	—
			224	6566	5262	1453	3428
	3	S&M	1	2	2	—	2
			322	12925	11081	1516	8369
Maharashtra	1	MI	201	11923	10735	1361	8720
		LD	8	411	368	—	368
		FM	3	272	204	—	153
		P/H	12	314	236	18	35
		P	3	29	22	—	—
		DD	19	113	85	13	13
			246	13062	11650	1392	9289
	2	MI	476	4680	3842	406	1810
		REC	48	813	407	—	—
		LD	5	404	304		
		CAD	1	922	692	83	83
		FM	181	1855	1411	286	794
		P/H	12	44	35	6	12
		P	39	223	176	24	108
		SB	5	11	9	2	2
		F	23	143	108	20	58
		DD	169	1425	1155	110	587
		S&M	15	493	393	96	333
		AA	1	7	5	—	5
		GG	5	54	41	2	3
		ICDP (S.T.)	—	—	—	4	4
			980	11074	8578	1039	3799
	3	F	5	180	84	—	82
			1231	24316	20312	2431	13170$
			1602	37698	31757	4031	21746$
VI. *SOUTHERN REGION*							
Andhra Pradesh . . .	1	MI	132	19544	17649	3499	10681
		LD	33	2349	1903	109	1526
		FM	5	1932	1449	462	1524
		P/H	23	595	446	37	115
		P	6	147	114	4	4

1	2	3	4	5	6	7	8
Andhra Pradesh—*(Contd)*							
		SB	23	310	245	53	135
		F	1	188	141	17	70
		DD	26	481	370	102	153
			249	25546	22317	4283	14208
	2	MI	111	1617	1460	361	860
		REC	31	882	441	5	5
		LD	12	276	214	5	43
		FM	36	587	441	43	293
		ASC	4	159	122	—	27
		P/H	12	38	31	11	17
		P	76	32	258	73	165
		SB	49	213	182	53	87
		F	35	350	281	19	59
		DD	86	599	505	55	192
		S&M	43	511	417	17	403
		FR	7	292	187	33	33
		GG	1	4	2	—	—
			503	5850	4541	675	2184
	3	MI	1	11	9	—	—
		F	3	331	257	—	39
			4	342	266	—	39
			756	31738	27124	4958	16431
Karnataka	1	MI	196	10394	9403	350	5257
		LD	15	1147	867	21	614
		FM	12	872	653	22	472
		P/H	54	1844	384	100	823
		SB	5	48	39	—	—
		DD	4	49	38	—	—
		GG	3	59	44	—	—
			289	14413	12428	493	7166
	2	MI	55	817	637	21	214
		LD	5	89	67	—	3
		FM	59	1303	1020	27	925
		P/H	175	2315	1855	302	622
		P	28	83	69	7	44
		SB	8	21	19	2	2
		F	57	1083	759	385	656
		DD	25	268	239	5	7
		S&M	62	963	761	176	501
		GG	9	146	110	11	11
			483	7088	5536	936	2985
	3	MI	1	2	2	—	—
		P/H	2	31	36	—	25
		F	2	206	143	—	137
		S&M	2	132	113	—	111
			7	376	294	—	273
			779	21877	18258	1429	10424
Kerala	1	MI	13	1013	912	122	204
		LD	5	110	82	1	21
		FM	2	53	40	1	3
		P/H	119	2891	2227	128	463
		F	1	37	28	—	—
		DD	2	17	13	—	—
			142	4121	3302	252	691
	2	MI	20	741	663	375	495
		LD	4	1631	1380	179	554
		FM	11	101	78	—	38
		P/H	89	1672	1333	11	125
		F	70	401	302	137	249
		DD	16	76	65	6	13
		S&M	5	39	30	—	26
		FR	1	82	65	—	—
		GG	1	2	1	—	—
			217	4745	3917	708	1500

1	2	3	4	5	6	7	8
Kerala—(*Contd.*)	3	P	1	22	21	—	—
		F	3	162	162	—	56
			4	184	183	—	56
			363	9050	7402	960	2247
Pondicherry	1	P/H	1	31	23	—	—
		DD	1	5	4	—	—
			2	36	27	—	—
	2	MI	1	2	1	—	1
		F	1	26	21	—	—
		DD	2	22	11	—	11
			4	50	33	—	12
	3	F	2	46	34	—	15
			8	132	94	—	27
Tamil Nadu	1	MI	146	6947	6260	388	6597
		LD	4	662	497	—	470
		FM	1	780	585	—	625
		P/H	48	1481	1112	58	294
		SB	5	25	19	—	—
		F	1	19	14	—	—
		DD	5	26	20	—	—
		GG	1	11	8	—	—
			211	9951	8515	441	7986
	2	MI	9	168	133	48	107
		REC	16	168	84		
		LD	2	53	40	—	38
		FM	21	246	181	23	117
		ASC	12	24	16	2	15
		P/H	54	1049	755	103	419
		P	9	37	30	1	11
		SB	7	53	45	16	24
		F	63	604	459	13	308
		DD	28	231	187	44	78
		S&M	27	290	231	1	212
		AA	1	16	12	—	12
		GG	2	18	13	1	1
			251	2957	2186	252	1342
	3	F	2	100	69	—	64
		SB	1	38	38	—	38
			3	138	107	—	102
			465	13046	10808	693	9430
			2371	75843	63686	8040	38559
Grand Total (I to VI)			**8655**	**272749**	**230260**	**28487**	***333561**

*Excludes S.T. disbursements made in 1976-77 and 1977-78.

STATEMENT 5

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1979—AGENCYWISE

(Rs. lakhs)

Agency	No. of schemes	Financial assistance	ARDC commitment	Commitment of Governments/ Banks	Disbursement
State Land Development Banks	2387	147098 (53·9)	128417 (55·8)	18681	81959
Scheduled Commercial Banks	6147	120560 (44·2)	97423 (42·3)	23137	49053
State Co-operative Banks	121	5091 (1.9)	4420 (1.9)	671	2344
Total	**8655**	**272749** (100·0)	**230260** (100·0)	**42489**	**133356**

Figures in brackets are percentages to the total.

STATEMENT 6

POSITION OF SCHEMES SANCTIONED AND REFINANCE DISBURSED IN LESS DEVELOPED/ UNDERBANKED STATES

(Rs. lakhs)

Particulars	Schemes sanctioned			Disbursement	Percentage to total disbursement
	No. of schemes	ARDC commitment	Percentage to total commitment		
Uttar Pradesh					
1963-69	16	1384	8·6	123	8·5
1969-74 (Fourth Plan)	161	10331	15·8	3794	14·7
1974-75	75	3714	18·2	1849	17·3
1975-76	108	4172	14·1	2598	15·2
1976-77	269	1766	5·7	3720	16·9
1977-78	220	2403	7·3	4317	18·4
1978-79	361	9891	17·3	4877	17·1
Upto 30-6-79	1213	34816	15·1	21275	16·0
Madhya Pradesh					
1963-69	12	1157	7·2	31	2·1
1969-74 (Fourth Plan)	163	8339	12·8	1291	5·0
1974-75	38	795	3·9	1234	11·6
1975-76	102	1242	4·2	1932	11·3
1976-77	118	1940	6·3	2610	11·8
1977-78	190	3279	9·9	1670	7·1
1978-79	399	6063	10·6	1666	5·9
Upto 30-6-79	996	18665	8·1	10441	7·8
Bihar					
1963-69	4	1190	7·4	18	1·2
1969-74 (Fourth Plan)	26	3630	5·6	980	3·9
1974-75	28	2069	10·1	932	8·8
1975-76	36	2313	7·8	1318	7·7
1976-77	101	2863	7·7	1696	7·7
1977-78	166	2053	6·2	1864	8·0
1978-79	131	3145	5·5	2253	7·9
Upto 30-6-79	467	15301	6·6	9055	6·8
Orissa					
1963-69	3	55	0·2	4	—
1969-74 (Fourth Plan)	20	1233	1·9	51	0·2
1974-75	38	1684	8·2	82	0·8
1975-76	53	985	3·3	338	1·9
1976-77	79	2230	6·0	565	2·6
1977-78	65	1357	4·1	816	3·5
1978-79	55	667	1·2	875	3·1
Upto 30-6-79	298	7837	3·4	2727	2·0
West Bengal					
1963-69	4	413	2·6	—	—
1969-74 (Fourth Plan)	23	320	0·5	42	0·2
1974-75	9	127	0·6	69	0·6
1975-76	31	997	3·4	159	0·9
1976-77	52	1389	3·8	590	2·7
1977-78	89	1446	4·4	996	4·3
1978-79	97	2382	4·2	1045	3·7
Upto 30-6-79	295	6583	2·9	2900	2·2
Rajasthan					
1963-69	6	362	2·2	7	0·5
1969-74 (Fourth Plan)	49	2621	4·0	656	2·5
1974-75	16	851	4·2	350	3·3
1975-76	57	3353	11·3	536	3·3
1976-77	69	2139	5·8	787	3·6
1977-78	79	1970	6·0	1312	5·6
1978-79	141	3459	6·0	1616	5·7
Upto 30-6-79	411	13764	6·0	5269	3·9
Total of all less developed/underbanked states* (including above 6 states) upto 30-6-79	3899	101160	43·9	52718	39·5
Total of all States upto 31-6-79	**8655**	**230260**	**100·0**	**133356**	**100·0**

*Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Orissa, West Bengal, Rajasthan, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Assam and other rn States.

STATEMENT 7

REDUCTION OF INTRA-STATE IMBALANCES-POSITION OF SCHEMES SANCTIONED

(Rs. lakhs)

State	Upto 30 June 1971			Upto 30 June 1978			As on 30 June 1979		
	No. of schemes	ARDC commit-ment	Dis-burse-ment	No. of schemes	ARDC commit-ment	Dis-burse-ment	No. of schemes	ARDC commit-ment	Dis-burse-ment
*ANDHRA PRADESH									
Less developed areas* . .	4	1800	639	330	9734	4605	473	15853	8280
Entire state	74	3416	1758	549	18142	11473	756	27124	16431
ORISSA									
Less developed areas* . .	3	43	—	55	1775	179	66	1842	471
Entire state	8	155	27	246	7314	1852	298	7837	2727
UTTAR PRADESH									
Less developed areas* . .	10	544	157	221	7621	5135	349	12228	5599
Entire state . . .	32	2566	671	839	25158	16398	1213	34816	21275

*Andhra Pradesh : Telangana and Rayalseema areas.
Orissa : Mayurbhanj, Keonjhar, Phulbani, Sundergarh, Koraput and Kalahandi districts.
Uttar Pradesh : Districts in three divisions of Faizabad, Gorakhpur and Varanasi.

STATEMENT 8

SCHEMES SANCTIONED UNDER THE AEGIS OF SFD/MFAL AGENCIES AS ON 30 JUNE 1979

(Rs. lakhs)

Region/State/Union Territory	Agency Code	Purpose	No. of schemes	Financial assistance	Total ARDC commit-ment	Disbursement	
						During 1978-79	Upto 30 June 1979
1	2	3	4	5	6	7	8
I. *NORTHERN REGION*							
Delhi	2	DD	6	41	37	6	14
Haryana	2	MI	1	1	1	—	—
		P	1	11	10	—	4
		DD	3	27	27	—	23
Himachal Pradesh . . .	2	P	1	6	6	—	—
		DD	4	22	18	6	13
		Pig	1	2	2	2	2
Jammu & Kashmir . . .	2	DD	2	11	8	5	5
Punjab	1	MI	4	179	179	—	138
	2	MI	1	6	6	—	6
		P	2	35	32	3	3
		DD	23	210	197	21	78
Rajasthan	1	MI	30	858	815	60	512
	2	MI	39	461	413	14	34
		FM	1	46	41	—	—
		SB	10	243	219	48	62
		DD	12	116	105	20	21
	3	LD	11	357	321	—	—
			152	2630	2347	183	915
II. *NORTH-EASTERN REGION*							
Assam	1	MI	1	126	113	—	—
	2	MI	7	57	51	1	13
		P/H	1	6	6	—	1
		F	1	15	14	—	1
		DD	2	23	20	2	6
Manipur	3	MI	1	4	3	—	—
Meghalaya	3	P/H	2	11	10	—	—
		P	2	5	5	—	—
Nagaland	3	P/H	2	11	10	—	—
Tripura	1	MI	3	19	17	—	2
			22	277	249	3	23

1	2	3	4	5	6	7	8
III *EASTERN REGION*							
Bihar	2	MI	2	69	64	11	34
		FM	1	4	4	—	—
		P	1	1	1	1	—
		DD	6	34	31	1	1
Orissa	1	MI	3	231	208	24	88
		LD	1	2	2	—	—
		FM	1	8	7	—	—
	2	MI	5	442	403	44	58
		LD	1	16	16	2	5
		P/H	2	12	11	—	
		P	1	6	5	—	—
		DD/Pig	18	80	72	5	5
	3	Pig	1	2	2	—	—
West Bengal	1	MI	7	136	127	—	102
		P/H	1	9	9	—	—
	2	MI	6	67	62	—	68
		DD	2	15	15	—	7
			59	1134	1039	87	368
IV. *CENTRAL REGION*							
Madhya Pradesh	1	MI	12	471	447	194	355
	2	MI	3	25	23	—	11
		DD	7	40	34	—	—
Uttar Pradesh	1	MI	8	931	911	—	557
		LD	3	21	19	—	—
		DD	7	51	56	—	—
	2	MI	3	26	25	—	18
		SB	2	5	5	—	—
		DD	22	136	124	—	19
			67	1706	1634	194	960
V. *WESTERN REGION*							
Goa	2	MI	1	13	12	7	7
		DD	4	6	5	2	2
Gujarat	1	MI	1	4	3	—	—
		DD	2	10	9	2	2
	2	MI	9	41	36	2	10
		DD	16	121	108	11	74
		Others	2	5	4	—	—
Maharashtra	1	MI	22	580	528	58	316
	2	MI	13	126	114	8	15
		DD	26	175	154	10	50
			96	1081	973	100	476
VI. *SOUTHERN REGION*							
Andhra Pradesh	1	MI	17	1135	1087	545	1066
		LD	4	124	111	12	12
		SB	9	98	85	48	54
		DD	4	45	41	35	38
	2	MI	10	170	154	80	92
		LD	2	8	7	—	—
		P/H	1	4	4	—	—
		P	3	23	21	4	4
		SB	18	96	85	34	51
		DD	31	220	197	32	71
	3	MI	1	11	9	—	—
Karnataka	1	MI	4	484	484	—	429
	2	MI	3	74	71	—	—
		SB	1	4	3	—	—
		DD	1	2	2	—	—
Kerala	1	MI	4	37	33	—	—
	2	F	1	2	1	—	1
		DD	6	25	23	2	5
	3	P	1	22	21	—	—
Pondicherry	2	DD	1	9	6	—	6
Tamil Nadu	1	MI	6	156	148	51	100
		SB	1	2	1	—	—
	2	P	1	11	10	—	—
		SB	2	24	22	9	9
		DD	6	57	49	19	19
			138	2843	2675	871	1957
Total (I to VI)			**234**	**9671**	**9007**	**1438**	**4699**

STATEMENT 9

IDA/IBRD Projects-brief description of each Project

The state agricultural credit projects assisted by the World Bank Group envisage large investments in minor irrigation (such as dugwells, dug-cum-borewells, shallow, medium and deep tubewells, lift irrigation units and installation of pumpsets, laying of pipelines and incidental land levelling) and land development. In the case of other special development projects, the names would indicate the items of development proposed to be undertaken under each of them. ARDC Credit Projects I, II and III are of general nature supporting the lending activities of the Corporation in minor irrigation and other approved diversified purposes such as dairy, poultry, plantations, horticulture, fisheries, etc.

Brief particulars of each project showing the total cost, IDA/IBRD assistance to be routed through the Corporation, agencies implementing the project, outline description of nature of development envisaged and the progress of the projects are given below :

1. (a) First ARDC Credit Project (540 IN).
   (b) Cost of the Project—$ 168.5 million IDA assistance of $ 75 million routed through ARDC.
   (c) Investments in minor irrigation and other diversified form of lending such as dairy, poultry, fisheries, plantations, etc.
   (d) State Land Development Banks, Scheduled Commercial Banks and a State Co-operative Bank.
   (e) 2 years—closing date—31 December 1977.
   (f) The project was completed in June 1977—six months ahead of schedule.

   A Project Completion Report was prepared by IDA with ARDC assistance.

2. (a) Second ARDC Credit Project (715 IN).
   (b) Cost of the project—$ 583 million—IDA assistance—$ 200 million being routed through ARDC.
   (c) Investments in minor irrigation and diversified categories as under the ARDC Credit Project-I and training.
   (d) State Land Development Banks, Scheduled Commercial Banks and State Co-operative Banks.
   (e) 2 years—closing date—31 December 1979.
   (f) The project is under implementation. At the end of June 1979, ARDC disbursement of refinance assistance under the Project at Rs. 238 crores is sufficient to draw a credit of $ 158 million. Nineteen states and 3 Union territories availed themselves of refinance facility under the project. As part of the project two committees, one to study the interest rate spreads in the agricultural lending sector in India with particular reference to the needs of LDBs and other to study the estimated pumpset replacement requirements in India in the next five years have been constituted. The reports are expected to be submitted shortly. A study on a sample basis, of the problem of over-exploitation of ground water potential is nearing completion.

3. (a) Third ARDC Credit Project.
   (b) Cost of the Project—$ 1005 million—IDA assistance—$ 250 million to be routed through ARDC.
   (c) Investments in minor irrigation (including land development) and other diversified categories as may be agreed to by GOI, IDA and ARDC during currency of the Project.
   (d) State Land Development Banks, Scheduled Commercial Banks and State Co-operative Banks.
   (e) 2 years—closing date—30 June 1982.
   (f) The Project was negotiated in April 1979 and was sanctioned by IDA in July 1979.

4. (a) Andhra Pradesh Agricultural Credit Project (226 IN).
   (b) Cost of the project—$ 45 million—IDA assistance—$ 24.4 million routed through ARDC.
   (c) Financing of minor irrigation investments, land development and tractors.
   (d) Andhra Pradesh Co-operative Central Agricultural Development Bank and selected commercial banks.
   (e) 6 years—The project was completed by the end of June 1977.
   (f) Project Completion Report has been prepared by IDA with ARDC and LDB assistance.

5. (a) Andhra Pradesh Fisheries Project (815 IN).
   (b) Cost of the project—$ 36.5 million—IDA assistance—$ 17.5 million of which $ 3.9 million would be routed through ARDC.
   (c) To increase marine fisheries production in Andhra Pradesh by improving 3 important fishing harbours at Visakhapatnam, Kakinada, and Nizampatnam by providing credit for acquisition of fishing vessels, both mechanised and non-mechanised, to be owned and operated by individuals, companies and co-operatives. The project will also improve the productivity of small fishermen by construction of access roads.
   (d) Andhra Pradesh State Co-operative Bank and selected Commercial Banks.
   (e) Six years—closing date—30 September 1984.
   (f) At the end of June 1979, disbursement of refinance made by the Corporation amounted to Rs. 2 lakhs.

6. (a) Andhra Pradesh Irrigation and Command Area Development Composite Project (1251 IN).
   (b) Cost of the project—$ 297 million—IBRD assistance—$ 145 million—$ 10.1 million to be routed through ARDC.
   (c) The project includes completion of canal and drainage network and construction of village roads in Nagarjunasagar Project (NSP) and initiates command area development in NSP, Pochampad and Tungabhadra High Level Canal Command Areas.
   (d) Andhra Pradesh Co-operative Central Agricultural Development Bank and selected commercial banks.
   (e) Six years—closing date—31 December 1982.
   (f) The first phase of developing 72,000 ha was to be completed during 1976-77 to 1978-79. As against this, achievement was as low as 23,600 ha. The slow pace of project implementation is mainly due to :
   (a) non-enactment of legislation empowering the CAD authorities to develop land of unwilling farmers compulsorily (b) non-setting up of a separate body to borrow funds and execute the project (c) legal and procedural difficulties in operating Special Loan Account set up for the purpose of meeting expenture on development of lands of ineligible farmers. ARDC has so far disbursed Rs. 1.2 crores under the project.

7. (a) Bihar Agricultural Credit Project (440 IN).
   (b) Cost of the Project—$ 60 million—IDA assistance—$ 32 million to be routed through ARDC.
   (c) Minor irrigation programme including sinking of tubewells, installation of diesel pumpsets and low lift pumping of surface water.
   (d) Bihar SLDB and selected commercial banks.
   (e) 4 years—closing date extended from June 1977 to March 1980.
   (f) The project is under implementation and expected to be completed by the extended date. The financing banks had disbursed Rs. 43 crores which is inclusive of disbursement to the Bihar Water Development Corporation. The inclusion of these disbursements for reimbursement from IDA is under correspondence.

(a) Project title (b) Project cost/IDA assistance. (c) Investment programme. (d) Financing banks. (e) Project period and closing date. (f) Project status.

8. (a) Bihar Market Yards Project (294 IN).

(b) Cost of the project $ 22.6 million—IDA assistance—$ 14.0 million—$ 13.8 million to be routed through ARDC.

(c) Investments in market yards in about 50 towns in Bihar, including civil works such as construction of entrance roads, surfacing, fencing, godowns, traders' shops, etc.

(d) State Bank of India.

(e) 5 years-closing date—31 December 1979.

(f) Under this project, schemes pertaining to 51 market yards have seen sanctioned. A credit of $ 1 million was reallocated from 'unallocated' category. The project is expected to be completed by the closing date.

9. (a) Gujarat Agricultural Credit Project (191 IN).

(b) Cost of the project—$ 67 million—IDA assistance—$ 35 million of which $ 34.7 million routed through ARDC.

(c) Financing of minor irrigation investments and purchase of tractors.

(d) Gujarat SLDB.

(e) 5 years—The project was completed by 31 March 1975.

(f) The project, the first IDA-assisted agricultural credit project in the country, has been fully implemented. Project Completion Report was prepared by IDA with ARDC assistance.

10. (a) Gujarat Fisheries Project (695 IN).

(b) Cost of the project—$ 38 million—IDA/IBRD assistance of $ 18 million of which $ 4.7 million to be routed through ARDC.

(c) Integrated development of fisheries in Gujarat, improvement of fishing harbours in Veraval and Mongrol, improvement of shore facilities, provision of credit towards fishing, processing unit, ice plant and to traditional fishermen for purchase of canoes and outboard motors.

(d) Selected commercial banks.

(e) 6 years—closing date—30 June 1983.

(f) Construction of 45 MFVs for 1978-79 at Veraval and Mongrol is completed and refinance assistance of Rs. 62 lakhs has been sanctioned. GFCCA had finalised the plan for construction of boats and location of setting up of ice-plant has been finalised. GOI had deployed a Dutch vessel for conducting fishing survey and IIM Ahmedabad is conducting a fish marketing study.

11. (a) Haryana Agricultural Credit Project (249 IN).

(b) Cost of the project—$ 62.2 million—IDA assistance of $ 25 million routed through ARDC.

(c) Minor irrigation investments such as shallow tubewells, imported and indigenous tractors, etc.

(d) SLDB and selected commercial banks.

(e) 6 years—The project was completed by 30 June 1977.

(f) The project was completed within the extended period. A Project Completion Report has been submitted to IDA.

12. (a) Haryana Irrigation Project (843 IN).

(b) Cost of the project—$ 221.9 million—IDA assistance—$ 111 million—$ 41.4 million to be routed through ARDC

(c) Modernization of canals, water courses, construction of augmentation tubewells, etc.

(d) Haryana State Land Development Bank, Haryana State Co-operative Bank and selected commercial banks.

(e) 5 years—closing date—August 1983.

(f) The project is under implementation, ARDC had disbursed refinance of Rs. 39 lakhs.

13. (a) Himachal Pradesh Apple Processing and Marketing Project (456 IN).

(b) Cost of the project—$ 20.4 million—IDA assistance—$ 13 million—$ 5.4 million to be routed through ARDC.

(c) Improvements in apple processing and marekting in Himachal Pradesh.

(d) Selected commercial banks.

(e) 6 years—closing date—31 December 1980.

(f) The project is under implementation and 11 subprojects have been sanctioned. In view of lack of techno-economic feasibility in respect of aerial cableways, alternative proposals are to be finalised. Participating banks had so far disbursed Rs. 49 lakhs.

14. (a) Integrated Cotton Development Project (610 IN).

(b) Cost of the project—$ 36 million—IDA assistance $ 18 million—$ 12.9 million to be routed through ARDC.

(c) Provision of seasonal credit for growing improved varieties of cotton and term credit for ginneries and cotton seed processing units including modernization in the project areas in Haryana, Punjab and Maharashtra.

(d) State Co-operative Banks and selected commercial banks.

(e) 5 years—closing date—31 December 1981.

(f) IDA Supervision Mission visited India during 1979 and considered extending the project area to some parts of Gujarat. For long term component of credit the project area is being extended to the entire states of Maharashtra, Punjab and Haryana. In Haryana, two saw ginneries and one integrated cotton seed processing unit are being set up under the project. A proposal for setting up of a third saw ginnery is under consideration. In Maharashtra, ARDC has prepared a project feasibility report for a solvent extraction plant to be set up by a state-owned undertaking.

15. (a) Jammu-Kashmir Horticulture Project (806 IN).

(b) Cost of the Project—$ 27.6 million—IDA assistance—$ 14.0 million—$9.6 million to be routed through ARDC.

(c) ARDC is involved in the construction of 25 apple grading and packaging centres, 10 cold storages, one transhipment centre, and seasonal credit of about Rs. 2 crores to help apple, walnut and mushroom growers.

(d) Selected commercial banks and State Co-operative Bank.

(e) Five years—closing date—31 December 1983.

(f) Out of 40 sites required for construction of various facilities 39 had been surveyed and 20 had been selected. Techno-economic feasibility studies in respect of some apple grading and packing centres and walnut hulling centre had been arranged.

16. (a) Karnataka Agricultural Credit Project (278 IN).

(b) Cost of the Project—$ 75.4 million—IDA assistance—$ 40 million routed through ARDC

(c) Minor irrigation investments, land reclamation work, purchase of tractors and land reclamation equipments.

(d) Karnataka SLDB and selected commercial banks.

(e) 5 years—Project was completed by the end of June 1977.

(f) The project was fully implemented by June 1977. Besides minor irrigation and land shaping works, 2,900 tractors were procured under the project.

17. (a) Karnataka Agricultural Wholesale Markets Project (378 IN).

(b) Cost of the Project—$ 12 million IDA assistance—$ 8 million—$ 7.9 million routed through ARDC.

(c) Marketing facilities including civil works, utility equipments, etc.

(d) Selected commercial banks.

(e) 6 years—closing date– December 1979.

(f) The participating banks have disbursed Rs. 3.8 crores so far.

18. (a) Karnataka Dairy Development Project (482 IN).

(b) Cost of the project—$ 63.7 million—IDA assistance—$ 30 million—Originally $ 20.9 million and revised $ 6.1 million to be routed through ARDC.

(c) Integrated programme for increasing milk production in the rural areas of Karnataka by providing technical services for quality cross breeding and animal health and marketing.

(d) Karnataka SLDB, SCB and selected commercial banks.

(e) 8 years—closing date—30 September 1982.

(f) The Indian Dairy Corporation has been considered as an alternate channel for routing credit under the project. Only component relating to purchase of crossbred cows would be covered with ARDC refinance.

19. (a) Karnataka Irrigation Project (788 IN).

(b) cost of the Project—$ 284.4 million—IDA assistance—$ 126 million—$ 7 million to be routed through ARDC.

(c) The Project envisages financing of completion of Almatti and Narayanpur dams and Narayanpur left bank canal as well as construction of branch canal and covering cultivable command area of 4,25,000 ha.

(d) Karnataka SLDB and selected commercial banks.

(e) Six years—closing date—31 March 1984.

(f) Banking plan has been prepared. No financing for on-farm development works has started due to procedural difficulties.

20. (a) Kerala Agricultural Development Project (680 IN).

(b) Cost of the project—$ 69 million—IDA assistance—$ 30 million—$ 26.7 million to be routed through ARDC.

(c) Development of tree crops such as coconut, pepper and cashew plantation, setting up of crumb rubber factories etc. Farmers would also be eligible for loans for minor irrigation investments.

(d) Kerala SLDB and selected commercial banks.

(e) 7 years—closing date—31 March 1985.

(f) The corporation has so far sanctioned 126 schemes for coconut and pepper plantation development and 1 scheme for cashew development. The participating banks have disbursed loan of Rs. 96 lakhs.

21. (a) Madhya Pradesh Agricultural Credit Project (391 IN).

(b) Cost of the project—$ 60.3 million—IDA assistance—$ 33.2 million routed through ARDC.

(c) Minor irrigation investments and land levelling.

(d) SLDB and selected commercial banks.

(e) 3 years—closing date—31 December 1976.

(f) The programme was fully implemented by the end of December 1976. A Project Completion Report is under preparation.

22. (a) Madhya Pradesh Dairy Development Project (522 IN).

(b) Cost or the project—$ 31.2 million—IDA assistance—$ 16.4 million—$ 13.7 million to be routed through ARDC.

(c) Construction of dairy plants, cattle breeding farm, feed mills, etc.

(d) Selected commercial banks.

(e) 7 years—closing date –30 June 1982.

(f) Credit under the project is likely to be routed through Indian Dairy Corporation.

23. (a) Madhya Pradesh Chambal Command Area Development Project (562 IN).

(b) Cost of the project –$ 45.8 million—IDA assistance—$ 24 million –$ 3.1 million to be routed through ARDC.

(c) On-farm development in the command area.

(d) Madhya Pradesh SLDB and selected commercial banks.

(e) 4 years –closing date—31 December 1979.

(f) ARDC has so far sanctioned 18 schemes involving refinance of Rs. 9.3 lakhs under the project. The on-farm development programme is to be reduced from 12,000 ha. to 5,000 ha. as farmer response is not satisfactory.

24. (a) Maharashtra Agricultural Credit Project (293 IN).

(b) Cost of the project—$ 50.3 million—IDA assistance—$ 30 million—$ 28.1 million routed through ARDC.

(c) Minor irrigation programme and land levelling investment.

(d) Maharashtra SLDB and selected commercial banks.

(e) 4 years—The project was extended upto June 1976.

(f) The project was completed in 1975-76. A Project Completion Report was prepared by IDA with assistance from ARDC.

25. (a) Maharashtra Irrigation and Command Area Development Composite Project (736 IN).

(b) Cost of the project—$ 140 million—IDA assistance—$ 70 million—$ 5.5 million to be routed through ARDC for on-farm development.

(c) On farm development in Jayakwadi and Purna irrigation scheme areas.

(d) Maharashtra SLDB and selected commercial banks.

(e) 6 years—closing date—31 March 1983.

(f) Lending procedures and documentation for financing OFD programme have been finalised. The participating banks have extended interim loans to MLDC to the tune of Rs. 71 lakhs to enable the MLDC to implement the project programme.

26. (a) National Seed Project—Phase I (1273 IN).

(b) Cost of the project—$ 52.7 million IBRD assistance—$ 25 million—$ 18.2 million to be routed through ARDC.

(c) The project is the first phase for development of national seed programme covering 4 states.

(d) Selected commercial banks.

(e) 5 years—closing date—30 June 1981.

(f) SFCI has been sanctioned a project for development of Ladhowal Farm (Punjab) through SBI. ARDC has disbursed Rs. 28 lakhs under the Project. State Seed Corporation have since agreed to use NSC as their consultants for plant design.

27. (a) National Seed Project—Phase II (816 IN).

(b) Cost of the Project—$ 34.8 million—IDA assistance—$ 14.5 million to be routed through the Corporation.

(c) Second phase of the national seed programme would cover 5 states viz, Bihar, Karnataka, Orissa, Rajasthan and Uttar Pradesh. The major thrust would be on production of quality seeds for cereal crops, groundnut and vegetable seeds. Seed output would be increased by about 125 lakh tonnes.

(d) Selected commercial banks.

(e) Six years—closing date—31 December 1984.

(f) The proposal for seed processing plant in Bihar has been found technically feasible and is under consideration.

28. (a) Orissa Irrigation Project (740 IN).

(b) Cost of the project—$ 116 million—IDA assistance—$ 58 million—$ 2.4 million to be routed through ARDC.

(c) On-farm development of 57,000 ha. in command areas of Hirakud, Salandi and Mahanadi delta irrigation systems.

(d) SLDB and selected commercial banks.

(e) 6 years—closing date—31 October 1983.

(f) The work is proceeding very slowly as the farmers are not interested in availing of bank loan for on-farm development. The State Government is actively considering to construct field channels and field drainage in the farmers' fields at their own cost and recover the costs through levy of additional water rates.

29. (a) Punjab Agricultural Credit Project (203 IN).

(b) Cost of the Project—$ 40 million—IDA assistance—$ 27.5 million routed through ARDC.

(c) Farm mechanisation equipments.

(d) Punjab SLDB and selected commercial banks.

(e) 7 years—The project was extended from time to time till the end of June 1977.

(f) The project was fully implemented by end of June 1977. 7827 tractors were financed under the project comprising 4051 indigenous and 3776 imported tractors.

30. (a) Punjab Irrigation Project (889 IN).

(b) Cost of Project—$ 257.5 million—IDA assistance—$ 129 million—$ 46 million to be routed through ARDC.

(c) Modernisation of water courses.

(d) Commercial banks.

(e) 5 years—closing date—30 June 1985.

(f) The Project was negotiated in February-March 1979. It includes modernisation of canal and watercourses.

31. (a) Chambal Command Area Development Project—Rajasthan (1011 IN).

(b) Cost (ARDC programme) of the project $ 12 million—IBRD assistance—$ 6.5 million to be routed through ARDC.

(c) On-farm development in the Chambal command area.

(d) Selected commercial banks.

(e) 7 years—closing date—30 June 1981.

(f) Under the project cost estimates in respect of 54 catchments had been cleared by ARDC. On-farm work had been completed in 17 catchment areas and work is in progress in 32 catchments. ARDC has so far provided refinance to the extent of Rs. 18 lakhs.

32. (a) Rajasthan Canal Command Area Development Project (502 IN).

(b) Cost of the project—$ 39.8 million—IDA assistance—$ 22.5 million to be routed through ARDC.

(c) On-farm development in the Rajasthan canal command area.

(d) Selected commercial banks.

(e) 7 years—closing date—30 June 1981.

(f) ARDC had so far disbursed refinance to the extent of Rs. 4.3 crores.

33. (a) Rajasthan Dairy Development Project (521 IN).

(b) Cost of the project—$ 51.8 million—IDA assistance—$ 27.7 million—$ 22.3 million to be routed through ARDC.

(c) Setting up of dairy co-operatives and dairy plants.

(d) Selected commercial banks.

(e) 7 years—closing date—31 December 1982.

(f) The credit component under the project is likely to be routed through Indian Dairy Corporation.

34. (a) Tamil Nadu Agricultural Credit Project (250 IN).

(b) Cost of the project—$ 62.3 million—IDA assistance—$ 35 million—$ 31 million routed through ARDC.

(c) Minor Irrigation investments, land levelling and purchase of tractors.

(d) Tamil Nadu SLDB and selected commercial banks.

(e) 6 years—closing date of the project was extended upto 31 December 1977.

(f) The project was fully implemented by 1976-77. 1627 tractors were procured under the project. A Project Completion Report was prepared by IDA with ARDC assistance.

35. (a) Tarai Seed Project—U.P. (614 IN).

(b) Cost of project—$ 22.4 million—IBRD assistance—$ 13 million—$ 9 million routed through ARDC.

(c) Land development in Tarai area of U.P. by increasing availability of high yielding varieties of foodgrains.

(d) State Bank of India.

(e) 8 years—closing date was extended upto 31 December 1977.

(f) The project has been treated as closed.

36. (a) Uttar Pradesh Agricultural Credit Project (392 IN).

(b) Cost of the project—$ 72.5 million—IDA assistance of $ 38 million routed through ARDC.

(c) Minor irrigation investments.

(d) SLDB and selected commercial banks.

(e) 4 years—closing date was extended upto June 1977.

(f) The project was completed by December 1977.

37. (a) West Bengal Agricultural Development Project (541 IN).

(b) Cost of the Project—$ 59 million—IDA assistance—$ 34 million—$ 15 million to be routed through ARDC.

(c) Construction of shallow tubewells and setting up of river lift irrigation units, agro-service centres and market development.

(d) West Bengal SLDB and selected commercial banks.

(e) 5 years—closing date—31 March 1980.

(f) The progress of shallow-tubewells programme has been good. Deep tubewells programme and setting up of agro-service centres are proceeding slowly. Financing banks have so far disbursed Rs. 18 crores under the Project qualifying for IDA credit of $ 12.1 million.

38. Drought Prone Areas Project : The Drought Prone Areas Project covering six districts in Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka and Rajasthan provides for integrated development of the drought-prone areas in project districts, including minor irrigation, sheep and dairy development, horticulture, fisheries, sericulture, etc. The bank loans are being refinanced by the ARDC under the Second ARDC Project.

STATEMENT 10

POSITION OF IBRD/IDA PROJECTS AS ON 30 JUNE 1979

(Rs. lakhs

Project	Effective/ closing dates	Purpose	Total lending programme	Amount of IBRD/ IDA assistance admissible to ARDC	Agency	Disbursement by PLDBs/ PCBs@	Disbursement by ARDC	Amount received from Government of India
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. IBRD PROJECTS								
1. Tarai Seeds Project (U. P.) . . .	(*a*) 12-9-69 (*b*) 30-6-74 (*c*) 31-12-77	LD	927	690	Com. Bks.	263	193	193
2. Chambal Command Area Development Project (Rajasthan)	(*a*) 12-12-74 (*b*) 30-6-81	LD	619	520	Com. Bks.	21	18	10
3. National Seed Project (A.P., Haryana, Punjab and Maharashtra)	(*a*) Oct. 76 (*b*) 30-6-81	LD	2169	1634	Com. Bks.	32	28	—
4. A.P., Irrigation & Command Area Development Composite Project	(*a*) 8-9-76	LD	1241	819	SLDB	150	113	58
	(*b*) 31-12-82		60	45	Com. Bks.	3	2	
Total (A)			5016	3708		469	354	261
B. IDA PROJECTS								
I. ARDC Credit Project I	(*a*) 5-8-75 (*b*) 31-12-77	MI Other purposes	11100 900	5520 400	SLDBs Com. Bks. SCBs	13816	9490 2787 18	16623
			12000	5920		13816	12295	
II. ARDC Credit Project II	(*b*) 31-12-79	MI Other purposes	28636 3927	15750 2160	SLDBs Com. Bks. SCBs	28645	15756 7704 315	
			32563	17910		28645	23775	16623
III. Integrated Cotton Development Project	(*a*) 24-8-76	S T. crop loan for cotton	889	600	Com. Bks. SCBs	53 227	48 207	139
	(*b*) 31-12-81	Cotton ginning & Seed processing	720	432	Com. Bks.	—	—	
			1603	1032		280**	255**	139
IV. *AGRICULTURAL CREDIT PROJECTS*								
1. Andhra Pradesh	(*a*) 10-5-71 (*b*) 30-6-74 (*c*) 30-6-77	MI	2111	1393	SLDB Com. Bks.	2014 97	1776 88	
		LD FM	230 806	154 431	SLDB SLDB Com. Bks.	230 603 203	151 359 149	1920
			3147	1978		3147	2523	1920
2. Bihar	(*a*) 29-3-74 (*b*) 30-6-77 (*c*) 31-3-80	MI	4473	2728	SLDB Com. Bks.	2208 2103	1986 1900	1870
			4473	2728		4311	3886	1870

** during the year 1978-79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Gujarat	(a) 14-9-70	MI	4027	2344	SLDB	4027	3635	2608
	(b) 30-6-74							
	(c) 31-3-75	FM	351	182	SLDB	319	233	
			4378	2526		4346	3868	2608
4. Haryana	(a) 2-11-71	MI	1962	903	SLDB	2841	1894	
	(b) 31-3-75				Com. Bks.	76	64	
	(c) 30-6-77	FM	1433	1002	SLDB	660	468	2140
					Com. Bks.	1060	792	
			3395	1905		4637	3218	2140
5. Karnataka	(a) 25-9-72	MI &	3070	2057	SLDB	3122	2795	
	(b) 31-12-75	well rigs			Com. Bks.	187	128	
	(c) 30-6-77	LD	525	315	SLDB	256	185	3265
		LR Equip.	105	105	Com. Bks.	4	3	
		FM	1575	1008	SLDB	680	450	
					Com. Bks.	960	777	
			5275	3485		5209	4338	3265
6. Kerala	(a) 29-6-77	Tree Crops,	5060	2403	SLDB	40	15	
	(b) 31-3-85	Rubber Processing & MI						—
					Com. Bks.	56	10	
			5060	2403		96	25	—
7. Madhya Pradesh	(a) 10-10-73	MI (including LD)	4003	2619	SLDB	2930	2532	
	(b) 31-12-76				Com. Bks.	2112	1866	2854
			4003	2619		5042	4398	2854
8. Maharashtra	(a) 31-1-73	MI	3690	3136	SLDB	3475	3140	
	(b) 31-12-75				Com. Bks.	187	178	
	(c) 30-6-76	LD	226	192	SLDB	226	170	2558
		FM	211	148	SLDB	190	143	
			4127	3478		4078	3631	2558
9. Punjab	(a) 4-9-70	FM	4000	2380	SLDB	1000	750	
	(b) 31-12-73							2180
	(c) 30-6-77				Com. Bks.	2228	1684	
			4000	2380		3228	2434	2180
10. Tamil Nadu	(a) 2-11-71	MI	3001	1861	SLDB	3001	2781	
	(b) 31-12-74	LD	88	61	SLDB	88	66	
	(c) 31-12-77	FM	780	492	SLDB	834	625	2526
					Com. Bks.	29	22	
		Earth moving machinery	243	243	Com. Bks.	46	35	
			4112	2657		3998	3529	2526
11. Uttar Pradesh	(a) 31-10-73	MI	5516	3420	SLDB	4277	3849	
	(b) 31-12-76				Com. Bks.	1492	1152	3406
	(c) 31-12-77							
			5516	3420		5769	5001	3406
12. West Bengal	(a) 28-8-75	MI	2197	1206	SLDB	754	637	
	(b) 31-3-80				Com. Bks.	1028	924	773
		FM	171	90	Com. Bks.	9	8	
		S & M	96	54	Com. Bks.	19	17	
			2464	1350		1810	1586	773
	Total IV (1 to 12)		49950	30927		45671	38437	26100
V. *OTHER PROJECTS*								
1. Bihar Market Yards Project	(a) 31-7-72		1491	1002	Com. Bks.	1728	1553	897
	(b) 30-6-78							
	(c) 31-12-79							
2. Chambal Command Area Development Project (M.P.)	(a) 18-9-75		246	156	SLDB	—	—	—
	(b) 31-12-79				Com. Bks.	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Himachal Pradesh Apple Processing & Marketing Project	(a) 26-9-74 (b) 31-12-78 (c) 31-12-80		608	488	Com. Bks.	49	45	—
4. Karnataka Agricultural Wholesale Markets Project	(a) 7-9-73 (b) 31-12-79		891	713	Com. Bks.	376	301	128
5. Karnataka Dairy Development Project	(a) 23-12-74 (b) 30-9-82		2497	506	SLDB Com. Bks. SCB	— — —	— — —	— — —
6. Madhya Pradesh Dairy Development Project	(a) 23-7-75 (b) 30-6-82		1389	1091	Com. Bks.	—	—	—
7. Punjab Irrigation Project	(c) 30-6-85		6691	3680	Com. Bks.	—	—	—
8. Rajasthan Canal Command Area Development Project	(a) 12-12-74 (b) 30-6-81		2395	1800	Com. Bks.	556	434	271
9. Rajasthan Dairy Development Project	(a) 8-8-75 (b) 31-12-82		2175	1784	Com. Bks.	—	—	—
10. Gujarat Fisheries Project	(a) 19-7-77 (b) 30-6-83		1620	423	Com. Bks.	—	—	—
11. Maharashtra Irrigation CAD Composite Project	(b) 31-3-83		825	495	SLDB Com. Bks.	— 71	— 57	— —
12. Orissa Irrigation Project	(b) 31-10-83		393	216	Com. Bks.	1	1	—
13. Karnataka Irrigation Project	(b) 31-3-84		1082	595	SLDB Com. Bks.	— —	— —	— —
14. Jammu & Kashmir Horticulture Project	(b) 31-12-83		2422	840	Com. Bks. SCB	— —	— —	— —
15. National Seed Project II	(b) 31-12-84		2003	1267	Com. Bks.	—	—	—
16. Andhra Pradesh Fisheries Project	(b) 30-9-84		608	335	SLDB Com. Bks.	— 2	— 2	— —
17. Haryana Irrigation Project	(b) 31-8-83		6473	3560	SLDB Com. Bks. SCB	— 43 —	— 39 —	— — —
	Total V (1 to 17)		33809	18951		2826	2432	1296
	Total (B)		129931	74740		91238	77194	44158
	Grand Total (A+B)		**134947**	**78448**		**91707**	**77548**	**44419**

*Interim finance.
@Latest available data.

N.B. Effective/closing dates
(a) Effective date
(b) Closing date
(c) Revised closing date

STATEMENT 11

DISBURSEMENT DURING 1978-79 ACCORDING TO STATE, AGENCY AND PURPOSE

(Rs. lakhs)

Region/State/Union Territory	Agency	Purpose	Total amount to debentures floated/loans issued	Debentures subscribed to/loans disbursed by ARDC	Contribution of Governments/ Banks
1	2	3	4	5	6
1 *NORTHERN REGION* -					
Delhi	Com. Bks.	Farm mechanization	12	9	3
		Dairy development	7	6	1
			19	15	4

1	2	3	4	5	6
NORTHERN REGION—(Contd.)					
Haryana	SLDB	Minor irrigation	407	366	41
		Land development	30	23	7
		Farm mechanization	762	572	190
		Plantation/Horticulture	5	4	1
		Dairy development	8	6	2
	Com. Bks.	Minor irrigation	496	397	99
		Land development	10	8	2
		Farm mechanization	407	305	102
		Poultry	2	2	—
		Dairy development	2	2	—
		Storage & market yards	261	209	52
		Gobar gas plants	8	6	2
		Others	1	1	—
		ICDP	28	25	3
	SCB	ICDP	194	175	19
			2621	2101	520
Himachal Pradesh	SLDB	Minor irrigation	2	2	—
		Plantation/ Horticulture	6	4	2
	Com. Bks.	Plantation/Horticulture	39	35	4
		Piggery	3	2	1
		Dairy development	9	7	2
			59	50	9
Jammu & Kashmir	SLDB	Farm mechanization	4	2	2
		Farm mechanization	8	6	2
	Com. Bks.	Plantation/Horiculture	1	1	—
		Dairy development	10	5	5
			23	14	9
Punjab	SLDB	Minor irrigation	172	155	17
		Land development	221	197	24
	Com. Bks.	Minor irrigation	473	383	90
		REC	66	33	33
		Land development	27	22	5
		Farm mechanization	114	86	28
		Agro service centres	7	6	1
		Poultry	18	14	4
		Dairy development	53	43	10
		Storage & market yards	795	635	160
		ICDP	21	19	2
	SCB	ICDP	36	32	4
			2003	1625	378
Rajasthan	SLDB	Minor irrigation	628	565	63
		Land development	13	10	3
	Com. Bks.	Minor irrigation	506	400	106
		Land development	3	2	1
		Command area development	327	284	43
		Farm mechanization	253	190	63
		Agro service centres	1	1	—
		Poultry	2	1	1
		Sheep breeding	51	46	5
		Dairy development	54	37	17
		Storage & market yards	86	69	17
		Others	14	11	3
			1938	1616	322
II. *NORTH EASTERN REGION*					
Assam	Com. Bks.	Minor irrigation	5	4	1
		Farm mechanization	2	1	1
		Plantation/Horticulture	191	170	21
		Dairy development	11	10	1
		Storage & market yards	54	49	5
		Piggery	1	1	—
			264	235	29
Manipur	SCB	Farm mechanization	22	20	2
		Plantation/Horticulture	11	10	1
		Fisheries	14	13	1
			47	43	4
Tripura	Com. Bks.	Minor irrigation	1	1	—
			1	1	—

1	2	3	4	5	6
III. *EASTERN REGION*					
Bihar	SLDB	Minor irrigation	284	255	29
		Farm mechanization	4	4	—
		Forestry	1	1	—
	Com. Bks.	Minor irrigation	1040	935	105
		REC	3	2	1
		Farm mechanization	404	364	40
		Dairy development	1	1	—
		Storage & market yards	774	691	83
			2511	2253	258
Orissa	SLDB	Minor irrigation	222	200	22
		Land development	5	4	1
		Farm mechanization	5	4	1
		Plantation/Horticulture	78	68	10
		Fisheries	12	11	1
	Com. Bks.	Minor irrigation	368	333	35
		Land development	2	2	—
		Farm mechanization	13	11	2
		Piggery	29	27	2
		Fisheries	58	52	6
		Dairy development	11	10	1
	SCB	Minor irrigation	166	149	17
		Fisheries	5	4	1
			974	875	99
West Benga	SLDB	Minor irrigation	433	390	43
		Farm mechanization	20	17	3
		Plantation/Horticulture	25	23	2
		Fisheries	3	3	—
	Com. Bks.	Minor irrigation	431	391	40
		Farm mechanization	43	39	4
		Plantation/Horticulture	138	122	16
		Poultry	6	5	1
		Fisheries	3	3	—
		Dairy development	1	1	—
		Storage & market yards	60	51	9
			1163	1045	118
IV. *CENTRAL REGION*					
Madhya Pradesh	SLDB	Minor irrigation	788	709	79
		Farm mechanization	2	2	—
	Com. Bks.	Minor irrigation	797	637	160
		REC	146	73	73
		Land development	14	10	4
		Farm mechanization	208	157	51
		Agro service centres	4	3	1
		Poultry	13	10	3
		Storage & market yards	22	17	5
		Forestry	50	40	10
		Gobar gas plants	10	8	2
			2054	1666	388
Uttar Pradesh	SLDB	Minor irrigation	2696	2422	274
		Command area development	200	180	20
		Plantation/Horticulture	9	7	2
		Dairy development	3	2	1
	Com. Bks.	Minor irrig tion	419	336	83
		Farm mechanization	1512	1134	378
		Poultry	3	3	—
		Sheep breeding	4	4	—
		Dairy development	89	80	9
		Storage & market yards	879	702	177
		Gobar gas plants	8	7	1
			5822	4877	945

1	2	3	4	5	6
V. *WESTERN REGION*					
Goa	Com. Bks.	Minor irrigation	10	9	1
		Dairy development	2	2	—
		Poultry	9	8	1
		Fisheries	81	65	16
			102	84	18
Gujarat	SLDB	Minor irrigation	60	54	6
		Dairy development	12	9	3
	Com. Bks.	Minor irrigation	1071	927	144
		REC	93	47	46
		Farm mechanization	460	334	126
		Agro service centres	3	2	1
		poultry	8	7	1
		Fisheries	56	43	13
		Dairy development	136	90	46
		Storage & market yards	1	1	—
		Gobar gas plants	5	2	3
			1905	1516	389
Maharashtra	SLDB	Minor irrigation	1512	1361	151
		Plantation/Horticulture	23	18	5
		Dairy development	18	13	5
	Com. Bks.	Minor irrigation	497	406	91
		Land development	110	83	27
		Farm mechanization	387	286	101
		Plantation/Horticulture	8	6	2
		Poultry	28	24	4
		Sheep breeding	3	2	1
		Fisheries	26	20	6
		Dairy development	130	110	20
		Storage & market yards	120	96	24
		Gobar gas plants	3	2	1
		ICDP	5	4	1
			2870	2431	439
VI. *SOUTHERN REGION*					
Andhra Pradesh	SLDB	Minor irrigation	3888	3499	389
		Land development	141	109	32
		Farm mechanization	616	462	514
		Plantation/Horticulture	50	37	13
		Poultry	6	4	2
		Sheep breeding	66	53	13
		Fisheries	23	17	6
		Dairy development	133	102	31
	Com. Bks.	Minor irrigation	526	361	165
		REC	10	5	5
		Land development	7	5	2
		Farm mechanization	57	43	14
		Plantation/Horticulture	15	11	4
		Poultry	97	73	24
		Sheep breeding	66	53	13
		Fisheries	25	19	6
		Dairy development	74	55	19
		Storage & market yards	22	17	5
		Forestry	43	33	10
			5865	4958	907
Karnataka	SLDB	Minor irrigation	389	350	39
		Land development	28	21	7
		Farm mechanization	29	22	7
		Plantation/Horticulture	133	100	33
	Com. Bks.	Minor irrigation	27	21	6
		Farm mechanization	37	27	10
		Plantation/Horticulture	389	302	87
		Poultry	8	7	1
		Sheep breeding	3	2	1
		Fisheries	501	385	116
		Dairy development	7	5	2
		Storage & market yards	220	176	44
		Gobar gas plants	13	11	2
			1784	1429	355

STATEMENT II—(Contd.)	2	3	4	5	6
Kerala	SLDB	Minor irrigation	136	122	14
		Land development	1	1	—
		Plantation/Horticulture	166	128	38
		Farm mechanization	2	1	1
	Com. Bks.	Minor irrigation	417	375	42
		Land development	223	179	44
		Plantation/Horiculture	12	11	1
		Fisheries	183	137	46
		Dairy development	8	6	2
			1148	960	188
Tamil Nadu	SLDB	Minor irrigation	425	383	42
		Plantation/Horticulture	77	58	19
	Com. Bks	Minor irrigation	94	48	46
		Farm mechanization	33	23	10
		Agro service centres	5	2	3
		Plantation/Horticulture	147	103	44
		Fisheries	21	13	8
		Dairy development	53	44	9
		Poultry	1	1	—
		Sheep breeding	21	16	5
		Storage & market yards	1	1	—
		Gobar gas plants	3	1	2
			881	693	188
		Total (I to VI)	**34054**	**28487**	**5567**

STATEMENT 12

LIST OF SHAREHOLDERS AS ON 30 JUNE 1979

I. RESERVE BANK OF INDIA

II. STATE LAND DEVELOPMENT BANKS (19)

1. Andhra Pradesh Co-operative Central Agricultural Development Bank Ltd.
2. Assam Co-operative Central Land Mortgage Bank Ltd.
3. Bihar Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Simit.
4. Gujarat State Co-operative Land Development Bank Ltd.
5. Haryana State Co-operative Land Development Bank Ltd.
6. Himachal Pradesh Central Co-operative Land Mortgage Bank Ltd.
7. Jammu & Kashmir Co-operative Central Land Mortgage Bank Lad.
8. Karnataka State Co-operative Land Development Bank Ltd.
9. Kerala Co-operative Central Land Mortgage Bank Ltd.
10. Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Simit.
11. Maharashtra State Co-operative Land Development Bank Ltd.
12. Orissa State Co-operative Land Development Bank Ltd.
13. Pondicherry Co-operative Central Land Development Bank Ltd.
14. Punjab State Co-operative Land Mortgage Bank Ltd.
15. Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd.
16. Tamil Nadu Co-operative State Land Development Bank Lad.
17. Tripura Co-operative Land Development Bank Ltd.
18. Uttar Pradesh Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd.
19. West Bengal Central Co-operative Land Development Bank Ltd.

III. STATE CO-OPERATIVE BANKS (24)

1. Andhra Pradesh State Co-operative Bank Ltd.
2. Assam Co-operative Apex Bank Ltd.
3. Bihar State Co-operative Bank Ltd.
4. Delhi State Co-operative Bank Ltd.
5. Goa State Co-operative Bank Ltd.
6. Gujarat State Co-operative Bank Ltd.
7. Haryana State Co-operative Bank Ltd.
8. Himachal Pradesh State Co-operative Bank Ltd.
9. Jammu & Kashmir State Co-operative Bank Ltd.
10. Karnataka State Co-operative Apex Bank Ltd.
11. Kerala State Co-operative Bank Ltd.
12. Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank Maryadit.
13. Maharashtra State Co-operative Bank Ltd.
14. Manipur State Co-operative Bank Ltd.
15. Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd.
16. Nagaland State Co-operative Bank Ltd.
17. Orissa State Co-operative Bank Ltd.
18. Pondicherry State Co-operative Bank Ltd.
19. Punjab State Co-operative Bank Ltd.
20. Rajasthan State Co-operative Bank Ltd.
21. Tamil Nadu State Co-operative Bank Ltd.
22. Tripura State Co-operative Bank Ltd.
23. Uttar Pradesh Co-operative Bank Ltd.
24. West Bengal State Co-operative Bank Ltd.

IV. SCHEDULED COMMERCIAL BANKS (65)

1. State Bank of India.
2. State Bank of Bikaner & Jaipur
3. State Bank of Hyderabad.
4. State Bank of Indore.
5. State Bank of Mysore.
6. State Bank of Patiala.
7. State Bank of Saurashtra.
8. State Bank of Travancore.
9. Allahabad Bank.
10. Bank of Baroda.
11. Bank of India.
12. Bank of Maharashtra.
13. Canara Bank.
14. Central Bank of India.
15. Dena Bank.
16. Indian Bank.
17. Indian Overseas Bank.
18. Punjab National Bank.
19. Syndicate Bank.
20. Union Bank of India.
21. United Bank of India.
22. United Commercial Bank.
23. Andhra Bank Ltd.
24. Bank of Cochin Ltd.
25. Bank of Karad Ltd.
26. Bank of Madura Ltd.
27. Bank of Rajasthan Ltd.
28. Bareilly Corporation (Bank) Ltd.
29. Benares State Bank Ltd.
30. Catholic Syrian Bank Ltd.
31. Corporation Bank Ltd.
32. Dhanalakshmi Bank Ltd.
33. Federal Bank Ltd.
34. Hindustan Commercial Bank Ltd.
35. Jammu & Kashmir Bank Ltd.
36. Karnataka Bank Ltd.
37. Karur Vysya Bank Ltd.
38. Kumbakonam City Union Bank Ltd.
39. Lakshmi Commercial Bank Ltd.
40. Laxmi Vilas Bank Ltd.
41. Lord Krishna Bank Ltd.
42. Nainital Bank Ltd.
43. Nedungadi Bank Ltd.
44. New Bank of India Ltd.
45. Oriental Bank of Commerce Ltd.
46. Punjab & Sind Bank Ltd.
47. Purbanchal Bank Ltd.
48. Ratnakar Bank Ltd.
49. Sangli Bank Ltd.
50. South Indian Bank Ltd.
51. Tamilnad Mercantile Bank Ltd.
52. United Industrial Bank Ltd.
53. United Western Bank Ltd.
54. The Bank of Thanjavur Ltd.
55. Vijaya Bank Ltd.
56. Vysya Bank Ltd.
57. Algemene Bank Netherlands NV.
58. American Express International Banking Corporation.
59. Bank of America National Trust and Savings Association.
60. Bank of Tokyo Ltd.
61. Banque National De Paris.
62. Chartered Bank.
63. Grindlays Bank Ltd.
64. Mercantile Bank Ltd.
65. Mitsui Bank Ltd.

V. RURAL BANKS (41)

1. Barabanki Gramin Bank.
2. Bhagirath Gramin Bank.
3. Bhojpur Rohtas Gramin Bank.
4. Bilaspur Raipur Kshetriya Gramin Bank.
5. Bolangir Anchalic Gramya Bank.
6. Bundelkhand Kshetriya Gramin Bank.
7. Cauvery Grameena Bank.
8. Champaran Kshetriya Gramin Bank.
9. Cuttack Gramya Bank.
10. Gaur Gramin Bank.
11. Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank.
12. Gurgaon Gramin Bank.
13. Hardoi Unnao Gramin Bank.
14. Haryana Kshetriya Gramin Bank.
15. Jaipur Nagaur Anchalic Gramin Bank.
16. Koraput Panchabati Gramya Bank.
17. Kosi Kshetriya Gramin Bank.
18. Kshetriya Gramin Bank Hoshangabad.
19. Magadh Gramin Bank.
20. Malaprabha Grameena Bank.
21. Mallabhum Gramin Bank.
22. Marathwada Grameena Bank.
23. Mayurakshi Gramin Bank.
24. Monghyr Kshetriya Gramin Bank.
25. Nagarjuna Grameena Bank.
26. North Malabar Gramin Bank.
27. Pandyan Grama Bank.
28. Pragjyotish Gaonlia Bank.
29. Puri Gramya Bank.
30. Rae Bareilly Kshetriya Gramin Bank.
31. Rayalaseema Grameena Bank.
32. Reva Sidhi Gramin Bank.
33. Samyut Kshetriya Gramin Bank.
34. Santhal Parganas Gramin Bank.
35. Shekhawati Gramin Bank.
36. South Malabar Gramin Bank.
37. Sultanpur Kshetriya Gramin Bank.
38. Tripura Gramin Bank.
39. Tungabhadra Gramin Bank.
40. Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank.
41. Vaishali Kshetriya Gramin Bank.

VI. LIFE INSURANCE CORPORATION

INSURANCE AND INVESTMENT COMPANIES ETC. (6)

1. General Insurance Corporation of India.
2. Life Insurance Corporation of India.
3. National Insurance Company Ltd.
4. New India Assurance Company Ltd.
5. Oriental Fire and General Insurance Company Ltd.
6. United India Fire & General Insurance Company Ltd.

SHAH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

Maker Bhavan No. 2
18 New Marine Lines
Bombay 400 020

REPORT OF THE AUDITORS

We have examined the annexed Balance Sheet of the Agricultural Refinance and Development Corporation as at 30th June 1979 and also the annexed Project and Loss Account of the Corporation for the year ended upon that date, and report that :

1. We have obtained all the information and explanations which we have required and have found them to be satisfactory.
2. In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the Corporation the Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet containing all necessary particulars and properly drawn up in accordance with the Act and the General Regulations of the Corporation, so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Corporation.

For SHAH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Sd/-
(Indulal H. Shah)
Partner

Bombay, 27 September 1979.

AGRICULTURAL REFINANCE AND
BALANCE SHEET AS AT

LIABILITIES	Rs. P.	Rs. P.	As at 30-6-1978 Rs. P.
1. CAPITAL			
Authorised			
100,000 shares of Rs. 10,000 each		100,00,00,000 ·00	100,00,00,000 ·00
Issued Subscribed and Paid-up 57,500 shares of Rs. 10,000 each paid-up		57,50,00,000 ·00	47,50,00,000 ·00
2. RESERVE AND SURPLUS			
Reserve Fund			
Balance as per last Balance Sheet (Note 1)	10,38,20,000 ·00		7,11,16,000 ·00
ADD: (i) 25% of current profit transferred (in terms of Section 36(1) (viii) of the Income-tax Act, 1961) ..	—		3,00,00,000 ·00
(ii) Transfer from Profit and Loss Account	9,89,63,000 ·00		27,04,000 ·00
		20,27,83,000 ·00	10,38,20,000 ·00
Capital Reserve (Note 2)		5,00,00,00 ·000	—
Research and Development Fund			
Balance as per last Balance Sheet	1,00,00,000 ·00		—
Transferred from Profit and Loss Account	1,00,00,000 ·00		1,00,00,000 ·00
		2,00,00,000 ·00	1,00,00,000 ·00
Profit and Loss Account			
Profit brought forward	420 ·75		190 ·91
Profit for the year	13,98,84,906 ·14		3,75,47,551 ·76
	13,98,85,326 ·89		3,75,47,742 ·67
Less : (i) Transferred to Research and Development Fund ..	1,00,00,000 ·00		1,00,00,000 ·00
	12,98,85,326 ·89		1,75,47,742 ·67
(ii) Transferred to Reserve Fund	9,89,63,000 ·00		27,04,000 ·00
	3,09,22,326 ·89		2,48,43,742 ·67
(iii) Transferred to Provision for Dividends	3,09,22,089 ·04		2,48,43,321 ·92
		237 ·85	420 ·75
3. SPECIAL DEPOSIT		5,21,95,234 ·14	3,86,67,606 ·40
4. PAYMENT BY CENTRAL GOVERNMENT IN RESPECT OF GUARANTEED DIVIDEND		—	—
5. BONDS AND DEBENTURES			
5¼% ARDC Bonds 1982 I Series	10,93,77,000 ·00		
5¼% ARDC Bonds 1982 II Series	8,52,50,000 ·00		
5¼% ARDC Bonds 1984 III Series	8,25,00,000 ·00		
5¼% ARDC Bonds 1985 IV Series	11,00,00,000 ·00		
5¼% ARDC Bonds 1985 V Series	16,50,00,000 ·00		
5¼% ARDC Bonds 1986 VI Series	11,00,00,000 ·00		
6% ARDC Bonds 1984 VII Series	16,50,00,000 ·00		
6% ARDC Bonds 1985 VIII Series	16,50,00,000 ·00		
6% ARDC Bonds 1985 IX Series	11,00,00,000 ·00		
6% ARDC Bonds 1986 X Series	27,50,00,000 ·00		
6% ARDC Bonds 1987 XI Series	16,50,00,000 ·00		
6% ARDC Bonds 1987 XII Series	27,50,00,000 ·00		
6% ARDC Bonds 1988 XIII Series	20,62,50,000 ·00		
6½% ARDC Bonds 1988 XIV Series	44,05,00,000 ·00		
		246,38,77,000 ·00	202,33,77,000 ·00
6. LOANS FROM THE CENTRAL GOVERNMENT			
(a) Under Section 19 of the Act	—		5,00,00,000 ·00
(b) Other Loans	502,40,03,544 ·00		422,61,15,829 ·00
		502,40,03,544 ·00	427,61,15,829 ·00
7. OTHER BORROWINGS			
(a) From the Reserve Bank of India			
(i) Long-term	263,50,00,000 ·00		216,80,00,000 ·00
(ii) Short- term	—		—
		263,50,00,000 ·00	216,80,00,000 ·00

DEVELOPMENT CORPORATION
30TH JUNE, 1979

ASSETS	Rs. P.	Rs. P.	As at 30-6-1978 Rs. P.
1. CASH			
(a) In hand	3,304·92		4,360·67
(b) With Reserve Bank of India	4,18,24,668·11		8,42,575·98
(c) With others			
(i) In India	1,74,720·23		1,13,887·06
(ii) Outside India	—		—
		4,20,02,693·26	9,60,823·71
2. LOANS			
(a) By way of refinance	382,69,39,968·60		284,21,26,650·00
(b) Others	2,58,72,900·00		—
Less : Provision for Bad and Doubtful Debts	—		—
		385,28,12,868·60	284,21,26,650·00
3. DEBENTURES		661,33,14,890·20	589,37,73,145·61
4. INVESTMENT IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES (At Cost) (Face Value Rs. 27,61,86,300)		27,67,34,279·05	22,69,45,554·15
5. INTEREST ACCRUED ON INVESTMENTS		27,24,300·50	49,39,499·65
6. OTHER ASSETS			
(a) Furniture, Fixture and Fittings, Office-Equipment, etc. (Cost upto 30-6-1978)	29,92,174.44		21,79,343.91
Add: Additions during the year	7,77,758·13		8,23,410.59
	37,69,932.57		30,02,754.50
Less : Items sold/adjusted	233.54		10,580.06
	37,69,699.03		29,92,174.44
Less: Depreciation to date	13,00,826.73		9,90,598.60
	24,68,872.30		20,01,575.84
(b) Deposits with Government Departments and other institutions	2,27,151.16		2,34,146.16
	26,96,023.46		22,35,722.00
(c) Sundry Advances	7,03,41,665.96		1,58,62,930·45
(d) Interest accrued on loans by way of refinance	13,92,89,525·06		9,79,92,009·66
(e) Interest accrued on debentures	24,96,59,073·27		24,35,72,685·97
(f) Discount on ARDC Bonds	91,47,111.11		1,05,08,361·11
(g) Advance tax paid (includes amount refundable Rs. 6,58,56,354/- under Section 44 of the Finance Act, 1979)	14,76,01,363·00		9,46,75,766·00
	6187,34,761 86		46,26,11,753·19
Carried Forward	1140,63,23,793·47		943,35,93,148.31

AGRICULTURAL REFINANCE AND

BALANCE SHEET AS AT

LIABILITIES			*As at* 30-6-1978	
	Rs. P.	Rs. P.	R.	P.
(*b*) From Others—				
(i) In India	—	—		—
(ii) Outside India	—	—		—
8. FIXED DEPOSITS				
(*a*) For Special Loan Account from—				
(i) Central Government	3,91,48,000·00		3,00,00,000·00	
(ii) State Governments	2,66,31,904·00		1,62,58,000·00	
		6,57,79,904·00	4,62,58,000·00	
(*b*) Others	—	—		—
9. PROVISION FOR DIVIDENDS (Amount transferred from Profit and Loss Account)		3,09,22,089·04	2,48,43,321·92	
10. PROVISION FOR TAXATION (Note 3)		13,96,43,614.00	13,96,43,614·00	
11. OTHER LIABILITIES				
Sundry Creditors	1,74,27,652·53		1,60,29,258·43	
Interest accrued but not due on :				
(*a*) Loans from Central Government	9,83,01,748·15		8,55,72,199·34	
(*b*) Bonds and Debentures	3,13,89,769·76		2,62,65,898·47	
		14,71,19,170·44	12,78,67,356·24	
Contingent Liabilities :				
(*a*) On account of guarantees given against deferred payments in connexion with purchase of capital goods from outside India	—	—		
(*b*) Others	—	—		—
Total Rupees		1140,63,23,793·47	943,35,93,148·31	

Notes : 1. Includes Special Reserve Fund in terms of Section 36(1) (viii) of the Income-tax Act, 1961—Rs. 6,67,47,000/- (*Previous Year Rs.* 3,67,47,000/-).

2. Created out of the proceeds of Interest free loan received from Government of India under Section 19 of ARDC Act. Subsequently converted into a grant as per Government of India, letter dated 12 July 1978.

3. Provision for Taxation includes Rs. 5,17,00,000/- for the accounting year 1977-78 which is not required under Section 44 of the Finance Act, 1979.

As per our Report of even date attached.

M. S. Javadekar
Senior Director
Finance and Administration

Bombay, 20 September 1979,

Chartered Accountants.
Sd/
Partner.
For SHAH & CO.
Bombay, 27 *September* 1979

DEVELOPMENT CORPORATION
30TH JUNE, 1979

ASSETS		*As at* 30-6-1978
	Rs. P.	Rs. P.
Brought Forward	1140,63,23,793 ·47	943,35,93,148 ·31
Total Rupees ..	1140,63,23,793 ·47	943,35,93,148 ·31

M. RAMAKRISHNAYYA *Chairman*
BALDEV SINGH
P.C.D. NAMBIAR } *DIRECTORS*
M. V. HATE
M. A. CHIDAMBARAM *Managing Director*

Bombay, 26 September 1979.

AGRICULTURAL REFINANCE AND

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE

		Previous Year
	Rs. P.	Rs. P.
1. Interest Paid	50,89,00,070·16	40,18,50,865·02
2. Salaries and Allowances	2,46,52,756·37	1,58,22,215·80
3. Contribution to Staff Provident, Pension and other Funds	17,73,564·92	13,016,63·98
4. Directors' and Committee Members' Fees	300·00	1,200·00
5. Travelling and Other Allowances in connection with Directors' and Committee Members' Meetings	12,145·45	30,851·00
6. Rent, Rates, Insurance, Lighting etc	23,00,214·08	18,87,826·87
7. Travelling Expenses	10,67,913·02	8,63,310·52
8. Printing and Stationery	5,79,807·29	3,90,795·63
9. Postage, Telegrams and Telephones	5,44,484·94	3,77,917·48
10. Repairs to Property	26,269·59	33,681·39
11. Auditor's Fees	12,500·00	12,500·00
12. Legal Charges'	10,563·12	19,147·10
13. Miscellaneous Expenses (Notes 1 & 2)	77,23,354·33	48,21,123·17
14. Depreciation	3,10,337·55	2,52,069·18
15. Loss on Sale of Investments	—	—
16. Transfer to Special Reserve being 25% of the current profit (interms of Section 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961)	—	3,00,00,000·00
17. Provision for Taxation (Note 4)	—	5,17,00,000·00
18. Net Profit carried to Balance Sheet	13,98,84,906·14	3,75,47,551·76
Total Rupees	68,77,99,186 96	54,69,12,718·90

Notes : 1. Includes : (i) Stamp on Bonds .. .. .. Rs. 44,05,000·00

(ii) Bond Discount VII to XIII Series Rs. 13,61,250·00

2. Includes Entertainment Expenses .. .. Rs. 18,041·56

3. Includes Discount received on debentures subscribed to Rs. 3,33,717·59

4. No Provision for Taxation is made in view of Section 44 of the Finance Act, 1979.

As per our Report of even date attached.

M. S. Javadekar
Senior Director
Finance and Administration

Chartered Accountants
Sd/.
Partner.
For SHAH & CO.

Bombay, 20 *September* 1979.

Bombay, 27 *September* 1979.

DEVELOPMENT CORPORATION

YEAR ENDED 30TH JUNE, 1979

			Previous year
	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P
INTEREST RECEIVED			
(*a*) On Loans and Debentures	64,16,82,149·76		52,31,98,021·00
(*b*) On Investments (Tax deducted at source Rs. 1,45,10,986/-)	4,51,19,729·72		2,33,27,337·55
(*c*) On Deposit with IDBI	81,870·00		81,870·00
(*d*) On other Deposits	5,78,437·70		2,37,039·48
		68,74,62,187·18	54,68,44,268·12
2. DISCOUNT, COMMISSION, ETC.		—	—
3. OTHER ITEMS			
(*a*) Share Transfer Fees	4·00		2·00
(*b*) Miscellaneous Receipts (Note 3)	3,36,995·78		68,448·78
		3,36,999·78	68,450·78
Total Rupees		68,77,99,186·96	54,69,12,718·90

(*Previous Year Rs.* 20,62,500·00)

(*Previous Year Rs.* 13,61,250·00)

(*Previous Year Rs.* 13,247·66)

(*Previous Year Rs.* 60,137·68)

M. RAMAKRISHNAYYA *Chairman*

BALDEV SINGH
P. C. D. NAMBIAR *Directors*
M. V. HATE

M.A. CHIDAMBARAM *Managing Director*

Bombay, 26 *September* 1979.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1979